



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 11&76@2016 ¼; #th-jx#—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-3 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुसूची-III (विनियम 7 देखें)

कामिल -ए-तिब-वा--जराहत पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम मानक

1. **यूनानी शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रयोजन** :- यूनानी की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक यूनानी के बुनियादी सिद्धांतों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान व व्यवहारिक परीक्षण के संयुक्त गहरी मौलिकता के सम्पन्न उद्भट विदता के स्नातको को तैयार करना जिससे वे देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करने के लिए पूर्णता सक्षम यूनानी पद्धति के चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक तथा अनुसंधानकृत हो सकेंगे।
2. **प्रवेशार्हता** :- यूनानी की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-
(A) **कामिल-ए-तिब वा जराहत** (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) बी0यू0एम0एस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा।

(क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते कि अभ्यर्थी ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में 50: समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भासा सहित दसवीं दरजा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उर्दू उत्तीर्ण हो

- (ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों 10+2 के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।
 (ग) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
 (घ) एक वर्ष की अवधि की प्राग-तिब परीक्षा।

(B) एक वर्षीय प्राग-तिब पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा,—

(क) इन्टरमीडिएट परीक्षा (10\$2) के समकक्ष प्राच्य अर्हता जैसा कि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट है अथवा

Rkkfydk

यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम के प्राग-तिब पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु हायर सैकेन्ड्री अथवा इन्टरमीडिएट अथवा 12 वीं दर्जा के समकक्ष अरबी फारसी में प्राच्य अर्हता की सूची—

दॆ l ३; k	l ३Fkk dk uke	vgrk
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय	फ़ाज़िल—ए—अदब अथवा फ़ाज़िल—ए—तफ़सीर
2.	दारुल उलूम नदवतुल—उल्मा, लखनऊ	फ़ाज़िल
3.	दारुल, उलूम, देवबंद, जिला—सहारनपुर	फ़ाज़िल
4.	अल—जामियत—उल सल्फ़ियाह, मरकज़ी दारुल—उलूम, वाराणसी	फ़ाज़िल
5.	अरबी व फ़ारसी परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ	फ़ाज़िल
6.	मदरसा फ़ैजेआम, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
7.	दारुल हदीस, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
8.	जामियत—उल—फ़लाह, बिलरिया गंज, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
9.	दारुल उलूम अशरफ़िया मिसबाहुल उलूम, मुबारकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
10.	जामिया सिराजुल उलूम, बूधीयार, गोंडा (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
11.	जामिया फ़ारुकिया, सबराबाद, वाया शाहगंज, जिला—जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	आदिब—ए—फ़ाज़िल
13.	दारुल उलूम अरबी महाविद्यालय, मेरठ शहर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
14.	मदरसा मजाहिर उलूम, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
15.	राजकीय मदरसा—ए—अलिया, रामपुर	फ़ाज़िल
16.	अल—जामियतुल इस्लामिया, नूर बाग, ठाड़े, मुंबई	फ़ाज़िल
17.	अल—जामियत—उल मोहम्मदिया, मनसूरा, मालेगाँव	फ़ाज़िल
18.	अल—जामियतुल इस्लामिया इस—हात—उल उलूम, अक्कलकुंआ, जिला—धूलिया	फ़ाज़िल
19.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना	फ़ाज़िल
20.	जामिया—तुस—सालेहत, रामपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
21.	मदरसा—तुल—इस्लाह, सरायमीर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
22.	जामिया दारुस सलाम, मलेरकोटला (पंजाब)	फ़ाज़िल
23.	खैरुल उलूम, अल—जामियतुल इस्लामिया, डुमरिया गंज, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
24.	मदरसा दारुल हुदा, यूसुफपुर, वाया नौगढ़, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाज़िल
25.	जामिया इस्लामिया अल्माहद ओखला, नई दिल्ली अथवा जामिया इस्लामिया सनाबिल, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव—II, नई दिल्ली	फ़ाज़िल
26.	दारुल उलूम अरबिय्याह इस्लामिया, पोस्ट कनथारिया, भारुच (गुजरात)	फ़ाज़िल
27.	दारुल उलूम राशियदिया, नागपुर	फ़ाज़िल

(ख) राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) के समकक्ष प्राच्य अर्हता।

3. **ikfod idsk ds }kjk idsk%** कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) हेतु अनुमत प्रवेश क्षमता की कुल संख्या में से दस सीटें प्रति वर्ष मुख्य पाठ्यक्रम में पार्ष्विक प्रवेश (प्राग-तिब पाठ्यक्रम) के द्वारा प्रवेश हेतु आरक्षित होंगी। बाकी सीटें पात्रता खंड 2(क) में उल्लेख मानदंड का पालन करते हुए भरी जा सकती है।

4. **ikB; dæ dh vof/k%** (क) प्राग तिब पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी (तथा (ख) उपाधि (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष तथा छः माह होगी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- i. प्रथम व्यावसायिक सत्र - बारह माह
- ii. द्वितीय व्यावसायिक सत्र- बारह माह
- iii. तृतीय व्यावसायिक सत्र- बारह माह
- iv. अंतिम व्यावसायिक सत्र- अट्ठारह माह
- v. अनिवार्य आवर्ती विशाखानुप्रवेश- बारह माह

5. **inku dh tkus okyh mikf/k%** अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, पश्चात् सभी परिक्षाएँ उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशाखानुप्रवेश के पूर्ण करने के पश्चात् यूनानी (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) उपाधि प्रदान की जाएगी।

6. **fk{kk dk ek/; e%** पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा का माध्यम उर्दू अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

7. **ijh{kk dh ; kstuk%** (1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा तथा प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर होगी।

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी :-

- i. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफा;
- ii. कुल्लियात उमूरे तबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त);
- iii. तशरीहुल बदन (एनॉटमी);
- iv. मुनाफिउल आज़ा (फ़ीज़ियोलॉजी)

(ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वे छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण करने के अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जाएंगे।

(2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा।

द्वितीय प्रथम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया पूर्ण होने के पश्चात् एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा:-

- (i) तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास)
- (ii) तहफुजी ना समाजी तीब (प्रीवेदन एण्ड कम्युनिटी मेडिकल)
- (iii) इल्मुल अदविया (फ़ामाकोलॉजी)
- (iv) महियातुल अमराज

(ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय अधिकतम तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।

(3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। एवं

तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-

- (i) सम्प्रेषण कौशल
- (ii) इलमुल सैदला वा मुरक्कावात
- (iii) तिब्बे कानूनी व इलमुल समूम (जूरीस प्रडेन्स एण्ड टोक्सीकोलोजी)

- (iv) सरीरियात वा उसूले इलाज (क्लीनिकल मेथउस)
 (v) इलाज बित तदबीर (रेजीमेनल थेरेपी)
 (vi) इलमुल अत्फाल (पीडिस्ट्रिक्स)
 (ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे अधिकतम तीन वर्षों में तृतीय व्यावसायिक परीक्षा चार अधिकतम अवसरों में उत्तीर्ण करने की अनुमति दी जायेगी।

(4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र 1 वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के 1) वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे :-

- (i) मोआलीजात (मेडिसिन)
 (ii) अमराजे निस्वान (गाइनोकोलीजी)
 (iii) इतमुल कबालावा नौमीजूद (आवरवेट्रिक्स) एण्ड म्योनादीलाजी)
 (iv) इल्मुल जराहत (संजेरी)
 (v) एन, उज्ज, अनफ, हलक, वा अस्नान (नेत्र, कान, काठ, तथा दंत चिकित्सा)
 (vi) अमराजे जिल्द वा तजिनियान

(ग) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी : बशर्ते कि, छात्र की गंभीर व्यक्तिगत बीमारी के मामले में तथा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में, संबंधित विश्वविद्यालय का उप- कुलपति चार व्यावसायिक परीक्षा में से किसी में भी एक अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।

(घ) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश प्रोग्राम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को अधिकतम नौ वर्षों में उपरोक्त अनुसार उत्तीर्ण करना होगा।

8. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय का विभाजन निम्नवत् निम्न प्रकार होगा:-

- (क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा। एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा।
 (ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।
 (ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा।

(घ) कोई भी प्रशिक्षु अस्पताल के विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना उसकी अस्पताल की ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(ङ) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थियों को विशिखानुप्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(च) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी. एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा।
 बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार की अनुमति यूनानी स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नहीं है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश यूनानी महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

(3) महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित नाम टीचिंग अस्पताल में निम्न प्रकार संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
1.	मोआलाजात इलाज वीद तदवीर और अमराजे जिल्द व तजीनियत को सम्मिलित करते हुए	2 माह	4 माह
2.	जराहत	1 माह	2 माह
3.	अमराज-ए-एन, उज्ज, अनफ-हलक वा अस्नान	1 माह	2 माह
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अमराजे कबालात व अमराजे विस्वा	1 माह	2 माह
5.	अमराजे अत्फाल	15 दिन	1 माह
6.	तहपफूजी-वा-समाजी तिब्ब (प्रीवेन्टिव एण्ड कम्प्युनिटी मेडीसिन)	15 दिन	1 माह

(4) प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल
- (ग) आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल
- (घ) कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित सभी संस्थाओं को ऐसे प्रशिक्षण देने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी अभिहित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त होना होगा।

(5) विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में 06/12 माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश।

प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

- (क) मोआलाजात- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि दो माह या चार माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-
 - (i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूपण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन।
 - (ii) यूनानी पद्धति द्वारा नब्ज, बौल-औ-बराज परिक्षण नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमोग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्टीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा आदि। आयुर्वेद पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जाँच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना।
 - (iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।
 - (iv) इलाज वित तदबीर: विभिन्न रेजीमेनल चिकित्सा की प्रक्रियाएं तथा तकनीकें
 - (v) अमराजे जिल्द व तजीनियात: अधुनिक उपकरण एवं तरीको को प्रयोग करते हुए त्वचा के विभिन्न रोगों की जांच एवं निदान एवं प्रसाधन।

(ख) जराहत:- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये:-

- i. यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- ii. अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन।
- iii. सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण।
- iv. प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
- v. संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग।
- vi. विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि और ई.सी.जी.
- vii. शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-
 - (क) ताजा कटे/घाव को टांका लगाना
 - (ख) घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी
 - (ग) फोड़े का चीरा
 - (घ) रसौली का उच्छेदन
 - (ङ.) शिराशल्यक्रिया इत्यादि

(ग) vejks , u] mTuj vllQ&gyd+ ok vLuku -इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- (i) यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
- (ii) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
- (iii) कान, नाक, कंठ, दंत, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया;
- (iv) नेत्र, कान, नाक, कंठ, दृष्टि दोष आदि की तत्सम्बन्धित उपकरणों से बहिरंग विभाग में जांच। नेत्र, कान, नाक, कंठ दोष दृष्टि दोष आदि की जांच, नेत्र सम्बन्धी रोगों के निदान हेतु नेत्र सम्बन्धी उपकरण का प्रयोग, बधिरता हेतु विभिन्न जांचे; एवं
- (v) बाह्य-रोगी विभाग स्तर लघु शल्य प्रक्रिया पर प्रक्रियाएं जैसे सिरिज से साफ करना तथा ऐनट्रम वाश, एपिस्टेक्सिस में नाक का संवेश्टन (पैकिंग), हलक से विजातीय शरीरों को हटाना।

(ड) **bYey&dckyr ok&vejks fuLoku:** - इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

- i. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल
- iii. सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबन्धन
- iv. लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएं

(च) अमराजे अतफाल-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा:- प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- i. प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार, यूनानी के सिद्धान्तों तथा चिकित्सा द्वारा भी प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल;
- iii. प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित नवजात शिशु की देखभाल
- iv. यूनानी चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण कौमार भृत्य समस्याएं तथा उनका प्रबन्धन।

(छ) तहफफूजी-वा-समाजी तिब्ब-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन अथवा एक माह होगी तथा प्रशिक्षु को पोषण संबंधी रोगों सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों से बचाव तथा नियन्त्रण कार्यक्रमों, प्रतिरक्षण, संक्रमण रोगों का प्रबन्धन, परिवार कल्याण योजना कार्यक्रमों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण की छः माह की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिए:-

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
- (ii) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहियें तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये।
- (iii) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिए तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये; तथा
- (iv) उन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।

$\frac{7}{8}$ ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिये:-

- (i) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका प्रबन्धन तथा
- (ii) ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होना।

$\frac{8}{8}$ आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह के दौरान प्रशिक्षु को

- i. हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनके प्राथमिक उपचार से परिचित कराया जायेगा; तथा
- ii. ऐसे मामलों को सम्बन्धित अस्पतालों के पास भेजने की प्रक्रिया से परिचित कराया जायेगा।

9. **विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन** .- विभिन्न विभागों में उन्हें आवंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

10. **विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण**.- (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति मात्र से ही होगा।

(2) समान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में मात्र दोनों महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति संस्थान अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

11 **परीक्षा**.- (1) सिद्धान्त परीक्षा में अधिकतम 40% तक के अंको के न्यूनतम 20% लघुतरीय प्रश्न तथा अधिकतम 60% तक के अंको के न्यूनतम 4 व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।

(2) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे तथा उन विषयों में जिसमें दो प्रश्न-पत्र तथा एक सामान्य प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित हो, वहाँ सिद्धान्त के प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण करने के मापदंड का निर्णय दोनों प्रश्न-पत्रों के कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने के आधार पर लिया जायेगा।

- (3) विषय में 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
- (4) यदि कोई अभ्यर्थी सिद्धान्त अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सिद्धान्त तथा प्रयोगात्मक परीक्षा की पूरक परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।
- (5) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
- (6) प्रत्येक छात्र को प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय में दिये गये तीन-चौथाई व्याख्यानों, प्रयोगों अथवा प्रदर्शन अथवा नैदानिक में भाग लेना अपेक्षित होगा तथा प्रत्येक छात्र को वर्ष के दौरान महाविद्यालय की शैक्षिक भ्रमण अथवा दौरो में भाग लेना आवश्यक होगा। परन्तु अधिष्ठाता अथवा प्राचार्य प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत योग्यता पर जितना आवश्यक समझे किसी को इनमें भाग लेने से छूट दे सकता है।
- (7) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।
- (8) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-
- (क) उपस्थिति में नियमितता
- (ख) आवधिक परीक्षा
- (ग) प्रयोगात्मक पुस्तिका कार्य

- 12. पाठ्यक्रम के दौरान स्थानान्तरण.-** (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चित व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

13- i z u i =ka dh l a ; k r f k k fl) k l r @ f d z ; k R e d d s f y ; s v d .-

fo'k; dk uke	f' k{k. k ds ?k. Vka dh l a ; k	vf/kdre vdkka dk foj .k					
	fl) k l r	f d z ; k R e d	d i y	i z u i =ka dh l a ; k	fl) k l r	f d z ; k R e d	d i y
1/1 1/2	1/2 1/2	1/3 1/2	1/4 1/2	1/5 1/2	1/6 1/2	1/7 1/2	1/8 1/2
i k x f r c							
1. तबियत (भौतिक विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
2. कीमिया (रसायन विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
3. नबातियत (वनस्पति विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
4. हैवानियत (जन्तु विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
5. अंग्रेजी	180	---	180	एक	100	..	100
टिप्पणी: निकट के किसी विज्ञान महाविद्यालय में प्राग तिब पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।							
i f k e 0 ; k o l k f ; d							
1. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफ़ा	100	—	100	एक	100	.	100
2. कुल्लियात उमूरे तिबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त)	100	—	100	एक	100	100	200
3. तशरीहुल बदन (ऐनॉटमी)* प्रश्नपत्र (i)—तशरीह— I प्रश्नपत्र (ii)— तशरीह— II	225	200	425	दो	100 100	100	300
4. मुनाफिउल आज़ा (शरीर क्रिया विज्ञान) प्रश्नपत्र (i)— मुनाफिउल आज़ा उमूमी वा हयाती कीमिया (सामान्य शरीर विज्ञान तथा जैव-रसायन विज्ञान) प्रश्नपत्र (ii)- मुनाफिउल आज़ा निजामी (शरीर विज्ञान)	225	200	425	दो	100 100	100	300
टिप्पणी: * तशरीहुल बदन प्रश्न पत्र— I: भ्रूण विज्ञान तथा आनुवांशिकी के मूलभूत ज्ञान जैसे गुणसूत्र, वंशानुक्रम की पद्धति, कोशिकाभवन तथा महत्वपूर्ण रोगों की आनुवांशिकी सहित संयोजक ऊतक, पेशी, स्नायु, ऊपरी तथा निचले अवयव तथा सिर तथा कंठ के अंगों का सामान्य वर्णन।							
* तशरीहुल बदन प्रश्नपत्र— II: वक्ष, उदर तथा श्रोणि तथा विभिन्न अंगों की अनुप्रयुक्त तथा मन्द शारीरिक अनियमितताओं का सामान्य वर्णन।							

f)rh; 0; kol kf; d							
1. तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास)	100	—	100	एक	100		100
2. तहफुजी वा समाजी तिब (रोधात्मक एवं सामुदायिक चिकित्सा)	150	100	250	एक	100	100	200
3. इल्मुल अदविया प्रश्नपत्र (i)– कुल्लियाते अदविया प्रश्नपत्र (ii)–अदविया मुफरादह	200	100	300	दो	100 100	100	300
4. माहियातुल अमराज प्रश्नपत्र (i)– माहियातुल अमराज उमूमी वा इल्मुल जरासीम प्रश्नपत्र (ii)–माहियातुल अमराज निजामिया	200	200	400	दो	100 100	100	300
fVii .kh% * इल्मुल अदविया– I (अदविया मुफरादह), तहफुजी वा समाजी तिब तथा माहियातुल अमराज के क्रियात्मक अथवा प्रदर्शन हेतु छात्रों को तीन समूहों में विभक्त किया जायेगा। अदविया मुफरादह के प्रदर्शन हेतु छात्रों को अदविया संग्रहालय तथा वनस्पति उद्यान में नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा।							
r rh; 0; kol kf; d							
1. सम्प्रेषण कौशल	100	—	100	एक	100		100
2. इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात प्रश्न पत्र (i)–इल्मुल सैदला प्रश्न पत्र (ii)–अदविया मुरक्काबात	140	100	240	दो	100 100	100	300
3. तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम	100	50	150	एक	100	100	200
4. सारीरियत वा उसूले इलाज	80	140	220	एक	100	100	200
5. इलाज बित तदबीर	80	140	220	एक	100	100	200
6. अमराजे अत्फाल	80	50	130	एक	100	100	200
fVii .kh% इल्मुल अदविया-II (इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात) तथा तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम के प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु छात्रों को दो समूहों में विभक्त किया जाएगा। दोनों विषयों में क्रियात्मक प्रति सप्ताह चार दिन होगा। इलाज बित तदबार, सारीरियत तथा अमराजे अत्फाल के नैदानिक प्रशिक्षण हेतु छात्रों को अस्पताल में विभिन्न समूहों में नियुक्त किया जाएगा।							
vfre 0; kol kf; d							
1. मोआलाजात प्रश्न पत्र (i)– अमराज–ए–निजाम–ए–दिमाग वा आसाब तथा बाह, हुम्मियत प्रश्न पत्र (ii)–अमराज–ए–तानाफफुस दौरान–ए–खून, तौलीद–ए–दम, तिहाल प्रश्न पत्र (iii)– अमराज–ए–हज्म, बौल ओ तानासुल, अमराज–ए– मुताद्दीयाह	250	नैदानिक ड्यूटी (समूहों में) अस्पताल के विभिन्न अनुभाग में 3–4 घण्टे प्रतिदिन	—	तीन	100 100 100	100	400

2. अमराजे निस्वान	100	—	एक	100	100	200
3. इल्मुल कबालत वा नौमौलूद	100	—	एक	100	100	200
4. इल्मुल जराहात प्रश्न पत्र (i)–जराहत उमूमी प्रश्न पत्र (ii)– जराहत निजामी	150	—	दो	100 100	100	300
5. ऐन, उज्ज, अन्फ, हलक वा अस्नान	100	—	एक	100	100	200
6. अमराजे जिल्द व तजीनियात	100	—	एक	100	100	200

14 शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव.- शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत हैं:-

(I) अनिवार्य (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मण्डल /संकाय/परीक्षा निकाय से यूनानी में उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में समाविष्ट/मान्य हों।

ख) विषय/संबंधित विशेष विषय में स्नातकोत्तर अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट/मान्य हों।

(II) अनुभव.- (क) प्राध्यापक के पद के लिए : सम्बन्धित विषय में कुल 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में प्रवाचक/सहायक प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान के अनुसन्धान परिषद् में नियमित रूप से सेवा में 10 साल के अनुसन्धान के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त जर्नल में पांच प्रकाशित पत्र।

ख. सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद के लिए:

संबंधित विषय में कुल 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान के अनुसन्धान परिषद् में नियमित रूप से सेवा में 5 साल के अनुसन्धान के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त जर्नल में तीन प्रकाशित पत्र।

ग. सहायक-आचार्य(व्याख्याता) के पद के लिये:

प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी :- प्राथमिकता यूनानी में डॉक्टरेट उम्मीदवारों को दी जाएगी।

घ. यूनानी की अपेक्षित विशिष्टता जैसाकि कॉलम 2 की तालिका में उल्लिखित है में स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में समवर्गी विषयों जैसा कि कॉलम 3 की तालिका में उनके सामने उल्लिखित है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि धारक प्राध्यापक, प्रवाचक एवं व्याख्याता के लिए पात्र समझे जाएंगे -

क्रम संख्या (1)	विषय (2)	समवर्गी विषय (3)
1.	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत अथवा कुल्लियाते तिब
2.	मुनाफेउल आजा	कुल्लियाते तिब
3.	इल्मुल सैदला	इल्मुल अदविया
4.	तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम	तहफफुजी वा समाजी तिब अथवा मोआलाजात अथवा इल्मुल अदविया
5.	सरीरियात	मोआलाजात
6.	महियातुल अमराज	मोआलाजात अथवा कुल्लियाते तिब
7.	इलाज बिल तदबीर	मोआलाजात अथवा तहफफुजी वा समाजी तिब
8.	अमराजे जिल्द व तजीनियात	मोआलाजात
9.	अमराजे ऐन, उज्ज, अनफ, हलक वा असनान	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
10.	इल्मुल अत्फल	मोआलाजात अथवा कबालत वा अमराजे निस्वान

टिप्पणी 1: समवर्गी विषय का यह उपबन्ध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पांच वर्ष तक जारी रहेगा।

टिप्पणी :2 जिन शिक्षकों को पिछले विनियम के आधार पर पूर्व में पात्र माना गया था वह इन संशोधनों के आधार पर प्राध्यापक, प्रवाचक और व्याख्याता के पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी :3 नियमित रूप से डाक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक के अनुसंधान अनुभव को एक वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के समान माना समझा जाएगा।

15- ikx&frc ikB; dæ grqf'k{kdkæ dh vgrk -&

मूलभूत विज्ञान के विषयों हेतु-सम्बन्धित विषय में मास्टर ऑफ साइन्स (एम.एस.सी.) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ

16- l lFkk ds iæf'k %i /kkukpk; l vFkok vf/kBkrk vFkok funs'kd½ ds i n ds fy, vgrk-&

1/2½ vfuok; % संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के इन पदों के

लिए प्राध्यापक पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव अनिवार्य होगा।

1/2½ okNuh; % (i) कम से कम पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव

(ii) यूनानी तिब के किसी विषय में मूल प्रकाशित कार्य; तथा

(iii) अरबी या फ़ारसी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान

17- ; wkuh ea ijh{k d dh fu; fDr-& सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव अथवा सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा अनुसंधान अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा।

18- vjch rFkk I Ei k.k dk\$ky fo'k; grq vgrk-&

(1) अरबी के शिक्षक के लिए— विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अरेबिक अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि

(2) I Ei k.k dk\$ky fo'k; ds fy, & विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय पत्रकारिता अथवा जन संचार में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा अथवा अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान

क. नटराजन, निबंधक—सह—सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

fVli .kh%&&अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Notification

New Delhi, the 7th November, 2016

No. 11-76/2016-Unani (U.G Regl.) In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE III

(See regulation 7)

MINIMUM STANDARDS FOR KAMILE TIB O JARAHAT (BACHELOR OF UNANI MEDICINE AND SURGERY) COURSE

1. Aims and Objects of Unani Education.- To produce competent Unani graduates of profound scholarship, having deep basis of Unani with modern scientific knowledge, in accordance with Unani fundamentals with extensive practical training so as to become Unani Physician and Surgeon and research worker fully competent to serve in the medical and health services of the country.

2. Eligibility for admission.- To seek admission in the respective course of Bachelor of Unani Medicine are as under-

(A) Admission to Kamile Tib O Jarahat course: A candidate seeking admission to main Kamile Tib O Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course must have passed-

(a) intermediate (10+2) or its equivalent examination with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology and the candidate shall have passed 10th standard with Urdu or Arabic or Persian language as a subject, or clear the test of Urdu of 10th standard (wherever there is provision to conduct of such test) in the entrance examination conducted by the University or Board or registered Society or Associations authorized by the Government to conduct such examination;

(b) for reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in of Physics, Chemistry and Biology marks for admission in BUMS as per concerned State and Central rules;

(c) for foreign students any other equivalent qualification to be approved by the University shall be allowed; or

(d) the Pre-Tib examination of one-year duration.

(B) Admission to Pre-Tib course-A candidate seeking admission to one year Pre-Tib course must have passed-

(a) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) as specified in the Table below; or

TABLE

List of oriental qualifications in Arabic Persian equivalent to Higher Secondary or Intermediate or 12th Standard for the purpose of admission to Pre-Tib course of the Unani degree course

Sl. No.	Name of Institution	Qualification
1.	Lucknow University	Fazil-e-Adab or Fazil-e-Tafseer

2.	Darul Uloom Nadvatul-Ulma, Lucknow	Fazil
3.	Darul-Uloom, Deoband, Distt. Saharanpur	Fazil
4.	Al-Jameat-ul Salfiah, Markazi Darul-Uloom, Varanasi	Fazil
5.	Board of Arabic and Persian Examination, Uttar Pradesh Allahbad or Uttar Pradesh Madarsa Shiksha Parishad, Lucknow	Fazil
6.	Madarsa Faize Aam, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (U.P)	Fazil
7.	Darul Hadees, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
8.	Jameat-ul-Falah, Bilaria Ganj, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
9.	Darul Uloom Ashrafia Misbahul Uloom, Mubarakpur, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
10.	Jamia Sirajul Uloom, Bondhiyar, Gonda (Uttar Pradesh)	Fazil
11.	Jamia Farooquia, Sabrabad, via Shahganj, Distt. Jaunpur (Uttar Pradesh)	Fazil
12.	Madras University	Adeeb-e- Fazil
13.	Darul Uloom Arabic College, Meerut City (Uttar Pradesh)	Fazil
14.	Madarsa Mazahir Uloom, Saharanpur (Uttar Pradesh)	Fazil
15.	Government Madrasa-e- Alia, Rampur	Fazil
16.	Al-Jamiatul Islamiya, Noor Bagh, Thane, Mumbai	Fazil
17.	Al-Jamiat-ul Mohammediya, Mansoor, Malegaon	Fazil
18.	Al-Jamiatul Islamia Is-hat-ul-Uloom, Akkalkuan, Distt. Dhulia	Fazil
19.	Bihar Rajya Madarsa Shiksha Board, Patna	Fazil
20.	Jamia-tus-Salehat, Rampur (Uttar Pradesh)	Fazil
21.	Madarsa-tul-Islah, Saraimir, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
22.	Jamia Darus Salam, Malerkotla (Punjab)	Fazil
23.	Khairul Uloom, Al-Jamiatul Islamia, Domaria Ganj, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
24.	Madarsa Darul Huda, Yusufpur, via Naugarh, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
25.	Jamia Islamia Almahad Okhla, New Delhi or Jamia Islamia Sanabil, Abul Fazal Enclave - II, New Delhi	Fazil
26.	Darul Uloom Arabiyyah Islamia, post Kantharia, Bharuch (Gujarat)	Fazil
27.	Darul Uloom Rashidia, Nagpur	Fazil

(b) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) recognised by State Government or State Education Board concerned.

3. Admission through Pre-Tib Course.- Admission may be made on a maximum of ten seats per year out of the total number of intake capacity permitted for Kamile Tib o Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) to main course through Pre-Tib course. Rest of the seats may be filled up by following the eligibility criteria mentioned at clause 2(a).

4. Duration of course.- (A) Pre-Tib Course: The duration of Pre-Tib Course shall be one year.

(B) Degree (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course: The duration of Course shall be five years and six months comprising:-

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| (i) First Professional session | - | Twelve months |
| (ii) Second Professional session | - | Twelve months |
| (iii) Third Professional session | - | Twelve months |
| (iv) Final Professional session | - | Eighteen months. |
| (v) Compulsory Rotatory Internship | | Twelve months |

5. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Kamile Tib o Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period, and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

6. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be Urdu or Hindi or any recognised regional language or English.

7. Scheme of examination.- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session;

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- Arabic and Mantiq wa Falsafa (Logic and Philosophy);
- Kulliyat Umooore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine);
- Tashreehul Badan (Anatomy);
- Munafe ul Aaza (Physiology);

(c) The failed student of first professional shall be allowed to appear in second professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third professional examination unless the student passes all the subjects of first

professional examination and maximum four chances shall be given to pass first professional examination within a period of maximum three years.

(2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;

(b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Tareekhe Tib (History of Medicine);
- (ii) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine);
- (iii) Ilmul Advia (Pharmacology);
- (iv) Mahiyatul Amraz (Pathology);

(c) The failed student of second professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.

(3)(a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Communication Skills;
- (ii) Ilmul Saidla wa Murakkabat (Pharmacy)
- (iii) Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom (Jurisprudence and Toxicology);
- (iv) Sareeriyat wa Usoole Ilaj (Clinical Methods);
- (v) Ilaj bit Tadbeer (Regimenal Therapy);
- (vi) Ilmul Atfal (Paediatrics);

(c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.

(4)(a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of December every year after completion of one year and six months of final professional session;

(b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-

- (i) Moalajat (General Medicine);
- (ii) Amraze Niswan (Gynaecology);
- (iii) Ilmul Qabala wa Naumaulood (Obstetrics and Neonatology);
- (iv) Ilmul Jarahat (Surgery);
- (v) Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan (Eye, Ear, Nose, Throat and dentistry);
- (vi) Amraze Jild wa Tazeeniyat;

(c) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in anyone of four professional examinations;

(d) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

8. Compulsory Rotatory Internship.-(1) The duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations, and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

- (a) the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme alongwith the rules and regulations, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a workbook shall be given to each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him or her during his or her training;
- (b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;
- (c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;
- (d) no Internee shall remain absent from his hospital duties without prior permission from Head of Department or Chief Medical Officer or Medical Superintendent of the Hospital;
- (e) on satisfactory completion of internship programme, the Principal or Dean of the concerned college shall issue the internship certificate to the candidate;

(f) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Unani hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or facility or permission of the State Government for allowing the graduate of Unani in the hospital or dispensary of Modern Medicine, the one year Internship shall be completed in the Hospital of Unani College.

(3) The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Unani hospital attached to the college or in non-teaching hospitals approved by Central Council of Indian Medicine shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer and Amraze Jild wa Tazeeniyat	Two months	Four months
(ii)	Jarahat	One month	Two months
(iii)	Amraz-e-Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	One month	Two months
(iv)	Ilmul Qabalat-wa-Amraz-e-Niswan	One month	Two months
(v)	Amraze Atfal	Fifteen days	One month
(vi)	Tahaffuzi-wa-Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	Fifteen days	One month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- Primary Health Centre;
- Community Health Centre or District Hospital;
- any recognised or approved hospital of modern medicine;
- any recognised or approved Unani hospital or dispensary:

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University and concerned Government designated authority for providing such training.

(5) Detailed guidelines for internship programme- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Unani Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

- Moalajat- The duration of internship in this department shall be two months or four months with following activities:-
 - all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Unani medicine;
 - examination of Nabz, Baul-o-Baraz by Unani methods, routine clinical pathological work as. haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood smears, sputum examination, stool examination, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis;
 - training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;
 - Ilaj bit Tadbeer: Procedures and techniques of various regimenal therapies;
 - Amraze Jild-wa Tazeeniyat: Diagnosis and management of of various skin diseases, use of modern techniques and equipments in skin and cosmetology etc;
- Jarahat- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
 - diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani principles;
 - management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;
 - practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization;
 - intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;
 - practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
 - radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;
 - surgical procedures and routine ward techniques such as:-
 - suturing of fresh injuries;
 - dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;
 - incision of abscesses;
 - excision of cysts; and
 - venesection;
- Amraze Uzn, Anf, Halaqwa Asnan- The duration of internship in this department shall be onemonth or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-

- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani Principles;
 - (ii) intern shall be involved in Pre-operative and Post-operative managements;
 - (iii) surgical procedures of ear, nose, throat, dental problems, ophthalmic problems;
 - (iv) examinations of eye, ear, nose, throat disorders, refractive error, use of ophthalmic equipment for diagnosis of ophthalmic diseases, various tests for deafness; and
 - (v) minor surgical procedure in Uzn, Anf, Halaq like syringing and antrum wash, packing of nose in epistaxis, removal of foreign bodies from Uzn, Anf and Halaq at Out-Patient Department level;
- (d) **Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan-** The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies;
 - (ii) antenatal and post-natal care;
 - (iii) management of normal and abnormal labours; and
 - (iv) minor and major obstetric surgical procedures;
- (e) **Amraze Atfal-** The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and Post-natal care also by Unani principles and medicine;
 - (ii) antenatal and post-natal emergencies;
 - (iii) care of new born child along with immunization programme; and
 - (iv) important pediatric problems and their managements in Unani system of Medicine;
- (f) **Tahaffuzi wa Samaji Tibb-** The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be trained to acquaint with the programmes of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunisation, management of infectious diseases, family welfare planning programmes.
- (6) **The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine or Unani Hospital or Dispensary:** During the six months internship training in Primary Health Centre or Community Health Centre or District Hospital or any recognised or approved hospital of Modern medicine or Unani hospital or dispensary, the intern shall-
- (i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
 - (ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;
 - (iii) get familiarized with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programme;
 - (iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.
- (7) **Internship training in Rural Unani dispensary or hospital:** During the six months internship training in Rural Unani dispensary or hospital, intern shall-
- (i) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and
 - (ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes.
- (8) **Internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine:** During the six months internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine, intern shall-
- (i) get acquainted with identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment; and
 - (ii) get acquainted with procedure for referring such cases to the identified hospitals.
- 9. Assessment of internship.-** After completing the assignment in various Sections, the intern shall obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Dean or Head of the institution so that completion of successful internship may be granted.
- 10. Migration of Internship.-** (1) The Migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case of migration is between the colleges of two different Universities.
- (2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.
- (3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a "No Objection Certificate", as the case may be.
- 11. Examination.-**(1) The theory examination shall have minimum twenty per cent. short answer questions having maximum mark up to forty per cent. and minimum four questions for long explanatory answer having maximum marks up to sixty per cent., and these questions shall cover entire syllabus of subject.
- (2) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and oral or practical separately in each subject and in the subjects which are comprised of two papers and have one common practical, the criteria of passing the theory papers will be decided on the basis of achieving fifty per cent. marks in aggregate of both the papers.
- (3) A candidate obtaining seventy-five per cent marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- (4) If a candidate is failed in the theory or oral or practical exam, he shall be required to appear in supplementary examination in theory as well as practical also.

- (5) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.
- (6) Each student shall be required to attend not less than three-fourth of the lectures delivered and practicals or demonstrations or clinicals held in each subject during each course and each student also be required to participate in educational trips or tours of the college during the year: provided that the Dean or Principal may exempt any one from such participation to the extent be deemed necessary on individual merit of each case.
- (7) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he shall appear in supplementary examination as regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.
- (8) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-
- Regularity in attendance;
 - Periodical tests; and
 - Practical work.

12. Migration during degree course.-(1)The students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining "No Objection Certificate" from Central Council.

13. Number of papers and marks for theory and practical.-

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PRE-TIB							
1. Tabiyaat (Physics)	180	90	270	one	100	100	200
2. Kimiya (Chemistry)	180	90	270	one	100	100	200
3. Nabatiyat (Botany)	180	90	270	one	100	100	200
4. Haiwaniyat (Zoology)	180	90	270	one	100	100	200
5. English	180	--	180	one	100	--	100
Note: Permission can be given to conduct the Pre-Tib Course in a Science College in nearby vicinity.							
First Professional							
1. Arabic and Mantiq wa Falsifa	100	-	100	one	100	-	100
2. Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine)	100	-	100	one	100	100	200
3. TashreehulBadan (Anatomy)* Paper (i)- Tashreeh -I Paper (ii)- Tashreeh - II	225	200	425	Two	100 100	100	300
4. MunafeulAaza (Physiology) Paper (i)- Munafeul Aza Umoomi waHayati Kimiya (General Physiology and Biochemistry) Paper (ii)-Munafeul Aza Nizami (Physiology)	225	200	425	Two	100 100	100	300
Note: *Tashreehul Badan Paper - I : General description of Connective tissues, Muscles, Nerves, Upper and Lower Limbs and organs of Head and Neck including basics of Embryology and Genetics like as Chromosomes, Pattern of inheritance, Cyto-genetics and Genetics of important diseases. *Tashreehul Badan Paper - II: General description of Thorax, Abdomen and Pelvis and Applied and Gross Anatomical anomalies of different organs.							
Second Professional							
1. Tareekhe Tib (History of Medicine)	100	-	100	One	100	-	100
2. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	150	100	250	One	100	100	200
3. Ilmul Advia Paper (i)- Kulliyate Advia Paper (ii)- Advia Mufradah	200	100	300	Two	100 100	100	300
4. Mahiyatul Amraz Paper (i)- Mahiyatul Amraz Umoomi wa Ilmul Jaraseem Paper (ii)- Mahiyatul Amraz Nizamia	200	200	400	Two	100 100	100	300

Note: The students may be divided into three groups for practical or demonstration of Ilmu Advia-I (Advia Mufradah), Tahaffuzi wa Samaji Tib and Mahiyatul Amraz. For demonstration of Advia Mufradah, the student will be posted in Advia Museum and Herbal Garden regularly.							
Third Professional							
1. Communication Skills	100	-	100	One	100		100
2. Ilmu Saidla wa Murakkabat Paper (i)- Ilmu Saidla Paper (ii)- Advia Murakkabah	140	100	240	Two	100 100	100	300
3. Tibbe Qanooni wa Ilmu Samoom	100	50	150	One	100	100	200
4. Sareeriyat wa Usoole Ilaj	80	140	220	One	100	100	200
5. Ilaj bit Tadbeer	80	140	220	One	100	100	200
6. Amraze Atfal	80	50	130	One	100	100	200
Note: For Practical training Ilmu Advia-II (Ilmu Saidla wa Murakkabat) and Tibbe Qanooni wa Ilmu Samoom, the students may be divided in two groups. Practicals in both the subjects may be held four days every week. The students will be posted in hospital, in various groups for clinical training of Ilaj bit Tadbeer, Sareeriyat and Amraze Atfal.							
Final Professional							
1. Moalajat Paper (i)- Amraz-e-Nizam-e-Dimagwa Aasab and Baah, Hummiyat Paper (ii)- Amraz-e-Tanaffus, Dauran-e- Khon, Tauleed-e-Dam, Tihal Paper (iii): Amraz-e-Hazm, Baul o Tanasul, Amraz-e-Mutaddiyah, Hummiyat, Amraz-e-mafasil	250	Clinical duties (in groups) In various sections of Hospital 3-4 hrs per day	-	Three	100	100	400
2. Amraze Niswan	100		-	One	100	100	200
3. Ilmu Qabalat wa Naumaulood	100		-	One	100	100	200
4. Ilmu Jarahat Paper (i)- Jarahat Umoomi Paper (ii)- Jarahat Nizami	150		-	Two	100 100	100	300
5. Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	100		-	One	100	100	200
6. Amraze Jild wa Tazeeniyat	100		-	One	100	100	200

14. Qualifications and Experience for teaching staff.-The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

- (I) **Essential qualification-** (a) A Bachelor degree in Unani Medicine from a University or its equivalent as recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
(b) a Post-Graduate degree in the subject or specialty concerned included in the schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
- (II) **Experience-**(a) For the Post of Professor: Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.
(b) For the Post of Reader or Associate Professor: Five years teaching experience in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal.
(c) For the post of Assistant Professor or Lecturer: The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per the existing rules.

Note: Priority shall be given to the candidates having Doctorate in Unani.

- (III) **Provision of allied subject:** In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

Sl. No.	Subject	Allied Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Tashreehul Badan	Ilmu Jarahat or Kulliyate Tib

2.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
3.	Ilmul Saidla	Ilmul Advia
4.	Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom	Tahaffuzi wa Samaji Tib or Moalajat or Ilmul advia
5.	Sareeriyat	Moalajat
6.	Mahiyatul Amraz	Moalajat or Kulliyate Tib
7.	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
8.	Amraze Jild wa Tazeeniyat	Moalajat
9.	Amraze Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	Ilmul Jarahat or Moalajat
10.	IlmulAtfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The doctor who were appointed on regular basis prior to the commencement of these regulations shall be eligible for appointment or promotion for the post of Professor, Associate Professor (Reader) and Assistant Professor (Lecturer) in the respective discipline under these regulations.

Note 3: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

15. Qualification of teachers for Pre-Tib course.- For subjects of Basic Sciences- Master of Science (M.Sc.) in the respective subject with minimum percentage of 55.

16. Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director).-

(I) **Essential:** The qualification and experience prescribed for the Post of Professor shall be essential for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director).

(II) **Desirable :**(i) Minimum five years administrative experience;
(ii) Original published work in any subject of Unani Tib; and
(iii) Good Knowledge of Arabic or Persian and English.

17. Appointment of Examiner in Unani.- No person other than regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for an examiner.

18. Qualification for Arabic and Communication Skill teachers.- (1) Qualification for Arabic Teacher- Post graduate degree in Arabic or equivalent qualification from a recognised University.

(2) Qualification for Communication Skills teacher on part time – Master of Arts (M.A.) in Journalism or Master of Arts (M.A.) in Mass communication or Post-Graduate Diploma in Journalism or Post-Graduate Diploma in Mass communication or Master of Arts (M.A.) in English from a recognised University with good working knowledge of Computer”.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note.— If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016. the English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 28-15/2016-एवाई (एम.एस.आर.)- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की आवश्यकताओं का नियमन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
(क) ‘अधिनियम’ से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
(ख) ‘कॉलेज’ से स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है।

- (ग) 'संलग्न अस्पताल' से आयुर्वेद महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण आयुर्वेद अस्पताल अभिप्रेत है।
 (घ) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित आयुर्वेद कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक की आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे;
 (ख) अनुमति की समाप्ति से 3 माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदर्शन करेगी;
 (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;
 (घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा स्टॉफ तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करना होगा;
 (ङ.) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;
 (च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;
 (छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु परिदर्शन की तिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(2) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं-

- (क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; अथवा ऑन लाइन बायो मेट्रिक उपस्थिति से यह पाए जाने पर कि शिक्षण, गैरशिक्षण स्टॉफ, अस्पताल का स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, अथवा अस्पताल उचित रूप से क्रियाशील नहीं है, ऐसा पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपेक्षित यथा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;
 (ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे 150 दिनों के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;
 (ग) शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तथा 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों को विनियम 4 से 11 के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया समझा जाएगा।

(3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं (क) किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;

- (i) अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;
 (ii) विनियम VII के उप विनियम (2) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;
 (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम पिचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता;
 (iv) अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट ओषधीय उद्यान की उपलब्धता;
 (v) अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अस्पताल के स्टॉफ की उपलब्धता;
 (vi) अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं अन्य स्टॉफ की उपलब्धता;
 (vii) विनियम 9 के उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय परिषद् की उपलब्धता;
 (viii) विनियम 9 के उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय की वेब साइट की उपलब्धता;
 (ix) विनियम 9 के उप विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट बायो मेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता; एवं
 (x) विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता।

(ख) महाविद्यालयों, जिन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई है अथवा जिन्हें शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु अनुमति के लिए मना कर दिया गया है, उन्हें विनियम 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट शैक्षिक सत्र अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए उक्त खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

4. भूमि की आवश्यकता:-

- (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो और प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।
- (3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफ.एस.आई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
- (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष से अन्यून या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
- (6) 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की आवश्यकता लागू नहीं होगी। परन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होना चाहिए।
- (2) 61 से 100 छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए होगा।
- (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण अलग-अलग भवनों में किया जाना चाहिए। तथा कॉलेज एवं अस्पताल के अलग अलग भवनों की आवश्यकता मात्र दिनांक 18.07.2012 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारिक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
- (5) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:- महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। 60 से कम या 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने ओर संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:-** छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका

वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रूग्ण विभाग में न्यूनतम छात्र-शय्या अनुपात 1:1 पर	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (300 दिन) में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

$$\text{शय्या दिवस अधिभोग} \times 100 \text{ की संख्या}$$

$$\text{शय्याओं की संख्या} \times \text{दिवसों की संख्या}$$

(3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:-

- (i) कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग के रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका अन्तरंग विभाग के रूग्णों के लिए अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु, कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित होगी। उन महाविद्यालयों को जिन्हे शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली का रख रखाव करना होगा।
- (4) **स्थान आवश्यकता:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, अस्पताल साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, पंचकर्म थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार गृह, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।

(5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- (i) कायचिकित्सा
- (ii) पंचकर्म
- (iii) शल्य तंत्र
- (iv) शालाक्य तंत्र (दो कमरे बहिरंग रूग्ण कि लिए)
 - (क) नेत्र रोग विभाग
 - (ख) कर्ण-नासा-मुख एवं दंत रोग विभाग
- (v) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
- (vi) कौमारभृत्य(बालरोग)
- (vii) स्वस्थवृत्त एवं योग
- (viii) अत्यायिक (आपातकाल)

(6) अन्तरंग रूपण विभाग:- अस्पताल के अन्तरंग रूपण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
काय चिकित्सा (पंचकर्म, रसायन एवं मानस रोग आदि)	50% शय्या	30	50
शल्य तंत्र एवं शालाक्य तंत्र	25% शय्या	15	25
प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा कौमारभृत्य	25% शय्या	15	25

(7) रोग निदान एवं प्रयोगशालीय परीक्षण प्रयोगशाला (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं आयुर्वेदिक नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) अस्पताल के कर्मचारी: अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

8. कालेज की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) शिक्षण स्टाफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु दस अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक, योग का एक शिक्षक तथा जैव सांख्यिकीय का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद अथवा विषय के शिक्षक से संबंधित पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु: शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।
- (घ) समस्त शिक्षकों की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
- (2) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता: महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. विविध आवश्यकताएं:-

(1) कॉलेज परिषद्:

- (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।
- (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार कॉलेज परिषद् की बैठक की जायेगी।
- (ग) कॉलेज परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।

(2) कॉलेज की वेबसाइट: प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टाफ का विवरण।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज के गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय स्टाफ का विवरण।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (ड) महाविद्यालय की वेबसाइट केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से लिंक होगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी लिंक किया जाएगा।
- (ढ) महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ, अस्पताल के स्टाफ, छात्रों तथा बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** (i) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक होगी।
- (iii) महाविद्यालय जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, वे दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण करेंगे।
10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -**
- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले आयुर्वेद कॉलेज को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा:
- (क) **कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-**
- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से दो वर्ष से पूर्व कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ विनियम 4 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक। तथा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से दो वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान क्रमशः 60 सीटों तक के लिए तथा 61 से 100 सीटों के लिए जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा; तथा
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ख) **छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-**
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।

- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टॉफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(ग) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-

- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टॉफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-

- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) इन विनियमों 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति की आवश्यकताएं;
- (iv) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची iii में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा
- (vi) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(2) (क) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।

(ख) यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।

- (ग) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- (3) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13 क के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना तथा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख के रखरखाव हेतु वेब लिंक कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली रखना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, उनके लिए आशय पत्र जारी करने हेतु इन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु अनुमति पत्र जारी किये जाने से पूर्व इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
11. **उपकरण, यंत्र-समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शव विच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।
12. **आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-**
- (1) आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

अनुसूची-I

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेद महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रक कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीकरण		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	कायचिकित्सा बाह्य रोगी विभाग		
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष, वाश बेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग		
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षा कक्ष सहित		
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग, प्रदर्शन क्षेत्र सहित		
7.	अत्यायिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बेसिन सहित		
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार सूत्र कक्ष		
9.	औषधालय		
10.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
11.	भण्डार		
12.	स्टॉफ तथा रोगियों के लिये अलग-अलग पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650

1.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	शल्य शालाक्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	शल्य शालाक्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं कौमारभृत्य वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	मुख्य, लघु एवं शालाक्य प्रक्रियाओं के लिए शल्यकर्म कक्ष		
2.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव इकाई		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो आरोग्य कक्ष		
7.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	पंचकर्म खण्ड	200	350
1.	स्नेहन कक्ष (पुरुष)		
2.	स्नेहन कक्ष (महिला)		
3.	स्वेदन कक्ष (पुरुष)		
4.	स्वेदन कक्ष (महिला)		
5.	शिरोधारा कक्ष (पुरुष)		
6.	शिरोधारा कक्ष (महिला)		
7.	वमन कक्ष (पुरुष)		
8.	वमन कक्ष (महिला)		
9.	विरेचन कक्ष (पुरुष)		
10.	विरेचन कक्ष (महिला)		
11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)		
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निकर्म, प्राच्छान इत्यादि कक्ष		
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह		
16.	संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरुषों के लिये तथा महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशबेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। ये प्रसाधन वार्डों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	150
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	नैदानिक प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित पूर्ण उपकरण युक्त मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। ई. सी.जी. अथवा टी.एम.टी.इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150

IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कोष्ठ, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीकरण अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
X	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होगा।
2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।
3. बाह्य रोगी विभाग सहित संलग्न शौचालय की आवश्यकता दिनांक 18 जुलाई, 2012 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों हेतु लागू है।
4. सशर्त अनुमति हेतु, विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-II

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
आयुर्वेदिक कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हाल: साठ सीटों तकप्रवेश हेतु न्यूनतम 80 वर्गमीटर के क्षेत्र के एवं इक्सट से सौ सीटों के प्रवेश हेतु 160 वर्गमीटर क्षेत्र के कम से कम पांच व्याख्यान हाल होंगे जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इक्सट से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। पुस्तकों की संख्या छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैचों के प्रवेश से पूर्व पांच हजार तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए	100	200

	विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।		
5.	शिक्षण विभाग: चौदह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टाफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष/विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	संहिता तथा सिद्धान्त विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	रचना शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतत (फ्रिजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित रचना शारीर संग्रहालय;	125	250
(iii)	क्रिया शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(iv)	द्रव्यगुण विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	125	250
(v)	रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विभाग तथा इसके अतिरिक्त रसशास्त्र प्रयोगशाला एवं संग्रहालय; औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला भी शिक्षण हेतु प्रयोग की जायेगी;	75	150
(vi)	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग तथा इसके अतिरिक्त विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(vii)	या तो कॉलेज में अथवा अस्पताल में स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	75	150
(viii)	अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय;	50	100
(ix)	कायचिकित्सा विभाग;	75	150
(x)	पंचकर्म विभाग;	37	75
(xi)	शल्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी (योग्या) प्रयोगशाला;	75	150
(xii)	शालाक्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	75	150
(xiii)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
(xiv)	कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; * टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।	38	75
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की औषधियां जैसे चूर्ण, वटी, गुग्गुलु, आसव अरिष्ट, स्नेह कल्प, क्षार तथा लवण, लौह, अवलेह, कूपिपक्व रसायन इत्यादि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा। औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला का प्रयोग शिक्षण हेतु भी किया जाएगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त स्थान एवं प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50	100
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, महाविद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम 5 में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-III

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

एक आयुर्वेदिक कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	(वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, औषधीय पौधों की न्यूनतम 150 प्रजातियां आवश्यक होंगी।

अनुसूची-IV

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सा अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पदधारी की अर्हता प्राध्यापक से कम नहीं होगी। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, यदि वहाँ चिकित्सा अधीक्षक का पद है तो वहाँ जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. अर्हता बी.ए.एम.एस. तथा नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी.ए.एम.एस. होगी। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	दो
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या आर.एस.ओ या एम.ओ.)	05 (01 कायचिकित्सा, 02 प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा 01 शल्यतंत्र तथा 01 कौमारभृत्य में)
6.	मैट्रन या परिचारिका अधीक्षक	एक
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैयाओं के लिए एक
8.	वार्ड अनुकर्मि अथवा आया	प्रति 20 शैयाओं के लिए एक
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	दो
10.	ड्रेसर	दो
11.	भण्डारपाल	एक
12.	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	छो
13.	डार्क रूम परिचारक	एक

आधुनिक चिकित्सा स्टाँफ		
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
19.	नेत्र विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	एक (संविदा पर एलोपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्या-विशेष का विकिरण विज्ञान) शल्य शिक्षण विभाग से।
22.	दंत चिकित्सा	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
23.	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	एक
24.	भौतिक चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु पंचकर्म चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के लिए स्टाँफ		
25.	पंचकर्म विशेषज्ञ	पंचकर्म शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (आयुर्वेदिक)	एक
27.	पंचकर्म परिचारिका	एक (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)
28.	पंचकर्म सहायक	दो पुरुष तथा दो महिला
29.	योग शिक्षक अथवा विशेषज्ञ	एक (स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग से)
शल्यकर्म कक्ष एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टाँफ		
30.	शल्य एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ	शल्य विभाग के शिक्षक
31.	शल्यकर्म कक्ष परिचारक	एक
32.	परिचारिका	एक, (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)।
प्रसव कक्ष		
33.	प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के शिक्षक
34.	मिडवाइफ	एक
नैदानिक प्रयोगशाला		
35.	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
36.	चपरासी अथवा परिचारक	एक
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
37.	औषधशाला प्रबन्धक अथवा अधीक्षक	रस-शास्त्र, भेषज्य कल्पना का शिक्षक
38.	चपरासी अथवा परिचर	एक
39.	कामगार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
40.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	एक (विभाग में गैर शिक्षण स्टाँफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
41.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टाँफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
	कुल: 1. साठ शय्याओं के अस्पताल हेतु 2. सौ शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर छप्पन उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर सत्तर

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शैख्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीक स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, चोकीदार, धोबी, माली एवं रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
5. सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त चिकित्सालय स्टाफ की कम से कम 80 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-V

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज शिक्षण स्टाफ का विवरण

क्रं. सं.	शिक्षण विभाग	शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक			61 से 100 छात्रों तक		
(1)	(2)	(3)			(4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	संहिता एवं सिद्धांत	1 अथवा 1		1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत	1	1	1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत
(2)	रचना शारीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	क्रिया शरीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	द्रव्य गुण	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	स्वस्थवृत्त एवं योग	1 अथवा 1		1	1	1	1
(8)	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	1 अथवा 1		1	1	1	1
(9)	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	1 अथवा 1		1	1	1	2
(10)	काय चिकित्सा	1	1	1	1	1	2
(11)	शल्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	शालाक्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(13)	कौमार भृत्य (बाल रोग)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(14)	पंचकर्म	1 अथवा 1		1	1	1	1
		15		15	14	14	17
कुल		30			45		

टिप्पणी:

- I. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग में एक योग शिक्षक, अनुसंधान मेथोडोलॉजी एवं चिकित्सा-सांख्यिकीय के शिक्षण हेतु एक जैव-सांख्यिकीविद तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- II. अंशकालिक शिक्षको की आवश्यकता विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति हेतु उपर्युक्त बिन्दु I में यथा उल्लिखित न्यूनतम कोई पांच होगी।
- III. साठ तक की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक चौदह विभागों में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या न्यूनतम ग्यारह विभागों में वितरित बारह अध्यापको अथवा प्रवाचको से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - साठ तक की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम सताईस संकाय रखने होंगे, जिनमें से न्यूनतम ग्यारह विभागों से न्यूनतम बारह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।

- IV. इक्सठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक चौदह विभागो में न्यूनतम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षको के बीस प्रतिशत तथा कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या उन्नीस से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम चालीस संकाय रखने होंगे, जिनमे से सभी चौदह विभागो से न्यूनतम उन्नीस प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- V. विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त प्रध्यापक अथवा प्रवाचक उपलब्ध है, अतिरिक्त प्रध्यापको पर प्रवाचक अथवा व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रवाचक पर व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ स्नातकीय सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में, रचना शारीर विभाग में एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन प्राध्यापक अथवा एक प्राध्यापक तथा दो प्रवाचक अथवा एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

अनुसूची-VI

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टाँफ का विवरण

क्रं. सं.	विभाग	पद	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	एक
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टाँफ	चार
3.	संहिता एवं सिद्धांत	परिचर	एक
4.	रचना शारीर	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालयपाल लिफ्टर	एक एक एक
5.	क्रिया शरीर	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक
6.	द्रव्य गुण	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालयपाल	एक एक
7.	रस शास्त्र	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक	एक एक
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
9	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालयपाल	एक
10	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	परिचर	एक
11	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	परिचर	दो
12.	काय चिकित्सा		
13.	शल्य		
14.	शालाक्य		
15.	पंचकर्म		
16.	कौमार भृत्य (बाल रोग)		
17.	वनौषधि उद्यान	माली बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	एक दो
	कुल		पच्चीस

(सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

टिप्पणी: सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त के न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तकनीकी तथा अन्य स्टाँफ की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-VII

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 तथा विनियम 11 देखें]

(क) क्रिया शारीर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन	तीस	पचास
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट	साठ	सौ
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब	साठ	सौ
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	साठ	सौ
5.	हीमोसाइटोमीटर	साठ	सौ
6.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	एक	एक
7.	स्टॉप वाच	साठ	सौ
8.	वाटर डिस्टिलेशन स्टिल	एक	एक
9.	बैलेंसेस	एक	एक
10.	स्पीड कंट्रोल सहित सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	तीन	छः
11.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)	तीन	छः
12.	पी.एच. मीटर इलेक्ट्रिक	एक	एक
13.	डिस्क सहित पी.एच. कम्पैरेटर	एक	एक
14.	स्फिग्मोमैनोमीटर	तीस	पचास
15.	स्टेथेस्कोप	साठ	सौ
16.	क्लीनिकल थर्मामीटर	साठ	सौ
17.	नी-हैमर	साठ	सौ
18.	ट्यूनिंग फोर्क्स	साठ	सौ
19.	स्टेरेलाइजर	पांच	पांच
सामान्य			
20.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक
21.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच	एक	एक
विविध			
22.	कवर स्लिप्स, ग्लासवेयर, माइक्रोस्लाइड्स	वर्गीकृत	

(ख) शव विच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	यंत्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	2-4 शव रखने हेतु टैंक	वर्गीकृत	
2.	बोन एवं ब्रेन के लिए सेक्शनिंग मशीन	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन सेट्स	पंद्रह सेट्स	पच्चीस सेट्स
4.	डिसेक्शन टेबल		
(क)	फुल साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल	चर	छः

	टाप स्टेनलेस		
(ख)	हाफ साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	आठ	दस
सामान्य			
5.	एक्स-रे व्यूइंग वाक्स अथवा पैनल	तीन	तीन
विविध			
6.	बोन कटर नं. 3/4, 1/2, 1/4, 1/8-फाईन प्वाइंटिड चेजल बोन डिसेक्टर	वर्गीकृत	
7.	विभिन्न माप के कांच के जार	वर्गीकृत	
8.	संरक्षण हेतु रसायन	वर्गीकृत	

(ग) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	खल्व यंत्र		
(क)	छोटा	दस	बीस
(ख)	मध्यम	दस	बीस
(ग)	पोर्सेलेन	दस	बीस
(घ)	तप्त खल्व यंत्र	दो	चार
2.	पाउडिंग एप्रेटस (उलूखल यंत्र)	दस	बीस
3.	पुट (विभिन्न प्रकार के)	पांच	दस
4.	मूषा (कूसिबल्स)	तीस	पचास
5.	धौंकनी सहित कोष्ठी बलोवर के साथ	दस	चार
6.	यंत्र		
(क)	दोला यंत्र	एक	एक
(ख)	वालुका यंत्र	एक	एक
(ग)	पिटर यंत्र	एक	एक
(घ)	भूधर यंत्र	एक	एक
7.	डिस्टिलेशन एप्रेटस एवं अर्क यंत्र हिकहिकहिक अ अर्क यंत्र	तीन	छः
8.	कूपीपक्व भट्टी	एक	एक
सामान्य			
9.	वेट ग्राइंडर	एक	एक
10.	मिक्सी	एक	एक
11.	जूस एक्सट्रेक्टर	एक	एक
12.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
13.	भण्डारण के लिए अलमारीयां ओर रेक्स	वर्गीकृत	
14.	तुला (विभिन्न क्षमता)		
(क)	फिजिकल	एक	एक
(ख)	केमिकल	एक	एक
(ग)	इलेक्ट्रॉनिक बेलेंस	एक	एक
15.	हीटिंग डिवाइज		
(क)	गैस स्टोव	वर्गीकृत	
(ख)	हॉट प्लेट	वर्गीकृत	
(ग)	चूल्हा (चारकोल)	वर्गीकृत	
16.	बड़े पात्र एवं धारक		

(क)	पीतल	वर्गीकृत
(ख)	ताम्र	वर्गीकृत
(ग)	स्टील इत्यादि	वर्गीकृत
(घ)	मिट्टी के पात्र एवं बर्तन	वर्गीकृत
विविध		
17	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन के उद्देश्य से	वर्गीकृत
18	इनेमल ट्रेज	वर्गीकृत
19	स्पीट लैम्प	वर्गीकृत
20	प्रेसर कुकर	वर्गीकृत
21	विभिन्न माप (कांच) के मापक उपकरण	वर्गीकृत
22	पाइरोमीटर	वर्गीकृत
23	थर्मामीटर	वर्गीकृत
24.	पात्र	वर्गीकृत
(क)	फ्राइंग पेन	वर्गीकृत
(ख)	स्टील वेसल	वर्गीकृत
(ग)	स्पैटुला	वर्गीकृत
(घ)	लैडल्स एवं स्पूनस	वर्गीकृत
(ङ)	नाइफ	वर्गीकृत
(च)	प्लेट्स	वर्गीकृत
(छ)	संदंश यंत्र (टॉग्स)	वर्गीकृत
25.	छलनी (वर्गीकृत संख्या एवं माप के)	वर्गीकृत

(घ) द्रव्यगुण (फार्माकोगनोसी) प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यन्त्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	फील्ड मैग्निफायर	एक	एक
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप	एक	एक
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	एक	एक
4.	माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
5.	इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्स	एक	दो
विविध			
6.	कवर स्लाइड सहित स्लाइड बॉक्स		
7.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर	वर्गीकृत	
8.	डिसेक्शन बॉक्स	वर्गीकृत	
9.	इनेमल ट्रेज	वर्गीकृत	
10.	रेयजेन्ट्स	वर्गीकृत	
(क)	क्लोरोफार्म	वर्गीकृत	
(ख)	एल्कोहल	वर्गीकृत	
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	वर्गीकृत	
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड	वर्गीकृत	
(ङ)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	वर्गीकृत	
(च)	बैनेडिक्ट सोलुशन	वर्गीकृत	
(छ)	सोडियम नाइट्रेट	वर्गीकृत	
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट	वर्गीकृत	
(झ)	साइट्रिक एसिड	वर्गीकृत	

(ज)	आयोडिन	वर्गीकृत
(ट)	इथाइल एल्कोहल	वर्गीकृत
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड	वर्गीकृत
(ड)	जायलोल/शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)	वर्गीकृत

(ड.) रोग निदान प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
2.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
3.	ऑयल इमर्सन लेंस 20 (ई) सहित मेनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
4.	एक्स रे व्यू बाक्स	एक	एक
5.	साहली की स्क्वेयर ट्यूब	तीस	पचास
6.	एच.बी. पिपेट	तीस	पचास
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट	तीस	पचास
8.	ड्रॉपर	तीस	पचास
9.	रैड सेल पिपेट	तीस	पचास
10.	इम्पूव्ड न्योबार चैम्बर	तीस	पचास
11.	इन्व्यूबेटर	एक	दो
12.	विन्ट्रोब ट्यूब	तीस	पचास
13.	पास्चर पिपेट	तीस	पचास
14.	सैनिट्रिफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	एक	दो
15.	वैस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास
16.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड	तीस	पचास
17.	यूरिनोमीटर	तीस	पचास
18.	आटोक्लेव	एक	एक
19.	अल्ट्रावायलेट लैम्प	एक	एक
20.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एक	एक
21.	बी.पी. एप्रेटस	तीस	पचास
22.	स्टेथस्कॉप	तीस	पचास
23.	थर्मामीटर	तीस	पचास
24.	टंग डिप्रेसर	तीस	पचास
25.	स्टॉप वाच	तीस	पचास
सामान्य			
26.	फिजिकल बैलेन्स	एक	एक
27.	हॉट एयर ओवन	एक	एक
28.	बुनसन बर्नर	तीस	पचास
29.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक

विविध			
30.	नमूने एकत्र करने हेतु स्टेराइल वैसल/ बोतल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
31.	टार्च	वर्गीकृत	वर्गीकृत
32.	नी हेमर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
33.	मापक फीता	वर्गीकृत	वर्गीकृत
34.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
35.	रिफ्लैक्टर (मिरर)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
36.	वेइंग मशीन	एक	एक
37.	ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत	वर्गीकृत
38.	नेजल स्पेक्युलम	वर्गीकृत	वर्गीकृत
39.	लेरिंजोस्कोप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
40.	कैथेटर्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
41.	प्रोब्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
42.	एचबीएस ए.जी. किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
43.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
44.	सीटी एवम् बी.टी.किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
45.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
46.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/निडिल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
47.	ग्लास रोड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
48.	सिरिंज नीडिल डेस्ट्रॉयर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
49.	कवर स्लिप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
50.	साफ स्लाइड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
51.	लिटमस पेपर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
52.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
53.	टेस्ट ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
54.	विभिन्न मापों की पृथक करने हेतु फनल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
55.	विभिन्न माप के ढक्कन सहित कांच के जार	वर्गीकृत	वर्गीकृत
56.	कैपिलरी ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
57.	रबर शीट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
58.	मैग्नीफाइंग लेंस	वर्गीकृत	वर्गीकृत
59.	वॉटर बाथ	वर्गीकृत	वर्गीकृत
60.	मल्टी स्टिक्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	अपेक्षित मात्रा
1.	शैडोलेस लैम्प	एक

2.	सक्शन मशीन (नियोनेटल)	एक
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क	एक
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5.	रेडिएन्ट वार्मर	एक
6.	फोटो थैरेपी यूनिट	एक
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)	एक
8.	रोगी हेतु ट्रॉली	एक
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली	एक
10.	एन्फेन्टोमीटर	एक
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12.	फीटल डॉपलर	एक
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स	दो
14.	स्टरलाइजर	दो
15.	मशीनोटोस रबर शीट	वर्गीकृत
16.	लेबर एवं इपिसियोटोमी के लिए उपकरण (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)	वर्गीकृत
17.	बेबी ट्रे	दो
18.	निबूलाइजर	एक
19.	फीटोस्कोप	पांच
20.	ऑटो क्लेव	एक
21.	ड्रम	वर्गीकृत
22.	इन्सट्रुमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23.	ऑपरेशन टेबिल सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित	एक
24.	पल्स ऑक्सीमीटर	एक
25.	रिसक्सीसिटेशन किट	एक
26.	बॉयलस एप्रेटस	एक
27.	इलैक्ट्रोकार्डरी	एक
28.	एमटीपी सक्शन मशीन	एक
29.	एनस्थीसिया किट	एक
30.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर	छस
31.	डायलेटर सैट (हैंगर एण्ड हॉकिन्स)	पांच
32.	सिम्स स्पैकुलम	पांच
33.	सिस्कोज स्पैकुलम	पांच
34.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर	पांच
35.	यूटराइन साउन्ड	पांच
36.	वालसैलम	पांच
37.	एमटीपी सक्शन क्यूरेट	पांच
38.	रिट्रेक्टर्स एब्डोमिनल (डोइन इत्यादि)	पांच
39.	स्पंज हाल्डिंग फोरसेप्स	पांच
40.	ग्रीन अर्मीटेज फारसेप्स	पांच
41.	यूटेरस होल्डिंग फारसेप्स	पांच
42.	कोचर्स फॉरसेप्स	पांच
43.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉंग, शॉर्ट, मास्क्यूटो) प्रत्येक	पांच
44.	विभिन्न आकार की कैची	पांच
45.	फारसेप्स आब्स्ट्रेटिक	पांच
46.	एन्डोट्रेकियल ट्यूब	पांच

47.	कॉर्ड काटने का उपकरण	पांच
48.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	पांच
49.	ब्लौडर साउन्ड	पांच
50.	वीपी एप्रैटस	दो
विविध		
51.	आपातकालीन रोगी के लिए एच आई वी किट	वर्गीकृत
52.	प्लेन एवम् होल टॉवल	वर्गीकृत
53.	टॉवल क्लिप्स	वर्गीकृत
54.	कटगट्स एवम् थ्रेड	वर्गीकृत
55.	नीडिल	वर्गीकृत
56.	नीडिल होल्डर्स	वर्गीकृत

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	अपेक्षित मात्रा
I	शल्य	
अनिवार्य		
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सिलिंग फिटेड)	एक
2.	नीडिल होल्डिंग फारसेप्स (बड़ी-छोटी-मध्यम)	वर्गीकृत
3.	वर्गीकृत आकार के ट्रेसिंग ड्रम	वर्गीकृत
4.	ड्रम स्टैण्ड	वर्गीकृत
5.	आई.वी. स्टैण्ड	दो
6.	चीटल्स फॉरसेप्स	चार
7.	मोस्कीटो फॉरसेप्स	चार
8.	सीधी कैची (टेलर)	चार
9.	विभिन्न साईज की कर्वड सीजर	पांच प्रत्येक
10.	स्टिच रिमूवल सीजर्स	पांच प्रत्येक
11.	डिसैक्शन फॉरसेप्स	चार
12.	साइनस फॉरसेप्स	चार
13.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज	पांच प्रत्येक
14.	पाइन्टेड सीजर्स	चार
15.	एब्डामिनल रिट्रैक्टर्स	पांच
16.	टिशू फारसेप्स	पांच
17.	बॉब कोक्स फारसेप्स	पांच
18.	कोचर्स फारसेप्स	पांच
19.	यूरिथ्रल डायलेटर	पांच प्रत्येक
20.	मैटल कैथेटर	पांच प्रत्येक
21.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स	चार
22.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टेक्टमी फॉरसेप्स	चार
23.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स	चार
24.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल	चार
25.	एलीस फॉरसेप्स बिग	चार

26.	आर्टरी फॉरसेप्स स्मॉल	चार
27.	आर्टरी फॉरसेप्स बिग	चार
28.	आर्टरी फॉरसेप्स मीडियम	चार
29.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फ्लैक्सिबल	एक
30.	बैरन पाइल्स गन	दो
31.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)	एक
32.	बोइल्स अपैरेटस	एक
33.	मल्टीपैरामीटर मानीटर	एक
34.	अम्बू बैग	दो
35.	सक्शन मशीन इलैक्ट्रिकल/मैनुअल	एक
36.	स्कीन ग्राफिटींग नाइफ हेन्डल सहित	वर्गीकृत
37.	विभिन्न माप के सर्जिकल ब्लेड्स	वर्गीकृत
38.	सैल्फ रिटैनिंग रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
39.	बोन कटर	दो
40.	गिग्लीसॉ	दो
41.	स्कूप	वर्गीकृत
42.	पैरीआस्टियम एलीवेटर	दो
43.	मगल्स फॉरसैप्स	वर्गीकृत
44.	हाई प्रेशर आटोकलेव	एक
45.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर	एक
46.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल	एक
47.	बोइल्स अपैरेटस	एक
48.	इन्स्ट्रुमेंट ट्राली	वर्गीकृत
49.	एन्डोट्रेकियल ट्यूब	वर्गीकृत
50.	इल्यूमिनेशन सहित अथवा इल्यूमिनेशन रहित प्राक्टोस्कोप	दो
51.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज	एक
52.	ट्राली सहित स्ट्रेचर	दो
53.	सक्शन मशीन	वर्गीकृत
सामान्य		
54.	इमरजेंसी पावर बेक अप सुविधा	वर्गीकृत
55.	इमरजेंसी लाइट	चार
56.	फायर एक्सटिंग्विशर	दो
57.	बी.पी.एप्रेटेस	वर्गीकृत
58.	फ्यूमिगेटर	एक
59.	रैफ्रिजरेटर	एक
60.	एक्स-रे व्यू बॉक्स(डबल)	दो
61.	रिवाल्विंग स्टूल	वर्गीकृत
62.	वर्टिकल बी.पी. इन्स्ट्रुमेंट	एक
63.	वर्गीकृत आकार के रबर केथेटर्स	वर्गीकृत
विविध		
64.	कार्गुटड रबर ड्रेन	वर्गीकृत
65.	विभिन्न आकार के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्वड)	वर्गीकृत

66.	सर्जिकल थ्रैड	वर्गीकृत
67.	विभिन्न आकार के बी पी.हेन्डल	वर्गीकृत
68.	निडिल होल्डर	वर्गीकृत
II	शालाक्यः नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र	
अनिवार्य		
69.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद हैड रेस्ट	दो
70.	स्टैरिलायजिंग बॉक्स/ केस विद मैट्स	वर्गीकृत
71.	लेन्स इन्सेशन फॉरसेप्स	वर्गीकृत
72.	किरेटोम	वर्गीकृत
73.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
74.	कैट पॉ लैक्रिमल रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
75.	मूलर लैक्रिमल सैक रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
76.	दस्तूर आईरिस रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
77.	मीयरहाफर चेलोजियन क्यूरेट	वर्गीकृत
78.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक	वर्गीकृत
79.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर	वर्गीकृत
80.	फारेन बाडी स्पड	वर्गीकृत
81.	लेविस लैन्स लूप (वैक्टिस)	वर्गीकृत
82.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून	वर्गीकृत
83.	म्यूल एविसरेशन स्पून	वर्गीकृत
84.	आइरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डेड)	वर्गीकृत
85.	जेमसन मसल हुक	वर्गीकृत
86.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाइंट	वर्गीकृत
87.	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर	वर्गीकृत
88.	कैली ग्लूकोमा पंच	वर्गीकृत
89.	इलिवेटर (डबल इण्डेड)	वर्गीकृत
90.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)	वर्गीकृत
91.	वाइल्डर पंक्टम डाइलेटर	वर्गीकृत
92.	बोमैन लैक्रिमल प्रोब्स	वर्गीकृत
93.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
94.	कोलिब्री फॉरसेप्स 1*2 टीथ	वर्गीकृत
95.	मैक पर्सन कार्नल फॉर्सेप्स विद टाईंग प्लेटफॉर्म	वर्गीकृत
96.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड	वर्गीकृत
97.	मूर फील्ड कंजक्टिवल फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
98.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
99.	वीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
100.	अरुगा कैस्पुलर फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
101.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प	वर्गीकृत
102.	चलैज़ियन क्लैम्प	वर्गीकृत
103.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र्स	वर्गीकृत
104.	बराकवयर नीडल होल्डर	वर्गीकृत

105.	एयर इन्जेक्शन कैन्डूला	वर्गीकृत
106.	हीलान एस्पिरेंटिंग कैन्डूला	वर्गीकृत
107.	ए.सी.वाशआउट कैन्डूला	वर्गीकृत
108.	लैक्रिमल कैन्डूला	वर्गीकृत
109.	हाइड्रोलाइसिस कैन्डूला	वर्गीकृत
110.	जे-लूप कैन्डूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)	वर्गीकृत
111.	सिम्कोक डायरेक्ट आई/ए कैन्डूला विद सिलिकॉन ट्यूबिंग	वर्गीकृत
112.	इरिगेटिंग एस्प्राइरेटिंग हेण्डल	वर्गीकृत
113.	लैस डायलर	वर्गीकृत
114.	सुपीरियर रेक्टस फारसेप्स	वर्गीकृत
115.	आई वाश ग्लासेस (तर्पण कर्म हेतु)	वर्गीकृत
116.	स्विमिंग गगलस (तर्पण कर्म हेतु)	वर्गीकृत
III	ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यंत्रों का विवरण	
अनिवार्य		
117.	आरल सिरिज	वर्गीकृत
118.	जाबसन्स आरल प्रोब	वर्गीकृत
119.	यूस्टेचियन कैथेटर	वर्गीकृत
120.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
121.	मैस्टाइड गॉज	वर्गीकृत
122.	मैलेट	वर्गीकृत
123.	नेजल फारेन बॉडी हुक	वर्गीकृत
124.	नेजल पैकिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
125.	नेजल स्नेर	वर्गीकृत
126.	बेयोनेट शेड गॉज	वर्गीकृत
127.	वाल्सम फारसेप्स	वर्गीकृत
128.	लैरिन्जियल फारसेप्स	वर्गीकृत
129.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्शन	वर्गीकृत
130.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
131.	टांसिलर सक्सन	वर्गीकृत
132.	एडिनायड क्यूरेट विद केज	वर्गीकृत
133.	पेरीटांसिलर एब्सिस ट्रेनिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
134.	फुलर्स ट्रेक्रियोस्टोमी ट्यूब	वर्गीकृत
135.	चीटल्स फारसेप्स	वर्गीकृत
विविध		
136.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान जैसे दस्ताने, सिरिज, बैन्डेजेस सूत्र आदि	वर्गीकृत

(ज) बहिरंग रुग्ण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	बहिरंग रुग्ण विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं	आवश्यक मात्रा
1.	कायाचिकित्सा		
अनिवार्य			
		एक्स-रे ब्यूइंग बाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो

		स्टेथोस्कोप	चार
		टार्च	दो
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		थर्मामीटर	चार
		टंग डिप्रेसर	पांच
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
		मेजरिंग टेप	एक
		नी हेमर	दो
विविध			
		ग्लव्ज़	वर्गीकृत
2.	शल्य		
अनिवार्य			
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		स्टेथोस्कोप	चार
		इंस्ट्रुमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन	दो सेट्स
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		थर्मामीटर	चार
		टार्च	वर्गीकृत
		चीटल फारसेस	वर्गीकृत
सामान्य			
		लघु शल्यकर्म क्रिया कक्ष	वर्गीकृत
विविध			
		सर्जिकल ब्लेडस	वर्गीकृत
3.	शालाक्य		
अनिवार्य			
		ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत
		आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप	दो
		आरो स्कोप	दो
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		थर्मामीटर	चार
		इ.एन.टी. किट	वर्गीकृत
		टार्च	दो
		बुल्स लैम्प	एक
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग		
अनिवार्य			
		वेइंग मशीन	एक
		सिम्स स्पैक्यूलम	दो
		थर्मामीटर	चार
		कस्कोस स्पैक्यूलम	दो
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		लैम्प स्टैण्ड	एक
		टार्च	दो
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		मेजरिंग टेप	दो

5.	बालरोग	अनिवार्य	
		स्केल	एक
		वेईंग मशीन	एक
		टार्च	दो
		एक्स-रे ब्यू वाक्स	एक
		थर्मामीटर	चार
		पिंडिएट्रिक कफ सहित बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	वर्गीकृत
		एग्जामिनेशन टेबल	वर्गीकृत
6.	पंचकर्म	कायचिकित्सा के आधार पर	
7.	योग अनुभाग (स्वास्थ्य रक्षण)	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत
8.	आपात स्थिति	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

टिप्पणी:-- अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No. 28-15/2016-Ay.(MSR).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirement of colleges for education in Ayurveda system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- “college” means an Under-graduate Ayurveda College or Institute;
- “attached hospital” means a teaching Ayurveda hospital attached to the college;
- “Central Council” means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Requirements of Minimum Standard to grant of permission-

- The Ayurveda colleges established under section 13A and existing under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31st December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;
- the Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission;
- the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by Central Council from time to time;
- the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;
- after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;
- the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;
- the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) Requirements of Minimum Standard to grant of permission for a period of five years-

- (a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint; or if from online Bio-metric attendance it is found that teaching, non-teaching staff, hospital staff not present regularly, or hospital is not properly functional, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;
- (b) any deficiencies arising within the said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;
- (c) colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to 2018-19 and 2015-16 to 2019-20 shall be maintain the requirements as specified under the regulations 4 to 11 otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn.

(3) Requirements of Minimum Standard to grant of conditional permission of one year-

- (a) The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of the inspection by the Central Council between the 31st December to the 31st March for the succeeding academic session:
 - (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
 - (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (iii) availability of minimum seventy-five percent. of required equipment as specified in the Schedule-VII;
 - (iv) availability of herbal garden as specified in the Schedule-III;
 - (v) availability of hospital staff as specified in the Schedule-IV,
 - (vi) availability of technical and other staff as specified in the Schedule-VI;
 - (vii) availability of college council as specified in sub-regulation (1) of regulation 9;
 - (viii) availability of college website as specified in sub-regulation (2) of regulation 9;
 - (ix) availability of biometric attendance as specified in sub-regulation (3) of regulation 9; and
 - (x) availability of minimum constructed area of college and hospital as specified in regulation 5.
- (b) the colleges, which have been granted conditional permission or which have been denied permission for the academic session 2015-16 shall be required to fulfill the requirements as specified above in clause (a) to obtain the conditional permission of one year for particular academic session or for a period of five years as specified in the regulations 4 to 11.

4. Requirement of Land-

- (1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.
- (2) For intake capacity from sixty-one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilo meters, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) For permission of Central Government, a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, shall be provided at the time of applying.
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

5. Requirement of minimum constructed area-

- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.
- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters, respectively.

- (3) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings will be applicable only to the colleges established after the 18th July, 2012.
- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

6. Admission Capacity- The annual intake capacity of the colleges shall be in the slabs of sixty and hundred. The colleges having intake capacity of less than sixty or sixty-one to hundred seats, shall comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as specified in the Schedules-I to VII.

7. Requirements of teaching Hospital-

- (1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).
- (2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty per cent. and 1:2, respectively, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300days) (1:2 student-patient ratio)
Up to sixty students	60 beds	24	120
Sixty-one to hundred students	100 beds	40	200

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

$$\frac{\text{Number of bed days occupied} \times 100}{\text{Number of beds} \times \text{Number of days}}$$

(3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients:**

- (i) The College and hospital shall maintain the web based computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc.so as to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- (ii) For conditional permission, the College and hospital shall maintain the computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, the college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 and the computerised central registration system shall be web based from the 1st December, 2016. Colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall be required to maintain web based computerised central registration system from the 1st December, 2016.

(4) **Space requirement:**

The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Pancharkarma therapy section, Ksharsutra therapy

section, Operation Theatre, Labour Room, Store Rooms, separate wards for male and female, Duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per the Schedule-I.

(5) **Out-Patient Department:**

The hospital shall have minimum eight following Out-Patient Departments, namely-

- (i) Kayachikitsa
- (ii) Panchakarma
- (iii) Shalya Tantra
- (iv) Shalakyata Tantra (two rooms for Out-Patient Departments)
 - (a) Netra Roga Vibhaga
 - (b) Karna-Nasa-Mukha evam Danta Roga Vibhaga
- (v) Prasuti evam Striroga
- (vi) Kaumarabhritya (Balaroga)
- (vii) Swasthavritta evam Yoga
- (viii) Aatyayika (Emergency)

(6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under –

In-Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Kayachikitsa (Panchakarma, Rasayana and Manas Roga etc)	50% beds	30	50
Shalya Tantra and Shalakyata Tantra	25% beds	15	25
Prasuti evam Striroga and Kaumarabhritya	25% beds	15	25

(7) **Rog Nidan evam Prayogshaliya Parikshan Prayogshala (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule-II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Ayurvedic diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

(8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.

8. Requirements of College-

- (1) (a) **Teaching staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for admissions of up to sixty students and sixty-one to hundred students respectively with the addition of ten part time teachers (eight teachers of Modern Medicine, one Yoga teacher and one Biostatistician) for each slab as specified in the Schedule-V, the teacher fulfilling the eligibility norms of the related teaching post or subject teacher shall be appointed on deputation or contractual basis.
- (b) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher.
- (c) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be on the website of college.
- (d) The list of all the teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.

(2) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.-

(1) **College Council:**

- (a) Every medical college or medical institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson;
- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and
- (c) the College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

(2) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc;
 - (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;
 - (c) details of non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
 - (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduates;
 - (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise for the current and previous year;
 - (f) any research publications during the last one year;
 - (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital;
 - (m) the College website shall be linked with the Central Council website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and
 - (n) the Month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.
- (3) **Biometric Attendance:** (i) It is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (ii) For conditional permission biometric attendance shall be web based and CRC linked from the 1st December, 2016.
- (iii) The colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall maintain web based and CRC linked biometric attendance from the 1st December, 2016.

10. Phase-wise specific requirements of new colleges.— (1) An Ayurveda college seeking permission for starting Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (Ayurvedacharya) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

- (a) **Before admission of the first batch of students, the college shall have-**
- (i) at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building as specified regulations 4 and 5 with functional Ayurveda hospital prior two years from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualifications as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakyas, Prasuti evam Stri Roga, Kaumarbhritya appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or two years prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
 - (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
 - (v) well-equipped and furnished two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year of teaching as specified in Schedules - I to VII;
 - (vi) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for upto sixty seats and sixty-one to hundred seats respectively with plantation of minimum one hundred species of medicinal plants;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and
 - (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti evam Stri Roga, Kaumarbhritya Departments for working in the college hospital;
- (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
- (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in Schedules - I to VII;
- (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
- (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
- (ix) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti evam Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
- (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule - VI;
- (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in Schedule - I to VII;
- (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
- (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
- (ix) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth professional years of teaching and training shall be appointed;
- (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with as specified in these regulations 4 to 11;
- (iv) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule - VI;
- (v) a fully developed medicinal plants garden as specified in Schedule - III;
- (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules - I to VII;
- (vii) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and

- (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) (a) The permission to establish a new medical college and admissions to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub-regulation (1).
 (b) It shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
 (c) This process of renewal permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.
- (3) The person or Medical College who applies under Section 13A of the IMCC Act, 1970 for establishment of new medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity, shall be required to maintain web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked biometric attendance system for teaching staff and web based biometric attendance system for non-teaching college staff, hospital staff and web linked computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-patient department and In-patient department of the hospital. These requirements for those applicants who applied in the year 2015 shall not be taken into consideration for issuance of the Letter of Intent but they shall be fulfilled these requirements before issuance of the Letter of Permission for the academic session 2016-17.

11. List of equipment, machinery, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent. of required equipment, machinery etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedules-I to VII.

12. Date of completion of permission process and cut -off-date for admission in Ayurveda Colleges-

- (1) The process of grant or denial of permission to the Ayurveda Colleges for taking admissions in the Ayurveda colleges shall be completed by the 31st July of each academic session.
 (2) The cut-off-date for admission in Ayurveda colleges shall be the 30th September of each academic session.

SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF AYURVEDA COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Built up area (in square meter)	
		Up to sixty students	Sixty-one to hundred students
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>I.</i>	<i>Total constructed area of hospital building</i>	2,000	3500
II. Hospital Administration Block:		100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officers' room (for two Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for two)		
6.	Reception and Registration		
III. Out-Patient Departments (OPD)		300	500
1.	Kayachikitsa Out Patient Department		
2.	Shalya Out Patient Department with toilet, wash basin and Examination Room		
3.	Shalakya Tantra Out Patient Department		
4.	Stri Roga evum Prasooti Tantra Out Patient Department with toilet and Examination Room		
5.	Kaumarbhritya (Balarog) Out Patient Department		
6.	Swasthavrittiaeum Yoga Out Patient Department with demonstration area		
7.	Atyayika (Casualty) section with toilet and wash basin		
8.	Dressing and First Aid Room, Kshar Sutra Room		
9.	Dispensary		
10.	Waiting Space for patients		
11.	Store		

12. Separate Male and Female Toilets for patients and staff		
IV. In Patient Departments (IPD)	900	1650
1. Kayachikitsa and Panchakarma Male Ward with attached toilet and bath room		
2. Kayachikitsa and Panchakarma Female Ward with attached toilet and bath room		
3. Shalya and Shalakyia Male Ward with attached toilet and bath room		
4. Shalya and Shalakyia Female Ward with attached toilet and bath room		
5. Prasooti evum StriRoga and Kaumarbhritya Ward with attached toilet and bath room		
6. Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
7. Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath.		
8. Store room for linen, etc.		
V. Operation Theatres Block.	150	250
1. Operation Theatre for Major, Minor and Shalakyia Procedures		
2. Labour Room with attached toilet and bath room		
3. Neonatal care room		
4. Central sterilisation/autoclave unit		
5. Scrub room		
6. Two Recovery room		
7. Doctor's duty room with attached toilet and bath room		
8. Interns/house officer/resident doctors room with attached toilet and bath room		
9. Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI. Panchakarma Block:	200	350
1. Snehana Kaksha (Male)		
2. Snehana Kaksha (Female)		
3. Swedana Kaksha (Male)		
4. Swedana Kaksha (Female)		
5. Shirodhara Kaksha (Male)		
6. Shirodhara Kaksha (Female)		
7. Vamana Kaksha (Male)		
8. Vamana Kaksha (Female)		
9. Virechana Kaksha (Male)		
10. Virechana Kaksha (Female)		
11. BastiKaksha(Male)		
12. BastiKaksha(Female)		
13. Rakta Mokshana, Jalaukavacharana, Agnikarma, Pracchanna etc Kaksha		
14. Panchakarma therapist/Physician's room		
15. Panchakarma store room		
16. Attached toilet-baths for males and females with wash basin and geyser facility in each. These will be in addition to the toilets of wards.		
VII. Physiotherapy Unit:	75	150
1. Physiotherapy Room		
2. Physiotherapist room		
VIII. Clinical Laboratory:	100	150
Well-equipped with separate sections for Pathology, Biochemistry and Micro-biology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other diagnostic tools for ECG or TMT etc. shall be provided.		
IX. Radiology or Sonography Section:	50	100
Radiologist chamber, X-ray room, Dark room, film drying room, store room, patients waiting and dressing room, reception or registration or report room.		
X. Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
XI. Stores/Mortuary:	25	50
TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of attached hospital shall be as per the area specified in regulation 5.

2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Ayurvedic College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students shall correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as specified in regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the 18th July, 2012.
4. For conditional permission, total constructed area of attached hospital of the college may vary within plus or minus twenty percent.as per the area specified in regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDA COLLEGE

Sl. No	Particulars (2)	Built up area (in square meter)	
		Up to sixty students (3)	Sixty-one to hundred students (4)
	Total constructed area of college building	2,000	4000
(1)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerks' room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecture Halls: There shall be at least five lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto sixty seats and one hundred and sixty square meter area for intake from sixty-one to hundred seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar or Conference or Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(4)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for sixty-one to hundred intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Ayurveda, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The college with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200
(5)	Teaching Departments:	Total 1200 square meter and break up may be as follows:	Total 2400 square meter and break up maybe as follows:
	There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department. Department wise area requirement shall be as under:-		
	(i) Samhita and Siddhanta Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100

	(ii) Rachana Sharir Department with Dissection Hall having proper ventilation, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Rachana Sharir museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
	(iii) Kriya Sharir Department plus Kriya Sharir (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	75	150
	(iv) Dravyaguna Department plus Herbarium-cum Dravyaguna museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	125	250
	(v) Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana Department plus Rasa Shastra laboratory and museum; Drug Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	75	150
	(vi) Roganidan evam Vikriti Vigyan Department plus VikritiVigyan (Pathology) Laboratory;	75	150
	(vii) Swasthavritta and Yoga Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	75	150
	(viii) Agada Tantra evam Vidhi Vaidyak Department plus museum;	50	100
	(ix) Kayachikitsa Department;	75	150
	(x) Panchakarma Department;	37	75
	(xi) Shalya Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery (Yogya) Laboratory;	75	150
	(xii) Shalakya Department plus museum cum tutorial room;	75	150
	(xiii) Prasuti evam Stri Roga Department plus museum cum tutorial room; and	50	100
	(xiv) Kaumarbhritya (Balaroga) Department plus museum cum tutorial room. <i>*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.</i>	38	75
(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Ayurveda medicines such as Churna, Vati, Guggulu, Asava-arishta, Sneha Kalp, Kshar and Lavana, Lauh, Avaleha, Kupipakva Rasayana and like medicines, a raw drug store, and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	100	200
(7)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and sitting arrangement shall be available.	50	100
(8)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about hundred persons shall be available in the college premises.	50	100

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty percent but the total area of an Ayurveda College shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. For conditional permission, total constructed area of the college may vary within plus or minus twenty per cent.as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-III

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Area (in square meter)	
		Up to sixty students	Sixty-one to hundred students
		(3)	(4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty-five to fifty square meter area shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent. within the total area of Ayurvedic College as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDIC COLLEGE HOSPITAL STAFF

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
1.	Medical Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Medical Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. the qualification shall be BAMS and PG Degree in clinical subject or BAMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments including Swasthavritta and Yoga Department
4.	Emergency Medical Officers	Two
5.	Resident Medical Officers or Surgical or Medical Officer (RMO or RSO or MO)	Five (One of Kayachikitsa, Two of Prasuti Striroga, One of Shalya Tantra and One of Kaumarbhrittya)
6.	Matron or Nursing Superintendent	One
7.	Staff Nurses for In Patient Department	One for every ten beds.
8.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
9.	Pharmacists	Two
10.	Dresser	Two
11.	Store Keeper	One
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
13.	Dark-Room Attendant	One
	Modern Medical Staff	
14.	Medical Specialist	One part time or on contract
15.	Surgical Specialist	One part time or on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	One part time or on contract
17.	Pathologist	One part time or on contract
18.	Anaesthesiologist	One part time or on contract
19.	Ophthalmologist	One part time or on contract
20.	Pediatrician	One part time or on contract
21.	Radiologist	One (Postgraduate in Allopathic Radiology on contract or Vikiran Vigyan of Ayurvedic discipline) from teaching department of Shalya
22.	Dentist	One part time or on contract
23.	X-Ray Technician or Radiographer	One
24.	Physiotherapist	One part time or on contract

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
Staff for Panchakarma Therapy Section for Out-Patient and In-Patient Department		
25.	Panchakarma Specialists	Teachers of Panchakarma teaching department
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Ayurvedic)	One
27.	Panchakarma Nurse	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
28.	Panchakarma Assistant	Two male and Two female
29.	Yoga teacher or expert	One (from Swasthavritta and Yoga Department)
Staff of Operation Theatre and Ksharsutra Therapy Section		
30.	<i>Shalya and Ksharsutra Therapy Specialists</i>	Teachers of Shalya department
31.	<i>Operation Theatre Attendant</i>	One
32.	<i>Nurse</i>	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
Labour Room		
33.	<i>Prasuti evum Stri Roga Specialists</i>	Teachers of Prasuti evam Striroga department
34.	<i>Midwife</i>	One
Clinical Laboratory		
35.	<i>Laboratory Technicians</i>	Two
36.	<i>Peon or Attendant</i>	One
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
37.	<i>Pharmacy Manager or Superintendent</i>	Teacher of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana
38.	<i>Peon or Attendant</i>	One
39.	<i>Workers</i>	Two (Need base more number)
40.	<i>Analytical Chemist (Part time)</i>	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
41.	<i>Pharmacognosist (Part time)</i>	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
Total:		
i. For sixty bedded hospital		Fifty-six excluding teachers of teaching departments as mentioned above
ii. For hundred bedded hospital		Seventy excluding teachers of teaching departments as mentioned above

Note: -

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washerman, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.
- (5) For conditional permission, minimum eighty per cent. of above hospital staff shall be required.

SCHEDULE-V

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN AYURVEDIC COLLEGE

S.No. (1)	Teaching Department (2)	Requirement of teaching staff						
		Upto 60 students (3)			From 61 to 100 students (4)			
		Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	
(1)	Samhita and Siddhanta	1	or 1	1 Ayurveda and 1 Sanskrit	1	1	1 Ayurved and 1 Sanskrit	
(2)	Rachana Sharir	1	or 1	1	1	1	1	
(3)	Kriya Sharir	1	or 1	1	1	1	1	
(4)	Dravyaguna	1	or 1	1	1	1	1	
(5)	Rasashastra evam Bhaisajya Kalpana	1	or 1	1	1	1	1	
(6)	Roga Nidan evam Vikriti vigyan	1	or 1	1	1	1	1	
(7)	Swasthavritta and Yoga	1	or 1	1	1	1	1	
(8)	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka	1	or 1	1	1	1	1	
(9)	Prasuti evam Striroga	1	or 1	1	1	1	2	
(10)	Kayachikitsa	1	or 1	1	1	1	2	
(11)	Shalya	1	or 1	1	1	1	1	
(12)	Shalakya	1	or 1	1	1	1	1	
(13)	Kaumarbhritya (Balaroga)	1	or 1	1	1	1	1	
(14)	Panchakarma	1	or 1	1	1	1	1	
TOTAL		15			15			14
		30			45			

Note:

- Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Swasthavritta and Yoga, One Bio- statistician to teach Research Methodology and Medical-statistics and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- The requirement of part time teachers shall be minimum any five as mentioned above in point i. for conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than twelve Professors or Readers distributed in minimum eleven Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having up to sixty intake capacity shall have minimum twenty-seven total faculties, out of which minimum twelve Professors or Readers covering not less than eleven Departments.
- The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent. of total teachers with availability of minimum one Higher faculty and one Lecturer in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than nineteen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have minimum forty total faculties, out of which minimum nineteen Professors or Readers covering all fourteen Departments.
- Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor shall be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader shall be considered against the requirement of Lecturer. For example- in a college with intake capacity from sixty-one to hundred under

graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Rachana Sharir, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.

SCHEDULE-VI

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN AYURVEDIC COLLEGE

S.No (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	One
		Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2	College Office	Clerical staff for administrative and accounts services	Four
3.	Samhita and Siddhanta	Attendant	One
4.	Rachana Sharir	Laboratory Technician Museum Keeper Lifter	One One One
5.	Kriya Sharir	Laboratory Technician	One
6.	Dravyaguna	Laboratory Technician Museum Keeper	One One
7.	Rasa Shastra	Laboratory Technician Laboratory Assistant	One One
8.	Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	Laboratory Technician	Two
9	Swasthavritta and Yoga	Museum Keeper Attendant	One One
10	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka		
11	Prasuti Tantra and Stri Roga		
12.	Kayachikitsa		
13.	Shalya		
14.	Shalakya	Attendant	Two
15.	Panchkarma		
16.	Kaumarbhritya (Balroga)		
17.	Herbal Garden	Gardener Multipurpose worker	One Two
	Total		Twenty-five

(The sweeper, attendant, lifter, laboratory assistant, Data Entry Operator (DEO), multipurpose worker may be on contractual basis)

Note: For conditional permission, minimum eighty percent of above technical and other staff shall be required.

SCHEDULE-VII

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY LABORATORY

S. No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Microscopes with oil immersion	Thirty	Fifty
2.	Westergen's pipette for ESR	Sixty	Hundred
3.	Haematocrit Tube	Sixty	Hundred
4.	Sahli's Haemoglobinometer	Sixty	Hundred
5.	Haemocytometer	Sixty	Hundred
6.	Electrocardiograph	One	One
7.	Stop watches	Sixty	Hundred
8.	Water Distillation still	One	One
9.	Balances	One	One
10.	Centrifuge with speed control	Three	Six
11.	Colorimeter (photoelectric)	Three	Six
12.	pH meter Electric	One	One
13.	pH comparator with disc	One	One
14.	Sphygmomanometer	Thirty	Fifty
15.	Stethoscopes	Sixty	Hundred
16.	Clinical Thermometer	Sixty	Hundred
17.	Knee Hammer	Sixty	Hundred
18.	Tuning forks	Sixty	Hundred
19.	Sterilizer	Five	Five
General			
20.	Refrigerator	One	One
21.	Newton's colour wheel in a batch	One	One
Miscellaneous			
22.	Cover slips, glassware, Microslides	Assorted	

(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL

S. No.	Instruments and Equipments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	Assorted	
2.	Machines for bones and brain sectioning	Assorted	
3.	Dissection Sets	Fifteen Sets	Twenty-five sets
4.	Dissecting Table		
a)	Full size with steel top or marble top stainless	Four	Six
b)	Half size with steel top or marble top stainless	Eight	Ten
General			
5.	X-ray viewing box or panels	Three	Three
Miscellaneous			
6.	Bone cutter of the number $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ - fine pointed Chisel bone dissector	Assorted	
7.	Glass jars of different sizes	Assorted	
8.	Preservative Chemicals	Assorted	

(C). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR RASASHASTRA AND BHAISHAJYA KALPANA LABORATORY

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Khalva Yantra-		
a)	Small	Ten	Twenty
b)	Medium	Ten	Twenty

c)	Porcelain	Ten	Twenty
d)	Taptakhalvyantra	Two	Four
2.	Pounding Apparatus (Ulukhala Yantra)	Ten	Twenty
3.	Putas (Different kind)	Five	Ten
4.	Moosha (Crucibles)	Thirty	Fifty
5.	Koshti with Blower	Two	Four
6.	Yantras		
a)	Dola Yantra	One	One
b)	Valuka Yantra	One	One
c)	Pithara Yantra	One	One
d)	Bhudhara Yantra etc.	One	One
7.	Distillation Apparatus and Arka Yantra	Three	Six
8.	Kupipakva Bhatti	One	One
General			
9.	Wet Grinder	One	One
10.	Mixi	One	One
11.	Juice Extractor	One	One
12.	Refrigerator	One	One
13.	Almiras and Racks for storage	Assorted	
14.	Balance (Different Capacities)		
a)	Physical	One	One
b)	Chemical	One	One
c)	Electronic Balance	One	One
15.	Heating Device-		
a)	Gas Stove	Assorted	
b)	Hot plate	Assorted	
c)	Chulla (Charcoal)	Assorted	
16.	Big Vessels and Containers-		
a)	Brass	Assorted	
b)	Copper	Assorted	
c)	Steel etc.	Assorted	
d)	Earthen Vessels-Pots	Assorted	
Miscellaneous			
17.	Jars(Porcelain) Fermentation Purpose	Assorted	
18.	Enamel Trays	Assorted	
19.	Spirit Lamp	Assorted	
20.	Pressure Cooker	Assorted	
21.	Measuring Equipments Different Size (Glass)	Assorted	
22.	Pyrometer	Assorted	
23.	Thermo meter	Assorted	
24.	Vessels		
a)	Frying Pan	Assorted	
b)	Steel Vessel	Assorted	
c)	Spatula	Assorted	
d)	Ladles and Spoons	Assorted	
e)	Knife	Assorted	
f)	Plates	Assorted	
g)	Samdamsa Yantra(Tongs)	Assorted	
25.	Sieves (Assorted Nos. and Size)	Assorted	

(D) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHARMACOGNOSY LABORATORY [DRAVYAGUNA]

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Field magnifier	One	One
2.	Compound microscope	One	One
3.	Dissecting Microscope	One	One
4.	Microscope	Fifteen	Twenty five
5.	Electronic balance	One	Two
Miscellaneous			
6.	Slides box with cover slips,		Assorted
7.	Blotting/filter papers		Assorted
8.	Dissection Box		Assorted
9.	Enamel Trays		Assorted
10.	Reagents-		
a.	Chloroform		Assorted
b.	Alcohol.		Assorted
c.	HCL		Assorted
d.	Sulphuric acid		Assorted
e.	Sodium, potassium hydroxide		Assorted
f.	Benedict solution		Assorted
g.	Sodium nitrate		Assorted
h.	Potassium nitrate		Assorted
i.	Citric acid		Assorted
j.	Iodine		Assorted
k.	Ethyl Alcohol		Assorted
l.	Potassium Iodide		Assorted
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)		Assorted

(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR ROGVIGYAN LABORATORY

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Binocular microscope	Fifteen	Twenty five
2.	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty five
3.	Monocular microscope with oil emersion lens20(e)	Fifteen	Twenty five
4.	X-ray view box	One	One
5.	Sahli's Square tube	Thirty	Fifty
6.	Hb pipette	Thirty	Fifty
7.	WBC Pipette	Thirty	Fifty
8.	Dropper	Thirty	Fifty
9.	Red cell pipette	Thirty	Fifty
10.	Improved Neubauer chamber	Thirty	Fifty
11.	Incubator	One	Two
12.	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty
13.	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty
14.	Centrifuge Graduated Machine	One	Two
15.	Westergrens pipette	Thirty	Fifty
16.	Westergrens's stand	Thirty	Fifty
17.	Urinometer	Thirty	Fifty

18.	Autoclave	One	One
19.	Ultraviolet lamp	One	One
20.	Cell counter (haemoautoanalyser)	One	One
21.	BP Apparatus	Thirty	Fifty
22.	Stethoscope	Thirty	Fifty
23.	Thermometer	Thirty	Fifty
24.	Tongue depressor	Thirty	Fifty
25.	Stop watch	Thirty	Fifty
General			
26.	Physical balance	One	One
27.	Hot air oven	One	One
28.	Bunsen burner	Thirty	Fifty
29.	Refrigerator	One	One
Miscellaneous			
30.	Sterile vessels/bottle to collect samples	Assorted	Assorted
31.	Torch	Assorted	Assorted
32.	Knee hammer	Assorted	Assorted
33.	Measuring Tape	Assorted	Assorted
34.	ENT examination set	Assorted	Assorted
35.	Reflectors(Mirrors)	Assorted	Assorted
36.	Weighing machine	One	One
37.	Tuning Forks	Assorted	Assorted
38.	Nasal speculum	Assorted	Assorted
39.	Laryngoscope	Assorted	Assorted
40.	Catheters	Assorted	Assorted
41.	Probes	Assorted	Assorted
42.	HBs Ag kit	Assorted	Assorted
43.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)	Assorted	Assorted
44.	CT and BT kit	Assorted	Assorted
45.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit	Assorted	Assorted
46.	Sterile disposable lancet/needle	Assorted	Assorted
47.	Glass rod	Assorted	Assorted
48.	Syringe needle destroyer	Assorted	Assorted
49.	Cover slip	Assorted	Assorted
50.	Cleaned slides	Assorted	Assorted
51.	Litmus paper	Assorted	Assorted
52.	pH indicator paper strips	Assorted	Assorted
53.	Test tube	Assorted	Assorted
54.	Separating funnels of various sizes	Assorted	Assorted
55.	Glass Jars with lid of different sizes	Assorted	Assorted
56.	Capillary Tubes	Assorted	Assorted
57.	Rubber sheat	Assorted	Assorted
58.	Magnifying lens	Assorted	Assorted
59.	Water bath	Assorted	Assorted
60.	Multi stix	Assorted	Assorted

(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Shadowless Lamp	One
2.	Suction Machine (Neonatal)	One
3.	Oxygen Cylinder and Mask	One
4.	FoetalToco Cardiograph	One
5.	Radiant Warmer	One
6.	Photo therapy Unit	One
7.	Weighing Machine (Paediatric)	One
8.	Patient trolley	Two
9.	Anaesthesia trolley	One
10.	Infantometer	One
11.	Vacuum extractor	One
12.	Foetal Doppler	One
13.	Low cavity forceps	Two
14.	Steriliser	Two
15.	Machintosh rubber sheet	Assorted
16.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17.	Baby tray	Two
18.	Nebuliser	One
19.	Foetoscope	Five
20.	Auto Clave	One
21.	Drums	Assorted
22.	Instrumental Trolley	Assorted
23.	OT tables and head Up and head Low facility	One
24.	Pulse Oximeter	One
25.	Resuscitation kit	One
26.	Boyle's apparatus	One
27.	Electrocautery	One
28.	MTP Suction Machine	One
29.	Anaesthesia Kit	One
30.	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32.	Sims's Speculum	Five
33.	Cusco's Speculum	Five
34.	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35.	Uterine sound	Five
36.	Volsellum	Five
37.	MTP Suction Currate	Five
38.	Retractors abdominal (Doyne's etc.)	Five
39.	Sponge holding forceps	Five
40.	Green armytage forceps	Five
41.	Uterus holding forceps	Five
42.	Kocher's forceps	Five
43.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)Each	Five
44.	Scissors- different sizes	Five
45.	Forceps obstetrics	Five
46.	Endotrachial tubes	Five

47.	Cord Cutting appliances	Five
48.	I.U.C.D. removing hook	Five
49.	Bladder Sound	Five
50.	B.P. apparatus	Two
Miscellaneous		
51.	HIV kit for emergency patients	Assorted
52.	Plain and Hole towels	Assorted
53.	Towel Clips	Assorted
54.	Catguts and Thread	Assorted
55.	Needles	Assorted
56.	Needle holders	Assorted

(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
I	Shalya:	
Essential		
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)	One
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Assorted
3.	Dressing drums of Assorted size	Assorted
4.	Drum stand	Assorted
5.	IV Stand	Two
6.	Cheatles Forceps	Four
7.	Mosquito forceps	Four
8.	Scissors straight (Tailor)	Four
9.	Scissors curved of different sizes	Five each
10.	Stitch removal scissors	Five each
11.	Dissection forceps	Four
12.	Sinus Forceps	Four
13.	Probes - Assorted size	Five each
14.	Pointed scissors	Four
15.	Abdominal Retractors	Five
16.	Tissue Forceps	Five
17.	Bob Kock's Forceps	Five
18.	Kocher's Forceps	Five
19.	Urethral Dilators	Five each
20.	Metal Catheters	Five each
21.	Sponge holding forceps	Four
22.	Right Angle cholecystectomy Forceps	Four
23.	Stone holding forceps	Four
24.	Allies Forceps small	Four
25.	Allies Forceps Big	Four
26.	Artery Forceps small	Four
27.	Artery Forceps big	Four
28.	Artery Forceps Medium	Four
29.	Sigmoidoscope Rigid/flexible	One
30.	Barron Pile's Gun	Two
31.	Laryngoscope Pediatric/Adult	One
32.	Boyles Apparatus	One
33.	Multi-parameter Monitor	One
34.	Ambu Bag	Two
35.	Suction machine Electrical or Manual	One

36.	Skin grafting knife with handle	Assorted
37.	Surgical blades of different size	Assorted
38.	Self-Retaining Retractor	Assorted
39.	Bone cutter	Two
40.	Gigli Saw	Two
41.	Scoop	Assorted
42.	Periosteum elevator	Two
43.	Maggles Forceps	Assorted
44.	High Pressure Autoclave	One
45.	Nitrous Oxide Cylinder	One
46.	Hydrolic Operation Table	One
47.	Boyle's Apparatus	One
48.	Instrument Trolley	Assorted
49.	Endotracheal Tube	Assorted
50.	Proctoscope with or without illumination	Two
51.	Gabrial Syringe	One
52.	Strecher with trolley	Two
53.	Suction Machine	Assorted
General		
54.	Emergency power back up facility	Assorted
55.	Emergency light	Four
56.	Fire Extinguisher	Two
57.	BP Apparatus	Assorted
58.	Fumigator	One
59.	Refrigerator	One
60.	X-ray View Box (double)	Two
61.	Revolving Stool	Assorted
62.	Vertical BP Instrument	One
63.	Rubber catheters of Assorted size	Assorted
Miscellaneous		
64.	Corrugated rubber drain	Assorted
65.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size	Assorted
66.	Surgical Thread	Assorted
67.	BP Handle of different size	Assorted
68.	Needle holder	Assorted
II Shalakyia: Ophthalmic Equipment or Instruments for Operative Surgery		
Essential		
69.	Ophthalmic Operation table with Head rest	One
70.	Sterilizing box/case with matts	Assorted
71.	Lens insertion Forceps	Assorted
72.	Keratome	Assorted
73.	Desmarres lid retractors	Assorted
74.	Cat-paw lacrimal retractor	Assorted
75.	Mueller lacrimal sac retractor	Assorted
76.	Dastoor iris retractor	Assorted
77.	Meyrhoefer Chalazioncurrete	Assorted
78.	Sinsky lens manipulating hook	Assorted
79.	IOL Manipulator	Assorted
80.	Foreign body spud	Assorted
81.	Lewis lens loop (vectis)	Assorted

82.	Cystotome and spoon	Assorted
83.	Mule Evisceration spoon	Assorted
84.	Iris repository (double-ended)	Assorted
85.	Jameson muscle hook	Assorted
86.	Wills cautery with copper ball-point	Assorted
87.	Langs lacrimal sac dissector	Assorted
88.	Kelly Glaucoma punch	Assorted
89.	Elevator (double ended)	Assorted
90.	Nasal speculum adult/child	Assorted
91.	Wilder punctum Dilator	Assorted
92.	Bowman lacrimal probes	Assorted
93.	Hartman mosquito forceps	Assorted
94.	Colibri forceps 1*2 teeth	Assorted
95.	Mc. person corneal forceps with tying platform	Assorted
96.	Dressing forceps, serrated	Assorted
97.	Moorfieldconjunctival forceps	Assorted
98.	Fixation forceps	Assorted
99.	Beer cilea (epilation) forceps	Assorted
100.	Arruga capsular forceps	Assorted
101.	Snellen Entropion clamp	Assorted
102.	Chalazion clamps	Assorted
103.	Vannas straight scissors	Assorted
104.	Barraquer needle holder	Assorted
105.	Air injection cannula	Assorted
106.	Healon aspirating cannula	Assorted
107.	AC washout cannula	Assorted
108.	Lacrimal cannula	Assorted
109.	Hydrodialysis cannula	Assorted
110.	J-loop cannula (Right/Left With silicon tubing)	Assorted
111.	Simcok direct I/A cannula with silicon tubing	Assorted
112.	Irrigating aspirating handle	Assorted
113.	Lens dialer	Assorted
114.	Superior Rectus forceps	Assorted
115.	Eye wash glasses (for Tarpana Karma)	Assorted
116.	Swimming Goggles (for Tarpana Karma)	Assorted
III	ENT-Surgical or Operative Procedural Instruments	
	Essential	
117.	Aural Syringe	Assorted
118.	Jobson's Aural Probe	Assorted
119.	Eustachian Catheter	Assorted
120.	Mastoid Retractor	Assorted
121.	Mastoid Gouge	Assorted
122.	Mallet	Assorted
123.	Nasal Foreign Body hook	Assorted
124.	Nasal packing forceps	Assorted
125.	Nasal Snare	Assorted
126.	Bayonet Shaped gouge	Assorted
127.	Walsham forceps	Assorted
128.	Laryngeal forceps	Assorted
129.	Tongue plate with throat suction	Assorted
130.	Tonsil holding forceps	Assorted
131.	Tonsillar suction	Assorted

132.	Adenoid curette with cage	Assorted
133.	Peritonsillarabcess draining forceps	Assorted
134.	Fuller's Tracheostomy Tube	Assorted
135.	Cheatel's Forceps	Assorted
Miscellaneous		
136.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras, etc.	Assorted

(H). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT

S. No.	Name of Out Patient Department	Article required as per norms of CCIM	Required Quantity
1	Kayachikitsa		
Essential			
		X-Ray View Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Torch	Two
		Examination Table	One
		Thermometer	Four
		Tongue depressor	Five
		Weight and height measuring stand	One
		Measuring tape	One
		Knee Hammer	Two
Miscellaneous			
		Gloves	Assorted
2	Shalya		
Essential			
		X-Ray Viewing Box	One
		Stethoscope	Four
		Instruments for ano-rectal examination	Two sets
		Examination Table	One
		BP Apparatus	Two
		Thermometer	Four
		Torch	Assorted
		Cheatle forceps	Assorted
General			
		Minor OT	Assorted
Miscellaneous			
		Surgical Blades	Assorted
3	Shalakya		
Essential			
		Tuning forks	Assorted
		Ophthalmoscope/ fundoscope	Two
		Auroscope	Two
		Examination Table	One
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Thermometer	Four
		ENT kit	Assorted
		Torch	Two
		Bull's lamp	One
4	Prasuti and Stri Roga		
Essential			
		Weighing machine	One
		Sims's speculum	Two
		Thermometer	Four
		Cusco's speculum	Two
		Examination Table	One
		Lamp stand	One

		Torch	Two
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Measuring tape	Two
5	Bal Roga		
Essential			
		Scale	One
		Weighing machine	One
		Torch	Two
		X-Ray View Box	One
		Thermometer	Four
		BP Apparatus with Pediatric cuff	Two
		Stethoscope	Assorted
		Examination Table	Assorted
6	Panchkarma	As per Kayachikitsa	
7	Yoga Section (Swasth Rakhshan)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted
8	Emergency	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.
[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note- If any discrepancy is found between Hindi and English version of Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016. The English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 18-12/2016- सिद्ध (एम.एस.आर).— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से सिद्ध चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की आवश्यकताओं का नियमन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है। (48 का 1970)
 - (ख) 'कॉलेज' से स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है।
 - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से सिद्ध महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण सिद्ध अस्पताल अभिप्रेत है।
 - (क) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित सिद्ध कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक की आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक पूरा करेंगे;
- (ख) अनुमति की समाप्ति से 3 माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदर्शन करेगी;

- (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;
- (घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा स्टॉफ तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करना होगा;
- (ङ.) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;
- (च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;
- (छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु परिदर्शन की तिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
- (2) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं-**
- (क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; अथवा ऑन लाइन बायो मेट्रिक उपस्थिति से यह पाए जाने पर कि शिक्षण, गैरशिक्षण स्टाफ, अस्पताल का स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, अथवा अस्पताल उचित रूप से क्रियाशील नहीं है, ऐसा पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपेक्षित यथा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;
- (ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे 150 दिनों के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;
- (ग) शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तथा 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों को विनियम 4 से 11 के अर्न्तगत यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया समझा जाएगा।
- (3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं** (क) किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;
- (i) अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;
- (ii) विनियम VII के उप विनियम (2) के अतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;
- (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम पिचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता;
- (iv) अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट ओषधीय उद्यान की उपलब्धता;
- (v) अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अस्पताल के स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vi) अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं अन्य स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vii) विनियम 9 के उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय परिषद् की उपलब्धता;
- (viii) विनियम 9 के उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय की वेब साइट की उपलब्धता;
- (ix) विनियम 9 के उप विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट बायो मेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता; एवं
- (x) विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता।
- (ख) महाविद्यालयों, जिन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई है अथवा जिन्हें शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु अनुमति के लिए मना कर दिया गया है, उन्हें विनियम 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट शैक्षिक सत्र अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए उक्त खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- 4. भूमि की आवश्यकता:-** (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारीक संरचना के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो और प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।
- (3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफ.एस.आई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
- (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष से अन्यून या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
- (6) 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की आवश्यकता लागू नहीं होगी। परन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होना चाहिए।
 - (2) 61 से 100 छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए होगा।
 - (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण अलग-अलग भवनों में किया जाना चाहिए। तथा कॉलेज एवं अस्पताल के अलग अलग भवनों की आवश्यकता मात्र दिनांक 19.02.2013 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
 - (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
 - (5) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।
6. **प्रवेश क्षमता:-** महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। 60 से कम या 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
- (2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:-** छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़ (1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका-I

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान अन्तरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र -रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

$$\frac{\text{शय्या दिवस अधिभोग} \times 100}{\text{शय्याओं की संख्या} \times \text{दिवसों की संख्या}}$$

शय्याओं की संख्या × दिवसों की संख्या

3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:-

- (i) कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग के रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, प्रयोगशाला और रेडियोलोजिकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका अन्तरंग विभाग के रूग्णों के लिए अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु, कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित होगी। उन महाविद्यालयों को जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली का रख रखाव करना होगा।

(4) **स्थान आवश्यकता:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, अस्पताल साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, कारानूल थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार गृह, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।

(5) **बाह्य रोगी विभाग:-** अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- (i) मरुथुवम (चिकित्सा)
- (ii) वर्मम, पुरमरुथुवम एवं सिरप्पुरुथुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)
- (iii) सूल, मगलिर मरुथुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)
- (iv) अरुवई, तोल मरुथुवम (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)
- (v) कुलन्दई मरुथुवम (बालरोग) तथा
- (vi) अवसर मरुथुवम (आपातकाल)

(6) **अन्तरंग रूग्ण विभाग:-** अस्पताल के अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

क्रम संख्या	अन्तरंग रोगी विभाग	वितरण	60 शय्याएं	100 शय्याएं
1.	मरुथुवम (चिकित्सा)	30% शय्या	18	30
2.	वर्मम, पुरमरुथुवम एवं सिरप्पुरुथुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)	25% शय्या	15	25
3.	सूल, मगलिर मरुथुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)	15% शय्या	9	15
4.	अरुवई, तोल मरुथुवम (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)	20% शय्या	12	20
5.	कुलन्दई मरुथुवम (बालरोग)	10% शय्या	6	10

(7) **नोई नाडल सत्ताम सारंथा मरुथुवम, नान्जु मरुथुवम प्रयोगशालाएं (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला):** अस्पताल के बाह्य रोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं सिद्ध नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) **अस्पताल के कर्मचारी:** अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

8. **कॉलेज की आवश्यकताएं-**

- (1) (क) **शिक्षण स्टाफ:** अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु दस अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक, योग का एक शिक्षक तथा जैव सांख्यिकीय का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद अथवा विषय के शिक्षक से संबंधित पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु:** शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।
- (घ) समस्त शिक्षकों की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आबंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

(2) **तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता:** महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. **विविध आवश्यकताएं-**

(1) **कॉलेज परिषद्:** (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।

- (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार कॉलेज परिषद् की बैठक की जायेगी।
- (ग) कॉलेज परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।
- (2) **कॉलेज की वेबसाइट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिसे प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) जिसमें शिक्षण स्टाफ का विवरण, फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज के गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय स्टाफ का विवरण।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एव गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (ड) महाविद्यालय की वेबसाइट केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से जोड़ी जायेगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा।
- (ढ) महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ, अस्पताल के स्टाफ, छात्रों तथा बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** (i) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक होगी।
- (iii) महाविद्यालय जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, वे दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण करेंगे।
10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -**
- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत सिद्धमरुथवा अरिग्नार (बेचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले सिद्ध कॉलेज को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा:
- (क) कॉलेज छात्रों के प्रथम बेच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से दो वर्ष से पूर्व कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ विनियम 4 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम, वरमन, पुरामरुथवम एवं सिरापुमरुथवम, सूल, मगालीर मरुथवम, कुझंथय मरुथवम एवं अरुवय मरुथवम में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक। तथा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से दो वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों एवं स्टाफ के बैठने की क्षमता हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान क्रमशः 60 सीटों तक के लिए तथा 61 से 100 सीटों के लिए जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा; तथा
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

- (ख) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम्, वरमन, पुरामरुथवम और सिरापूमरुथवम्, सूत, मगलीर मरुथवम्, कुझांथय मरुथवम् एवं अरुवय मरुथवम् विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) गुनापादम् मरुथियल एवं गुनापादम् मरुनथाकवियाल विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ग) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम्, वरमन, पुरामरुथवम और सिरापूमरुथवम्, सूत, मगलीर मरुथवम्, कुझांथय मरुथवम् एवं अरुवय मरुथवम् विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) गुनापादम् मरुथियल एवं गुनापादम् मरुनथाकवियाल विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

- (iii) इन विनियमों 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति की आवश्यकताएं;
- (iv) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची iii यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा
- (vi) अनुसूची i से vii यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (2) (क) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।
- (ख) यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।
- (ग) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैठ के समापन हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- (3) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13 क के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना तथा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख के रखरखाव हेतु वेब लिंक कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली रखना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, उनके लिए आशय पत्र जारी करने हेतु इन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु अनुमति पत्र जारी किये जाने से पूर्व इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
11. **उपकरण, यंत्र-समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची I-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।
12. **सिद्ध महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-**
- (1) सिद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु सिद्ध महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) सिद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

अनुसूची-1

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		

3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रन कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीकरण		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	मरुथवम बाह्य रोगी विभाग		
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष, वाश बेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग		
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षा कक्ष सहित		
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग, प्रदर्शन क्षेत्र सहित		
7.	अत्याधिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बेसिन सहित		
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार सूत्र कक्ष		
9.	औषधालय		
10.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
11.	भण्डार		
12.	स्टॉफ तथा रोगियों के लिये अलग-अलग पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650
1.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	कायाचिकित्सा तथा पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	शल्य शालाक्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	शल्य शालाक्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं कौमारभृत्य वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	मुख्य, लघु एवं शालाक्य प्रक्रियाओं के लिए शल्यकर्म कक्ष		
2.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव इकाई		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो आरोग्य कक्ष		
7.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	पंचकर्म खण्ड	200	350
1.	स्नेहन कक्ष (पुरुष)		
2.	स्नेहन कक्ष (महिला)		
3.	स्वेदन कक्ष (पुरुष)		
4.	स्वेदन कक्ष (महिला)		
5.	शिरोधारा कक्ष (पुरुष)		
6.	शिरोधारा कक्ष (महिला)		
7.	वमन कक्ष (पुरुष)		
8.	वमन कक्ष (महिला)		

9.	विरेचन कक्ष (पुरुष)		
10.	विरेचन कक्ष (महिला)		
11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)		
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निर्कर्म, प्राच्छान इत्यादि कक्ष		
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह		
16.	संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरुषों के लिये तथा महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशवेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। ये प्रसाधन वाडों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	150
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	नैदानिक प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित पूर्ण उपकरण युक्त मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। ई.सी.जी. अथवा टी.एम.टी. इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150
IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कोष्ठ, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीकरण अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
X	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

अनुसूची-II

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हाल: साठ सीटों तक प्रवेश हेतु न्यूनतम 80 वर्गमीटर के क्षेत्र के एवं इकसठ से सौ सीटों के प्रवेश हेतु 160 वर्गमीटर क्षेत्र के कम से कम पांच व्याख्यान हाल होंगे जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानत: थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में सिद्ध, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की	100	200

	दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। पुस्तकों की संख्या छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बेंचों के प्रवेश से पूर्व पांच हजार तथा छात्रों के चतुर्थ बेंच के प्रवेश से पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।		
5.	शिक्षण विभाग: तेरह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टाफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	सिद्ध मरूथवम् मूलाथाथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	उद्दल कुरुगल विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनोटमी प्रयोगशाला सहित उद्दल कुरुगल संग्रहालय;	100	200
(iii)	उद्दल थाथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	175	350
(iv)	गुणपदम मरूथियाल (सिद्ध फार्माकोलोजी एवं फार्माकोग्नोसी) विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	100	200
(v)	गुणापदम मरूथुसईमुरियल (सिद्ध औषधभैषीजिका)	75	150
(vi)	नाईनादाल विभाग अतिरिक्त नाईनादाल (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला	75	150
(vii)	या तो कॉलिज में अथवा अस्पताल में वरमन, सिरापू मरूथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	75	150
(viii)	सत्तम सारंथा मरूथूवा ननजू मरूथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ix)	मरूथुवम विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(x)	कुजनधई मरूथुवम विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(xi)	अरूवई, मरूथुवम् विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी प्रयोगशाला;	75	150
(xii)	नोई अनुगा विधि विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	50	150
(xiii)	सूल, मगालीर मरूथुवम् विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
	<i>* टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।</i>		
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की सिद्ध की औषधियां जैसे चूर्णम्, मथीरई, मेझुगु, गुग्गुलु, रसायन आदि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा। औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला का प्रयोग शिक्षण हेतु भी किया जाएगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त स्थान एवं प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50 छात्रों हेतु +50 छात्राओं हेतु	100 छात्रों हेतु + 100 छात्राओं हेतु
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल योग	2,000/-	4,000/-

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, महाविद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम 5 में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-III

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
एक सिद्ध कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, औषधीय पौधों की न्यूनतम 150 प्रजातियां आवश्यक होंगी।

अनुसूची-IV

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
सिद्ध कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सा अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पदधारी की अर्हता प्राध्यापक से कम नहीं होगी। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, यदि वहाँ चिकित्सा अधीक्षक का पद है तो वहाँ जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. अर्हता बी.एस.एम.एस. तथा नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी.एस.एम.एस. होगी। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	दो
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी /आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ / आर.एस.ओ)	05 (01 मरुथुवम्, 01 वरमन, पुरामारुथुवम् एवं सिरापुमरुथुवम्, 01 सूल मगालिर मरुथुवम्, 01 कुझांथर्द मरुथुवम् एवं 01 अरुवई मरुथुवम्)
6.	मैट्रन / परिचारिका अधीक्षक	एक
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैथ्याओं के लिए एक
8.	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 20 शैथ्याओं के लिए एक
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	दो
10.	ड्रेसर	दो
11.	भण्डारपाल	एक
12.	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	दो
13.	डार्क रूम परिचारक	एक
	आधुनिक चिकित्सा स्टाफ	
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर

19.	नेत्र विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	एक (संविदा पर एलौपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर)
22.	दंत चिकित्सा	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
23.	एक्स-रे तकनीशियन / विकिरण चित्रक	एक
24.	भौतिक चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् थैरेपी अनुभाग के लिए स्टॉफ		
25.	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् विशेषज्ञ	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (सिद्ध)	एक
27.	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् परिचारिकाएं	दो (एक पुरुष एवं एक महिला) क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त
28.	वर्मम, पुरामरूथुवम् सहायक	दो पुरुष तथा दो महिला
29.	योग शिक्षक / वर्मम विशेषज्ञ / हड्डी बैटाने वाला	एक (वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् से)
शल्यकर्म कक्ष एवं कारानूल चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टॉफ		
30.	अरूवई मरूथुवम् एवं कारानूल थैरेपी विशेषज्ञ	अरूवई थोतामरूथुवम् विभागों के शिक्षक
31.	शल्यकर्म कक्ष परिचारक	एक
32.	मरहम पट्टी करने वाला	एक
33.	परिचारिका	एक, (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)।
प्रसव कक्ष		
34.	सूल, मगालिरमरूथुवम् विशेषज्ञ	सूल, मगालिरमरूथुवम् विभाग के शिक्षक
35.	मिडवाइफ	एक
नैदानिक प्रयोगशाला		
36.	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
37.	चपरासी अथवा परिचारक	एक
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
38.	औषधशाला अधीक्षक	गुणापदम् विभाग का शिक्षक
39.	चपरासी अथवा परिचर	एक
40.	कामगार	02
41.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	एक (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
	कुल: 3. साठ शय्याओं के अस्पताल हेतु 4. सौ शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर अट्टावन उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर बहत्तर

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।

3. अनिवार्य ड्यूटी स्टॉफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टॉफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, चोकीदार, धोबी, माली एवं रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
5. सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त चिकित्सालय स्टॉफ की कम से कम 80 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-V

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध कॉलेज शिक्षण स्टॉफ का विवरण

क्रं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक			61 से 100 छात्रों तक		
		(3)			(4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	सिद्ध मरुथुवा मूलाथायुवम्	1 अथवा 1	1	1 सिद्ध + 1 तामिज / 1 अंग्रेजी	1	1	1 सिद्ध + 1 तामिज / 1 अंग्रेजी
(2)	उदल कुरूगल (ऐनटोमि)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	उदल थायुवम	1 अथवा 1		1 सिद्ध + 1 बायोकेमिस्ट	1	1	1 सिद्ध + 2 बायोकेमिस्ट
(4)	गुणापदम्- मरुथुयाल	1 अथवा 1		1 सिद्ध + 1 बोटनिस्ट / फारमाकोलोसिस्ट	1	1	1
(5)	गुणापदम् मरुनथाकवियाल	1 अथवा 1		1	1	1	2
(6)	नोई नादल एवं नाई मुधाल नादल	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	सत्तम सारंथा मरुथुवमम् नंजू मरुथुवमम्	1 अथवा 1		1	1	1	1
(8)	सूल एवं मगालीर मरुथुवम्	1 अथवा 1		1	1	1	1
(9)	मरुथुवम्	1 अथवा 1		1	1	1	1
(10)	अरुवई, मरुथुवम्	1 अथवा 1		1	1	1	1
(11)	कुडंथई मरुथुवम्	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	वर्मम, सिराप्पूमरुथुवम् (वर्मम एवं स्पेशल मेडिसिन)	1 अथवा 1		1	1	1	2
(13)	नोई अनूगा विधि	1 अथवा 1		1	1	1	1
			13	15	13	13	19
कुल			28			45	

टिप्पणी:

- I. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट वरमा, पुरामरुथुवम् विभाग में एक शिक्षक, अनुसंधान मेथोडोलॉजी एवं चिकित्सा-सांख्यिकीय के शिक्षण हेतु एक जैव-सांख्यिकीविद तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- II. अंशकालिक शिक्षको की आवश्यकता विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति हेतु उपर्युक्त बिन्दु I में यथा उल्लिखित न्यूनतम कोई पांच होगी।
- III. साठ तक की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक तेरह विभागों में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या न्यूनतम दस विभागों में वितरित दस अध्यापकों अथवा प्रवाचकों से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - साठ तक की प्रवेश क्षमता

रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम सताईस संकाय रखने होंगे, जिनमें से न्यूनतम ग्यारह विभागों से न्यूनतम बारह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।

- IV. इक्सठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षकों की कमी तेरह विभागों में न्यूनतम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षकों के बीस प्रतिशत तथा कुल आवशकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या सतरह से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम चालीस संकाय रखने होंगे, जिनमें से सभी तेरह विभागों में न्यूनतम सतरह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- V. विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त प्राध्यापक अथवा प्रवाचक उपलब्ध है, अतिरिक्त प्राध्यापकों पर प्रवाचक अथवा व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रवाचक पर व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ स्नातकीय सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में, उदल कुरुगल विभाग में एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन प्राध्यापक अथवा एक प्राध्यापक तथा दो प्रवाचक अथवा एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

अनुसूची-VI

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

क्र. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	एक
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	चार
3.	सिद्ध मरुथुवा मूलाथाथुवम् (फार्माक्यूटिकल्स)	परिचर	एक
4.	गुणापदम्- मरुनथाकवियाल (फार्माक्यूटिकल्स)	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक परिचर	एक एक एक
5.	उदल कुरुगल	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक परिचर-कम संग्रहालयपाल	एक एक एक
6.	गुणापदम् थाथुवम्	प्रयोगशाला तकनीशियन परिचर - कम संग्रहालयपाल	एक एक
7.	गुणापदम् मरुथुयाल	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक	एक एक
8.	नोई नदाल एवं नोई मुधल नदाल	प्रयोगशाला तकनीशियन परिचर	एक एक
9	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालयपाल परिचर	एक एक
10	सत्तम सारंथा मरुथुवम् एवं नंजू मरुथुवम्	परिचर - कम संग्रहालयपाल	एक
11	मरुथुवम्	परिचर - कम संग्रहालयपाल	दो
12.	वर्मम एवं सिराप्पूमरुथुवम्		
13.	सूल, मगालिर मरुथुवम्		
14.	कुञ्जथई मरुथुवम्		
15.	अरुवई, थोल मरुथुवम्		
16.	वनौषधि उद्यान	माली बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	एक दो
	कुल	28	

टिप्पणी:- (सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

टिप्पणी: सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त के न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-VII

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 तथा विनियम 11 देखें]

(क) गुणपदम्- मारुथुयाल प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	फील्ड मैग्निफायर	एक	एक
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप	एक	एक
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	एक	एक
4.	माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेन्स	एक	दो
विविध			
1.	कवर स्लिप्स सहित स्लाइड बॉक्स	वर्गीकृत	
2.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन बॉक्स	वर्गीकृत	
4.	इनेमल ट्रेज़	वर्गीकृत	

(ख) शव विच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	यंत्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता तक
अनिवार्य			
1.	2-4 शव रखने हेतु टैंक	वर्गीकृत	
2.	बोन एवं ब्रेन के लिए सेक्शनिंग मशीन	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन सेटस	पंद्रह सेटस	पच्चीस सेटस
4.	डिसेक्शन टेबल		
क)	फुल साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	चार	छः
ख)	हाफ साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	आठ	दस
सामान्य			
5.	एक्स-रे व्यूइंग वाक्स अथवा पैनल	तीन	तीन
विविध			
6.	बोन कटर नं. 3/4, 1/2, 1/4, 1/8-फाईन प्वाइंटेड चेजल बोन डिसेक्टर	वर्गीकृत	
7.	बाल्टी और मग	वर्गीकृत	
8.	ग्लव्स पाउडर	वर्गीकृत	
9.	सर्जिकल ग्लव्स	वर्गीकृत	
10.	सर्जिकल ब्लेड	वर्गीकृत	
11.	सबुन	वर्गीकृत	
12.	डिस्पोसेबल सिरिंज - 20 सीसी, 10 सीसी, 5 सीसी	वर्गीकृत	
13.	तौलिया	वर्गीकृत	
14.	कूडादान	वर्गीकृत	
15.	फर्निचर और अन्य उपकरण	वर्गीकृत	
16.	वॉश बेसन	वर्गीकृत	
17.	संरक्षण हेतु रसायन	वर्गीकृत	
18.	विभिन्न माप के कांच के जार	वर्गीकृत	

(ग) क्रिया (उदल थायुवम्) प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	तीस	पचास
2.	वैस्टरग्रेन पिपेट	साठ	सौ
3.	हिमेटोक्रिट ट्यूब	साठ	सौ
4.	साहिल्स हिमोग्लोबिन मिटर	साठ	सौ
5.	हिमोसाइटो मिटर	साठ	सौ
6.	स्टेथोस्कोप	साठ	सौ
7.	क्लिनिकल थर्मोमिटर	साठ	सौ
8.	नी हैमर	साठ	सौ
9.	ट्रनिंग फोर्कस	साठ	सौ
10.	इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ		
11.	स्टॉप वॉचस	साठ	सौ
12.	वॉटर डिस्टीलेशन स्टील	एक	एक
13.	बैलेन्स	एक	एक
14.	सेंट्रिफ्यूज स्पीड कंट्रोल के साथ	एक	एक
15.	कोलोरिमिटर (फोटोइलैक्ट्रिक)	एक	एक
16.	पी एच मिटर (इलैक्ट्रिक)	एक	एक
17.	पी एच कमपैरेटर वीद डिस्क	एक	एक
18.	स्टरलाइजर	एक	एक
19.	बी पी एंपैरेटस	साठ	सौ
20.	वेंडिंग मशीन	एक	एक
21.	पीकफ्लो	एक	एक
सामान्य यंत्र			
22.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
23.	न्यूटन्स कलर व्हील एक बैच में	एक	एक
विविध			
24.	कवर स्लीप, ग्लासवेयर, माइक्रो स्लाइडस (वर्गीकृत)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
25.	रिएजेंस	वर्गीकृत	वर्गीकृत
26.	टॉर्च	वर्गीकृत	वर्गीकृत
27.	मेजरिंग टेप	वर्गीकृत	वर्गीकृत

(घ) गुणपदम् - मास्काकवियल (फार्माक्यूटिकल्स) प्रयोगशाला (अध्यापन प्रयोगशाला) के लिए उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	खल्व यंत्र		
(क)	छोटा	दस	बीस
(ख)	मध्यम	दस	बीस
(ग)	पोर्सेलेन	दस	बीस
(घ)	तप्त खल्व यंत्र	दो	चार
2.	यंत्र		
क)	थुला यंत्र	एक	एक
ख)	वालुका यंत्र	एक	एक
3.	डिस्टिलेशन एप्रेटस	तीन	छः
4.	पुदम् (विभिन्न प्रकार के)	पांच	दस

5.	मूषा (कृसिबल्स)	तीस	पचास
6.	पाउडिंग एप्रेटस	दस	दस
7.	शुरूथी बलोवर सहित	दो	चार
सामान्य			
8.	हीटिंग डिवाइज		
(क)	गैस स्टोव	वर्गीकृत	
(ख)	हॉट प्लेट	वर्गीकृत	
(ग)	चूल्हा (चारकोल)	वर्गीकृत	
9.	तुला (विभिन्न क्षमता)		
क)	फिजिकल	एक	एक
ख)	केमिकल	एक	एक
ग)	इलेक्ट्रॉनिक बेलेंस	एक	एक
10.	बड़े पात्र एवं धारक		
(क)	पीतल	वर्गीकृत	
(ख)	ताम्र	वर्गीकृत	
(ग)	स्टील इत्यादि	वर्गीकृत	
11.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
12.	वेट ग्राइंडर	एक	एक
13.	मिक्सी	एक	एक
14.	जूस एक्सट्रेक्टर	एक	एक
15.	पाइरोमिटर	वर्गीकृत	
16.	थर्मामिटर	वर्गीकृत	
17.	प्रेसर कूकर	वर्गीकृत	
18.	अर्थन वैसेल	वर्गीकृत	
19.	विभिन्न माप (कांच) के मापक उपकरण	वर्गीकृत	
विविध			
20.	सइवस (वर्गीकृत संख्या एवं प्राकर)	वर्गीकृत	
21.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन के उद्देश्य से	वर्गीकृत	
22.	पात्र	वर्गीकृत	
(क)	फ्राइंग पेन	वर्गीकृत	
(ख)	स्टील वेसल	वर्गीकृत	
(ग)	स्पैटुला	वर्गीकृत	
(घ)	लैडल्स एवं स्पून्स	वर्गीकृत	
(ङ)	नाइफ	वर्गीकृत	

(च)	प्लेटस	वर्गीकृत
23.	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत
24.	स्पीरिट लैम्प	वर्गीकृत
25.	अलमारी और रैक्स भंडारण हेतु	वर्गीकृत

(ड.) नोई नदाल (पैथोलोजी) प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	वाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
2.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
3.	ऑयल इमर्सन लेंस 20 (ई) सहित मेनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
4.	एक्स रे व्यू बाक्स	एक	एक
5.	साहली की स्क्वेयर ट्यूब	तीस	पचास
6.	एच.बी. पिपेट	तीस	पचास
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट	तीस	पचास
8.	ड्रॉपर	तीस	पचास
9.	रैड सेल पिपेट	तीस	पचास
10.	इम्पूल्ड न्योबार चैम्बर	तीस	पचास
11.	इन्क्यूबेटर	एक	दो
12.	विन्ट्रॉब ट्यूब	तीस	पचास
13.	पास्चर पिपेट	तीस	पचास
14.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	एक	दो
15.	वैस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास
16.	वैस्टरग्रेन स्टेण्ड	तीस	पचास
17.	यूरिनोमीटर	तीस	पचास
18.	आटोक्लेव	एक	एक
19.	अल्ट्रावायलेट लैम्प	एक	एक
20.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एक	एक
21.	बी.पी. एप्रेटस	तीस	पचास
22.	स्टेथस्कॉप	तीस	पचास
23.	थर्मामीटर	तीस	पचास
24.	टंग डिप्रेसर	तीस	पचास
25.	स्टॉप वाच	तीस	पचास
सामान्य			
26.	फिजिकल बैलेन्स	एक	एक
27.	हॉट एयर ओवन	एक	एक
28.	बुनसन बर्नर	तीस	पचास
29.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक
विविध			
30.	नमूने एकत्र करने हेतु स्टेराइल वैसल/ बोतल	वर्गीकृत	
31.	टार्च	वर्गीकृत	
32.	नी हेमर	वर्गीकृत	
33.	मापक फीता	वर्गीकृत	
34.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट	वर्गीकृत	
35.	रिफ्लैक्टर (मिरर)	वर्गीकृत	
36.	वेइंग मशीन	एक	एक
37.	ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत	
38.	नेजल स्पेक्युलम	वर्गीकृत	

39.	लेरिंजोस्कोप	वर्गीकृत
40.	कैथेटर्स	वर्गीकृत
41.	प्रोब्स	वर्गीकृत
42.	एचबीएस ए.जी. किट	वर्गीकृत
43.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)	वर्गीकृत
44.	सीटी एवम् बी.टी.किट	वर्गीकृत
45.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट	वर्गीकृत
46.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/निडिल	वर्गीकृत
47.	ग्लास रोड	वर्गीकृत
48.	सिरिंज नीडिल डेस्ट्रॉयर	वर्गीकृत
49.	कवर स्लिप	वर्गीकृत
50.	साफ स्लाइड	वर्गीकृत
51.	लिटमस पेपर	वर्गीकृत
52.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स	वर्गीकृत
53.	टेस्ट ट्यूब	वर्गीकृत
54.	विभिन्न मापों की पृथक करने हेतु फनल	वर्गीकृत
55.	विभिन्न माप के ढक्कन सहित कांच के जार	वर्गीकृत
56.	कैपिलरी ट्यूब	वर्गीकृत
57.	रबर शीट	वर्गीकृत
58.	मैग्नीफाइंग लेंस	वर्गीकृत
59.	वॉटर बाथ	वर्गीकृत
60.	मल्टी स्टिक्स	वर्गीकृत

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	अपेक्षित मात्रा
1.	शैडोलेस लैम्प	एक
2.	सक्शन मशीन (नियोनेटल)	एक
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क	एक
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5.	रेडिएन्ट वार्मर	एक
6.	फोटो थैरेपी यूनिट	एक
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)	एक
8.	रोगी हेतु ट्रॉली	एक
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली	एक
10.	एन्फेन्टोमीटर	एक
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12.	फीटल डॉपलर	एक
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स	दो
14.	स्टरलाइजर	दो
15.	मशीनोटोस रबर शीट	वर्गीकृत
16.	लेबर एवं इपिसियोटोमी के लिए उपकरण (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)	वर्गीकृत
17.	बेबी ट्रे	दो
18.	निबूलाइजर	एक
19.	फीटोस्कोप	पांच
20.	ऑटो क्लेव	एक
21.	ड्रम	वर्गीकृत
22.	इन्सट्रूमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23.	ऑपरेशन टेबिल सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित	एक
24.	पल्स ऑक्सीमीटर	एक

25.	रिसक्सीसिटेशन किट	एक
26.	बॉयलस एप्रेटस	एक
27.	इलैक्ट्रोकोर्टरी	एक
28.	एमटीपी सक्सन मशीन	एक
29.	एनस्थीसिया किट	एक
30.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्युरेटर	दस
31.	डायलेटर सैट (हैंगर एण्ड हॉकिन्स)	पांच
32.	सिम्स स्पैकुलम	पांच
33.	सिस्कोज स्पैकुलम	पांच
34.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर	पांच
35.	यूटराइन साउन्ड	पांच
36.	वालसैलम	पांच
37.	एमटीपी सक्सन क्युरेट	पांच
38.	रिट्रेक्टर्स एब्डोमिनल (डोइन इत्यादि)	पांच
39.	स्पंज हॉल्डिंग फोरसेप्स	पांच
40.	ग्रीन अर्मीटेज फारसेप्स	पांच
41.	यूटेरस हॉल्डिंग फारसेप्स	पांच
42.	क्रोचर्स फॉरसेप्स	पांच
43.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो) प्रत्येक	पांच
44.	विभिन्न आकार की कैंची	पांच
45.	फारसेप्स आब्स्ट्रैटिक	पांच
46.	एन्डोट्रेक्रियल ट्यूब	पांच
47.	कॉर्ड काटने का उपकरण	पांच
48.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	पांच
49.	ब्लैडर साउन्ड	पांच
50.	वीपी एप्रेटस	दो
विविध		
51.	आपातकालीन रोगी के लिए एच आई वी किट	वर्गीकृत
52.	प्लेन एवम् होल टॉवल	वर्गीकृत
53.	टॉवल क्लिप्स	वर्गीकृत
54.	कटगट्स एवम् थ्रेड	वर्गीकृत
55.	नीडिल	वर्गीकृत
56.	नीडिल होल्डर्स	वर्गीकृत

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	अपेक्षित मात्रा
अनिवार्य		
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सिलिंग फिटेड)	एक
2.	नीडिल हॉल्डिंग फारसेप्स (बड़ी-छोटी-मध्यम)	चार प्रत्येक
3.	वर्गीकृत आकार के ड्रेसिंग ड्रम	दो प्रत्येक
4.	ड्रम स्टैण्ड	दो प्रत्येक
5.	आई.वी. स्टैण्ड	दो
6.	सीधी कैंची (टेलर)	चार
7.	विभिन्न साइज की कर्वड सीजर	पांच प्रत्येक
8.	स्टिच रिमूवल सीजर्स	पांच प्रत्येक
9.	पाइन्टेड सीजर्स	चार
10.	डिसैक्शन फॉरसेप्स	चार
11.	साइनस फॉरसेप्स	चार
12.	स्टिच निडिल	बीस

13.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज	पांच प्रत्येक
14.	आर्टरी फॉरसेप्स (बिग, स्मॉल, मिडियम)	चार
15.	बैरन पाइल्स गन	दो
16.	ऑटोक्लेव	एक
17.	ऑपरेशन टेबल	एक
18.	प्रोक्टो स्कोप विभिन्न प्राकर के	दो
19.	गैबरियल सिरिंज	एक
20.	नेजल स्पैकुलम	चार
21.	इअर स्पैकुलम	चार
22.	आई वॉश ग्लास	दस
23.	ओरल सिरिंज	वर्गीकृत
24.	कारानूल- मेडीक्रेटेड धागा	वर्गीकृत
25.	सलागाई	दस
26.	इलैक्ट्रिक स्टरलाइजर	दो
27.	वैपोलाइजर	एक
28.	निबूलाइजर	दो
सामान्य		
29.	इमरजेंन्सी पावर बेक अप सुविधा	वर्गीकृत
30.	इमरजेंन्सी लाइट	चार
31.	फायर एक्सटिंग्विशर	दो
32.	बी.पी.एप्रेटस	दो
33.	रैफ्रिजरेटर	एक
34.	एक्स-रे व्यू बॉक्स(डबल)	दो
35.	रिवाल्विंग स्टूल	छः
36.	वर्टीकल बी.पी. इस्ट्रुमेंट	एक
37.	रबर केथेटर्स	वर्गीकृत
विविध		
38.	विभिन्न आकार के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्वड)	वर्गीकृत
39.	सर्जिकल थ्रेड	वर्गीकृत
40.	विभिन्न आकार के बी पी.हेन्डल	वर्गीकृत
41.	निडिल होल्डर	वर्गीकृत
42.	कीडनी ट्रे	वर्गीकृत
43.	विभिन्न प्रकार के सर्जिकल ब्लेड	वर्गीकृत

(ज) बहिरंग रूपण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	बहिरंग रूपण विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं	आवश्यक मात्रा
1.	मारुथुवम् (मेडिसिन)	अनिवार्य	
		एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		थर्मामीटर	दो
		टंग डिप्रेसर	दस
		मेजरिंग टेप	दो
		टार्च	एक
		नी हेमर	दो

2. वर्मम, पुरामाख्युवम् और सिराप्युमाख्युवम् (वर्मम थैरेपी, एक्टनल थैरेपी और स्पेशल मेडीसिन)	अनिवार्य	
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
	थर्मामीटर	दो
	टंग डिप्रेसर	दस
	टार्च	एक
	मेजरिंग टेप	दो
	वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
नी हेमर	दो	
3. अरुवई, थोल मख्युवम्, (सर्जरी, डरमैटोलोजी)	अनिवार्य	
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
	एनोरेक्टल एग्जामिनेशन के लिए उपकरण	दो सेट्स
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	चीटलीस फोरसेप	चार
	टार्च	एक
	सामान्य	
	माइनर ओ टी	वर्गीकृत
विविध		
सर्जिकल ब्लेडस	वर्गीकृत	
4. सूल, मगालीर माख्युवम् (ओब्सटेट्रीक्स और गाइनेकोलोजी)	अनिवार्य	
	वेइंग मशीन	एक
	लैम्प स्टैण्ड	एक
	सिम्स स्पैक्यूलम	दो
	कस्कोस स्पैक्यूलम	दो
	टार्च	दो
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
मेजरिंग टेप	दो	
5. कुञ्जथई माख्युवम् (पिडियाट्रिक्स)	अनिवार्य	
	स्केल (बेबी वेइंग)	एक
	टार्च	दो
	एक्स-रे व्यू बाक्स	एक
	थर्मामीटर	चार
	पिडिएट्रिक कफ सहित बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
स्केल ऊंचाई मापने हेतु	एक	
6. अवसारा मख्युवम् (कैजूअल्टी)	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

fVli .kh% अग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No.18-12/2016-Siddha (M.S.R.) -In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirement of colleges for education in Siddha system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- (b) "college" means an Under-graduate Siddha College or Institute;
- (c) "attached hospital" means a teaching Siddha hospital attached to the college;
- (d) "Central Council" means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Requirements of Minimum standard to grant of permission.- (1) (a) The Siddha colleges established under section 13A and existing under section 13C of the said Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31st December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;

(b) the Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission;

(c) the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by Central Council from time to time;

(d) the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;

(e) after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;

(f) the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;

(g) the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) **Requirements of Minimum Standard to grant of permission for a period of five years.**- (a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint; or if from online Bio-metric attendance it is found that teaching, non-teaching staff, hospital staff not present regularly, or hospital is not properly functional, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;

- (b) any deficiencies arising within the said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;
- (c) colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to 2018-19 and 2015-16 to 2019-20 shall be maintain the requirements as specified under the regulations 4 to 11 otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn.

(3) **Requirements of Minimum Standard to grant of conditional permission of one year.-** (a) The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of the inspection by the Central Council between the 31st December to the 31st March for the succeeding academic session:

- (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
- (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
- (iii) availability of minimum seventy-five percent. of required equipment as specified in the Schedule-VII;
- (iv) availability of herbal garden as specified in the Schedule-III;
- (v) availability of hospital staff as specified in the Schedule-IV,
- (vi) availability of technical and other staff as specified in the Schedule-VI;
- (vii) availability of college council as specified at sub-regulation (1) of regulation 9;
- (viii) availability of college website as specified in sub-regulation (2) of regulation 9;
- (ix) availability of biometric attendance as specified in sub-regulation (3) of regulation 9; and
- (x) availability of minimum constructed area of college and hospital as specified in regulation 5.

- (b) the colleges, which have been granted conditional permission or which have been denied permission for the academic session 2015-16 shall be required to fulfill the requirements as specified above in clause (a) to obtain the conditional permission of one year for particular academic session or for a period of five years as specified in the regulations 4 to 11.

4. Requirement of Land.- (1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.

- (2) For intake capacity from sixty-one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometers, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) For permission of the Central Government, a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying.
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

5. Requirement of minimum constructed area.- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.

- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters, respectively.
- (3) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after the 19th February, 2013.

- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

6. Admission Capacity.- The annual intake capacity of the colleges shall be in the slabs of sixty and hundred. The colleges having intake capacity of less than sixty or sixty-one to hundred seats, shall comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as specified in Schedules-I to VII.

7. Requirements of teaching Hospital.- (1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).

- (2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty per cent. and 1:2 respectively, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300 days) (1:2 student-patient ratio)
Upto sixty students	60 beds	24	120
Sixty-one to hundred students	100 beds	40	200

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

$$\frac{\text{Number of bed days occupied} \times 100}{\text{Number of beds} \times \text{Number of days}}$$

- (3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients:** (i) The College and hospital shall maintain the web based computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Siddha hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- (ii) For conditional permission, the College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, the college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records to substantiate the claim of genuine functional Siddha hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 and the computerized central registration system shall be web based from the 1st December, 2016. Colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall be required to maintain web based computerized central registration system from the 1st December, 2016.
- (4) **Space requirement:** The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Karanool therapy section, operation theatre, labour room, store rooms, separate wards for male and female, duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital, and the specification of built-up area in the attached hospital shall be as per the Schedule-I.

- (5) **Out-Patient Department:** The hospital shall have minimum six following Out-Patient Departments, namely:-
- Maruthuvam (Medicine);
 - Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine);
 - Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology);
 - Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery and Dermatology);
 - Kuzhanthai Maruthuvam (Padiatrics); and
 - Avasara Maruthuvam (Casualty).
- (6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under –

In-Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Maruthuvam (Medicine) and Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine)	50 %beds	30	50
Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and Kuzhanthai Maruthuvam (Padiatrics)	25 %beds	15	25
Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery and Dermatology)	25 %beds	15	25

- (7) **Noi Naadal, Sattam Saarntha Maruthuvamum, Nanju Maruthuvamum Laboratories (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Siddha diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

- (8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.

8. Requirements of College.- (1) (a) **Teaching Staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for admissions of up to sixty students and sixty-one to hundred students respectively with the addition of ten part time teachers (eight teachers of Modern Medicine, one Yoga teacher and one Bio statistician) for each slab as specified in the Schedule-V, the teacher fulfilling the eligibility norms of the related teaching post or subject teacher shall be appointed on deputation or contractual basis.

- (b) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be as per the order of Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher.

- (c) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be at the website of college.

- (d) The list of all teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.

- (2) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.- (1) **College Council:** (a) Every medical college or medical institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson;

- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and

- (c) the College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

- (2) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website, wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc.;
 - (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc.;
 - (c) details of non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
 - (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduate;
 - (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise for the current and previous year;
 - (f) any research publications during the last one year;
 - (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital;
 - (m) the College website shall be linked with the Central Council website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and
 - (n) the Month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.
- (3) **Biometric Attendance:** (i) There shall be web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (ii) For conditional permission biometric attendance shall be web based and CRC linked from the 1st December, 2016.
 - (iii) The colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall maintain web based and CRC linked biometric attendance from the 1st December, 2016.

10. Phase-wise specific requirements of new colleges.- (1) A Siddha college seeking permission for starting Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

- (a) Before admission of the first batch of students, the college shall have-
 - (i) at the time of submission of application, a fully developed hospital building as specified in regulations 4 and 5 with functional Siddha hospital prior two years from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualifications as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in the Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or two years prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
 - (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;
 - (v) well-equipped and furnished two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for upto sixty seats and sixty-one to hundred seats respectively with plantation of minimum one hundred species of medicinal plants;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in the Schedule-IV; and
 - (viii) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

- (b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule – VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
 - (viii) there shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapadam-Maruthiyal (Pharmacology) and Gunapadam- Marunthakaviyal (Pharmaceuticals), with minimum area as specified in Schedule-II and equipment as specified in Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus; and
 - (ix) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum two hundred species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
 - (viii) a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapadam-Maruthiyal (Pharmacology) and Gunapadam- Marunthakaviyal (Pharmaceuticals), with minimum area as specified in Schedule-II and equipment as per Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus; and
 - (ix) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth professional years of teaching and training shall be appointed;
 - (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the as specified in these regulations 4 to 11;
 - (iv) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;

- (v) a fully developed medicinal plants garden as specified in Schedule - III;
- (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules-I to VII;
- (vii) round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and
- (viii) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) (a) The permission to establish a new medical college and admissions to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub-regulation (1).
- (b) It shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (c) This process of renewal of permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.
- (3) The person or Medical College who applies under Section 13A of the IMCC Act, 1970 for establishment of new medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity, shall be required to maintain web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked biometric attendance system for teaching staff and web based biometric attendance system for non-teaching college staff, hospital staff and web linked computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department of the hospital. These requirements for those applicants who applied in the year 2015 shall not be taken into consideration for issuance of the Letter of Intent but they shall be fulfilled these requirements before issuance of the Letter of Permission for the academic session 2016-17.

11. List of equipment, machineries, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety per cent. of required equipment, machineries etc. in the teaching departments, hospital, laboratories, dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under Schedules-I to VII.

12. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Siddha College.— (1) The process of grant or denial of permission to the Siddha colleges for taking admissions in Siddha colleges shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admission in Siddha colleges shall be the 30th September of each academic session.

SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
1	2	3	4
I.	Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II.	Hospital Administration Block:	100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officer's room (for 2 Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for 2)		
6.	Reception and Registration		
III.	Out-Patient Departments (OPD)	300	500
1.	Maruthuvam OPD		
2.	Varmam, and Sirappumaruthuvam OPD with Yoga demonstration area		
3.	Sool, Magalir Maruhuvam OPD toilet and Examination Room		
4.	Aruvai, Maruthuvam OPD with toilet and wash room		

5.	Kuzhandhai Maruhuvam OPD		
6.	Avasaramaruthuvam (Casualty) section with toilet and wash basin		
7.	Dressing and First Aid Room, Kaaranool therapy room		
8.	Dispensary		
9.	Waiting Space for patients		
10.	Store		
11.	Separate Male and Female Toilets for patients and Staff		
IV.	In-Patient Department (IPD)	1000	1850
1.	Maruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
2.	Maruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
3.	Varmam, and Sirappumaruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
4.	Varmam, and Sirappumaruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
5.	Sool, Magalir Maruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
6.	Aruvai, Maruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
7.	Aruvai, Thol Maruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
8.	Kuzhandhai Maruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
9.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
10.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath		
11.	Store room for linen, etc.		
V.	Operation Theatres Block	150	250
1.	Minor Operation Theatre		
2.	Labour Room with attached toilet and bath room		
3.	Neonatal care room		
4.	Central Sterilization or Autoclave Unit		
5.	Scrub room		
6.	Two Recovery room		
7.	Doctors' duty room with attached toilet and bath room		
8.	Interns'/house officers'/resident doctors' room with attached toilet and bath room.		
9.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI.	Varmam, Block:	175	300
1.	1.Varmam Arai (Male) 2.Varmam Arai (Female) 3.Thokkanam Arai (Male) 4.Thokkanam Arai (Female) 5.Neeravi Kuliya Arai (Male) 6.Neeravi Kuliya Arai (Female) 7.Peechu Arai(Male) 8.Peechu Arai(Female) 9.AttaiViduthal, Chuttigai etc. 10.Kaara nool therapy room		
2.	Varmam, Puramaruthuvam therapist or Physician's room		
3.	store room		
4.	Attached toilet-baths for males and for females with wash basin and geyser facility in each, which will be in addition to the toilets of wards.		
VII.	Clinical Laboratory: Well equipped with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology and the attached toilet shall be there for collection of urine samples and other latest diagnostic facilities such as ECG also shall be provided.	100	150
VIII.	Radiology/ Sonography section Radiology chamber with X-ray room, Dark room, film drying room, store room, Ultra Sonography room, patients waiting and dressing room, reception /registration/ report room	50	100
IX.	Hospital Kitchen and Canteen:	100	150

X.	Store room	25	50
	TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of attached hospital shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of a Siddha College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students shall correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned in regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department for the colleges shall be applicable for the colleges established after the 19th February, 2013.
4. For conditional permission, total constructed area of attached hospital of the college may vary within plus or minus twenty percent. as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Total constructed area of college building	2,000	4,000
(2)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principal's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitors' lounge, Staff Committee Room, Clerks' room, Accounts section, Record room, Central Store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(3)	Lecture Halls: There shall be at least five Lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto 60 seats and 160 square meter area for intake from 61 to 100 seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(4)	Seminar/Conference/Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(5)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for 61 to 100 intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier/video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand and five hundred books of different titles of Siddha, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The College with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200
(6)	Teaching Departments: There shall be 13 Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department.	Total 1200 square meters and break up may be as follows:	Total 2400 square meters and break up may be as follows:
	Department wise area requirement shall be as under:- (i) Siddha Maruthuva Moolathathuvam Department plus Departmental library cum	50	100

	tutorial room;		
	(ii) Udal koorugal Department with Dissection Hall having proper ventilation aroom for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Udal koorugal (Anatomy) museum with optional micro-anatomy laboratory;	100	200
	(iii) Udal thathuvam Department plus Physiology) laboratory and Biochemistry Laboratory;	175	350
	(iv) Gunapadam Marunthiyal (Siddha Pharmacology and Pharmacognosy) Department plus Herbarium-cum Medicinal botany museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	100	200
	(v) Gunapadam Marunthuseimuariyal (Siddha Pharmaceuticals)	75	150
	(vi) Noinaadal Department plus Noinaadal (Pathology) Laboratory;	75	150
	(vii) Varmam, Sirappu Maruthuvam Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	50	100
	(viii) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Department plus museum cum tutorial room;	50	100
	(ix) Maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(x) Kuzhandhai maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(xi) Aruvai, Maruthuvam Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery Laboratory;	75	150
	(xii) Noi anuga vidhi Department plus museum cum tutorial room;	50	100
	(xiii) Sool, magalirMaruthuvam department and tutorial room; and	50	100
	*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.		
(7)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Siddha Medicines like Chooranam, Mathirai, Mezhugu, Rasayanam etc., a raw drugs store and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	100	200
(8)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and seating arrangement shall be available.	50 for boys +50 for girls	100 for boys +100 for girls
(9)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about 100 persons shall be available in the college premises.	50	100
	Total	2,000	4,000

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of a Siddha College shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. For conditional permission, total constructed area of the college may vary within plus or minus twenty per cent. as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-III

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF A SIDDHA COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Area (in square meter)	
		Up to 60 students (3)	61-100 students (4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred and fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty five to fifty square meters area and necessary implements shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent. within the total area of Siddha college as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE HOSPITAL STAFF

S.No.	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Medical Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Medical Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. The qualification shall be BSMS and PG Degree in clinical subject or BSMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments
4.	Emergency Medical Officers	Two
5.	Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer (RMO/RSO)	Five (One of Maruthuvam, One of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam One of Sool, Magalir maruthuvam, One of Kuzhandhai maruthuvam and One of Aruvai maruthuvam)
6.	Matron/Nursing Superintendent	One
7.	Staff nurses for In Patient Deptt.	One for every ten beds
8.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
9.	Pharmacists	Two
10.	Dresser	Two
11.	Store Keeper	One
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
13.	Dark-room Attendant	One
Modern Medical Staff		
14.	Medical Specialist	One part time/on contract
15.	Surgical Specialist	One part time/on contract
16.	Obstetrician and Gynaecologist	One part time/on contract
17.	Pathologist	One part time/on contract
18.	Anaesthesiologist	One part time/on contract
19.	Ophthalmologist	One part time/on contract
20.	Pediatrician	One part time/on contract
21.	Radiologist	One (Post-graduate in Allopathic Radiology on contract)
22.	Dentist	One part time/on contract
23.	X-Ray Technician/ Radiographer	One
24.	Physiotherapist	One part time/on contract
Staff for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy Section for In-Patient Department (IPD) & Out-Patient Department (OPD)		
25.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Specialists	Teachers of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam teaching department.
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Siddha)	One
27.	Nurses for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Two (One male and One female); in addition to the nurses indicated at S.No.7.
28.	Varmam, Puramaruthuvam Assistant	Two male and two female
29.	Yoga teacher / Varmam expert / Bone setter	One (from Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Department)

Staff of Operation Theatre and Karanool Therapy Section		
30.	Aruvaimaruthuvam and karanoal Therapy Specialists	Teachers of Aruvai, Tholmaruthuvam department
31.	Operation Theatre Attendant	One
32.	Dresser	One
33.	Nurse	One in addition to the nurses indicated at S.No.7.
Labour Room		
34.	Sool, MagalirMaruthuvam Specialists	Teachers of Sool, MagalirMaruthuvam department
35.	Midwife	One
Clinical Laboratory		
36.	Laboratory Technicians	Two
37.	Peon or Attendant	One
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
38.	Pharmacy Superintendent	(Teacher of Gunapaadam department
39.	Peon or Attendant	One
40.	Workers	Two
41.	Analytical Chemist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
42.	Pharmacognosist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
	Total: i. For sixty bedded hospital ii. For hundred bedded hospital	Fifty-eight excluding teachers of teaching departments as mentioned above Sevety-two excluding teachers of teaching departments as mentioned above

Note: -

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.
- (5) For conditional permission, minimum eighty per cent. of above hospital staff shall be required.

SCHEDULE-V

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN A SIDDHA COLLEGE

Teaching Department	Requirement of teaching staff					
	Upto 60 students			From 61 to 100 students		
	(2)			(3)		
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
1.Siddha Maruthuva Moolathathuvam	1	or 1	1 Siddha + 1 Tamizh / English	1	1	1 Siddha + 1 Tamizh / English
2.Udal Koorugal (Anatomy)	1	or 1	1	1	1	1
3.Udal Thathuvam (Physiology)	1	or 1	1 Siddha + 1 Biochemist	1	1	1 Siddha + 2 Biochemist
4.Gunapadam - Marunthiyal (Pharmacology)	1	or 1	1Siddha + 1 Botanist/Pharmacognosist	1	1	1 Siddha + 1 Botanist/Pharmacognosist
5. Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	1	or 1	1	1	1	2

6.NoI Naadal and Noi MudhalNaadal (Pathology)	1 or 1	1	1	1	1
7.Sattam Saarntha Maruthuvamum NanjuMaruthuvamum (Forensic medicine and Toxicology)	1 or 1	1	1	1	1
8.Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	1 or 1	1	1	1	1
9.Maruthuvam (Medicine)	1 or 1	1	1	1	1
10Aruvai, Maruthuvam (Surgery)	1 or 1	1	1	1	1
11.Kuzhanthai Maruthuvam (Peadiatrics)	1 or 1	1	1	1	1
12.Varmam, Sirappumaruthuvam (Varmam and Special Medicine)	1 or 1	1	1	1	2
13.NoI Anugaa Vidhi (Hygiene) Including Research Methodology and Medical Statistics	1 or 1	1	1	1	1
	13	17	13	13	19
	30		45		

Note:

- (i) Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Varma, Puramauthuvam, One Bio statistician to teach Research Methodology and Medical-statistics and eight Consultants of Modern Medicine as specified at Schedule-IV (Sl. Nos.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- (ii)The requirement of part time teachers shall be minimum any five as mentioned above in point i. for conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- (iii) The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of thirteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than ten Professors or Readers distributed in minimum ten Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having up to sixty seats intake capacity shall have minimum twenty-seven total faculties, out of which minimum ten Professors or Readers covering not less than ten Departments.
- (iv) The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent. of total teachers with availability of minimum one Higher faculty and one Lecturer in each of thirteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than seventeen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example, the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have minimum forty total faculties covering all thirteen Departments, out of which minimum seventeen Professors or Readers covering thirteen Departments.
- (v) Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor may be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader may be considered against the requirement of Lecturer. For example- in a college with intake capacity from sixty-one to hundred under graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Udal Koorugal, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.

SCHEDULE-VI

[See regulation 3, regulation 6, regulations 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF A SIDDHA COLLEGE

S.No. (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	One
		Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2.	College Office	Personal Assistant to Principal	One
		Clerical staff for administrative accounts services	Seven
3.	Siddha Maruthuva Moolathathuvam	Attendant	One
4.	Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	Laboratory Technician	One
		Laboratory Assistant	One
		Attendant	One
5.	Udal Koorugal (Anatomy)	Laboratory Technician	One
		Laboratory Assistant	One
		Attendant cum Museum Keeper	One
6.	Udal thathuvam (Physiology)	Laboratory Technician	One
		Attendant	One
7.	Gunapadam - Marunthiyal (Pharmacology)	Laboratory Technician	One
		Attendant cum Museum Keeper	One
8.	Noianugavidhi	Attendant cum Museum Keeper	One
9.	NoiNaadal and NoiMudhalNadal	Laboratory Technician	One
		Attendant	One
10.	Sattam Sarntha Maruthuvam and Nanju Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	One
11.	Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	Two
12.	Varmam, and Sirappumaruthuvam		
13.	Sool, Magalir Maruthuvam		
14.	Kuzhanthai Maruthuvam		
15.	Aruvai, Thol Maruthuvam		
16.	Herbal Garden	Gardener	One
		Multipurpose worker	Two
	Total		Thirty-one

Note:

- Sweeper, Attendant, Lifter, Laboratory Assistant, Data Entry Operator (DEO), Multipurpose Worker may be on contractual basis.
- For conditional permission, minimum eighty per cent. of above technical and other staff shall be required.

SCHEDULE-VII

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

A. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR GUNAPADAM - MARUNTHIYAL (PHARMACOLOGY AND MEDICINAL BOTANY) LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Field magnifier	One	One
2.	Compound microscope	One	One
3.	Dissecting Microscope	One	One
4.	Microscope	Fifteen	Twenty-five
5.	Electronic balance	One	Two
Miscellaneous			
6.	Slides box with cover slips,		Assorted
7.	Blotting/filter papers		Assorted
8.	Dissection Box		Assorted
9.	Enamel Trays		Assorted

B. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL:

S. No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	Assorted	
2.	Machines for bones and brain sectioning	One	
3.	Dissection Sets	Fifteen	Twenty-five
4.	Dissecting Table		
a)	Full size with steel top or marble top stainless	Four	Six
b)	Half size with steel top or marble top stainless	Eight	Ten
General			
5.	X-ray viewing box or panels	Three	Three
Miscellaneous			
6.	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	Assorted	
7.	Bucket and Mug	Assorted	
8.	Gloves powder	Assorted	
9.	Surgical gloves	Assorted	
10.	Surgical blade	Assorted	
11.	Soap	Assorted	
12.	Disposable syringe – 20cc, 10cc, 5cc	Assorted	
13.	Towels	Assorted	
14.	Dustbin	Assorted	
15.	Furniture and Other Equipments	Assorted	
16.	Wash basin	Assorted	
17.	Preservative Chemicals	Assorted	
18.	Glass jars of different sizes	Assorted	

C. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY (UDAL THATHUVAM) LABORATORY:

S. No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Microscopes with oil immersion	Thirty	Fifty
2.	Westergren's pipette for ESR	Sixty	Hundred
3.	Haematocrit Tube	Sixty	Hundred
4.	Sahli's Haemoglobino meter	Sixty	Hundred
5.	Haemocyto meter	Sixty	Hundred
6.	Stethoscope	Sixty	Hundred
7.	Clinical Thermometer	Sixty	Hundred
8.	Knee Hammer	Sixty	Hundred
9.	Tuning forks	Sixty	Hundred
10.	Electrocardiograph	One	One
11.	Stop watches	Sixty	Hundred
12.	Water Distillation still	One	One
13.	Balances	One	One
14.	Centrifuge with speed control	One	One
15.	Colorimeter (Photoelectric)	One	One
16.	pH Meter (Electric)	One	One
17.	pH Comparator with disc	One	One
18.	Sterilizer	One	One
19.	BP Apparatus	Sixty	Hundred
20.	Weighing machine	One	One
21.	Peakflow meter	One	One

General			
22.	Refrigerator	One	One
23.	Newton's colour wheel in a batch	One	One
Miscellaneous			
24.	Cover slips, glassware, Micro slides (assorted)	Assorted	
25.	Reagents	Assorted	
26.	Torch	Assorted	
27.	Measuring Tape	Assorted	

D. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR GUNAPADAM - MARUNTHAKAVIYAL (PHARMACEUTICALS) LABORATORY (TEACHING PHARMACY LAB):

S.No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Kalvam		
i.	Small	Ten	Twenty
ii.	Medium	Ten	Twenty
iii.	Porcelain	Ten	Twenty
iv.	Thapthakalvam	Two	Four
2.	Yandiram		
i.	ThulaYandiram	One	One
ii.	ValukaYandiram	One	One
3.	Distillation Apparatus	Three	Six
4.	Pudam (Different kinds)	Five	Ten
5.	Moosai (Crucibles)	Thirty	Fifty
6.	Pounding Apparatus	Ten	Ten
7.	Thuruthi with Blower	Two	Four
General			
8.	Heating Device-		
i.	Gas Stove	Assorted	
ii.	Hot plate	Assorted	
iii.	Aduppu (Charcoal)	Assorted	
9.	Balance (Different Capacities)		
i.	Physical	One	One
ii.	Chemical	One	One
iii.	Electronic	One	One
10.	Big Vessels & Containers		
i.	Brass	Assorted	
ii.	Copper	Assorted	
iii.	Steel etc.	Assorted	
11.	Refrigerator	One	One
12.	Wet Grinder	One	One
13.	Mixi	One	One
14.	Juice Extractor	One	One
15.	Pyrometer	Assorted	
16.	Thermometer	Assorted	
17.	Pressure Cooker	Assorted	
18.	Earthen Vessels	Assorted	
19.	Measuring Equipments Different Size (Glass)	Assorted	

Miscellaneous		
20.	Sieves (Assorted Numbers & Size)	Assorted
21.	Jars(Porcelain) Fermentation Purpose	Assorted
22.	Vessels-	
i.	Frying Pan	Assorted
ii.	Steel Vessel	Assorted
iii.	Spatula	Assorted
iv.	Ladles & Spoons	Assorted
v.	Knife	Assorted
vi.	Plates	Assorted
23.	Enamel Trays	Assorted
24.	Spirit Lamp	Assorted
25.	Almiras& Racks for storage	Assorted

E. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR NOI NAADAL (PATHOLOGY) LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Binocular microscope	Fifteen	Twenty-five
2.	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five
3.	Monocular microscope with oil emersion lens 20(e)	Fifteen	Twenty-five
4.	X-ray view box	One	One
5.	Sahli's Square tube	Thirty	Fifty
6.	Hb pipette	Thirty	Fifty
7.	WBC Pipette	Thirty	Fifty
8.	Dropper	Thirty	Fifty
9.	Red cell pipette	Thirty	Fifty
10.	Improved Neubauer chamber	Thirty	Fifty
11.	Incubator	One	Two
12.	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty
13.	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty
14.	Centrifuge Graduated Machine	One	Two
15.	Westregrens pipette	Thirty	Fifty
16.	Westergrens's stand	Thirty	Fifty
17.	Urinometer	Thirty	Fifty
18.	Autoclave	One	One
19.	Ultraviolet lamp	One	One
20.	Cell counter (haemoautoanalyser)	One	One
21.	BP Apparatus	Thirty	Fifty
22.	Stethoscope	Thirty	Fifty
23.	Thermometer	Thirty	Fifty
24.	Tongue depressor	Thirty	Fifty
25.	Stop watch	Thirty	Fifty
General			
26.	Physical balance	One	One
27.	Hot air oven	One	One
28.	Bunsen burner	Thirty	Fifty
29.	Refrigerator	One	One
Miscellaneous			
30.	Sterile vessels / bottle to collect samples		Assorted
31.	Torch		Assorted
32.	Knee hammer		Assorted
33.	Measuring Tape		Assorted

34.	ENT examination set		Assorted
35.	Reflectors(Mirrors)		Assorted
36.	Weighing machine	One	One
37.	Tuning Forks		Assorted
38.	Nasal speculum		Assorted
39.	Laryngoscope		Assorted
40.	Catheters		Assorted
41.	Probes		Assorted
42.	HBs Ag kit		Assorted
43.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)		Assorted
44.	CT and BT kit		Assorted
45.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit		Assorted
46.	Sterile disposable lancer/needle		Assorted
47.	Glass rod		Assorted
48.	Syringe needle destroyer		Assorted
49.	Cover slip		Assorted
50.	Cleaned slides		Assorted
51.	Litmus paper		Assorted
52.	pH indicator paper strips		Assorted
53.	Test tube		Assorted
54.	Separating funnels of various sizes		Assorted
55.	Glass Jars with lid of different sizes		Assorted
56.	Capillary Tubes		Assorted
57.	Rubber teat		Assorted
58.	Magnifying lens		Assorted
59.	Multi stix		Assorted

F. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM:

S. No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Shadow less Lamp	One
2.	Suction Machine (Neonatal)	One
3.	Oxygen Cylinder and Mask	One
4.	Foetal Toco Cardiograph	One
5.	Radiant Warmer	One
6.	Photo therapy Unit	One
7.	Weighing Machine (Paediatric)	One
8.	Patient trolley	Two
9.	Anaesthesia trolley	One
10.	Infantometer	One
11.	Vacuum extractor	One
12.	Foetal Doppler	One
13.	Low cavity forceps	Two
14.	Steriliser	Two
15.	Machintosh rubber sheet	Assorted
16.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17.	Baby tray	Two
18.	Nebuliser	One
19.	Foetoscope	Five
20.	Auto Clave	One
21.	Drums	Assorted
22.	Instrumental Trolley	Assorted
23.	OT tables and head Up and head Low facility	One
24.	Pulse Oximeter	One
25.	Resuscitation kit	One
26.	Boyle's apparatus	One
27.	Electrocautery	One
28.	MTP Suction Machine	One

29.	Anaesthesia Kit	One
30.	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32.	Sims's Speculum	Five
33.	Cusco's Speculum	Five
34.	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35.	Uterine sound	Five
36.	Volsellum	Five
37.	MTP Suction Currate	Five
38.	Retractors abdominal (Doyle's etc.)	Five
39.	Sponge holding forceps	Five
40.	Green armytage forceps	Five
41.	Uterus holding forceps	Five
42.	Kocher's forceps	Five
43.	Artery forceps (Long, short, Mosquito) Each	Five
44.	Scissors- different sizes	Five
45.	Forceps obstetrics	Five
46.	Endotracheal tubes	Five
47.	Cord Cutting appliances	Five
48.	I.U.C.D. removing hook	Five
49.	Bladder Sound	Five
50.	B.P. apparatus	Two
Miscellaneous		
51.	HIV kit for emergency patients	Assorted
52.	Plain and Hole towels	Assorted
53.	Towel Clips	Assorted
54.	Catguts and Thread	Assorted
55.	Needles	Assorted
56.	Needle holders	Assorted

G. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MINOR OPERATION THEATRE:

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)	One
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Four each
3.	Dressing drums of Assorted size	Two each
4.	Drum stand	Two each
5.	IV Stand	Two
6.	Scissors straight (Tailor)	Four
7.	Scissors curved of different sizes	Five each
8.	Stitch removal scissors	Five each
9.	Pointed scissors	Four
10.	Dissection forceps	Four
11.	Sinus Forceps	Four
12.	Stitching Needle	Twenty
13.	Probes - Assorted size	Five each
14.	Artery Forceps (small, big, Medium)	Four each
15.	Barron Pile's Gun	Two
16.	Autoclave	One
17.	Operation Table	One
18.	Proctoscope – various sizes	Two
19.	Gabrial Syringe	One
20.	Nasal speculum	Four
21.	Ear speculum	Four
22.	Eye wash glasses	Ten
23.	Aural syringe	Assorted
24.	Kaaranool – Medicated Thread	Assorted
25.	Salaagai	Ten

26.	Electric sterilizers	Two
27.	Vaporizer	One
28.	Nebulizer	Two
General		
29.	Emergency power back up facility	Assorted
30.	Emergency light	Four
31.	Fire Extinguisher	Two
32.	BP Apparatus	Two
33.	Refrigerator	One
34.	X-ray View Box (double)	Two
35.	Revolving Stool	Six
36.	Vertical BP Instrument	One
37.	Rubber catheters	Assorted
Miscellaneous		
38.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size	Assorted
39.	Surgical Thread	Assorted
40.	BP Handle of different size	Assorted
41.	Needle holder	Assorted
42.	Kidney trays	Assorted
43.	Surgical blades of different size	Assorted

H. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENTS:

S. No.	Name of Department	Article required as per norms of CCIM	Required Quantity
1	Maruthuvam – (Medicine)	Essential	
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Weight and height measuring stand	One
		Examination Table	One
		Thermometer	Two
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Torch	One
Knee Hammer	Two		
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam therapy, External therapy and Special Medicine)	Essential	
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Thermometer	Two
		Tongue depressor	Ten
		Torch	One
		Measuring tape	Two
		Weight and height measuring stand	One
Knee Hammer	Two		
3	Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery, Dermatology)	Essential	
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Instruments for anorectal examination	Two sets
		BP Apparatus	Two
		X-ray viewing Box	One
		Cheetle's forceps	Four
		Torch	One
		General	
		Minor OT	Assorted
Miscellaneous			
Surgical Blades	Assorted		
4	Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and	Essential	
		Weighing machine	One

	Gynecology)	Lamp stand	One
		Sim's speculum	Two
		Cusco's speculum	Two
		Torch	Two
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Measuring tape	Two
5	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Essential	
		Scale (Baby Weighing)	One
		Torch	Two
		X-Ray Viewing Box	One
		Thermometer	Four
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
6	Avasara Maruthuvam (Casualty)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted

K.NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[ADVT. III/4/Exty./290(124)]

Note.— If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016”, the English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 11-77/2016 (पी.जी.रेगु.)— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (झ), (ज) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 की उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यूनानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित विनियमों को एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा.— (1) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ‘अधिनियम’ से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;

(ख) ‘परिषद्’ से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) ‘मान्यता प्राप्त संस्थान’ से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ड)

क) के अधीन यथापरिभाषित अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. उद्देश्य तथा प्रयोजन.— यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों का उद्देश्य और प्रयोजन यूनानी चिकित्सा से सम्बन्धित विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना तथा ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, भेषज विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता हो सकें।

4. स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों हेतु विशिष्टताएं.— स्नातकोत्तर उपाधि निम्नलिखित विशिष्टताओं में अनुज्ञात की जाएगी:—

सारणी - क

माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)

क्रम संख्या	विशिष्टता का नाम	नैदानिक अथवा गैर नैदानिक	आधुनिक विषय की निकटतम शब्दावली
1.	कुल्लियाते तिब	गैर नैदानिक	यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त
2.	मुनाफेउल आजा	गैर नैदानिक	शरीरक्रिया विज्ञान
3.	इल्मुल अदविया	गैर नैदानिक	भेषजगुण विज्ञान
4.	इल्मुल सैदला	गैर नैदानिक	भेषजिकी

5.	तहफुजी वा समाजी तिब	गैर नैदानिक	निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र
6.	अमराजे अतफाल	नैदानिक	बाल रोग विज्ञान
7.	मोआलाजात	नैदानिक	चिकित्सा शास्त्र
8.	महियातुल अमराज़	गैर नैदानिक	विकृति विज्ञान
9.	इलाज बित तदबीर	नैदानिक	पथ्यापथ उपचार
10.	अमराजे जिल्द व तज़ीनियत	नैदानिक	त्वचा विज्ञान एवं प्रसाधन

सारणी-ख
माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)

क्रम संख्या	विशिष्टता का नाम	नैदानिक अथवा गैर नैदानिक	आधुनिक विषय की निकटतम शब्दावली
11.	तशरीहुल बदन	गैर नैदानिक	शरीर रचना विज्ञान
12.	इल्मुल जराहत	नैदानिक	शल्य चिकित्सा
13.	अमराजे उज्ज, अनफ वा हलक	नैदानिक	कर्ण, नासा और कंठ रोग
14.	कबालत वा अमराजे निस्वान	नैदानिक	प्रसूति एवं स्त्री रोग

5. स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति :- सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति निम्नवत् होंगी :-

सारणी - क
माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)

क्रम संख्या	विशिष्टता का नाम	संक्षिप्त रूप
1.	माहिरे तिब-कुल्लियाते तिब	एम.डी. (यूनानी) -यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त
2.	माहिरे तिब-मुनाफेउल आजा	एम.डी. (यूनानी) -शरीरक्रिया विज्ञान
3.	माहिरे तिब-इल्मुल अदविया	एम.डी. (यूनानी) -भेषजगुण विज्ञान
4.	माहिरे तिब-इल्मुल सैदला	एम.डी. (यूनानी) भेषजिकी
5.	माहिरे तिब-तहफुजी वा समाजी तिब	एम.डी. (यूनानी) निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र
6.	माहिरे तिब-अमराजे अतफाल	एम.डी. (यूनानी) बाल रोग विज्ञान
7.	माहिरे तिब-मोआलाजात	एम.डी. (यूनानी) चिकित्सा शास्त्र
8.	माहिरे तिब-महियातुल अमराज़	एम.डी. (यूनानी) विकृति विज्ञान
9.	माहिरे तिब-इलाज बित तदबीर	एम.डी. (यूनानी) पथ्यापथ उपचार
10.	माहिरे तिब-अमराजे जिल्द	एम.डी. (यूनानी) त्वचा विज्ञान

सारणी - ख
माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी):

क्रम संख्या	विशिष्टता का नाम	संक्षिप्त रूप
11.	माहिरे जराहत-तशरीहुल बदन	एम.एस. (यूनानी) शरीर रचना विज्ञान
12.	माहिरे जराहत-इल्मुल जराहत	एम.एस. (यूनानी) शल्य चिकित्सा
13.	माहिरे जराहत-अमराजे उज्ज, अनफ वा हलक	एम.एस. (यूनानी) कर्ण, नासा और कंठ रोग
14.	माहिरे जराहत-कबालत व अमराजे निस्वान	एम.एस. (पाठ्यक्रम) प्रसूति एवं स्त्री रोग

6. Lukrdk&rj l 1Fkk t&gk Lukrd i kB; dæ vflrRo es g& ds fy, U; wure vko'; drk, a -& स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामत् :-

- (1) स्नातक संस्था जो स्नातक पाठ्यक्रम के साढ़े चार वर्ष पूरे कर चुकी हो व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए आवेदन कर सकती है।
- (2) संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम की समस्त न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।
- (3) संस्था के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।
- (4) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।
- (5) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उपर लिखे उप- विनियम 4 की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 को पूरा करेंगे।
- (6) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो-स्टेटिस्टीशीयन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हानी चाहिए।
- (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए विषय विशेष में न्यूनतम अतिरिक्त अध्यापक (स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त) एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की आवश्यकता होगी एवं जो विशिष्टता स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग के अस्तित्व में न हो, वहां स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की होगी।
- (8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
- (9) तशरीहुल बदन, मुनाफेउल आजा, इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला, महियातुल अमराज़ एवं ज़राहत विभागों में स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता है।
- | | |
|---|-------------------------------------|
| (i) प्रयोगशाला तकनीशियन | - 1 (एक) |
| (ii) प्रयोगशाला सहायक | - 1 (एक) |
| (iii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता | 1 (एक) प्रयोगशाला सहायक
- 1 (एक) |
- (10) संस्था के पास विशिष्टता अनुसार पूर्णतः सुसज्जित न्यूनतम सौ शैय्याओं वाला अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए।
- (11) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, दस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप - विनियम (10) में विदित है देय होंगी। दस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।
- (12) गैरनैदानिक स्नातकोत्तर विषय जैसाकि विनियम 4 के कम संख्या 1 से 5, 8 एवं 11 में विदित हैं के लिए शैय्याओं की आवश्यकता उप-विनियम (10) के अनुसार होगी।
- (13) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां इकसठ से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, वहां नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।
- (14) गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शैय्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए एवं न्यूनतम आवश्यक बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) एवं 200 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां इकसठ से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) होनी चाहिए।
- (15) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए बढाई गई प्रत्येक अतिरिक्त 20 शैय्याओं के लिए एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
7. Lukrdk&rj l lFkk tgka Lukrd ikB; dæ vflRro ea ugha gš ds fy, U; wure vko'; drk, a & स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं हैं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामत् :-
- (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास पूर्णतः सुसज्जित अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए।
- (2) संस्था के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

- (3) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।
- (4) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उपर लिखे उप-विनियम (3) की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 को पूरा करेंगे।
- (5) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो-स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- (6) विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उस विषय के न्यूनतम तीन अध्यापक – एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं एक व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; अथवा एक प्राध्यापक अथवा एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं दो व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; की आवश्यकता होगी।
- (7) संस्था के पास अंशकालीक आधार पर शिक्षण के लिए संबंधित विषयक परामर्शदाता अथवा अंशकालीक टीचर जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए।
- (8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होना चाहिए।
- (9) तशरीहुल बदन, मुनाफेउल आजा, इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला, महियातुल अमराज़ एवं ज़राहत विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टॉफ की आवश्यकता है
- | | | |
|-------|---|----------|
| (i) | प्रयोगशाला तकनीशियन | - 1 (एक) |
| (ii) | प्रयोगशाला सहायक | - 1 (एक) |
| (iii) | परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता | 1 (एक) |
- (10) उपर लिखे उप - विनियम (9) में विदित विभागों के अलावा अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टॉफ की आवश्यकता है:-
- | | | |
|------|---|----------|
| (i) | कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर | - 1 (एक) |
| (ii) | परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता | - 1 (एक) |
- (11) संस्था के पास रोगी विभाग में न्यूनतम 75 शैय्या हों एवं गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शैय्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
- (12) न्यूनतम आवश्यक बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन होनी चाहिए।
- (13) उन्नीस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप - विनियम (11) में विदित है देय होंगी। उन्नीस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (11) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।
- (14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो के अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप - विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।
- (15) गैर नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो के अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप - विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।
- (16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए प्रत्येक 20 शैय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होगी।

fVli .kh %&

रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती तक सेवा निवृत्त प्रध्यापक अथवा प्रवाचक एवं सहायक प्रध्यापक एवं व्याख्यता एवं सहायक प्रध्यापक को 65 वर्ष की आयु तक संविदा पर रखा जा सकता है।

8. प्रवेश की पद्धति.-

1 सामान्य अभ्यर्थी : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि या समतुल्य उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य पंजिका में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(ख) विश्वविद्यालय या सक्षम प्राधिकारी एक प्रवेश समिति का गठन करेगा जो प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी।

(ग) अभ्यर्थियों का चयन स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के माध्यम से 100 अंको में प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर ही किया जाएगा तथा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) कुल 100 अंकों का होगा जिसमें 80 प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का होंगे एवं 20 प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के होंगे।

(घ) 100 अंको की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा जिसमें कामिल-ए-तिब-वा जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषय समाविष्ट किए जाएंगे।

(ङ) यूनानी चिकित्सा के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक किसी अभ्यर्थी को यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में अगले पाँच वर्षों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल अंकों के पचास प्रतिशत अंक होंगे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित सरकारी सेवा अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक होंगे। अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता पैंतालिस प्रतिशत अंक होंगे।

(छ) प्रायोजित अभ्यर्थियों को उप-विनियम (च) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

(ज) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रिकों (नागरिकों) को उप-विनियम (च) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना की आवश्यकता नहीं है।

(झ) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(ञ) कोई अभ्यर्थी जिसे स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की किसी विशिष्टता में प्रवेश मिल चुका हो उसे प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में परिवर्तित होने या प्रवेश मांगने की अनुमति सीट की रिक्तता व गाइड की उपलब्धता होने पर दी जाएगी।

(2). **सेवारत अभ्यर्थी:** (क) अभ्यर्थी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि हेतु सेवा में होगा।

(ख) अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) में उपस्थित होंगे तथा इसमें अर्हक अंक प्राप्त करेंगे।

(ग) अभ्यर्थी संस्था से तीन वर्ष का अवकाश लेंगे। अभ्यर्थी को शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीट के अनुपात में प्रवेश दिया जाएगा। (विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत शिक्षण प्रदान करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक विषय में एक सीट नियत की जाएगी)

(घ) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के मामले में अन्य शर्तें वही रहेंगी।

9. पाठ्यक्रम की अवधि तथा उपस्थिति.-

(1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(2) छात्र को वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होने हेतु कुल व्याख्यानों, प्रयोगात्मक तथा

नैदानिक शिक्षण अथवा कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

(3) अध्ययन की अवधि के दौरान छात्र को अस्पताल की तथा अन्य ड्यूटी जैसी कि उनके लिए नियत की गई है, पूरी करनी होगी।

(4) सम्पूर्ण अवधि के दौरान नैदानिक विषय के छात्रों को अपने सम्बन्धित विभागों में रेजीडेन्ट ड्यूटी करनी होगी तथा गैर नैदानिक विषय के छात्र उनके सम्बन्धित विभागों जैसे भैषजिकी, औषधि उद्यान तथा प्रयोगशाला में ड्यूटी करेंगे।

(5) छात्रों को विशेष व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों तथा शिक्षण विभागों द्वारा व्यवस्थित किये गये अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।

(6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तारीख से 6 वर्ष होगी।

(7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैनअल उपस्थिति आवश्यक होगी।

10. प्रशिक्षण की विधि.- (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्र को यूनानी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा

(2) संबंधित विषय का शास्त्रीय ज्ञान तुलनात्मक गहन प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा।

- (3) व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर गहन जोर देना होगा।
- (4) छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान की तकनीक और तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतन्त्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- (6) छात्र को शिक्षण प्रौद्योगिकी व अनुसंधान विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं पढ़ाई के दौरान स्नातक छात्रों अथवा इन्टर्न के शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना होगा।
- (7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र काम करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (8) मोआलाजात, इल्मुल जराहत, अमराजे उज्ज, अनफ वा हलक तथा कबालत वा अमराजे निस्वान की विशिष्टताओं में छात्र को सम्बन्धित विशिष्टताओं में अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं, तकनीकों तथा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन के शल्यकर्म क्रिया निष्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 11. शोध प्रबंध.-** (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार पोस्ट ग्रेजुएट समिति हर शैक्षणिक वर्ष ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। जिससे वैश्विक मानकों की जरूरत के आधार पर प्रमाणित यूनानी को प्रचलित करने और उसे प्रकाशित करने में सहायक हो। विश्वविद्यालय समिति भी शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी।
- (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम. आर.) के दिशा निर्देशों पर गठित आचार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) यदि गैरनैदानिक विषय का छात्र नैदानिक परीक्षण से जुड़ा शोध शीर्षक लेता है तो थ्रीसीस तैयार करने के लिए संबंधित विषय के नैदानिक शिक्षक को सह गाईड बनाना होगा।
- (4) शोध प्रबंध के सार की एक प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने से पहले भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की वैज्ञानिक समिति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) यदि छात्र उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि सार प्रस्तुत करने के समय के अनुसार 6 महीने या उससे अधिक के लिए बढ़ाई जाएगी।
- (6) प्रस्तावित योजना का सार प्रस्तावित विषय से संबंधित काम की विशेषज्ञता, कार्य योजना, विभाग का नाम, और गाईड या पर्यवेक्षक और सह गाईड (यदि कोई हो) के नाम व पद का संकेत होगा। विश्वविद्यालय सार जमा करने के तीन महीने के भीतर सार का अनुमोदन करेगा।
- (7) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन के एक बोर्ड का गठन करेगा।
- (8) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर शोध प्रबंध के सार के अनुमोदन को प्रदर्शित करेगा।
- (9) शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और यूनानी प्रणाली के विकास में सहायक हो। शोध प्रबंध का विषय विशिष्ट विषय से संबंधित होगा।
- (10) एक बार जब शोध प्रबंध के शीर्षक स्नातकोत्तर को विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ने मंजुरी दे दी, उसके बाद छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना काम के प्रस्तावित विषय के शीर्षक को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (11) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः महीने पहले शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं 3 साल से पहले शोध प्रबंध जमा करने के बाद भी पाठ्यक्रम के तीन साल पूरा करने के लिए छात्र संस्था में नियमित रूप से अध्ययन जारी करेगा।
- (12) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध प्रबंध में छात्र गाइड या पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किये अनुसंधान के तरीकों एवं डाटा को सम्मिलित करेगा।
- (13) शोध प्रबंध में महत्वपूर्ण साहित्यिक समीक्षा, कार्यप्रणाली, अनुसंधान का परिणाम एवं अनुसंधान के आधार पर चर्चा, सारांश, निष्कर्ष एवं संदर्भों का समावेश होगा जिससे शोध प्रबंध प्रकाशन के लिए उपयुक्त हो।
- (14) शोध प्रबंध कम से कम चालीस हजार शब्दों से मिलकर बनेगा।
- (15) शोध प्रबंध के अंत में कम से कम पन्द्रह सौ शब्दों का सारांश एवं एक हजार शब्दों का निष्कर्ष होना चाहिए।
- (16) गाइड या पर्यवेक्षक प्रोफेसर या रीडर या व्याख्याता या विजिटिंग प्रोफेसर या स्नातकोत्तर विभागों में संविदात्मक संकाय हो सकता है। विजिटिंग फैकल्टी को शिक्षण स्टाफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (17) एक गैर-स्नातकोत्तर शिक्षक के पास स्नातकोत्तर छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए विशिष्ट विषय या उसके एलाइड विषय में पाँच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक है।
- (18) पर्यवेक्षक या गाइड के प्रमाण पत्र के साथ बंधे हुए शोध प्रबंध की पांच प्रतियां अंतिम परीक्षा से चार महीने पहले विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा की जाएगी।
- (19) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाहरी और दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।
- (20) उप-विनियम (19) के तहत नियुक्त परीक्षकों के अनुमोदन के बाद ही शोध प्रबंध स्वीकार किया जाएगा और एक बाहरी परीक्षक द्वारा अस्वीकृति के मामले में शोध प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाहरी परीक्षक को भेजा जाएगा।
- (21) यदि शोध प्रबंध दो बाहरी परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे परीक्षकों की टिप्पणी के साथ छात्र को लौटा दिया जाएगा। परीक्षकों की रिपोर्ट के आलोक में आवश्यक सुधार करने के बाद छात्र शोध प्रबंध को फिर से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर विश्वविद्यालय को जमा करेगा।
- (22) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के बाद ही छात्र को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- (23) अंतर - अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए सम्बंधित विशेषता से गाइड या पर्यवेक्षक चुना जा सकता है।
- 12. परीक्षा एवं मूल्यांकन :-** (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तरीके से दो परीक्षाएं होंगी-
- (क) प्रवेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा, एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी।

- (ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद तीन शैक्षणिक वर्ष पूरे होने पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) परीक्षा आमतौर पर जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी।
- (घ) परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में पास होना होगा।
- (ङ) पास घोषित करने के लिए छात्र को अलग - अलग से पचास प्रतिशत अंक सिद्धांत विषयों और प्रैक्टिकल में प्राप्त करने होंगे।
- (च) अगर एक छात्र प्रारंभिक परीक्षा में विफल रहता है, उसे अंतिम परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी;
- (छ) अगर छात्र अंतिम परीक्षा में प्रैक्टिकल या थ्योरी विषय में विफल रहता है, वह एक ताजा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना बाद में परीक्षा में प्रकट हो सकता है ;
- (ज) विफल रहे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा हर छह महीने के अंतराल पर आयोजित की जाएगी। तथा
- (झ) छात्र को शोध प्रबंध के स्वीकृत होने व अंतिम परीक्षा में पास होने के बाद स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
- (2) परीक्षा का उद्देश्य छात्र का विशेष विषय में नैदानिक कौशल, क्षमता और व्यावहारिक पहलू में कार्यसाधक ज्ञान और एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का परीक्षण करना होगा।
- (3) नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य छात्र का यूनानी का ज्ञान एवं विषय विशेष में वैज्ञानिक साहित्य को परखना होगा।
- (4) प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा भाग में विशेषता के किसी भी पहलू पर व्यापक चर्चा शामिल की जाएगी।

13. परीक्षा के fo'k; % (1) प्रवेश के बाद एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों, में आयोजित की जाएगी :

प्रश्नपत्र —(I)

भाग अ अनुसंधान क्रियाविधि ;

भाग ब जैव या चिकित्सा सांख्यिकी;

प्रश्नपत्र —(II)

भाग अ विषय की बुनियादी बातों का ऍप्लाइड पहलू;

भाग ब संबंधित विषय।

- (2) छात्र को संबंधित विभाग में प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसे अपनी चुनी गयी विशेषता में पिछले दो वर्षों के दौरान किये निम्नलिखित कार्य का मासिक रिकार्ड रखना होगा :-
- (क) विशेषता से संबंधित साहित्य का अध्ययन;
- (ख) नैदानिक विषय के छात्र के लिए अस्पताल में नियमित रूप से नैदानिक प्रशिक्षण;
- (ग) गैर चिकित्सीय विषय के छात्र के लिए विभाग में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;
- (घ) विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठियों और विचार विमर्श में भाग लेने; तथा
- (ङ) शोध प्रबंध में विषय पर किय गए कार्य की प्रगति।
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट पहले वर्ष के दौरान प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा किए गए कार्य का आकलन प्रारंभिक परीक्षा से पहले किया जाएगा।
- (4) अंतिम परीक्षा शोध प्रबंध, लिखित परीक्षा और नैदानिक या व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा पर सम्मिलित होगी।
- (5) प्रत्येक विशेषता में चार परीक्षा पत्र, और संबंधित विशेषता या विशेष अध्ययन के लिए छात्र द्वारा चयनित उप-विशिष्टताओं के समूह में एक व्यावहारिक या नैदानिक और मौखिक परीक्षा होगी।
- (6) छात्र का शोध कार्य पर कम से कम एक पत्र पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत हो और एक पत्र क्षेत्रीय स्तर सगौष्ठी में प्रस्तुत करेगा।

14. परीक्षा की पद्धति और परीक्षक (एस) की नियुक्ति (1) प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा लिखित, व्यावहारिक, नैदानिक, और मौखिक रूप में आयोजित की जाएगी।

(2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से एक परीक्षक किसी अन्य संस्था से हो और अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से दो परीक्षक भी अन्य संस्था से हो संचालित की जाएगी।

(3) संबंधित विषय में पांच साल का शिक्षण अनुभव या अनुसंधान अनुभव होने पर ही शिक्षक को निरीक्षक नियुक्त करने का पात्र माना जाएगा।

15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं :- वजीफ़ा और आकस्मिकता, कन्टिन्जेंसी केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय ,द्वारा नियंत्रित (जैसा भी मामला हो) संस्थानों में उनके द्वारा तय दरों पर दी जाएगी।

16. शिक्षक -छात्र अनुपात - (1) शिक्षक -छात्र अनुपात स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या प्रत्येक वर्ष प्रवेशित स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या प्रोफेसर (1:3), रीडर (1:2) या एसोसिएट प्रोफेसर जारी रखा जाएगा।

(2) लैक्चरर या सहायक/प्रोफेसर जिन्हें पाँच वर्ष का अध्ययन अनुभव होगा शिक्षक छात्र अनुपात (1:1) होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्रों की अधिकतम संख्या :-

किसी भी विशेषता में प्रतिवर्ष छात्रों की अधिकतम संख्या बारह से अधिक नहीं होगी

18. निर्देश का माध्यम :-

शिक्षा का माध्यम उर्दू या हिंदी या किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी होगी।

19. शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं - स्नातकोत्तर शिक्षकों हेतु शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं निम्नवत् होगी-

(क) अनिवार्य :- (i) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा में स्नातक उपाधि।

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित अथवा समवर्गी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता

(ख) वांछनीय :-

(i) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव;

(ii) संबंधित विषय पर प्रकाशित मूल पत्र अथवा पुस्तकें;

(iii) अरबी या फ़ारसी या अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान।

(ग) अनुभव :-

(i) प्राध्यापक के लिए: संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा 5 वर्षों का संबंधित विषय में प्रवाचक का अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 10 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।

(ii) प्रवाचक के लिए: संबंधित विषय में कुल 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 5 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।

(iii) व्याख्याता के लिए: प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

(घ) संस्था के प्रमुख के पद के लिए अर्हता एवं अनुभव : संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के इन पदों के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव अनिवार्य होगा।

(ङ) समवर्गी विषयों हेतु प्रावधान :- यूनानी की अपेक्षित विशिष्टता जैसाकि कॉलम 2 की तालिका में उल्लिखित है में स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में समवर्गी विषयों जैसा कि कॉलम 3 की तालिका में उनके सामने उल्लिखित है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि धारक प्राध्यापक, प्रवाचक एवं व्याख्याता के लिए पात्र समझे जाएंगे -

क्रम संख्या	विषय	समवर्गी विषय
1.	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत अथवा कुल्लियाते तिव
2.	मुनाफेउल आजा	कुल्लियाते तिव
3.	सैदला	इल्मुल अदविया
4.	महियातुल अमराज	मोआलाजात अथवा कुल्लियाते तिव
5.	इलाज बिल तदबीर	मोआलाजात अथवा तहफफुजी वा समाजी तिव
6.	अमराजे जिल्द	मोआलाजात
7.	अमराजे उज्ज, अनफ, हलक वा असनान	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
8.	अमराजे ऐन	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
9.	इल्मुल अत्फल	मोआलाजात अथवा कबालत वा अमराजे निस्वान

टिप्पणी 1 : यह उपबन्ध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पांच वर्ष तक जारी रहेगा।

टिप्पणी 2 : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 के आधार पर पूर्व नियुक्त शिक्षक इस उपबन्ध के प्रकाशित होने पर अनुपयुक्त नहीं माने जाएंगे।

टिप्पणी 3 : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 के आधार पर पूर्व नियुक्त शिक्षक सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता के बिना प्राध्यापक, प्रवाचक और व्याख्याता के पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी 4 : सम्बन्धित विषयों में प्राध्यापक और प्रवाचक के पद पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए गैर स्नातकोत्तर व्याख्याता तथा प्रवाचक को कम से कम क्रमशः तेरह और आठ वर्षों का अध्यापन अनुभव रखना होगा। परन्तु यह उपबन्ध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों तक लागू रहेगा।

टिप्पणी 5 : नियमित रूप से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक के अनुसंधान अनुभव को एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समान समझा जाएगा।

20. अनुमति की प्रक्रिया पूरा होने की तारीख एवं यूनानी संस्था में दाखिले की कट-ऑफ- डेट -

- (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश का अनुदान या अनुमति देने से इन्कार करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी।
- (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कट-ऑफ-डेट प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर होगी।

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

टिप्पणी: अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No.11-77/2016-Unani (P.G. Regl.)— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Unani Education) Regulation, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the education of post-graduate course in Unani medicine, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) "Council" means the Central Council of Indian Medicine;

(c) "recognised institution" means an approved institution as defined under clauses (a) and (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. Aims and objects.- The aims and objects of the post-graduate degree courses in Unani medicine shall be to provide orientation of specialties and super specialties in Unani medicine and to produce experts and specialists, who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, pharmaceutical experts and researchers in their respective fields.

4. Specialities for post-graduate degree courses.- The post-graduate degrees shall be allowed in the following specialities as under:-

Table - A
Mahire Tib (Doctor of Medicine)

Sl. No.	Name of specialty	Clinical or Non-clinical	Nearest terminology of modern subject
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulliyate Tib	Non-Clinical	Basic Principles of Unani medicine
2	Munafe ul Aza	Non-Clinical	Physiology
3	Ilmul Advia	Non-Clinical	Pharmacology
4	Ilmul Saidla	Non-Clinical	Pharmacy
5	Tahaffuzi wa Samaji Tib	Non-Clinical	Preventive and Community medicine
6	Amraze Atfal	Clinical	Paediatrics
7	Moalajat	Clinical	Medicine
8	Mahiyatul Amraz	Non-Clinical	Pathology
9	Ilaj bit Tadabeer	Clinical	Regimen therapy
10	Amraze Jild wa Tazeeniyat	Clinical	Dermatology and Cosmetics

Table - B
Mahire Jarahat (Master of Surgery)

Sl. No.	Name of specialty	Clinical or Non-clinical	Nearest terminology of modern subject
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Tashreehul Badan	Non-Clinical	Anatomy
12	Ilmul Jarahat	Clinical	Surgery
13	Amraze Uzn, Anf wa Halaq	Clinical	Diseases of Ear, Nose and Throat
14	Qabalat wa Amraze Niswan	Clinical	Obstetrics and Gynaecology

5. Nomenclature of post-graduate degree.- The nomenclature of post-graduate degree in respective specialities shall be as under:-

Table - A
Mahire Tib (Doctor of Medicine)

Sl.No. (1)	Nomenclature of speciality or degree (2)	Abbreviation (3)
1.	Mahire Tib –Kulliyate Tib	M.D. (Unani) - Basic principles of Unani medicine
2.	Mahire Tib –Munafeul Aza	M.D. (Unani) - Physiology
3.	Mahire Tib –Ilmul Advia	M.D. (Unani) - Pharmacology
4.	Mahire Tib –Ilmul Saidla	M.D. (Unani) - Pharmacy
5.	Mahire Tib –Tahaffuzi waSamaji Tib	M.D. (Unani) - Preventive and Community medicine
6.	Mahire Tib –Amraze Atfal	M.D. (Unani) - Paediatrics
7.	Mahire Tib -Moalajat	M.D. (Unani) - Medicine
8.	Mahire Tib –Mahiyatul Amraz	M.D. (Unani) - Pathology
9.	Mahire Tib -Ilaj bit Tadabeer	M.D. (Unani) - Regimenal therapy
10.	Mahire Tib –Amraze Jild	M.D. (Unani) - Dermatology

Table - B
Mahire Jarahat (Master of Surgery)

Sl.No. (1)	Name of speciality (2)	Abbreviation (3)
11.	Mahire Jarahat-Tashreehul Badan	M.S. (Unani) - Anatomy
12.	Mahire Jarahat-Ilmul Jarahat	M.S. (Unani) - Surgery
13.	Mahire Jarahat-Amraze Uzn, Anf wa Halaq	M.S. (Unani) - Diseases of Ear, Nose and Throat
14.	Mahire Jarahat- Qabalat wa Amraze Niswan Tibb	M.D. (Unani) - Obstetrics and Gynaecology

6. Minimum requirement for post-graduate institution where under-graduate course is in existence.- The post-graduate institute where under-graduate course is in existence shall fulfil following requirements namely:-

- (1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate courses.
- (2) The institute shall satisfy the entire minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
- (3) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related specialty and subject as specified in Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
- (4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (5) The existing post-graduate Institutions shall fulfil this requirement as specified in sub-regulation (4) above before 31st December, 2016.
- (6) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.
- (7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the speciality which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.
- (9) In each of the department of Tashreehul Badan, Munafeul Aza, Ilmul Advia, Saidla, Mahiyatul Amraz and Jarahat, the following non-teaching staff shall be required in addition to the under-graduate staff requirement:
 - (i) Laboratory technician - 1 (one)
 - (ii) Laboratory assistant - 1 (one)
 - (iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker - 1 (one).
- (10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with speciality-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

- (11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in sub-regulation (10).
- (12) The post-graduate in non-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 1 to 5, 8 and 11 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in sub-regulation (10);
- (13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in sub-regulation (10).
- (14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (i.e. 365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent. and minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and two hundred patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.
- (15) In clinical departments, the additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

7. Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence - The post-graduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfil following requirements namely:-

- (1) The institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time, in which post-graduate course is being conducted.
- (2) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
- (3) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (4) The existing post-graduate Institutions shall fulfil the requirement as specified in sub-regulation (3) above before 31st December, 2016.
- (5) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.
- (6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties; one Professor, one Reader/Associate Professor and one Lecturer/Assistant Professor; or one Professor or Reader/Associate Professor and two Lecturers/Assistant Professors in each concerned subject or specialty.
- (7) Consultants or part time teachers in concerned speciality as specified in as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time shall be engaged for teaching on part time basis.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or specialty from the academic session 2017-18.
- (9) In each of the department of Tashreehul badan, Munafeul Aza, Ilmu Advia, Saidla, Mahiyatul Amraz and Jarahat, the following non-teaching staff shall be required:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).
- (10) In each of department other than these departments specified in sub-regulation (9) above, following non-teaching staff shall be required:

(i) Office Assistant or Data entry operator	-	1 (one)
(ii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).
- (11) Minimum seventy-five beds in In-Patient Department of the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.
- (13) Nineteen post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (11) and for more than nineteen post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in sub-regulation (11).

- (14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-Patient Departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulation (11) and (12).
- (15) The institute conducting post-graduate course in non-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-Patient Departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient Departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

Note.-The vacant post may be filled up on contractual basis with the retired Professors or Readers or Associate Professors or Lecturers or Assistant Professors below the age of sixty-five years in any department, till the regular appointment is made.

8. Mode of admission.- (1) Regular Candidates: (a) A person holding degree of Kamile Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) or equivalent degree from a recognised University or institution included in the Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and enrolled in the Central or State Register of Indian System of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree courses;

- (b) The State Government or University concerned shall conduct the admission process;
- (c) The Selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent. weightage to the post-graduate entrance test (PGET) and twenty per cent. weightage to the marks obtained in under-graduate course;
- (d) The post-graduate entrance test (PGET) of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Kamile Tib O Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) course;
- (e) A candidate possessing post-graduate degree in one subject of Unani medicine shall not be allowed admission in any other subject of Unani medicine for post-graduate course for the next five years;
- (f) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent. of the total marks, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent. and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.;
- (g) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (f);
- (h) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (f);
- (i) Reservation for all categories shall be applicable as per the policy of the Central Government or the concerned State Government;
- (j) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

(2) In-service candidates: (a) The applicant shall be in service minimum for a period of five years in the concerned subject in a recognized or approved Unani medical college;

- (b) The applicant shall appear in the post-graduate entrance test (PGET) and obtain qualifying marks in it;
- (c) The candidate shall take three years leave from the concerned office. He shall be given admission against the seat allocated by the University for teachers. (one seat in each subject shall be allocated for in-service teaching candidate by the University);
- (d) Other conditions shall remain same as in case of a regular candidate.

9. Duration of course and attendance.- (1) The student shall have to undergo study for a period of three years after the admission.

- (2) The student shall have to attend minimum seventy-five per cent. of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.
- (3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to him during the course of study.
- (4) The students of clinical subject shall have to do Resident duties in their respective departments and student of non-clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy or Herbal Garden or Laboratory during the course of study.
- (5) The students shall attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as arranged by the teaching departments.

- (6) The maximum duration for completion of the course shall not exceed beyond the period of six years from the date of admission to the course.
- (7) Web based centralised biometric attendance system shall be required for the attendance of post-graduate student's and manual attendance at department level in which student is pursuing the post-graduate course.

10. Method of training.- (1) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Unani.

- (2) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.
- (3) The emphasis shall be given on intensive applied and hands on training.
- (4) The students shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of information technology.
- (5) In clinical subjects, students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.
- (6) The student shall undertake training in teaching technology and research methods and shall participate in the teaching and training programs of under-graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.
- (7) In the clinical training, the student shall have to acquire the knowledge of independent work as a specialist.
- (8) In the specialties of Moalajat, Ilmu Jarahat, Amraze Uzn, Anf wa Halaq and Qabalat wa Amraze Niswan the student shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

11. Dissertation.- (1) Central Scientific Advisory Post Graduate Committee appointed by Central Council of Indian Medicine shall suggest the areas of Research and topics to be focussed every academic year to make campaigning of evidence based Unani to the need of global standards and achieve publications and the same shall be followed by University Committee while approving the Dissertation title.

- (2) The title of the dissertation along with the synopsis, with approval of the Ethics Committee constituted by the institute as per regulations of concerned recognised University or guidelines of Indian Council of Medical Research (ICMR), shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to post-graduate course.
- (3) If a non-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the specialty concerned for preparing the thesis.
- (4) A copy of the synopsis of the dissertation shall be submitted to the Central Council of Indian Medicine's Scientific Committee before submitting to the University.
- (5) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (2), his terms for final post-graduate course shall be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.
- (6) The synopsis of the proposed scheme of work shall indicate the expertise and action plan of work of the student relating to the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide (if any).

The University shall approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.

- (7) A Board of Research Studies shall be constituted by the University for approving the title.
- (8) The University shall display the approved synopsis of dissertation on their website.
- (9) The subject of every dissertation shall be research oriented, practical oriented, innovative and helpful in the development of Unani system and the subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.
- (10) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.
- (11) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.
- (12) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.
- (13) The dissertation shall consist critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary, conclusion and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.
- (14) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.
- (15) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words

- (16) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Lecturer having post-graduate degree or Visiting Professor or a contractual faculty in the post-graduate departments. Visiting faculty will not be considered in teaching strength.
- (17) A non-post-graduate teacher, for providing guidance to the post-graduate scholars, shall have minimum five years teaching experience in the concerned or allied subject.
- (18) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.
- (19) The dissertation shall be assessed by two external and two internal examiners appointed by the University.
- (20) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (19) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.
- (21) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.
- (22) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.
- (23) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned speciality.

12. Examination and assessments.- (1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner:-

- (a) the preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;
 - (b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;
 - (c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;
 - (d) for being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;
 - (e) the student shall be required to obtain aggregate fifty per cent. marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass;
 - (f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass before appearing in the final examination;
 - (g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he may appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;
 - (h) the subsequent examination for failed candidates will be conducted at every six months interval; and
 - (i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.
- (2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the speciality and his fitness to work independently as a specialist.
 - (3) The clinical examination shall be judge the competence of the student in Unani and scientific literature of the speciality.
 - (4) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or speciality

13. Subjects of examination.- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:-

Paper I-

- Part A- Research Methodology;
- Part B- Bio or Medical Statistics;

Paper II-

- Part A- Applied aspects of fundamentals regarding concerned subjects;
- Part B- Concerned subject.

- (2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the speciality opted by him as under:-
 - (a) study of literature related to speciality;
 - (b) regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;
 - (c) practical training of research work carried out in the department, for student of non-clinical subject;
 - (d) participation in various seminars, symposia and discussions; and
 - (e) progress of the work done on the topic of dissertation.

- (3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) shall be done before the preliminary examination.
- (4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.
- (5) There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.
- (6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

14. Mode of examination and appointment of examiner(s).- (1) The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical, clinical and oral examination.

- (2) The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.
- (3) A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or specialty shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

15. Facilities for post-graduate students.-The stipend and contingency shall be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

16. Teacher - student ratio.- (1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained as one is to three (1:3) in case of Professor, one is to two (1:2) in case of Reader or Associate Professor.

- (2) The teacher student ratio shall be one is to one (1:1) in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum five years teaching experience.

17. The maximum number of students in post-graduate course.- The maximum number of students per year per speciality shall not exceed twelve.

18. Medium of instruction - The medium of instruction shall be Urdu or Hindi or any recognised regional language or English.

19. Qualifications and Experience for teaching staff.- The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

- (i) A Bachelor degree in Unani Medicine from a University as recognised under the Act;
- (ii) a Post-graduate degree in the subject or speciality concerned included in the Schedules to the Act.

(b) Desirable-

- (i) post-graduate teaching experience in the respective discipline;
- (ii) original published papers or books on the concerned subject;
- (iii) good knowledge of Arabic or Persian and English.

(c) Experience-

- (i) **For the post of Professor:** Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in journal.
- (ii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in journal.
- (iii) **For the post of Assistant Professor or Lecturer** at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

(d) Qualification and experience for the post of Head of the Institution – The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor .

(e) Provision for allied subjects: In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

S. No	Subject	Allied Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Tashreehul Badan	Ilmul Jarahat or Kulliyate Tib

2.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
3.	Saidla	Ilmul Advia
4.	MahiyatulAmraz	Moalajat or Kulliyate Tib
5.	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
6.	Amraze Jild	Moalajat
7.	Amraze Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	Ilmul Jarahat or Moalajat
8.	Amraze Ain	Ilmul Jarahat or Moalajat
9.	Ilmul Atfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The teacher(s) who had been considered eligible in the past on the basis of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Education) Regulations, 1979 and the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Unani Education) Regulations, 2007, shall not be considered ineligible after publication of these regulations.

Note 3: Teachers who are working in recognized Unani medical colleges and appointed prior to year 2007 shall be eligible for appointment or promotion for post of Professor, Reader and Lecturer in the respective discipline without post-graduate qualification.

Note 4: For appointment or promotion to the post of Professor and Reader in the respective disciplines, the non-post-graduate Lecturer and Reader shall have minimum thirteen years, and eight years of teaching experience respectively. Provided that this provision shall continue for five years from the date of publication of this notification in official Gazette.

Note 5: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience

20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admissions in Unani Colleges.- (1) The process of grant or denial of permission to the Unani colleges for taking admissions in post-graduate courses shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admissions in post-graduate courses shall be 30th September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./290(124)]

Note - If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016 the English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 18-12/2016 सिद्ध (सिलेबस-यू.जी.) - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-11 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुसूची-II

(विनियम 6 देखें)

सिद्ध मरुथुवा अरिग्नार पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम स्तर

1. उद्देश्य एवं प्रयोजन

सिद्ध की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के ज्ञान सहित सिद्ध का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक तैयार करना होगा जो कि स्वास्थ्य-सेवा कार्य करने में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष सिद्ध के काय-चिकित्सक एवं शल्य-चिकित्सक होंगे।

2. प्रवेशार्हता :- सिद्ध की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-

(क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में 50: समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों 10+2 के बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।

(ग) अभ्यर्थी ने दसवी कक्षा या हायर सैकन्डरी पाठ्यक्रम तमिल विषय सहित उत्तीर्ण किया हो।

(घ) जो अभ्यर्थी उपर्युक्त खण्ड (ग) के अधीन नहीं आता है उसे प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में तमिल का अध्ययन करना होगा।

(ङ) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

3. पाठ्यक्रम की अवधि :- पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष एवं छः माह होगी

जिसमें समाविष्ट है-

(क) प्रथम व्यावसायिक	-	12 माह
(ख) द्वितीय व्यावसायिक	-	12 माह
(ग) तृतीय व्यावसायिक	-	12 माह
(घ) अंतिम व्यावसायिक	-	18 माह
(ङ) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश	-	12 माह

4. प्रदान की जाने वाली उपाधि :-

अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को पूर्ण करने के पश्चात् सिद्ध मरुथुवा अरिग्नार (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. शिक्षा का माध्यम :-पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम

तमिल अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

6. परीक्षा की प्रणाली:- (1)

(क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर होगी।

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा:-

(i) सिद्ध मरुथुवा अदिप्पडई थाथुवनगलुम वरालारूम (इतिहास एवं मौलिक सिद्धान्त ऑफ सिद्ध चिकित्सा);

(ii) तमिल भाषा और अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी (जहां लागू है);

(iii) उयीर वेधियाल (बायो कैमिस्ट्री);

(iv) मरुथुवा थवारलयाल (मेडिसिनल बॉटनी एवं फार्माकोलॉजी) ; एवं

(v) नुन्नुयिरियाल (माईक्रो बायोलॉजी)

(ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण करने के अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।

(2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा:-

(i) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) पेपर I;

(ii) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) पेपर II;

(iii) उडल थथुवम (फिजियोलॉजी) पेपर I;

(iv) उडल थथुवम (फिजियोलॉजी) पेपर II;

(v) सिद्ध मरूथुवा मूलीगई अरिवियाल (सिद्ध मेडिसनल हर्बल साईन्स); एवं

(vi) सिद्ध मरूथुवा कनिमा, कनिमा वेथियाल एवं सिद्ध मरूथुवा विलानगियल (सिद्ध मेडिसनल जियोलोजी, मेडिसनल कैमेस्ट्री एवं मेडिसनल जूलोजी)

(ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय अधिकतम तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।

(3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-

(i) नोई नाडल-पेपर I (सिद्ध पैथोलॉजी);

(ii) नोई नाडल-पेपर II (प्रीसिपल्स ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी);

(iii) नोई अनुगाविधी ओझुककम (हाईजीन एवं कम्प्यूनिटी मेडिसिन इन्कुलिडिंग नेशनल हेल्थ पोलिसिज एवं स्टेटीक्स);

(iv) सत्तम सार्न्थ मरूथुवमुम नन्जू मरूथुवमुम (फोरेन्सीक मेडिसिन एवं टोक्सीकोलॉजी); एवं

(v) रीसर्च मेथोडोलॉजी एवं मेडिकल स्टेटीक्स

(ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे अधिकतम तीन वर्षों में तृतीय व्यावसायिक परीक्षा चार अधिकतम अवसरों में उत्तीर्ण करने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) अनुसंधान प्रणाली के शैक्षणिक अध्ययन हेतु पार्ट-टाईम बायो-स्टेटिशन की अनुसंधान प्रणाली की शिक्षा देने हेतु आवश्यकता होगी।

(4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र 1 वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के 1) वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे :-

(i) मरूथुवम (मेडिसिन);

(ii) वर्मम, पुरामरूथुवम एवं सिरापू मरूथुवम (वर्मम थेरापी, एक्सर्टनल थेरापी एवं स्पेशल मेडिसिन);

(iii) अरुवई, थोल मरूथुवम सर्जरी इन्कुलिडिंग डेन्टीस्ट्री एवं डेरमाटोलॉजी);

(iv) सूल,मगालिर मरूथुवम (ओब्स्टेट्रीक्स एवं ग्यनाकोलॉजी); एवं

(v) कुझन्थई मरूथुवम (पेडियाट्रिक्स)

(ग) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की बर्सेते छात्र की गम्भीर व्यक्तिगत बिमारी एवं अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्बन्धित विश्वविद्यालय का उप-कुलपति किसी भी व्यावसायिक परीक्षा में एक और अवसर दें अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश प्रोग्राम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को उपर्युक्त सभी अवसरों अनुसार अधिकतम नो वर्षों में उत्तीर्ण करना होगा।

7. **अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश** - (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षाओं के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय विभाजन निम्न प्रकार होगा:-

(क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;

(ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा;

(घ) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा;

बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार की अनुमति सिद्ध स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नहीं है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश आयुर्वेद महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

(3) महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
1.	मरूथुवम	पैंतालिस दिन	तीन माह
2.	वर्मम, पुरमारूथुवम एवं सिराणू मरूथुवम	पैंतालिस दिन	तीन माह
3.	अरूवई, थोल मरूथुवम	एक माह	दो माह
4.	सूल, मगालीर मरूथुवम	एक माह	दो माह
5.	कुडन्थई मरूथुवम	पन्द्रह दिन	एक माह
6.	अवसारा मरूथुवम	पन्द्रह दिन	एक माह

(4) प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;

(ग) मान्य एवं अनुमोदित आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल;

(घ) कोई मान्य या अनुमोदित सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय

उपर्युक्त सभी संस्थान जो खण्ड (क) से (घ) तक अंकित हैं सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षु के प्रशिक्षण करने हेतु मान्य हो।

(5) विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

महाविद्यालय के साथ संलग्न सिद्ध अस्पताल में 06/12 माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश एवं प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

(क) मरूथुवम-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह एवं 15 दिन या तीन माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-

(i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूपण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का सिद्ध चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन;

(ii) नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमाग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्टीवन परीक्षण, एवं मल परीक्षा आदि। सिद्ध पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जाँच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना;।

(iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

(ख) **वर्मम:-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह पन्द्रह दिन या तीन मास निम्न क्रियाकलापों के साथ होगी :-**

(i) वर्मम बिन्दुओं की किस्म का निर्धारण;

(ii) वर्मम प्रक्रिया एवं तकनीकी उपयोग से विभिन्न रोग विज्ञान की अवस्थाओं का निदान;

(iii) अन्तरंग एवं बाह्य चिकित्सा सहित इलाक्कुरुरई-गल प्रक्रिया;

(iv) थोकानम पर विशेष महत्व सहित विभिन्न पुरामारूथुवम प्रक्रिया एवं तकनीक;

(v) अस्थि-भंग और विस्थापन एवं उनका प्रबन्धन;

(vi) जराचिकित्सा केयर (मूपियल);

(vii) साईकेट्रिक केशों का प्रबन्धन (उलापिराज नोई); एवं

(viii) कायाकर्म (रेजुवेनेशन थेरपी एवं योगम);

(ग) **अरुवई एवं थोल मरुथुवम :-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

- (i) सिद्ध सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
- (ii) अवश्यभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन;
- (iii) सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण;
- (iv) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
- (v) संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग;
- (vi) विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि;
- (vii) नेत्र, कान, नाक, गला एवं शरीर के अन्य अंगों की सहायक साधनों के साथ जॉच
- (viii) शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-

(क) ताजा कटे/घाव को टांका लगाना;

(ख) घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी;

(ग) फोड़े का चीरा;

(घ) रसौली का उच्छेदन;

(ङ.) शिरा शल्य क्रिया इत्यादि;

(च) गुदा रोगों में कारानूल का अनुप्रयोग

(ix) बाह्य रोगी विभाग स्तर से जैसे अंजनम, नसियाम, अहार्ड विडल प्रक्रिया ।

(x) सामान्य दांत, अव्यवस्था निर्धारण एवं प्रबन्धन

(xi) रक्तदान बैंक एवं रक्त आधान प्रक्रिया का प्रशिक्षण;

(घ) **सुल, मगालीर मरुथुवम -** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

(i) एन्टीनेटल एवं पोस्ट नेटल समस्याएं एवं उनकी उपचार एवं एंटीनेटल एवं पोस्ट नेटल देखरेख;

(ii) सामान्य एवं अनियमित प्रसव प्रबन्धन; एवं

(iii) लघु एवं बड़ी प्रसूति शल्य प्रक्रियाएं

(ङ) **कुंझनथई मरुवथुवम -** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

(i) प्रतिरक्षण प्रोग्राम सहित नए पैदा हुए शिशु के देखरेख; एवं

(ii) महत्वपूर्ण चिकित्सा समस्याएं एवं उनका प्रबन्धन

(च) **अवसारा मरुवथुम -** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-

(i) आहत एवं अभिघात प्रकरणों की पहचान एवं प्रथम लाईन प्रबन्धन; एवं

(ii) उनको चिह्नित अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया

(6) विशिखानुप्रवेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल अथवा सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय-

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्य अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण में परिचित होना चाहिए;
- (ii) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित विमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;
- (iii) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहिये तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये;
- (iv) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी, स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;
- (v) राज्य/जिला सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।
- (7) ग्रामीण सिद्ध औषधालय एवं अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण - ग्रामीण सिद्ध औषधालय एवं अस्पताल में छः माह के विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को

- (i) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित विमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;
- (ii) ग्रामीण जनसंख्या एवं विभिन्न प्रतिरक्षण योजनाओं के स्वास्थ्य रक्षण अध्यापन में सम्मिलित होना।

8. मूल्यांकन :- विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

9. विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण: (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।

(2) यदि स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय से महाविद्यालय का है परन्तु विश्वविद्यालय वही है तो मात्र दोनो महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति संस्थान या महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. परीक्षा: (1) सिद्धान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और 50 प्रतिशत व्यवहारिक या नैदानिक जो प्रत्येक विषय में लागू है।

(2) विषय में 75: अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।

(3) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

(4) परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम 75: उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। ऐसे मामलों में नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।

(6) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-

(क) उपस्थिति में नियमितता

(ख) आवधिक परीक्षा एवं

(ग) प्रयोगात्मक कार्य

11. स्थानान्तरण: (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चित व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

12. प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त/क्रियात्मक मौखिक के लिये अंक

विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंको का विवरण			
	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल
प्रथम व्यावसायिक							
1. सिद्ध मरुथुवा अदिप्पडई थाथुवनगलुम वरालारू (हिस्ट्री एवं फण्डामेन्टल प्रीसिपल ऑफ सिद्ध मेडिसिन)	150	---	150	एक	100	---	100
2. विनियम 2 के खण्ड (बी) एवं (सी) प्रवेश के लिए योग्यता तमिल भाषा लागू है	100	---	100	एक	100	---	100
3. अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी	100	---	100	एक	100	---	100
4. उयीर वेधियाल (बायो-कैमिस्ट्री)	150	100	250	एक	100	100	200
5. मरुथुवा थावरा इयल (मेडिसनल बोटनी एवं फार्माकोनोजी)	200	100	300	एक	100	100	200
6. नुन्नुयिरीयल (माईक्रो बायोलोजी)	100	100	200	एक	100	100	200
द्वितीय व्यावसायिक							
1. उडल कूरुगल (एनाटोमी)	200	150	350	दो	200	100	300
2. उडल थाथुवम (फिजियोलोजी)	150	100	250	दो	200	100	300
3. गुणापदम- मरुथुइयल (फार्माकोलोजी)	200	100	300	दो	200	100	300
4. गुणापदम- मरुन्थाकावियल (फार्मासीयोटिकल्स)	200	100	300	दो	200	100	300
तृतीय व्यावसायिक							
1. नोई नाडल-पेपर I (सिद्ध पैथोलोजी)	200	100	300	एक	100	100	200
2. नोई नाडल-पेपर II (प्रीसिपल ऑफ मॉडर्न पैथोलोजी)	150	100	250	एक	100	100	200
3. नोई अनुगाविधी ओझुक्कम (हाईजीन एवं कम्यूनिटी मेडिसिन इन्कुलिडिंग नेशनल हेल्थ पोलिसिज एवं स्टेटिक्स)	100	---	100	एक	100	---	100
4. सत्तम सारन्था मरुथुवम नन्नु मरुथुवामुम (फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टाक्सीकोलोजी)	150	100	250	एक	100	100	200
5. रिसर्च मेथोडोलोजी एवं मेडिकल स्टेटिक्स	100	---	100	एक	100	---	100
अन्तिम व्यावसायिक							
1. मरुथुवम (मेडिसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
2. वर्मम, पुरामरुथुवम एवं सिरापूमरुथुवम (वर्मम थेरापी एक्सर्टनल थेराप एवं स्पेशल मेडिसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
3. अरुवई, थोल मरुथुवम (सर्जरी इन्कुलिडिंग डेन्स्ट्री एवं डर्माटोलोजी)	150	200	350	एक	100	100	200
4. सुल, मगालीर मरुथुवम (ओब्स्टेट्रीक्स एवं ग्यानाकोलोजी)	100	175	275	एक	100	100	200
5. कुझन्थई मरुथुवम (पेडियाट्रिक्स)	100	175	275	एक	100	100	200

13. शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव:- शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताये एवं अनुभव निम्नवत होंगे :-

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(i) विश्वविद्यालय से सिद्ध में बैचलर उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य हों; एवं

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य सिद्ध में स्नातकोत्तर अर्हता ।

बशर्ते इस अधिसूचना के लागू होने से पूर्व शिक्षक जो स्नातकीय सिद्ध उपाधि एवं उच्च अर्हता के आधार पर सम्बन्धित विषय हेतु नियुक्त किए गये हैं एवं उनकी अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य नहीं उन्हे उनके शिक्षक अनुभव के आधार पर उनके वर्तमान पद पर अयोग्य नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हे अगले पद पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य सिद्ध स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति दी जाएगी; एवं

(iii) तमिल या अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी मेडिकल बोर्डनी एवं फार्माकोगनोसी बायोकेमिस्ट्री, एनाटामी, फिजियोलोजी, माइक्रो बायोलोजी विषयों के लिए सम्बन्धित विषय हेतु मान्य विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) अनुभव:

(i) संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य या डीन या निदेशक) के पद के लिए अर्हता :- प्रोफेसर के पद के लिए विहित योग्यता एवं अनुभव संस्थान के प्रधानाचार्य या डीन या निदेशक के लिए भी यथावत होगी

(ii) प्राध्यापक पद के लिये: दस वर्ष का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या पांच वर्ष का एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान में दस वर्ष का नियमित सेवा का अनुसन्धान अनुभव कम से कम पांच पत्र मान्य जर्नल में प्रकाशन सहित।

(iii) रीडर या सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद के लिए: पांच वर्ष का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थान में पांच वर्ष का अनुसन्धान का नियमित सेवा का अनुभव कम से कम तीन कागजात मान्य जर्नल में प्रकाशन सहित ।

(iv) सहायक-आचार्य (व्याख्याता) के पद के लिये: प्रथम नियुक्ति के समय आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें वर्तमान नियमा अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी :- डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी उपाधि धारक को एक वर्ष का अध्यापन अनुभव माना जा सकता है।

14. सिद्ध में परीक्षक की नियुक्ति:- संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले नियमित/सेवानिवृत्त अध्यापक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

विलीनित अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No. 18-12/2016 Siddha (Syllabus UG)-In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for the Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE II

(See regulation 6)

MINIMUM STANDARD FOR SIDDHA MARUTHUVA ARIGNAR COURSE

1. Aims and Objects.- The Bachelor of Siddha education shall aim at producing graduates of profound scholarship having deep basis of Siddha with scientific knowledge in accordance with fundamentals with extensive practical training so as to become efficient physicians and surgeons of Siddha system, fully competent to serve the health care services of the country.

2. Eligibility for admission.- The eligibility to seek admission in Bachelor of Siddha education are as under-

- (a) 12th standard with science or any other equivalent examination recognised by any University or Boards with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.
- (b) For reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in marks for admission in Bachelor of Siddha Medicine and Surgery as per rules for time being in force.
- (c) Candidates shall have passed Tamil as one of the subjects in the 10th Standard or in Higher Secondary course.
- (d) Candidates who are not covered under clause (c) above, have to study Tamil as a subject during the First Professional course.
- (e) For foreign students any other equivalent qualification to be approved by the concerned authorities may be allowed.

3. Duration of course.- The duration of the course shall be five years and six months comprising:-

- (a) First Professional - Twelve months;
- (b) Second Professional - Twelve months;
- (c) Third Professional - Twelve months;
- (d) Final Professional - Eighteen months;
- (e) Compulsory Rotatory Internship - Twelve months.

4. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery-B.S.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the course of study extending over the period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

5. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be Tamil or Hindi or any recognised regional language or English.

6. Scheme of examination.- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session.

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine];
- (ii) Tamil Language or Communicative English (wherever applicable);
- (iii) Uyir Vedhiyiyal (Bio-Chemistry);
- (iv) Maruthuva Thavaralyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy); and
- (v) Nunnuyiriyal (Micro Biology).

(c) The failed student of first Professional shall be allowed to appear in second Professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third Professional examination unless the student passes all the subjects of first Professional examination and maximum four chances shall be given to pass first Professional examination within a period of maximum three years.

(2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session.

(b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Udal Koorugal (Anatomy) Paper I;
- (ii) Udal Koorugal (Anatomy) Paper II;
- (iii) Udal Thathuvam (Physiology) Paper I;
- (iv) Udal Thathuvam (Physiology) Paper II;
- (v) Siddha Maruthuva Mooligai Ariviyal (Siddha Medicinal Herbal Science); and
- (vi) Siddha Maruthuva Kanima, Kanima vethiyal and Siddha Maruthuva Vilangiyal (Siddha Medicinal Geology, Medicinal Chemistry and Medicinal Zoology).

(c) The failed student of second Professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third Professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second Professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.

(3) (a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session.

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- (i) Noi Naadal -Paper I (Siddha Pathology);
- (ii) Noi Naadal -Paper II (Principles of Modern Pathology);
- (iii) Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics);
- (iv) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology); and
- (v) Research Methodology and Medical-statistics.

(c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.

(d) For the purpose of teaching of Research Methodology, Bio-statistician shall be required as part time to teach Research Methodology.

(4) (a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of December every year after completion of one year and six months of final professional session.

(b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-

- (i) Maruthuvam (Medicine);
- (ii) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special medicine);
- (iii) Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology);
- (iv) Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology); and
- (v) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics).

(c) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in anyone of four professional examinations.

(d) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

7. Compulsory Rotatory Internship.- (1) Duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

(a) the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a work book shall be given to each intern, in which the intern shall enter date wise details of activities undertaken by him during his training;

(b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;

(c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;

(d) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Siddha hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Siddha in the hospital or dispensary of modern medicine, the one-year internship shall be completed in the hospital of Siddha college.

(3) The clinical Training of six or twelve months, as case may be, in the Siddha hospital attached to the college shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Maruthuvam	Forty-five days	Three months
(ii)	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Forty-five days	Three months
(iii)	Aruvai, Thol Maruthuvam	One month	Two months
(iv)	Sool, Magalir Maruthuvam	One month	Two months
(v)	Kuzhanthai Maruthuvam	Fifteen days	One month
(vi)	Avasara Maruthuvam	Fifteen days	One month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- Primary Health Centre;
- Community Health Centre or District Hospital;
- Any recognised or approved hospital of modern medicine;
- Any recognised or approved Siddha hospital or dispensary;

The concerned Government may recognise all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) for taking training by interns.

(5) Detailed Guidelines for internship programme.- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Siddha Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

(a) Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one and half month or three months with following activities:-

- all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Siddha medicine;
- routine clinical pathology work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, neerkuri, neikuri mala parisodhanai, interpretation of laboratory data and clinical findings, and arriving at a diagnosis;
- training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine regime;

(b) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam- The duration of internship in this department shall be one and half month or three months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

- location of types of Varmam points;
- diagnosis of various pathological conditions due to application of Varmam procedures and techniques;
- procedures of Ilakkumuraigal with internal or external medication;
- various Puramaruthuvam procedures and techniques with special emphasize on Thokkanam;
- fractures and dislocations and their management;
- geriatric care (Moopiyal);
- management of psychiatric cases (Ula Pirazhvu Noi); and
- kayakarpam (Rejuvenation therapy and yogam);

(c) Aruvai and Thol Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

- diagnosis and management of common surgical disorders according to Siddha principles;
- management of certain ailments such as fractures and dislocations;
- practical training of aseptic, antiseptics techniques and sterilization;
- intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;
- practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;

(vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;

(vii) examinations of eye, ear, nose, throat and other parts of the body with the supportive instruments;

(viii) surgical procedures and routine ward techniques such as-

(a) suturing of fresh injuries;

(b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(c) incision of abscesses;

(d) excision of cysts;

(e) venesection; and

(f) application of Kaaranool in ano-rectal diseases;

(ix) procedures like Anjanam, Nasiyam, Attaivala at Out-Patient Department level;

(x) diagnosis and management of common dental disorders; and

(xi) training in Blood Bank and transfusion procedures;

(d) Sool, Magalir Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) antenatal and post-natal problems and their remedies; antenatal and post-natal care;

(ii) management of normal and abnormal labours; and

(iii) minor and major obstetric surgical procedures;

(e) Kuzhanthai maruthuvam- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-

(i) care for new born child along with immunisation programme; and

(ii) important pediatric problems and their management;

(f) Avasara maruthuvam (Casualty)- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) identification of casualty and trauma cases and their first line management; and

(ii) procedure for referring such cases to the identified hospitals.

(6) The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine- During the six months internship training in Primary Health Centre, Community Health Centre or District Hospital or any recognized or approved hospital of Modern Medicine or Siddha Hospital or Dispensary, the interns shall-

(i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;

(ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(iii) get familiarised with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programmes; and

(iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(7) Internship training in Rural Siddha dispensary or hospital- During the six months internship training in Rural Siddha dispensary or Hospital, interns shall-

(i) get aquatinted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and

(ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunisation programmes.

8. Assessment.- After completing the assignment in various Sections, the interns have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

9. Migration of internship.-

(1) The migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case the migration is between the colleges of two different Universities.

(2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.

(3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a "No Objection Certificate", as case may be.

10. Examination.- (1) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical, wherever applicable in each subject.

(2) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.

(3) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.

(4) Each student shall be required to maintain of seventy-five per cent. attendance in each subject (in theory and practical) for appearing in the examination.

(5) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he or she shall appear in supplementary examination as regular students, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.

(6) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-

(a) Regularity in attendance;

(b) Periodical tests; and

(c) Practical work.

11. Migration-

(1) The students may be allowed to take the migration to continue their study in another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining "No Objection Certificate" from the Central Council.

12. Number of papers and marks for theory and practical.-

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical or Clinical	Total	Number of papers	Theory	Practical or Clinical (including Viva Voce)	Total
First Professional							
1. Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine]	150	---	150	One	100	---	100
2. Tamil Language applicable as per clauses (c) and (d) of regulation 2 relating to eligibility for admission	100	---	100	One	100	---	100
3. Communicative English	100	---	100	One	100	---	100
4. Uyir Vedhiyiyal (Bio-Chemistry)	150	100	250	One	100	100	200
5. Maruthuva Thavara Iyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	200	100	300	One	100	100	200
6. Nunnuyiriyal (Micro Biology)	100	100	200	One	100	100	200
Second Professional							
1. Udal Koorugal (Anatomy)	200	150	350	Two	200	100	300
2. Udal Thathuvam (Physiology)	150	100	250	Two	200	100	300
3. Gunapadam - Maruthuiyal (Pharmacology)	200	100	300	Two	200	100	300
4. Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	200	100	300	Two	200	100	300
Third Professional							
1. Noi Naadal - Paper I (Siddha Pathology)	200	100	300	One	100	100	200
2. Noi Naadal - Paper II (Principles of Modern Pathology)	150	100	250	One	100	100	200
3. Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics).	100	---	100	One	100	---	100
4. Sattam Saarntha Maruthuvam Nanju Maruthuvam (Forensic Medicine and Toxicology)	150	100	250	One	100	100	200
5. Research Methodology and Medical-statistics	100	--	100	One	100	---	100

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
Final Professional							
1. Maruthuvam (Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
2. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy External Therapy and Special Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
3. Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology)	150	200	350	One	100	100	200
4. Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	100	175	275	One	100	100	200
5. Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	100	175	275	One	100	100	200

13. Qualifications and Experience for teaching staff.- The qualification and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

(i) A Bachelor degree in Siddha from a University or its equivalent as recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and

(ii) A Post-graduate qualification in Siddha recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970:

Provided that the teachers who are appointed before the date of the commencement of this notification with the qualification of Under-Graduate degree in Siddha and with a higher qualification in the subject concerned not recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 shall also be considered eligible in their current designation as per their teaching experience, but they shall be promoted to the next or any other grade only after obtaining Post-Graduate degree in Siddha recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and

(iii) For the subjects of Tamil or Communicative English, Medicinal Botany and Pharmacognosy, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Micro-Biology teachers with Post Graduate degree from a recognised University in the subject concerned may also be appointed.

(b) Experience-

(i) **Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director):** The qualification and experience for the Post of Professor shall be the same for the posts of Principal or Dean or Director;

(ii) **For the Post of Professor:** Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.

(iii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Five years teaching experience in concerned subject or five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal;

(iv) **For the post of Assistant Professor or Lecturer:** The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per rules.

Note: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

14. Appointment of Examiner in Siddha.- No person other than the regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for examinership”.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[Advt. III/4//Exty./290(124)]

Note.- Note- If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016”, the English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 24-14/2016(यू.जी.रेगुलेशन).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-1 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“अनुसूची-1**(विनियम 5 देखें)****1. उद्देश्य एवं प्रयोजन-**

आयुर्वेद की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के ज्ञान सहित अष्टांग आयुर्वेद का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक तैयार करना होगा जो कि स्वास्थ्य-सेवा कार्य करने में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष काय-चिकित्सक एवं शल्य-चिकित्सक होंगे।

2. प्रवेशार्हता - आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-

- (क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते कि अभ्यर्थी ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में कम से कम पचास प्रतिशत समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए 10+2 में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।
- (ग) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

3. पाठ्यक्रम की अवधि- पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष एवं छः माह होगी जिसमें समाविष्ट है-

(क) प्रथम व्यावसायिक	-	12 माह
(ख) द्वितीय व्यावसायिक	-	12 माह
(ग) तृतीय व्यावसायिक	-	12 माह
(घ) अंतिम व्यावसायिक	-	18 माह
(ड.) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश	-	12 माह

4. **प्रदान की जाने वाली उपाधि-** अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, पश्चात् सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को पूर्ण करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी - बी.ए.एम.एस.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. **शिक्षा का माध्यम-** पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

6. परीक्षा की प्रणाली-

- (1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर होगी।
- (ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा:-
 - (i) पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास
 - (ii) संस्कृत
 - (iii) क्रिया शारीर (फिजियोलॉजी)
 - (iv) रचना शारीर (एनाटमी) एवं
 - (v) मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय (सूत्र स्थान)

- (ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।
- (2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारंभ होगा एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया द्वितीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- (ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा:-
- द्रव्यगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी एवं मैटिरिया मेडिका);
 - रस-शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (फार्मास्यूटिकल्स साइन्स);
 - रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (डायग्नोस्टिक प्रोसिजर एवं पैथोलॉजी); एवं
 - चरक-संहिता पूर्वार्द्ध (एक पौराणिक आयुर्वेदिक विषय, भाग-1);
- (ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।
- (3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- (ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-
- अगदतंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक (टॉक्सीकोलोजी एवं मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स)
 - चरक संहिता-उत्तरार्द्ध (एक पौराणिक आयुर्वेदिक विषय, भाग-II)
 - स्वस्थवृत्त एवं योग (प्रीवेन्टिव एण्ड सोशल मेडीसिन एण्ड योग)
 - प्रसूति एवं स्त्रीरोग (ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी) एवं
 - बाल रोग (पीडिएट्रिक्स)
- (ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे तृतीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिये जायेंगे।
- (4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र एक वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष अक्टूबर अथवा नवम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी;
- (ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे :-
- शल्य तंत्र (जनरल सर्जरी);
 - शालाक्य तंत्र (डिसीज ऑफ हैड एवं नैक ओथोलमोलॉजी, ई.एन.टी. एवं डेन्टिस्ट्री को समाविष्ट करते हुए);
 - कायचिकित्सा (इन्टर्नल मेडीसिन-मानस रोग, रासायन एवं वाजीकरण को समाविष्ट करते हुए);
 - पंचकर्म; एवं
 - शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी;
- (ग) शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी संहिता एवं सिद्धान्त अनुभाग में रहेगी लेकिन अध्यापन के उद्देश्य से, शोध पद्धति के अध्यापन हेतु अंश कालिक बायो स्टेटीस्टीसीयन की आवश्यकता होगी;
- (घ) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- (ङ.) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को अधिकतम नौ वर्षों में उपरोक्त अनुसार उत्तीर्ण करना होगा।

7. **अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश-** (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय विभाजन निम्न प्रकार होगा:-

- (क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा;
- (ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड अथवा परिषद् में अपना नाम अस्थायी रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;
- (ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा;
- (घ) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा:

बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नहीं है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश आयुर्वेद महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

3. महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में यथास्थिति छः अथवा बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित गैर-शिक्षण अस्पताल में निम्न प्रकार संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
(i)	कायचिकित्सा	दो माह	चार माह
(ii)	शल्य	एक माह	दो माह
(iii)	शालाक्य	एक माह	दो माह
(iv)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	एक माह	दो माह
(v)	बालरोग-कौमार भृत्य	पन्द्रह दिन	एक माह
(vi)	पंचकर्म	पन्द्रह दिन	एक माह

4. प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा, यथा-

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;
- (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;
- (ग) मान्य एवं अनुमोदित आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल;
- (घ) मान्य एवं अनुमोदित किसी आयुर्वेद अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त सभी संस्थान जो खण्ड (क) से (घ) तक अंकित हैं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित राज्य सरकार के नामित प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण करने हेतु मान्य होगी।

5. विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में छः अथवा बारह माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश एवं प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

(क) **कायचिकित्सा-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि दो माह या चार माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-

- (i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन;
- (ii) नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमोग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्टीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा आदि। आयुर्वेद पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जांच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना;
- (iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना;

- (ख) **पंचकर्म:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एकमास निम्न क्रियाकलापों के साथ होगी :-
- पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात् कर्म संबंधी पंचकर्म प्रक्रिया तथा तकनीक;
- (ग) **शल्य :-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
 - अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन;
 - सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण;
 - प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
 - संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग;
 - विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि;
 - शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-
 - ताजा कटे/घाव को टांका लगाना;
 - घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी;
 - फोड़े का चीरा;
 - रसौली का उच्छेदन;
 - शिराशल्यक्रिया इत्यादि;
 - गुदा रोगों में क्षार-सूत्र का अनुप्रयोग;
- (घ) **शालाक्य:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
 - प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
 - कान, नाक, कंठ, दंत, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया;
 - नेत्र, कान, नाक, कंठ, दृष्टि दोष आदि की तत्सम्बन्धित उपकरणों से बहिरंग विभाग में जाँच;
 - बहिरंग विभाग स्तर पर प्रक्रियाएं, जैसे:- अंजन कर्म, नस्य, रक्तमोक्षण, कर्णपूरण, शिरोधारा, पुट पाक, कवल, गण्डूष इत्यादि;
- (ङ.) **प्रसूति एवं स्त्रीरोग:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा:-
- प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएँ तथा उनका उपचार, प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
 - सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबंधन;
 - लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएँ इत्यादि;
- (च) **बाल रोग:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या पन्द्रह दिन होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों तथा चिकित्सा के द्वारा भी प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएँ तथा उनका उपचार एवं प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर अनुरक्षण;
 - प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल;
 - टीकाकरण योजना के साथ नवजात शिशु की देखभाल; एवं
 - महत्वपूर्ण कौमार भृत्य सम्बन्धी समस्याएँ तथा उनका आयुर्वेदिक प्रबंधन;

(6) विशिखानुप्रवेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल अथवा आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा औषधालय- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्य अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को:

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख के अनुरक्षण में परिचित होना चाहिए;
- (ii) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित बिमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;
- (iii) ग्रामीण जनसंख्या एवं विभिन्न प्रतिरक्षण योजनाओं के स्वास्थ्य रक्षण अध्यापन में सम्मिलित होना;
- (iv) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टाफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहिये तथा इस अवधि में उन्हें स्टाफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये;
- (v) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी, स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;
- (vi) राज्य/जिला सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;
- (vii) अस्पताल में आपातकालीन अनुभाग में आपातकालीन एवं आघात की घटनाओं की पहचान एवं उनके प्राथमिक उपचार और उन चिह्नित अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागेदारी।

8. **मूल्यांकन-** विभिन्न विभागों में उन्हें आवंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

9. **विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण-** (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।

(2) यदि स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय से महाविद्यालय का है परन्तु विश्वविद्यालय वही है तो मात्र दोनो महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. **परीक्षा-** (1) सिद्धान्त परीक्षा में अधिकतम चालीस प्रतिशत तक के अंको के न्यूनतम बीस प्रतिशत लघुत्तरीय प्रश्न तथा अधिकतम साठ प्रतिशत तक के अंको के न्यूनतम चार व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।

- (2) विषय में पचहतर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
- (3) परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक विषय में सिद्धान्त, एवं प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक अथवा मौखिक परीक्षा में जैसा उपयुक्त हो, पृथक-पृथक न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
- (4) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के छः माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
- (5) परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम पचहतर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस संबंध में विभिन्न विषयों के लिये प्रत्येक छात्र हेतु एक कक्षा उपस्थिति कार्ड का अनुरक्षण किया जायेगा। प्रधानाचार्य प्रत्येक व्याख्यान तथा प्रयोगात्मक शिक्षण की अवधि की समाप्ति पर छात्रों तथा शिक्षकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा तथा प्रत्येक परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व अंतिम समापन हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष को कार्ड भेजेगा।
- (6) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण से नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। ऐसे मामलों में नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।
- (7) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-
 - (क) उपस्थिति में नियमितता;
 - (ख) आवधिक परीक्षा; एवं
 - (ग) प्रयोगात्मक कार्य।

11. **स्थानान्तरण-** (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चिति व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

12. (1) प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त तथा क्रियात्मक अथवा मौखिक के लिये अंक-

विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंको का विवरण			
	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल
प्रथम व्यावसायिक							
1. पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास	100	---	100	दो	200	---	100
2. संस्कृत	200	---	200	एक	100	---	100
3. क्रिया शारीर	200	200	400	दो	200	100	300
4. रचना शारीर	300	200	500	दो	200	100	300
5. मौलिक सिद्धान्त एवं अष्टांग हृदय (सूत्र स्थान)	150	---	150	एक	100	50	150
द्वितीय व्यावसायिक							
1. द्रव्यगुण विज्ञान	200	200	400	दो	200	200	400
2. रोग निदान व विकृति विज्ञान	200	200	400	दो (1-पैथोलोजी, 1-आयुर्वेद)	200	100	300
3. रसशास्त्र भैषज्य कल्पना भाग-1	200	200	400	दो	200	200	400
4. चरक संहिता (पूर्वार्द्ध)	200	---	200	एक	100	50	100
तृतीय व्यावसायिक							
1. अगदतंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	200	100	300	एक	100	50	150
2. स्वस्थवृत्त एवं योग	200	100	300	दो	200	100	300
3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग	200	200	400	दो	200	100	300
4. बालरोग	100	100	200	एक	100	50	150
5. चरक संहिता (उत्तरार्द्ध)	200	---	200	एक	100	50	150
अन्तिम व्यावसायिक							
1. काय चिकित्सा	300	200	500	दो	200	100	300
2. पंचकर्म	100	200	300	एक	100	50	150
3. शल्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
4. शालाक्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
5. शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी	50	--	50	एक	50	---	50

टिप्पणी :

- (1) सिद्धान्त तथा क्रियात्मक की अवधि साठ मिनट (एक घण्टा) से कम नहीं होगी तथा चिकित्सीय विषयों तथा रचना शारीर (श्व विच्छेदन) के क्रियात्मक की अवधि कम से कम एक सौ बीस मिनट (दो घण्टे) की होगी।
- (2) छात्रों का नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण तृतीय वर्ष के आगे प्रारम्भ होगा।
- (3) महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय में छात्रों का नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् होगा:-

(i) कायचिकित्सा (अन्तः एवं बाह्य):	अठारह माह
क) कायचिकित्सा (सामान्य)	छः माह
ख) मानस रोग	तीन माह
ग) रसायन एवं वाजीकरण	तीन माह
घ) पंचकर्म	तीन माह
ङ) रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान	तीन माह

(ii) शल्य (अन्तः एवं बाह्य)	नौ माह
क) शल्य (सामान्य)	तीन माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ख) शल्य (क्षार एवं अनुशस्त्र कर्म)	तीन माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ग) क्षार सूत्र	दो माह
घ) संज्ञाहरण	पन्द्रह दिन
ङ) विकिरण-चिकित्सा विज्ञान	पन्द्रह दिन
(iii) शालाक्य तंत्र (अन्तः एवं बाह्य)	चार माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
(iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग (बाह्य एवं अन्तः)	तीन माह (बाह्य एवं अन्तः)
(v) कौमार भृत्य (बाह्य एवं अन्तः)	एक माह
(vi) आत्ययिक (आघात)	दो माह

13. शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव - शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत् होंगे:-

(क) अनिवार्य अर्हताएं-

- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) अनुभव

- प्राध्यापक के पद हेतु:** सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह-आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा वि-विद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- प्रवाचक अथवा सह-आचार्य के पद हेतु: सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- सहायक-आचार्य अथवा व्याख्याता के पद हेतु: प्रथम नियुक्ति के समय आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा इसमें वर्तमान नियम अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी :- आयुर्वेद में डॉक्टरेट उपाधि धारक को प्राथमिकता दी जाएगी।

- (ग) **संस्था के प्रमुख के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव:** संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के समान होगा।

- (घ) **समवर्गी विषयों का प्रावधान:** तालिका के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी के अभाव में तालिका के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी व्याख्याता अथवा सहायक-आचार्य, प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे:-

तालिका

क्रम संख्या (1)	आवश्यक विशिष्टता (2)	समवर्गी विषय का नाम (3)
1.	स्वास्थ्यत	कायचिकित्सा
2.	अगद तंत्र	द्रव्यगुण या रस-शास्त्र
3.	रोग विज्ञान	कायचिकित्सा
4.	रचना शारीर	शल्य
5.	क्रिया शारीर	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त अथवा कायचिकित्सा
6.	शालाक्य	शल्य
7.	पंचकर्म	कायचिकित्सा
8.	बालरोग	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा कायचिकित्सा
9.	कायचिकित्सा	मानसरोग
10.	शल्य	निश्चेतन एवं क्ष-किरण
11.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	शल्य तंत्र

टिप्पणी 1: समवर्गी विषयों के प्रावधान की अनुमति इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

टिप्पणी 2: नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक का शोध कार्य अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।

14. आयुर्वेद में परीक्षक की नियुक्ति- संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव अथवा अनुसंधान अनुभव वाले नियमित अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा।”

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290 (124)]

टिप्पणी: अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No. 24-14/2016 (U.G. Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for the Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE - I

(See regulation 5)

1. Aims and Objects.- The Bachelor of Ayurveda education shall aim at producing graduates, having profound knowledge of Ashtanga Ayurveda supplemented with knowledge of scientific advances in modern medicine along with extensive practical training so as to become efficient physicians and surgeons fully competent to serve the health care services.

2. Admission qualification.- The eligibility to seek admission in Bachelor of Ayurveda education are as under-

- 12th standard with science or any other equivalent examination recognised by concerned State Governments and Education Boards with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.
- For reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in marks for admission in Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery as per rules for time being in force.
- For foreign students any other equivalent qualification to be approved by the concerned authority may be allowed.

3. Duration of course.- The duration of the course shall be five years and six months comprising-

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| (a) First Professional | - | Twelve months |
| (b) Second Professional | - | Twelve months |
| (c) Third Professional | - | Twelve months |
| (d) Final Professional | - | Eighteen months. |
| (e) Compulsory Rotatory Internship | - | Twelve months |

4. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery- B.A.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

5. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be Sanskrit or Hindi or any recognised regional language or English.

6. Scheme of examination.- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session;

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- Padarth Vigyan evam Ayurved Itihas;

- (ii) Sanskrit;
- (iii) Kriya Sharir (Physiology);
- (iv) Rachana Sharir (Anatomy); and
- (v) Maulik Siddhant evam Ashtanga Hridaya (Sutra Sthan);
- (c) The failed student of first Professional shall be allowed to appear in second professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third professional examination unless the student passes all the subjects of first professional examination and maximum four chances shall be given to pass first professional examination within a period of maximum three years.
- (2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;
- (b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-
- (i) Dravyaguna Vigyan (Pharmacology and Materia Medica);
- (ii) Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana (Pharmaceutical Science);
- (iii) Roga Nidan evam Vikriti Vigyan (Diagnostic Procedure and Pathology); and
- (iv) Charak Samhita-Purvardh (an ancient Ayurvedic text, Part -I);
- (c) The failed student of second professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.
- (3) (a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;
- (b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-
- (i) Agad Tantra Vyavahar Ayurveda evam Vidhi Vaidyaka (Toxicology and Medical Jurisprudence);
- (ii) Charak Samhita-Uttarardh (an ancient Ayurvedic text, Part -II);
- (iii) Swasthavritta and Yoga (Preventive and Social Medicine and Yoga);
- (iv) Prasuti evam Striroga (Obstetrics & Gynaecology); and
- (v) Bal Roga (Paediatrics);
- (c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.
- (4) (a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of October or November every year after completion of one year and six months of final professional session;
- (b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-
- (i) Shalya Tantra (General Surgery);
- (ii) Shalakyata Tantra (Diseases of Head and Neck including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry);
- (iii) Kayachikitsa (Internal Medicine-including Manas Roga, Rasayan and Vajikarana);
- (iv) Panchakarma; and
- (vi) Research Methodology and Medical-statistics;
- (c) Research Methodology shall remain in the department of Samhita Siddhant but for the purpose of teaching, Bio-statistician shall be required as part time to teach Research Methodology;
- (d) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in any one of four professional examinations;

(e) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

7. Compulsory Rotatory Internship.- (1) The duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examination and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

- the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme along with the rules and regulations, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a work book shall be given to each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him or her during his or her training;
- every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;
- the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;
- normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Ayurvedic hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Ayurveda in the hospital or dispensary of Modern Medicine, the one-year Internship shall be completed in the hospital of Ayurvedic college.

3. The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Ayurvedic hospital attached to the college or in non-teaching hospitals approved by Central Council of Indian Medicine shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Kayachikitsa	Two months	Four Months
(ii)	Shalya	One month	Two months
(iii)	Shalakya	One month	Two months
(iv)	Prasuti evam Striroga	One month	Two months
(v)	Balroga-Kaumarabhritya	Fifteen days	One month
(vi)	Panchakarma	Fifteen days	One month

4. Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- Primary Health Centre;
- Community Health Centre or District Hospital;
- Any recognised or approved hospital of modern medicine;
- Any recognised or approved Ayurvedic hospital or Dispensary:

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University and concerned Government designated authority for taking such a training.

5. Detailed Guidelines for internship programme.- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Ayurvedic Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

- Kayachikitsa- The duration of internship in this department shall be two months or four months with following activities:-
 - all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Ayurvedic Medicine;
 - routine clinical pathological work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, Mutra evam Mala pariksha by Ayurvedic method, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis;

- (iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;
- (b) Panchakarma- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month with following activities:-
- (i) Panchakarma procedures and techniques regarding purva karma, pradhan karma and pashchat Karma;
- (c) Shalya- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Ayurvedic principles;
- (ii) management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;
- (iii) practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization;
- (iv) intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;
- (v) practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
- (vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;
- (vii) surgical procedures and routine ward techniques such as-
- (a) suturing of fresh injuries;
- (b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;
- (c) incision of abscesses;
- (d) excision of cysts;
- (e) venesection; and
- (f) application of Ksharasutra in ano rectal diseases;
- (d) Shalakyas- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Ayurvedic principles;
- (ii) intern shall be involved in Pre-operative and Post-operative managements;
- (iii) surgical procedures in Ear, Nose, Throat, Dental problems, Ophthalmic problems;
- (iv) examinations of Eye, Ear, Nose, Throat and Refractive Error with the supportive instruments in Out-Patient Department; and
- (v) procedures like Anjana Karma, Nasya, Raktamokshan, Karnapuran, Shirodhara, Putpak, Kawal, Gandush at Out-Patient Department level;
- (e) Prasuti evam Striroga- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and post-natal care;
- (ii) management of normal and abnormal labours; and
- (iii) minor and major obstetric surgical procedures;
- (f) Balroga- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and post-natal care also by Ayurvedic principles and medicine;
- (ii) antenatal and post-natal emergencies;
- (iii) care of new born child along with immunization programme; and
- (iv) important pediatric problems and their Ayurvedic managements.

- (6) The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine or Ayurvedic Hospital or Dispensary- During the six months internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or Community Health Centre or District Hospital or any recognised or approved hospital of Modern Medicine or Ayurvedic Hospital or Dispensary, the interns shall –
- (i) get acquainted with routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
 - (ii) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;
 - (iii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes;
 - (iv) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;
 - (v) get familiarised with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government health schemes or programmes;
 - (vi) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government; and
 - (vii) participate actively in casualty section of the hospital in identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospitals.

8. Assessment.- After completing the assignment in various Sections, the interns have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submitted to Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

9. Migration of Internship.- (1) The Migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case of migration is between the colleges and two different Universities.

- (2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.
- (3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a “No Objection Certificate”, as case may be.

10. Examination.- (1) The theory examination shall have minimum twenty per cent. short answer questions having maximum mark up to forty per cent. and minimum four questions for long explanatory answer having maximum marks up to sixty per cent. and these questions shall cover entire syllabus of subject.

- (2) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical or viva-voce, wherever applicable separately in each subject.
- (3) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- (4) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.
- (5) Each student shall be required to maintain seventy-five per cent. attendance in each subject (in theory and practical) for appearing in the examination and in this regard a class attendance card shall be maintained for each student for the different subjects and the Principal shall arrange to obtain the signature of the students, teachers at the end of each course of lectures and practical instructions and send the cards to each Head of the Department for final completion before the commencement of each examination.
- (6) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he or she shall appear in supplementary examination as regular students, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.
- (7) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-
 - (a) Regularity in attendance;
 - (b) Periodical tests; and
 - (c) Practical work.

11. Migration.- (1) The Students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

- (2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining “No Objection Certificate” from Central Council.

12. (1) Number of papers and marks for theory and practical or viva-voce:

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical or Viva-voce	Total
1st Professional							
1. Padarth Vigyan evam Ayurved ka Itihas	100	---	100	Two	200	---	200
2. Sanskrit	200	---	200	One	100	---	100
3. Kriya Sharir	200	200	400	Two	200	100	300
4. Rachana Sharir	300	200	500	Two	200	100	300
5. Maulik Siddhant evam Asthanga Hridayaya (Sutra Sthan)	150	---	150	One	100	50	150
2nd Professional							
1. Dravyaguna Vigyan	200	200	400	Two	200	200	400
2. Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	200	200	400	Two (01 – Pathology 01- Ayurveda)	200	100	300
3. Rasashastra evam Bhaishjya Kalpana	200	200	400	Two	200	200	400
4. Charak Samhita (Purvardh)	200	---	200	One	100	50	150
3rd Professional							
1. Agad Tantra, Vyavhar Ayurved evam Vidhi Vaidyak	200	100	300	One	100	50	150
2. Swasthavritta and Yoga	200	100	300	Two	200	100	300
3. Prasuti evam Striroga	200	200	400	Two	200	100	300
4. Balroga	100	100	200	One	100	50	150
5. Charak Samhita (Uttarardh)	200	--	200	One	100	50	150
Final Professional							
1. Kayachikitsa	300	200	500	Two	200	100	300
2. Panchakarma	100	200	300	One	100	50	150
3. Shalya Tantra	200	150	350	Two	200	100	300
4. Shalakya Tantra	200	150	350	Two	200	100	300
5. Research Methodology and Medical Statistics	50	--	50	One	50	---	50

NOTE: The period of theory and practical shall not be less than sixty minutes (one hour) and the duration of the practical of clinical subjects and Rachana Sharir (Dissection) shall be of at least one hundred and twenty minutes (two hours).

(2) Clinical training of the students shall start from third professional onwards.

(3) The clinical training in the hospital attached with college to the students shall be as follows:-

(i) **Kayachikitsa** (Indoor and Outdoor):

Eighteen Months

- (a) Kayachikitsa (Samanya) - Six months
- (b) Manasroga - Three months
- (c) Rasayan and Vajikaran - Three months
- (d) Panchakarma - Three months
- (e) Rog Nidan evam Vikriti Vigyan - Three months

(ii) **Shalya** (Indoor and Outdoor):

Nine Months

- (a) Shalya (Samanya) - Three months (minimum one-month in Operation Theatre)
- (b) Shalya (Kshar and Anushastra Karma) - Three months (minimum one-month in Operation Theatre)
- (c) Ksharsutra - Two months

- (d) Anaesthesia - Fifteen days
- (e) Radiology - Fifteen days
- (iii) **Shalakya Tantra** (Indoor and Outdoor): **Four months** (minimum one-month in Operation Theatre)
- (iv) **Prasuti evam Striroga** (Outdoor and indoor) : **Three months**
- (v) **Kaumarabhritya** (Outdoor and indoor) : **One month**
- (vi) **Atyayik (casualty)** : **Two months**

13. Qualifications and Experience for teaching staff.- The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

- (i) A Bachelor degree in Ayurveda from a University or its equivalent as recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and
- (ii) A Post-graduate qualification in the subject or speciality concerned included in the Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

(b) Experience-

- (i) **For the post of Professor:** Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.
- (ii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Five years teaching experience in concerned subject or five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal.
- (iii) **For the post of Assistant Professor or Lecturer:** The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per the existing rules.

Note: Priority shall be given to the candidates having Doctoral in Ayurveda.

(c) Qualification and experience for the post of Head of the Institution –The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience prescribed for the post of Professor.

(d) Provision of allied subject- In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

Sl.No.	Speciality required	Name of the allied subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Swasthavritta	Kayachikitsa
2.	Agada Tantra	Dravyaguna or Rasashastra
3.	Roga Vigyana	Kayachikitsa
4.	Rachana Sharira	Shalya
5.	Kriya Sharira	Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
6.	Shalakya	Shalya
7.	Panchakarma	Kayachikitsa
8.	Balaroga	Prasuti evam Striroga or Kayachikitsa
9.	Kayachikitsa	Manasaroga
10.	Shalya	Nischetana evam Ksha- kirana
11.	Prasuti evam Strirog	Shalya Tantra

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 3: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

14. Appointment of Examiner in Ayurveda.- No person other than regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for examinership”.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secry.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note : If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016”. The English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 नवम्बर, 2016

सं. 4-90/2016-पी.जी. रेगुलेशन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2012 को उन बातों के सिवाय जहाँ तक वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित है, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं** - (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) “अधिनियम” से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;
(ख) “परिषद्” से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;
(ग) “मान्यता प्राप्त संस्थान” से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ड.क) के अधीन यथा परिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।
(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।
- उद्देश्य और प्रयोजन** - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उद्देश्य आयुर्वेद विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना, और ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग एवं प्रसूति तन्त्र विशेषज्ञ (स्त्री रोग और प्रसूति तंत्रज्ञ), औषध निर्माण विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता और आयुर्वेद विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के उद्भट विद्वान हों।
- विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं** - स्नातकोत्तर उपाधियां निम्नलिखित विशिष्टताओं में अनुज्ञात की जाएंगी-

क.सं.	विशिष्टता का नाम	आधुनिक विषय की निकटतम पारिभाषिक शब्दावली	विभाग जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
पूर्व नैदानिक विशिष्टता			
1	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत	आयुर्वेद संहिता एवं बेसिक प्रिंसीपल्स ऑफ आयुर्वेद	संहिता एवं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत
2	रचना शारीर	एनाटमी	रचना शारीर
3	क्रिया शरीर	फिजियोलोजी	क्रिया शारीर
सम नैदानिक विशिष्टता			
4	द्रव्य गुण विज्ञान	मैटिरिया मेडिका एवं फार्माकोलोजी	द्रव्य गुण
5	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
6	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एवं पैथोलोजी	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान
नैदानिक विशिष्टता			
7	प्रसूति एवं स्त्री रोग	ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी	प्रसूति एवं स्त्री रोग
8	कौमार भृत्य- बाल रोग	पैडियेट्रिक्स	कौमार भृत्य- बाल रोग
9	स्वस्थवृत्त	प्रीवेंटिव सोशल मेडिसिन	स्वस्थवृत्त एवं योग
10	काय चिकित्सा	मेडिसिन	काय चिकित्सा
11	रसायन एवं वाजीकरण	रेजुविनेशन एवं एफ्रोडीसिएक्स	काय चिकित्सा

12	मनोविज्ञान एवं मानस रोग	साइकेट्री	काय चिकित्सा
13	शल्य	सर्जरी	शल्य तंत्र
14	शालाक्य	डिसीसेज ऑफ आई, ईयर, नोज, थोट, हैड, नेक, ओरल एण्ड डेन्टिस्ट्री	शालाक्य तंत्र
15	पंचकर्म	पंचकर्म	पंचकर्म
16	अगद तंत्र	टॉक्सीक्लॉजी एवं फोरेन्सिक मेडिसिन	अगद तंत्र
17	योग	योग	स्वस्थवृत्त एवं योग

5. स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति – सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति निम्नवत् होगी:—

क्र.सं.	विशिष्टता अथवा उपाधि का नाम	संक्षिप्त रूप
(1)	(2)	(3)
पूर्व नैदानिक विशिष्टता		
1	आयुर्वेद वाचस्पति – आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम. डी. (आयुर्वेद)– कम्पेन्डियम एण्ड बेसिक प्रिंसीपल्स
2	आयुर्वेद वाचस्पति – रचना शरीर	एम. डी. (आयुर्वेद) एनाटमी
3	आयुर्वेद वाचस्पति – क्रिया शरीर	एम. डी. (आयुर्वेद) फिजियोलोजी
सम नैदानिक विशिष्टता		
4	आयुर्वेद वाचस्पति – द्रव्य गुण विज्ञान	एम. डी. (आयुर्वेद) मैटिरिया मेडिका एण्ड फार्माकोलोजी
5	आयुर्वेद वाचस्पति – रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	एम. डी. (आयुर्वेद) फार्मास्यूटिकल्स
6	आयुर्वेद वाचस्पति – रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम. डी. (आयुर्वेद) डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एवं पैथोलोजी
नैदानिक विशिष्टता		
7	आयुर्वेद धन्वतरि – प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलाजी
8	आयुर्वेद वाचस्पति – कौमार भृत्य– बाल रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) पैडियेट्रिक्स
9	आयुर्वेद वाचस्पति – स्वस्थवृत्त	एम. डी. (आयुर्वेद) सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन
10	आयुर्वेद वाचस्पति – काय चिकित्सा	एम. डी. (आयुर्वेद) मेडिसिन
11	आयुर्वेद वाचस्पति – रसायन एवं वाजीकरण	एम. डी. (आयुर्वेद) रेजुविनेशन एवं एफ्रोडीसिएक्स
12	आयुर्वेद वाचस्पति – मनोविज्ञान एवं मानस रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) साइकेट्री
13	आयुर्वेद धन्वतरि – शल्य	एम. एस. (आयुर्वेद) सर्जरी
14	आयुर्वेद धन्वतरि – शालाक्य	एम. एस. (आयुर्वेद) डिसीसेज ऑफ आई, ईयर, नोज, थोट, हैड, नेक, ओरल एण्ड डेन्टिस्ट्री
15	आयुर्वेद वाचस्पति – पंचकर्म	एम. डी. (आयुर्वेद) पंचकर्म
16	आयुर्वेद वाचस्पति – अगद तंत्र	एम. डी. (आयुर्वेद) टॉक्सीक्लॉजी एवं फोरेन्सिक मेडिसिन
17	आयुर्वेद वाचस्पति – योग	एम. डी. (आयुर्वेद) योग

टिप्पणी 1: पूर्व नामावली यथा आयुर्वेद वाचस्पति-आयुर्वेद सिद्धान्त, आयुर्वेद वाचस्पति-आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद वाचस्पति-क्रिया शरीर (दोष-धातु- मल विज्ञान) तथा आयुर्वेद वाचस्पति-भैषज्य कल्पना जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2005 में उल्लिखित है, से प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता धारक सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किये जा सकेंगे। जैसे दोष धातु मल विज्ञान के स्नातकोत्तर अर्हता धारक क्रिया शरीर-विभाग में, संहिता व सिद्धान्त के स्नातकोत्तर अर्हता धारक संहिता एवं आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्त विभाग में, भैषज्य कल्पना के स्नातकोत्तर अर्हता धारक रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगे। उसी प्रकार पूर्व नामावली यथा आयुर्वेद धन्वतरि-शल्य-सामान्य, आयुर्वेद धन्वतरि-क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म, आयुर्वेद धन्वतरि-शालाक्य-नेत्र रोग, आयुर्वेद धन्वतरि- शालाक्य-शिरो-नासा कर्ण एवं कंठ रोग, आयुर्वेद धन्वतरि-शालाक्य-दंत एवं मुख रोग, आयुर्वेद वाचस्पति- संज्ञाहरण, आयुर्वेद वाचस्पति- छाया एवं विकिरण विज्ञान, आयुर्वेद धन्वतरि-अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग एवं आयुर्वेद वाचस्पति-स्वस्थवृत्त एवं योग, जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2012 में उल्लिखित है, से प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता धारक सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगे। जैसे शल्य सामान्य के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, शालाक्य-नेत्र रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, शालाक्य-शिरो-नासा कर्ण एवं कंठ रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, शालाक्य-दंत एवं मुख रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, संज्ञाहरण के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, छाया एवं विकिरण विज्ञान के स्नातकोत्तर अर्हता धारक रोग निदान विभाग में, अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में तथा स्वस्थवृत्त एवं योग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक स्वस्थवृत्त विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगे।

टिप्पणी 2: नव विकसित विशिष्टता यथा आयुर्वेद वाचस्पति-योग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक विनियम 4 के अन्तर्गत उल्लिखित उनके मूल विभाग में नियुक्ति हेतु विचारणीय होंगे। जैसे योग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग में नियुक्ति हेतु विचारणीय होंगे।

- 6. स्नातकोत्तर संस्था, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं** – स्नातकोत्तर संस्थान, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करेंगे यथा –
- (1) स्नातकीय संस्था जो स्नातकीय शिक्षण के न्यूनतम साढ़े चार वर्ष (4) वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
 - (2) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित स्नातकीय प्रशिक्षण की समस्त न्यूनतम मानक अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।
 - (3) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित विशिष्टताओं तथा विषयों में प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित समस्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखने होंगे।
 - (4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु संस्था को केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं पशु गृह रखना होगा। पशु गृह संस्था का अपना निजी अथवा सहयोग में रखा गया होगा।
 - (5) वर्तमान स्नातकोत्तर संस्थाओं को 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व उप-विनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।
 - (6) अतिरिक्त सहायक स्टाफ जैसे बॉयो कैमिस्ट, फार्माकोलोजिस्ट, बॉयो स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट नियुक्त करने होंगे तथा इनकी अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता होगी।
 - (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु यथा अपेक्षित शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त कम से कम सम्बन्धित विषय में एक आचार्य अथवा प्रवाचक और एक व्याख्याता आवश्यक होंगे। यदि उस विषय में पूर्व स्नातक स्तर पर स्वतन्त्र विभाग नहीं है तो उस विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम एक आचार्य अथवा प्रवाचक और एक व्याख्याता होगा।
 - (8) शैक्षिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता में सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक आचार्य रखना होगा।
 - (9) रचना शरीर, क्रिया शरीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एवं शल्यतंत्र में से प्रत्येक विभाग में स्नातकीय स्टाफ की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर-शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता होगी:-
 - (i) प्रयोगशाला तकनीशियन – 1 (एक)
 - (ii) प्रयोगशाला सहायक – 1 (एक)
 - (iii) परिचर अथवा अनुसेवक अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक – 1 (एक)
 - (10) संस्था के पास भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार सभी विभागों में विशिष्टता के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित न्यूनतम एक सौ शय्याओं युक्त अस्पताल होना चाहिए।
 - (11) स्नातकोत्तर संस्था जिसमें साठ सीटों तक के साथ स्नातकीय पाठ्यक्रम हों, उपविनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या के भीतर नैदानिक विषयों में दस स्नातकोत्तर सीटें स्वीकार्य होगी। तथा नैदानिक विषयों में दस स्नातकोत्तर सीटों से अधिक सीटों के लिए, उप-विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या पर छात्र: शय्या अनुपात 1:4 के अनुसार अतिरिक्त शय्याएं उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (12) विनियम 4 में क्रम संख्या 1 से 6 पर यथा विनिर्दिष्ट पूर्व-नैदानिक अथवा सम नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर उप-विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या के आधार पर स्वीकार्य होगा।
 - (13) स्नातकोत्तर संस्था में, जिसमें इक्सठ से सौ सीटों के साथ स्नातकीय पाठ्यक्रम हों, उप-विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या पर छात्र: शय्या अनुपात 1:4 के अनुसार नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर हेतु अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होगी।
 - (14) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन) के दौरान अस्पताल के अंत: रोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत शय्या-अधिभोग पचास प्रतिशत से अधिक होगा। तथा साठ स्नातकीय सीटों तक के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रखने वाले महाविद्यालयों के लिए पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम दैनिक औसत उपस्थिति न्यूनतम एक सौ बीस रोगी प्रतिदिन होगी तथा

इक्सट से सौ स्नातकीय सीटों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रखने वाले महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम दो सौ रोगी प्रतिदिन होगी।

- (15) नैदानिक विभागों में, नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों हेतु बढ़ाई गई अतिरिक्त शय्याओं हेतु प्रत्येक बीस शय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. स्नातकोत्तर संस्था, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है — स्नातकोत्तर संस्थान, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है, निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करेंगे नामतः—

- (1) संस्थान को, जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार आधारभूत संरचना सहित पूर्णतः विकसित विभाग रखने होंगे।
- (2) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित विशिष्टताओं तथा विषयों में प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित समस्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखने होंगे।
- (3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु संस्था को केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं पशु गृह रखना होगा। पशु गृह संस्था का अपना निजी अथवा सहयोग में रखा गया होगा।
- (4) वर्तमान स्नातकोत्तर संस्थाओं को 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व उप-विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
- (5) अतिरिक्त सहायक स्टॉफ जैसे बॉयो कॅमिस्ट, फार्माकोलोजिस्ट, बॉयो स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट नियुक्त करने होंगे तथा इनकी अर्हता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता होगी।
- (6) विभाग जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, न्यूनतम तीन संकाय; एक आचार्य, एक प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा एक व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य; अथवा एक आचार्य अथवा प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा दो व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य प्रत्येक सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में रखने होंगे।
- (7) सम्बन्धित विशिष्टता में परामर्शदाता अथवा अशंकालिक शिक्षक भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अशंकालिक आधार पर शिक्षण हेतु नियुक्त करने होंगे।
- (8) शैक्षिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता को सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक आचार्य रखना होगा।
- (9) रचना शरीर, क्रिया शरीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एवं शल्यतंत्र में से प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित गैर-शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता होगी:—
 - (i) प्रयोगशाला तकनीशियन — 1 (एक)
 - (ii) प्रयोगशाला सहायक — 1 (एक)
 - (iii) परिचर अथवा अनुसेवक अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक — 1 (एक)
- (10) उप-विनियम (9) में यथा विनिर्दिष्ट विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर-शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता होगी:—
 - (i) कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर — 1 (एक)
 - (ii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक — 1 (एक)
- (11) अस्पताल में न्यूनतम एक सौ शय्या हों एवं पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन) के दौरान अस्पताल के अंतः रोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत शय्या-अधिभोग पचास प्रतिशत से अधिक होगा।
- (12) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम दैनिक औसत उपस्थिति न्यूनतम एक सौ बीस रोगी प्रतिदिन होगी।
- (13) पच्चीस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप-विनियम (11) में विनिर्दिष्ट है मान्य होंगी तथा पच्चीस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (11) में विनिर्दिष्ट शय्याओं से ऊपर अतिरिक्त शय्याएं छात्र : शय्या अनुपात 1:4 में होंगे।
- (14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय-समय पर संशोधित विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग

एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे तथा प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत उपस्थिति जैसाकि उप-विनियम (11) एवं 12 में विनिर्दिष्ट है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में रोगियों की कुल उपस्थिति देखी जाएगी।

- (15) पूर्व नैदानिक एवं सम नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय – समय पर संशोधित विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे तथा प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत उपस्थिति जैसाकि उप-विनियम (11) एवं 12 में विनिर्दिष्ट है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में रोगियों की कुल उपस्थिति देखी जाएगी।

- (16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों की शय्या के लिए प्रत्येक 20 शय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होगी।

टिप्पणी :- रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती तक सेवा निवृत्त प्राध्यापक अथवा प्रवाचक अथवा सह-प्राध्यापक अथवा व्याख्यता अथवा सहायक प्राध्यापक को 65 वर्ष की आयु तक सविदा पर रखा जा सकता है।

8. प्रवेश की पद्धति-

- (1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था से आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अथवा राज्य पंजिका में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- (2) सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करेंगे।
- (3) अभ्यर्थियों का चयन सौ अंको में से प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर किया जाएगा जिसमें अस्सी प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के होंगे एवं बीस प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंको के होंगे।
- (4) सौ अंको की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषयों को समाविष्ट किए बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी।
- (5) प्रवेश के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल सूचकांक के पचास प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार सेवा के अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस प्रतिशत होंगे।
- (6) प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (7) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रियों (नागरिकों) को उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- (8) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।
- (9) विषय परिवर्तन प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध रिक्त और मार्गदर्शक की उपलब्धता के अधीन अनुज्ञेय होगा।

9. पाठ्यक्रम की अवधि और उपस्थिति-

- (1) प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा।
- (2) परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, प्रयोगात्मक और नैदानिक शिक्षण या कक्षाओं में छात्र की उपस्थिति कम से कम पचहत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी।
- (3) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अस्पताल में उपस्थिति और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जो उसे निर्धारित किए जाएं।
- (4) पाठ्यक्रम की अवधि दौरान नैदानिक विषयों के छात्रों को उनके संबंधित विभागों में आवासी (रेजिडेन्ट) ड्यूटी करनी होगी तथा गैर नैदानिक विषयों के छात्रों को उनके सम्बन्धित विभागों जैसे- फार्मसी, वनौषधि उद्यान, प्रयोगशाला के कर्तव्यों को करना होगा।
- (5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा व्यवस्थित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों और ऐसे अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
- (6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

- (7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति के लिए वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की आवश्यकता होगी और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैन्युअल उपस्थिति आवश्यक होगी।
- 10. प्रशिक्षण की पद्धति:** (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्र को आयुर्वेद के सिद्धांतों के व्यवहारिक दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (2) संबंधित विषय में शास्त्रीय ज्ञान का गंभीर प्रशिक्षण तुलनात्मक एवं गहन अध्ययन के साथ प्रदान किया जाएगा।
- (3) गहन व्यवहारिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर जोर देना होगा।
- (4) छात्रों को संबंधित क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शोध की पद्धतियों और तकनीक के ज्ञान को प्राप्त करना होगा।
- (5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतंत्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपात स्थिति को निपटाने का उत्तरदायित्व लेना होगा।
- (6) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अध्यापन तकनीक और अनुसंधान पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा स्नातक छात्रों या संबंधित विषय के विशिखानुप्रवेशीय छात्रों के अध्ययन में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।
- (7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (8) शल्य, शालाक्य और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशिष्टताओं में छात्र को जॉच प्रक्रियाओं, तकनीकों और शल्य क्रिया की प्रक्रियाओं के निष्पादन और संबंधित विशेषज्ञता में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- 11. शोध प्रबंध—**(1) वैश्विक मानकों की जरूरत के आधार पर साक्ष्य आधारित आयुर्वेद का प्रचार करने और उसे प्रकाशित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार स्नातकोत्तर समिति हर शैक्षणिक वर्ष ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। विश्वविद्यालय समिति भी शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी।
- (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 6 मास की अवधि के भीतर सम्बन्धित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विनियमानुसार संस्थान द्वारा गठित आचार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक, विषय संक्षेप विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) यदि छात्र उप-विनियम (2) के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट अवधि में शोध प्रबंध का शीर्षक तथा विषय संक्षेप प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसकी अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि छः माह या विश्वविद्यालय में विषय संक्षेप के प्रस्तुत करने के समय के अनुसार उससे अधिक बढ़ा दी जायेगी।
- (4) प्रस्तावित कार्य का विषय संक्षेप, प्रस्तावित कार्य की विषय वस्तु से सम्बन्धित काम की विशेषज्ञता, छात्र के कार्य की कार्य योजना के साथ, विभाग का नाम और मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक व सह-मार्गदर्शक (यदि कोई हो) के नाम और पदनाम का संकेत देगा। विषय संक्षेप के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तीन माह की अनाधिक अवधि में विषय संक्षेप विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिये।
- (5) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संवीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।
- (6) विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध के अनुमोदित विषय संक्षेप को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिये।
- (7) प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और आयुर्वेद पद्धति के विकास में सहायक होगा। शोध प्रबंध का विषय विशेषज्ञता की विषय वस्तु से सम्बन्धित होना चाहिए।
- (8) विश्वविद्यालय की संवीक्षा समिति द्वारा एक बार शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना छात्र को कार्य की प्रस्तावित विषयवस्तु के शीर्षक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (9) किसी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः माह से पहले शोध प्रबंध जमा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी तथा छात्र तीन वर्ष पूर्ण करने के लिए शोध प्रबंध को जमा करने के पश्चात् संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।
- (10) शोध प्रबंध में छात्र द्वारा चयनित समस्या पर सम्पादित अनुसंधान की पद्धतियों और आंकड़े अंतर्विष्ट होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में सम्पन्न होगा।
- (11) शोध प्रबंध में साहित्य का समालोचनात्मक पुनरीक्षण, कार्य पद्धति, अनुसंधान के परिणाम, अध्ययन के अनुसंधान के परिणाम के आधार पर विवेचन, सारांश, निष्कर्ष और शोध प्रबंध में उद्धृत संदर्भों का, जो कि प्रकाशन हेतु अनुकूल होने चाहिये, समावेश होगा।
- (12) शोध प्रबंध चालीस हजार शब्दों से कम का नहीं होगा।

- (13) शोध प्रबंध के अंत में पंद्रह सौ से अनाधिक का सारांश और एक हजार शब्दों से अनधिक का निष्कर्ष होगा।
- (14) मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक अथवा सह-आचार्य की हैसियत का व्यक्ति होगा।
- (15) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव रखने वाले व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक हेतु पात्र होंगे।
- (16) शोध प्रबंध की पांच सजिल्द प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से चार माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।
- (17) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य परीक्षकों और दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।
- (18) शोध प्रबंध उप विनियम (17) के अधीन नियुक्त परीक्षा के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अनुमोदन किए जाने की दशा में शोध प्रबंध संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाह्य परीक्षक को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (19) यदि शोध प्रबंध दो बाह्य परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापिस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (20) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के पश्चात् ही छात्र को स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अनुमति दी जाएगी।
- (21) अंतः-अनुशासनात्मक अनुसंधान सम्बंधित विशेषता से मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक सहयोजन कर किया जा सकता है।
- (22) यदि कोई सम नैदानिक अथवा पूर्व नैदानिक विषय का छात्र शोध प्रबंध के विषय के रूप में जिसमें नैदानिक परीक्षण सम्मिलित हो, लेता है तब शोध प्रबंध तैयार करने हेतु वह संबंधित विशेषता के एक नैदानिक शिक्षक सह-मार्गदर्शक के अधीन कार्य करेगा।

12. परीक्षा और उसका मूल्यांकन — (1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की निम्नलिखित शैली से दो परीक्षाएं होंगी:—

- (क) प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी
 - (ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के पश्चात् तीन शैक्षणिक वर्षों के पूर्ण होने पर होगी:
 - (ग) परीक्षा साधारणतया प्रत्येक वर्ष के जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर मास में आयोजित की जायेगी:
 - (घ) परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना होगा:
 - (ङ) छात्र को उत्तीर्ण घोषित होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयों में पृथक पृथक प्राप्त करने होंगे;
 - (च) यदि कोई छात्र प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम परीक्षा में भाग लेने से पूर्व उसे उत्तीर्ण करना होगा;
 - (छ) यदि छात्र अंतिम परीक्षा के सिद्धांत या प्रयोगात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो उससे उत्तरवर्ती परीक्षा में भाग लेने से पहले नया शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (ज) अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर आयोजित की जाएगी; तथा
 - (झ) स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध के स्वीकार होने के पश्चात् और छात्र के अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदत्त की जाएगी।
- (2) परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्लीनिकल कुशाग्रता, योग्यता और विशेषज्ञता के प्रायोगिक पक्ष में कार्यकारी ज्ञान और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता की जांच करना होगा।
 - (3) नैदानिक परीक्षा द्वारा आयुर्वेद तथा विशेषता के वैज्ञानिक साहित्य में छात्र की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।
 - (4) प्रायोगिक परीक्षा के मौखिक परीक्षा भाग में विषय अथवा विशिष्टता के किसी भी पक्ष पर व्यापक चर्चा का समावेश होगा।

- 13. परीक्षा के विषय:** (1) प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में संचालित की जाएगी, अर्थात्—
- प्रश्न पत्र I— अनुसंधान पद्धति अथवा जैव तथा चिकित्सीय सांख्यिकी;
- प्रश्न पत्र II— संबंधित विषय के संबंध में प्रायोगिक पक्ष;
- (2) छात्र को उसके द्वारा चयनित विशेषज्ञता के लिए सम्बन्धित विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण लेना होगा तथा अन्तिम दो वर्षों के अध्ययन के अंतर्गत किए गए कार्य का मासानुसार रिकार्ड रखना होगा:—
- (क) विशेषज्ञता संबंधित साहित्य का अध्ययन;
- (ख) नैदानिक विषयों के छात्रों के लिये अस्पताल में नियमित क्लिनिकल प्रशिक्षण;
- (ग) पूर्व नैदानिक तथा सम नैदानिक विषयों के छात्रों के लिये विभाग में किए गए अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;
- (घ) विभिन्न विचार गोष्ठियों और वाद विवाद में भागीदारी;
- (ङ) शोध प्रबंध के विषय पर किए गए कार्य की प्रगति।
- (3) उप— विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा किए गए कार्य का निर्धारण प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व किया जाएगा।
- (4) अंतिम परीक्षा में शोध प्रबंध लिखित प्रश्न पत्र तथा और नैदानिक अथवा प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा सम्मिलित होंगे।
- (5) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होंगे तथा विशेष अध्ययन हेतु छात्र द्वारा चयनित सम्बन्धित विशेषज्ञता अथवा उप विशेषज्ञता के समूह में एक प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक एवं एक मौखिक परीक्षा होगी।
- (6) छात्र को उसके शोध प्रबंध पर आधारित उसके शोध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र एक जर्नल में प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत कराना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में एक शोध-पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा।
- 14. परीक्षा की विधि तथा परीक्षक की नियुक्ति —**
- (1) प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा की प्रणाली लिखित, प्रयोगात्मक अथवा चिकित्सीय और मौखिक रीति से होगी।
- (2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी जिनमें से एक परीक्षक किसी अन्य संस्था से (बाह्य परीक्षक) होगा तथा अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी जिनमें से दो परीक्षक किसी अन्य संस्था से (बाह्य परीक्षक) होंगे।
- (3) परीक्षक नियुक्त होने के लिए संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में पांच वर्षों के शिक्षण अथवा अनुसंधान अनुभव रखने वाला शिक्षक पात्र समझा जाएगा।
- 15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं —** वृत्तिका और आकस्मिकता केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके नियंत्रणाधीन संस्था हेतु अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके नियंत्रणाधीन संस्था अथवा विश्वविद्यालय हेतु, जैसा भी मामला हो, निर्धारित दर से प्रदान की जाएगी।
- 16. शिक्षक — छात्र अनुपात—**
- (1) शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात प्राध्यापक के मामले में 1:3 तथा प्रवाचक अथवा सह-आचार्य के मामले में 1:2 हो।
- (2) न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य के मामले में शिक्षक छात्र अनुपात 1:1 का होगा।
- 17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों की अधिकतम संख्या —** प्रति वर्ष प्रति विशिष्टता छात्रों की अधिकतम संख्या 12 से अधिक नहीं होगी।
- 18. शिक्षा का माध्यम—** शिक्षा का माध्यम संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।
- 19. शिक्षण स्टॉफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव —** शिक्षण स्टॉफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत् होंगे:—
- (क) अनिवार्य अर्हता—
- (i) अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।
- (ii) अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) अनुभव

- (i) **प्राध्यापक के पद हेतु:** सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह-आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- (ii) **प्रवाचक अथवा सह-आचार्य के पद हेतु:** सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- (iii) **सहायक-आचार्य अथवा व्याख्याता के पद हेतु:** प्रथम नियुक्ति के समय पैंतालीस वर्ष से अनाधिक आयु हो तथा शिक्षण अथवा अनुसंधान का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।
- (ग) **संस्था के प्रमुख के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव:** संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव होगा।
- (घ) **समवर्गी विषयों का प्रावधान:** तालिका के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी के अभाव में तालिका के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी व्याख्याता अथवा सहायक-आचार्य, प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे:-

तालिका

क्रम संख्या	आवश्यक विधिगता	समवर्गी विषय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	स्वास्थ्यवृत्त	कायचिकित्सा
2.	अगद तंत्र	द्रव्यगुण या रसशास्त्र
3.	रोग विज्ञान	कायचिकित्सा
4.	रचना शारीर	शल्य
5.	क्रिया शारीर	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त अथवा कायचिकित्सा
6.	शालाक्य	शल्य
7.	पंचकर्म	कायचिकित्सा
8.	बालरोग	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा कायचिकित्सा
9.	कायचिकित्सा	मानसरोग
10.	शल्य	निश्चेतन एवं क्ष-किरण
11.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	शल्य तंत्र

टिप्पणी 1: समवर्गी विषयों के प्रावधान की अनुमति इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

टिप्पणी 2: नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक का शोध कार्य अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।

20. आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-

- (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290 (124)]

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No. 4-90/2016-P.G. Regulation.—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian

Medicine Central Council (Post Graduate Education) Regulations, 1979 and the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the education of post-graduate course in Ayurveda system of medicine, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) “Council” means the Central Council of Indian Medicine;

(c) “recognised institution” means an approved institution as defined under clauses (a) and (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. Aims and objects- The aims of the post-graduate degree courses shall be to provide orientation of specialties and super-specialties of Ayurveda, and to produce experts and specialists who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, gynaecologists and obstetricians (Stri Roga and Prasuti Tantrajya), pharmaceutical experts, researchers and profound scholars in various fields of specialisation of Ayurveda.

4. Specialties in which post-graduate degree shall be conducted.- The post-graduate degrees shall be allowed in the following specialties as under:-

Sl.No.	Name of speciality	Nearest terminology of modern subject	Department in which post-graduate degree can be conducted
(1)	(2)	(3)	(4)
Pre-clinical speciality			
1	Ayurveda Samhita evam Siddhant	Ayurveda Samhita and basic principles of Ayurveda	Samhita and basic principles of Ayurveda
2	Rachana Sharira	Anatomy	Rachana Sharira
3	Kriya Sharira	Physiology	Kriya Sharira
Para-clinical speciality			
4	Dravyaguna Vigyana	Materia Medica and Pharmacology	Dravyaguna
5	Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana	Ayurveda Pharmaceuticals	Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana
6	Roga Nidana evam Vikriti Vigyana	Diagnostic Procedure and Pathology	Roga Nidana evam Vikriti Vigyana
Clinical speciality			
7	Prasuti evam Stri Roga	Obstetrics and Gynecology	Prasuti evam Stri Roga
8	Kaumarabhritya –Bala Roga	Pediatrics	Kaumarabhritya– Bala Roga
9	Swasthavritta	Preventive Social Medicine	Swasthavritta and Yoga
10	Kayachikitsa	Medicine	Kayachikitsa
11	Rasayana evam Vajikarana	Rejuvenation and Aphrodisiacs	Kayachikitsa
12	Mano Vigyana evam Manasa Roga	Psychiatry	Kayachikitsa
13	Shalya	Surgery	Shalya Tantra
14	Shalakyas	Diseases of Eye, Ear, Nose, Throat Head, Neck, Oral and Dentistry	Shalakyas Tantra
15	Panchakarma	Panchakarma	Panchakarma
16	Agada Tantra	Toxicology and Forensic Medicine	Agada Tantra.

17	Yoga	Yoga	Swasthavritta and Yoga
----	------	------	------------------------

5. Nomenclature of post-graduate degree.- The nomenclature of post-graduate degree in respective specialties shall be as under:-

Sl.No.	Nomenclature of specialty or degree	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
Pre-clinical specialty		
1	Ayurveda Vachaspati – Ayurveda Samhita evam Siddhant	M.D. (Ayurveda)- Compendium and Basic Principles
2	Ayurveda Vachaspati – Rachana Sharira	M.D. (Ayurveda) - Anatomy
3	Ayurveda Vachaspati – Kriya Sharira	M.D. (Ayurveda) - Physiology
Para-clinical specialty		
4	Ayurveda Vachaspati – Dravyaguna Vigyana	M.D. (Ayurveda) - Materia Medica and Pharmacology
5	Ayurveda Vachaspati – Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana	M.D. (Ayurveda) - Pharmaceuticals
6	Ayurveda Vachaspati – Roga Nidana evam Vikriti Vigyana	M.D. (Ayurveda)- Diagnostic procedure and Pathology
Clinical specialty		
7	Ayurveda Dhanvantari – Prasuti evam Stri Roga	M.S. (Ayurveda)- Obstetrics and Gynecology
8	Ayurveda Vachaspati – Kaumarabhritya –Bala Roga	M.D. (Ayurveda)- Paediatrics
9	Ayurveda Vachaspati – Swasthavritta	M.D. (Ayurveda)- Social and Preventive Medicine
10	Ayurveda Vachaspati – Kayachikitsa	M.D. (Ayurveda)- Medicine
11	Ayurveda Vachaspati – Rasayana evam Vajikarana	M.D. (Ayurveda)- Rejuvenation and aphrodisiacs
12	Ayurveda Vachaspati – Mano vigyana evam Manasa Roga	M.D. (Ayurveda)- Psychiatry
13	Ayurveda Dhanvantari – Shalya	M.S. (Ayurveda)- Surgery
14	Ayurveda Dhanvantari – Shalakyas	M.S. (Ayurveda)- Diseases of Eye, Ear, Nose, Throat Head, Neck, Oral and Dentistry
15	Ayurveda Vachaspati – Panchakarma	M.D. (Ayurveda)- Panchakarma
16	Ayurveda Vachaspati – Agada Tantra	M.D. (Ayurveda)- Toxicology and Forensic Medicine
17	Ayurveda Vachaspati – Yoga	M.D. (Ayurveda)- Yoga

Note 1: The post-graduate degree holder in the old nomenclature, namely, Ayurveda Vachaspati-Ayurveda Sidhant, Ayurveda Vachaspati- Ayurved Samhita, Ayurveda Vachaspati- Kriya Sharir (Dosha-Dhatu-Mala Vigyana) and Ayurveda Vachaspati-Bhaishajya Kalpana as mentioned in Post-graduate Education Regulations, 2005, may be appointed in the concerned department like, holder of Dosha Dhatu Malavigyana in the department of Kriya Sharira, holder of Samhita or Siddhant in the department of Samhita and Basic Principles of Ayurveda, holder of Bhaishajya Kalpana in the department of Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana. Similarly, The post-graduate degree holder in the old nomenclature, namely, Ayurveda Dhanvantri - Shalya - Samanya, Ayurveda Dhanvantri – Kshar Karma evam Anushastra Karma, Ayurveda Dhanvantri – Shalakyas – Netra Roga, Ayurveda Dhanvantri – Shalakyas – Shiro- Nasa Karna evam Kantha Roga, Ayurveda Dhanvantri – Shalakyas – Danta evam Mukha Roga, Ayurveda Vachaspati-Sangyaharan, Ayurveda Vachaspati-Chhaya evam Vikiran Vigyan, Ayurveda Dhanvantri – Asthi Sandhi and Marmagat Roga and Ayurveda Vachaspati- Swastha Vritta and Yoga as mentioned in Post-graduate Education Regulations, 2012, may be appointed in the concerned department like, holder of Shalya - Samanya in the department of Shalya, holder of Kshar Karma evam Anushastra Karma in the department of Shalya, holder of Shalakyas – Netra Roga in the department of Shalakyas, holder of Shalakyas – Shiro- Nasa Karna evam Kantha Roga in the department of Shalakyas, holder of Shalakyas – Danta evam Mukha Roga in the department of Shalakyas, holder of Sangyaharan in the department of Shalya, holder of Chhaya evam Vikiran Vigyan in the department of Rog Nidan, holder of Asthi Sandhi and Marmagat Roga in the department of Shalya and holder of Swasthavritta and Yoga in the department of Swasthavritta.

Note 2: The post-graduate degree holder of newly developed speciality, namely, Ayurveda Vachaspati- Yoga as mentioned in these regulations, may be considered for appointment in their corresponding department mentioned under regulations 4 like holder of Yoga in department of Swasthavritta and Yoga.

6. **Minimum requirement for post-graduate institution where under-graduate course is in existence.** -The post-graduate institute where under-graduate course is in existence shall fulfill following requirements, namely:-
- (1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate courses.
 - (2) The institute shall satisfy all the minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
 - (3) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
 - (4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
 - (5) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in sub-regulation (4) before the 31st December, 2016.
 - (6) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.
 - (7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the specialty which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.
 - (8) The post-graduate department or specialty shall have minimum one Professor in concerned subject or specialty from the academic session 2017-18.
 - (9) In each of the department of Rachana Sharira, Kriya Sharira, Dravyaguna, Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana, Roga Nidana evam Vikriti Vigyana and ShalyaTantra, the following non-teaching staff shall be required in addition to the under-graduate staff requirement:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).
 - (10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with specialty-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
 - (11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).
 - (12) The post-graduate in pre-clinical or para-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 1 to 6 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in sub-regulation (10).
 - (13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in sub-regulation (10).
 - (14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (i.e. 365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent. and minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and minimum two hundred patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.

- (15) In clinical departments, for additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

7. Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence.-The post-graduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfill following requirements, namely:-

- (1) The institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time, in which post-graduate course is being conducted.
- (2) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.
- (3) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (4) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in sub-regulation (3) before the 31st December, 2016.
- (5) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.
- (6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties; one Professor, one Reader or Associate Professor and one Lecturer or Assistant Professor; or one Professor or Reader or Associate Professor and two Lecturers or Assistant Professors in each concerned subject or speciality.
- (7) Consultants or part time teachers in concerned specialty as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time shall be engaged for teaching on part time basis.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.
- (9) In each of the department of Rachana Sharira, Kriya Sharira, Dravyaguna, Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana, Roga Nidana evam Vikriti Vigyana and Shalya Tantra, the following non-teaching staff shall be required:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).
- (10) In each of the department other than the departments specified in sub-regulation (9), the following non-teaching staff shall be required:

(i) Office Assistant or Data entry operator	-	1 (one)
(ii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).
- (11) Minimum one hundred beds in the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.
- (13) Twenty-five post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (11) and for more than twenty-five post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (11).
- (14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (15) The institute conducting post-graduate course in pre-clinical or para-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-patient departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-

Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).

- (16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

Note:- The vacant post may be filled up on contractual basis with retired Professors or Readers or Associate Professors or Lecturers or Assistant Professors below the age of sixty-five years in any department, till the regular appointment is made.

8. Mode of admission-

- (1) A person possessing the degree of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery) from a recognised University or Board or medical institution specified in the Second Schedule to the Act and enrolled in Central or State register of Indian Systems of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.
- (2) The State Government or University concerned shall conduct the admission process.
- (3) The Selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent. weightage to the Post-graduate entrance test (PGET) and twenty per cent. weightage to the marks obtained in under-graduate course.
- (4) The Post-graduate entrance test (PGET) of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery) course.
- (5) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent of the total marks, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent. and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.
- (6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (5).
- (7) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (5).
- (8) Reservation for all categories shall be applicable as per the policy of the Central Government or the concerned State Government.
- (9) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

9. Duration of course and attendance-

- (1) The student shall have to undergo study for a period of three years after the admission.
- (2) The student shall have to attend minimum seventy-five per cent. of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.
- (3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to him during the course of study.
- (4) The student of clinical subject shall have to do resident duties in their respective departments and student of non-clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy or Herbal Garden or Laboratory during the course of study.
- (5) The student shall attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as may be arranged by the teaching departments.
- (6) The maximum duration for completion of the course shall not exceed beyond the period of six years from the date of admission to the course.
- (7) Web based centralized biometric attendance system shall be required for the attendance of post-graduate students and manual attendance at department level in which student is pursuing the post-graduate course.

10. Method of training.-

- (1) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Ayurveda
- (2) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.

- (3) The emphasis shall be given on intensive applied and hands on training.
- (4) The student shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of information technology.
- (5) In clinical subjects, students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.
- (6) The student shall undertake training in teaching technology and research methods and shall participate in the teaching and training programs of under-graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.
- (7) In the clinical training, the student shall have to acquire knowledge of independent work as a specialist.
- (8) In the specialties of Shalya, Shalakya and Prasuti - Stri Roga, the student shall undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

11. Dissertation.-

- (1) Central Scientific Advisory Post Graduate Committee appointed by Central Council of Indian Medicine shall suggest the areas of Research and topics to be focused every academic year to make campaigning of evidence based Ayurveda to the need of global standards and achieve publications and the same shall be followed by University Committee while approving the Dissertation title.
- (2) The title of the dissertation along with the synopsis, with approval of the Ethics Committee constituted by the institute as per regulations of concerned recognised University, shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to the post-graduate course.
- (3) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (2), his terms for final post-graduate course shall be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.
- (4) The synopsis of the proposed scheme of work shall indicate the expertise and action plan of work of the student relating to the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide (if any).
 - a. The University shall approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.
- (5) A Board of Research Studies shall be constituted by the University for approving the title.
- (6) The University shall display the approved synopsis of dissertation on their website.
- (7) The subject of every dissertation shall be research oriented, practical oriented, innovative and helpful in the development of Ayurveda system and the subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.
- (8) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.
- (9) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.
- (10) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.
- (11) The dissertation shall consist of critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary, conclusion, and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.
- (12) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.
- (13) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.
- (14) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Associate Professor.
- (15) Lecturer or Assistant Professor having five years University approved teaching experience in the subject concerned shall eligible for guide or supervisor.
- (16) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.
- (17) The dissertation shall be assessed by two external examiners and two internal examiners appointed by the University.

- (18) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (17) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.
- (19) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.
- (20) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.
- (21) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned specialty.
- (22) If a para-clinical or pre-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the speciality concerned for preparing the thesis

12. Examination and assessment.-

- (1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner, namely:-
 - (a) the preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;
 - (b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;
 - (c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;
 - (d) for being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;
 - (e) the student shall be required to obtain minimum fifty per cent. marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass;
 - (f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass before appearing in the final examination;
 - (g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;
 - (h) the subsequent examination for failed candidates shall be conducted at every six months interval; and
 - (i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.
- (2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the specialty and his fitness to work independently as a specialist.
- (3) The clinical examination shall be judge the competence of the student in Ayurveda and scientific literature of the specialty.
- (4) The *viva-voce* part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or specialty.

13. Subjects of examination.-

- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:-

Paper I- Research Methodology and Bio or Medical Statistics;

Paper II-Applied aspects regarding concerned subjects.
- (2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the specialty opted by him as under:-
 - (a) study of literature related to specialty;
 - (b) regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;
 - (c) practical training of research work carried out in the department, for student of pre-clinical and para-clinical subject;
 - (d) participation in various seminars, symposia and discussions; and
 - (e) progress of the work done on the topic of dissertation.
- (3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) shall be done before the preliminary examination.

- (4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.
- (5) There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.
- (6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

14. Mode of examination and appointment of examiner(s)-

- (1) The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical or clinical and oral examination.
- (2) The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and the final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.
- (3) A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or speciality shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

15. Facilities for post-graduate students.- The stipend and contingency shall be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

16. Teacher- student ratio.-

- (1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained as 1:3 in case of Professor and 1:2 in case of Reader or Associate Professor.
- (2) The teacher student ratio shall be 1:1 in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum of five years teaching experience.

17. The maximum number of students in post-graduate course.- The maximum number of students per year per specialty shall not exceed twelve.

18. Medium of instruction.- The medium of instruction shall be Sanskrit or Hindi or any recognised regional language or English.

19. Qualifications and Experience for teaching staff- The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

- (i) A Bachelor degree in Ayurveda from a University as recognised under the Act;
- (ii) a Post-graduate degree in the subject or specialty concerned included in the Schedules to the Act.

(b) Experience-

(i) For the post of Professor: Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in a recognised journal.

(ii) For the post of Reader or Associate Professor: Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in a recognised journal.

(iii) For the post of Assistant Professor or Lecturer at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

(c) Qualification and experience for the post of Head of the Institution –The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor.

(d) Provision of allied subject: In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

Sl. No.	Specialty required	Name of the allied subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Swasthavritta	Kayachikitsa
2.	Agada Tantra	Dravyaguna or Rasashastra
3.	Roga Vigyana	Kayachikitsa
4.	Rachana Sharira	Shalya
5.	Kriya Sharira	Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
6.	Shalakya	Shalya
7.	Panchakarma	Kayachikitsa
8.	Balaroga	Prasuti evam Striroga or Kayachikitsa
9.	Kayachikitsa	Manasaroga
10.	Shalya	Nischetana evam Ksha- kirana
11.	Prasuti evam Strirog	Shalya Tantra

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Ayurveda Colleges.- (1) The process of grant or denial of permission to the Ayurveda colleges for taking admissions in post-graduate course shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admissions in post-graduate course shall be the 30th September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note : If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2016". The English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 11-134/2016-यूनानी (एम.एस.आर) - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व सहमति से यूनानी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की आवश्यकताओं का नियमन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
 - (ख) 'कॉलेज' से स्नातकीय यूनानी महाविद्यालय या संस्थान
 - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से यूनानी महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण यूनानी अस्पताल अभिप्रेत है।
 - (घ) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा

3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:-

(1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित यूनानी कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, तक पूरा करेंगे;

- (ख) अनुमति की समाप्ति से 3 माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदर्शन करेगी;
- (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;
- (घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा स्टॉफ तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करना होगा;
- (ङ) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;
- (च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;
- (छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मुल्यांकन हेतु परिदर्शन की लिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(2) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं-

- (क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; अथवा ऑन लाइन बायो मेट्रिक उपस्थिति से यह पाए जाने पर कि शिक्षण, गैरशिक्षण स्टॉफ, अस्पताल का स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, अथवा अस्पताल उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित यथा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;
- (ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे 150 दिनों के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;
- (ग) शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तथा 2015-16 से 2019-20 से पाँच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों को विनियम 4 से 11 के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अन्यथा पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया समझा जाएगा।

(3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं : (क) किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;

- (i) अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;
- (ii) विनियम VII के उप विनियम (2) के अतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;
- (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपलब्धता;
- (iv) अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट आषैधीय उद्यान की उपलब्धता;
- (v) अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अस्पताल के स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vi) अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं अन्य स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vii) विनियम 9 के उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय परिषद् की उपलब्धता;
- (viii) विनियम 9 के उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय की वेब साइट की उपलब्धता;
- (ix) विनियम 9 के उप विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट बायो मेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता;
- (x) विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता;

(ख) महाविद्यालयों, जिन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई है अथवा जिन्हें शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु अनुमति के लिए मना कर दिया गया है, उन्हें विनियम 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष की विशिष्ट शैक्षिक सत्र अथवा पाँच वर्षों की अवधि हेतु सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए उक्त खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

4. भूमि की आवश्यकता:- (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारीक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।

(2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।

(3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एम.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफएसआई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।

- (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।

परन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।

- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
- (6) 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होना चाहिए।
- (2) 61 से 100 छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए होगा।
- (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में उल्लिखित विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग-अलग किया जाना चाहिए। तथा कॉलेज एवं अस्पताल के अलग अलग भवनों की आवश्यकता मात्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
- (5) वनोपधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:- महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। 60 से कम या 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
- (2) शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:- छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका-I

वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रूग्ण विभाग में न्यूनतम छात्र शय्या 1:1	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

शय्या दिवस अधिभोग × 100 की संख्या

शय्याओं की संख्या × दिवसों की संख्या

- (3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:- (i) कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं यूनानी अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।

- (ii) सशर्त अनुमति हेतु, कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं यूनानी अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।

तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित होगी। उन महाविद्यालयों को जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पाँच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली का रख रखाव करना होगा।

- (4) **स्थान आवश्यकता:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगियों, प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, इलाज विद तदवीर थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव, भण्डार, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।

- (5) **बाह्य रोगी विभाग:-** अस्पताल में कम से कम निम्न छः बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- मुआलाजात (मेडिसिन)
- जरहात में ऐन, उज्ज, अन्फ, हलक वा असनान को सम्मिलित करते हुए (शल्य मे नेत्र, कर्ण, नासा, कंठ एवं दन्त चिकित्सा को सम्मिलित करते हुए)
- कबालत व अमराजे ए-निस्वां वा (ओ.वी.जी.)
- अमराज़-ए- अतफाल (बालरोग)
- अमराज़ -ए- जिल्द वा तज़ीनियत (त्वचा एवं कास्मेटोलॉजी)
- तहफफुज़ी वा सामाजी तिब्ब (समुदाय चिकित्सा)

टिप्पणी: उपरोक्त के अतिरिक्त, इलाज विद तदवीर का एक अलग विभाग होगा।

- (6) **अन्तरंग रूग्ण विभाग:-** अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
मुआलाजात(इलाज विद तदवीर, अमराज़ -ए-जिल्द व तज़ीनियत को सम्मिलित करते हुए)	50% शय्या	30	50
(जरहात ऐन, उज्ज, अन्फ वा हलक को सम्मिलित करते हुए)	25% शय्या	15	25
(कबालत वा अमराजे ए-निस्वां वा अतफाल को सम्मिलित करते हुए)	25% शय्या	15	25

- (7) **तशखीस अमराज (क्लीनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला)**

अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं यूनानी नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

- (8) **अस्पताल के कर्मचारी:** अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

8. कॉलेज के लिए आवश्यकताएँ -

- (क) **शिक्षण स्टाफ:** अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु दस अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों [माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक तथा अरबी का एक शिक्षक (अरबी एवं मन्तिक -ओ-फलसफा के शिक्षण हेतु) तथा सम्प्रेक्षण कौशल के शिक्षण हेतु एक शिक्षक] साथ 60 छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद अथवा विषय के शिक्षक से संबंधित पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु:** शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों का पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।

- (घ) समस्त शिक्षको की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आबंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
- (2) **तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता:** महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

9. विविध आवश्यकताएं-

- (1) **कॉलेज परिषद्: (क)** प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।
- (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार कॉलेज परिषद् की बैठक की जायेगी।
- (ग) कॉलेज परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठके तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।
- (2) **कॉलेज की वेबसाइट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य अथवा चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टॉफ का विवरण।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज का गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ का विवरण।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एव गत एक वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (ड) महाविद्यालय की वेबसाइट भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से लिंक होगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी लिंक किया जाएगा।
- (ढ) बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टॉफ, अस्पताल के स्टॉफ, छात्रों तथा रोगियों की उपस्थिति का मासिक विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** (क) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ख) सशर्त अनुमति हेतु बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक होगी।
- (ग) महाविद्यालय जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पाँच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, वे दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण करेंगे।

10. नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -

- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत कामिले -तिब्ब-ओ-जराहत (बेचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले यूनानी कॉलेज को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा:
- (क) कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा -

- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम (7) के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से दो वर्ष से पूर्व कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ विनियम 4 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उस भूमि पर ही होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज विद तदवीर, जराहत, ऐन, उज्ज, अन्फ वा हलक, अमराजे निस्वां वा तथा अमराजे अत्फाल, इल्मुल कबालत में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक नियुक्त होना चाहिए तथा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से दो वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पाँच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची VI में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों क बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची I से VII में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) दो हजार पाँच सौ वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनोषधियों से युक्त उद्यान तथा 60 सीटों तक के लिए तथा 61 से 100 सीटों के लिए 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा; तथा
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ख) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज विद तदवीर, जराहत, ऐन-उज्ज-अन्फ वा हलक, अमराज-ए-निस्वां वा इल्मुल कबालत तथा अमराज-ए-अत्फाल, विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पाँच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची VI में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों क बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची I से VII में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट होगा; एवं
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ग) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय होना चाहिए।

- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज विद तदवीर, जराहत, ऐन-उज़्ज-अन्फ वा हलक, अमराज़-ए-निस्वा एवं इल्मुल कवालत तथा अमराज़-ए-अतफाल, विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पाँच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची VI में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची I से VII में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट होगा; एवं
- (viii) सैदला एवं भेषज कल्पना विभाग में न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधालय होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची - VII के अनुसा उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय होना चाहिये।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अर्थात् अंतिम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची VI में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) इन विनियमों 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की आवश्यकताएं।
- (iv) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें अनुसूची VI में यथा विनिर्दिष्ट साठ प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा इक्सट से सौ प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित औषधीय पौधों का बगीचा।
- (vi) अनुसूची I से VII में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला।
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टाफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (2) (क) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।
- (ख) यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।
- (ग) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- (3) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13 क के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा

चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना तथा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख के रखरखाव हेतु वेब लिंक कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली रखना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, उनके लिए आशय पत्र जारी करने हेतु इन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु अनुमति पत्र जारी किये जाने से पूर्व इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

11. **उपकरण, यन्त्र-समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवविच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

12 **यूनानी महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-**

- (1) यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु यूनानी महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितंबर होगी।

अनुसूची-I

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

यूनानी महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों के प्रवेश तक (3)	61 से 100 छात्रों के प्रवेश (4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रक कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	470
1.	मुआलाजात बाह्य रोगी विभाग वाशबेसिन सहित		
2.	जराहत, ऐन-उज्ज-अन्फ वा हलक, वा असनान बाह्य रोगी विभाग को सम्मिलित करते हुए वाशबेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित।		
3.	कबालत वा-अमराजे निस्वां बाह्य रोगी विभाग शौचालय व परीक्षा कक्ष सहित।		
4.	अमराजे अत्फाल बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष सहित।		
5.	अमराजे जिल्द वा त्जियनत बाह्य रोगी विभाग वाशबेसिन सहित		
6.	तहफुजी वा सामाजी तिव बाह्य रोगी विभाग वाशबेसिन सहित।		
7.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष।		
8.	औषधालय।		
9.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
10.	भण्डार		
11.	रोगियों तथा स्टॉफ के लिये पुरुष एवं महिला के अलग-अलग प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650
1.	मुआलाजात इलाज वित तद्बीर पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	मुआलाजात इलाज वित तद्बीर महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		

3.	जराहत एवं ऐन-उज्ज-अन्फ हलक व असनान पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	जराहत एवं ऐन-उज्ज-अन्फ हलक व असनान महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	कबालत वा अमराजे ए- निस्वां अतफाल वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	शल्यकर्म कक्ष मुख्य, लघु एवं शालाक्य प्रक्रियाएं		
2.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो पुनःश्चेतना कक्ष		
7.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	इलाज बित तद्बीर खण्ड	275	500
1.	हमाम		
2.	दलक		
3.	रियाजत		
4.	फसद		
5.	कई		
6.	अलक हिजामत आदि		
7.	इलाज बित तद्बीर चिकित्सक कक्ष		
8.	इलाज बित तद्बीर भण्डार गृह		
9.	फिजियोथैरेपी कक्ष		
VII	नैदानिक प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित सुसज्जित तथा विस्तृत क्षेत्र। मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। ई.सी.जी. इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150
VIII	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कक्ष, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, यू.एस.जी. कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीयन अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
IX	चिकित्सालय की पाठशाला तथा कैन्टीन:	100	150
X	भण्डार	25	50
	कुल	2,000	3,500

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक यूनानी कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।

3. बाह्य रोगी विभाग सहित संलग्न शौचालय की आवश्यकता दिनांक 19 फरवरी, 2013 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों हेतु लागू है।
4. सर्शत अनुमति हेतु विनियम V में यथा विनिर्दिष्ट एक क्षेत्र के अनुसार महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र + - 20 प्रतिशत में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-II

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5 विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं 11 देखें)

यूनानी कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	स्तिथ्य स्तर पर निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों के प्रवेश तक	61 से 100 छात्रों के प्रवेश हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।	150	300
2.	व्याख्यान हाल: साठ छात्रों के लिए पांच व्याख्यान हाल एवं इकसठ से सौ छात्रों से अधिक के लिए दस व्याख्यान हाल, प्रत्येक अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पच्चास व्यक्तियों तथा सौ की प्रवेश क्षमता हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बँचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या क्रमशः पांच हजार तथा सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।	100	200
5.	शिक्षण विभाग: चौदह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए (प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष हेतु पच्चीस वर्गमीटर, सह-आचार्यो अथवा व्याख्याता हेतु पन्द्रह वर्गमीटर), एक छोटा विभागीय पुस्तकालय (पच्चीस वर्गमीटर), एक छोटा कार्यालय (पन्द्रह वर्गमीटर), गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु कार्य स्थान (पन्द्रह वर्गमीटर) तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष/विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	कुलीयात विभाग, तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	तशरीह उल-बदन विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल (एग्जॉस्ट फेन्स तथा विशेषकर एयर कन्डीशन्स द्वारा हवादार), पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित एक शव का संलेपन करने हेतु कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित रचना शरीर संग्रहालय;	125	250
(iii)	मुनाफुलाजा विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(iv)	इलमुल अदविया विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माकॉजी प्रयोगशालाएं;	100	200

(v)	सैदला विभाग के साथ शिक्षण औषधालय	75	150
(vi)	तहफुजी व समाजी तिब्ब विभाग संग्राहलय सहित	75	150
(vii)	महितुल अमराज विभाग तथा इसके अतिरिक्त पैथलोजी प्रयोगशाला सहित	50	100
(viii)	मुआलाजात विभाग	75	150
(ix)	इलाज बिद तदवीर विभाग	50	100
(x)	जराहत विभाग तथा संग्राहलय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
(xi)	अमराजे ऐन-उज्ज अनफ व हलक विभाग तथा संग्राहलय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
(xii)	अमराजे निस्वां व कवालत विभाग तथा संग्राहलय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
(xiii)	अमराजे अतफाल विभाग तथा संग्राहलय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(xiv)	अमराजे जिल्द व तजीनियत विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष * टिप्पणी— सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वा"बेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।	50	100
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की यूनानी की औषधियां तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध एवं स्थान सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50	100
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल	2000	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक यूनानी कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सर्शत अनुमति हेतु, विनियम V में यथा विनिर्दिष्ट एक क्षेत्र के अनुसार महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र + - 20 प्रतिशत में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-III

[विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें]

एक यूनानी कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सर्शत अनुमति हेतु, औषधीय पौधों की न्यूनतम एक सौ पच्चास प्रजातियां आवश्यक होंगी।

अनुसूची-IV

[विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7 विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें]

यूनानी कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पद अधिकारी के अर्हता प्रोफेसर पद की अर्हता से कम नहीं होगा। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पदेन कार्य कर सकते हैं। तथापि यदि चिकित्सक अधीक्षक का पद पहले से ही अस्तित्व में है तो यह जारी रहेगा।
2	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. अर्हता नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी.यू.एम.एस.अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी.यू.एम.एस. होगी। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग के शिक्षक
4	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या आर.एस.ओ या एम.ओ.या सी.आर.)	05 (01 मुआलेजात, 02 निस्वा व कबालत, 01 जराहत में तथा 01 अमराज-ए-अतफाल में) अर्हता : अर्हता बी.यू.एम.एस.होगी।
5	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	01
6	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैय्याओं के लिए 1
7	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 20 शैय्याओं के लिए 1
8	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	02
9	ड्रेसर	02
10	भण्डारपाल	01
11	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	02
12	डार्क रूम परिचर	01
	आधुनिक चिकित्सा स्टाफ	
13	चिकित्सा विशेषज्ञ	01 अंशकालिक/संविदा पर
14	शल्य विशेषज्ञ	01 अंशकालिक/संविदा पर
15	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
16	विकृतिविज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
17	संज्ञाहरण विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
18	नेत्र विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
19	बाल (रोग) चिकित्सक	01 अंशकालिक/संविदा पर
20	विकिरणविज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
21	दंत चिकित्सा	01 अंशकालिक/संविदा पर
22	फिजियोथरेपिस्ट	01 अंशकालिक/संविदा पर
23	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	01
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु इलाज बित तदवीर चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के लिए स्टाफ		
24	इलाज बित तदवीर विशेषज्ञ	इलाज बित तदवीर शिक्षण विभाग के शिक्षक
25	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (यूनानी)	01
26	इलाज बित तदवीर परिचारिका	01 (क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिका के अतिरिक्त)
27	इलाज बित तदवीर सहायक	01 पुरुष तथा 01 महिला
28	मालिशकर्ता	01 पुरुष तथा 01 महिला
(जराहत) कक्ष एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टाफ		
29	जराहत विशेषज्ञ	इल्मुल जराहत विभाग के शिक्षक
30	शल्यकर्म कक्ष परिचर	01

31	डैसर	01
32	परिचारिकाएं	01 (ये परिचारिकाएं क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।)
प्रसव कक्ष		
33	कबालत व अमराजे निस्वां विशेषज्ञ	कबालत व अमराजे निस्वां विभाग के शिक्षक
34	मिडवाइफ	01
नैदानिक प्रयोगशाला		
35	विकृतिविज्ञानी अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञानी	01
36	प्रयोगशाला तकनीशियन	02
37	चपरासी अथवा परिचर	02
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
38	औषधशाला प्रभारी (इल्मुल अदविया वा सैदला के शिक्षक)	01
39	चपरासी अथवा परिचर	01
40	कामगार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
41	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
	कुल: 1. साठ शय्याओं के अस्पताल हेतु 2. सौ शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपयुक्त के अनुसार शिक्षण विभाग के 57 के वर्जित किए गए शिक्षक उपयुक्त के अनुसार शिक्षण विभाग के 71 के वर्जित किए गए शिक्षक

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
5. सर्शत अनुमति हेतु, अनिवार्य चिकित्सालय के 80 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-V

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें]

यूनानी कॉलेज शिक्षण स्टाफ का विवरण

क्रं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक (3)			61 से 100 छात्रों तक (4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	कुल्लियात	1 अथवा 1		1	1	1	1
(2)	तरीहुल बदन	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	मुनाफुल आज़ा	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	इल्मुल अदविया	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	इल्मुल सैदला	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	माहियातुल अमराज़	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	तहपफुज़ी व समाजी तिब्ब	1 अथवा 1		2	1	1	2
(8)	मुआलाजात	1 अथवा 1		2	1	1	2

(9)	निस्वां व कबालत	1 अथवा 1	1	1	1	2
(10)	इल्मुल अतफाल	1 अथवा 1	1	1	1	(10)
(11)	जराहत	1 अथवा 1	1	1	1	1
(12)	ऐन-उज़्ज-अन्फ-हलक व असनान	1 अथवा 1	1	1	1	1
(13)	अमराजें जिल्द व तज़ीनियत	1 अथवा 1	1	1	1	1
(14)	इलाज बिद तदबीर	1 अथवा 1	1	1	1	1
		14	16	14	14	17
	कुल	30		45		

टिप्पणी:

- उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 13 से 21) पर निर्दिष्ट अरबी का एक शिक्षक (अरबी भाषा तथा मंदीक -ओ- फल्सफा के लिए शिक्षण हेतु), सम्प्रेक्षण कौशल के शिक्षण हेतु एक शिक्षण तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति हेतु उपयुक्त बिन्दू 1 में यथा उल्लिखित न्यूनतम कोई पाँच होगी।
- साठ तक की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षकों की कमी प्रत्येक चौदह विभागों में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अतिरिक्त नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या न्यूनतम ग्यारह विभागों में वितरित बारह अध्यापकों अथवा प्रवाचकों से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण -स्वरूप - साठ तक की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम सताईस संकाय रखने होंगे, जिनमें से न्यूनतम ग्यारह विभागों से न्यूनतम बारह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- इक्सट से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षकों की कमी प्रत्येक चौदह विभागों में न्यूनतम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षकों के बीस प्रतिशत तथा कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या उन्नीस के कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण -स्वरूप - इक्सट से सौ सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम चालीस संकाय रखने होंगे, जिनमें से सभी चौदह विभागों से न्यूनतम उन्नीस प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त प्रध्यापक अथवा प्रवाचक उपलब्ध है, अतिरिक्त प्रध्यापकों पर प्रवाचक अथवा व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रवाचक पर व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा। उदाहरण -स्वरूप - इक्सट से सौ स्नातकीय सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में कुलीयत विभाग में एक प्रध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन प्रध्यापक अथवा एक प्रध्यापक तथा दो प्रवाचक अथवा एक प्रध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।
- तिब्बे कानुनी वा इल्लमुल समूम विभाग को तहफुजी वा समाजी तिब्बे विभाग के साथ मिला दिया गया है।

अनुसूची-VI

[विनियम 3, विनियम 6 विनियम, विनियम 7, विनियम 10, एवं विनियम 11 देखें]

यूनानी कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

क्र. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	4
3.	कुलीयत	परिचर	1
4.	तरीहुल बदन	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
5.	मुनाफुलआज़ा	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1

6.	इलमुल अदविया	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहलयपाल	1
7.	सैदला	दवासाज/ भैषजशाला सहायक	1
8.	महियातुल आमराज़	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
9.	निस्वां वा कबालत	परिचर	2
10.	इलमुल अत्फाल		
11.	तहपफुजी वा समाजी तिब्ब		
12.	मुआलाजात		
13.	जराहत		
14.	अमराजे ऐन-उज़्ज-अन्फ व हलक		
15.	इलाज बिद तदबीर		
16.	अमराजे जिल्द व तज़ीनियत		
17.	वनौषधि उद्यान	माली	1
		बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	2
कुल			21

टिप्पणी:

- सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है।
- सर्शत अनुमति हेतु, उर्पयुक्त के न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-VII

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें]

(क) शवविच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	यंत्र एवं उपकरण	60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक
अनिवार्य			
1.	2-4 शव रखने हेतु टैंक		वर्गीकृत
2.	बोन एवं ब्रेन के लिए सेक्शनिंग मशीन		वर्गीकृत
3.	डिसेक्शन सेट्स	15 सेट्स	25 सेट्स
4.	डिसेक्शन टेबल		
क)	फुल साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	04	06
ख)	हाफ साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	08	10
सामान्य			
5.	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स ओर पैनल	03	03
विविध			
6.	बोन कटर नं. 3/4, 1/2, 1/4, 1/8-फाईन पवाईटिड चेजल बोन डिसेक्टर		वर्गीकृत
7.	विभिन्न माप के कांच के जार		वर्गीकृत
8.	संरक्षण हेतु रसायन		वर्गीकृत

(ख) क्रिया शारीर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु
अनिवार्य			
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन	30	50
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट	60	100
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब	60	100
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	60	100
5.	हीमोसाइटोमीटर	60	100
6.	इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ	01	01
7.	स्टॉप वाच	60	100
8.	वाटर डिस्टिलेशन स्टिल	01	01
9.	वैलेंसेस	01	01
10.	स्पीड कंट्रोल सहित सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	03	06
11.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)	03	06
12.	पी.एच. मीटर इलेक्ट्रिक	01	01
13.	डिस्क सहित पी.एच. कम्पैरेटर	01	01
14.	स्फोग्मोमैनोमीटर	30	50
15.	स्टेथेस्कोप	60	100
16.	क्लीनिकल थर्मामीटर	60	100
17.	नी-हैमर	60	100
18.	ट्यूनिंग फोर्क्स	60	100
19.	स्टेरेलाइजर	05	05
सामान्य			
20.	रेफ्रीजरेटर	01	01
21.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच	01	01
विविध			
22.	कवर स्लिपस, ग्लासवेयर, माइक्रोस्लाइडस	वर्गीकृत	

(ग) सैदला प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61-100 छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	खल्व यंत्र		
(क)	छोटा	10	20
(ख)	मध्यम	10	20
(ग)	पोर्सेलेन	10	20
(घ)	तप्ता खल्व यंत्र	02	04
2.	पांडिंग अपार्टस (उलुखला यंत्र)	10	20
3.	पुटस (विभिन्न प्रकार के)	05	10
4.	क्यूबिबल्स	30	50
5.	डिस्टिलेशन एप्रेटस, करा अम्बिक, नल भबका इत्यादि जैसी परंपरिक पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए	03	06
सामान्य			
6	वेट ग्राइन्डर	01	01
7	मिक्सी	01	01
8	जूस एक्सट्रेक्टर	01	01
9	रेफ्रीजरेटर	01	01

10	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स	वर्गीकृत	
11	बेलेंस (विभिन्न क्षमता)		
क)	फिजिकल	01	01
ख)	केमिकल	01	01
12	हीटिंग डिवाइज		
(क)	गैस स्टोव	वर्गीकृत	
(ख)	हॉट प्लेट	वर्गीकृत	
(ग)	चूल्हा (चारकोल)	वर्गीकृत	
13	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर		
(क)	ब्रास	मिश्रित	
(ख)	कॉपर	मिश्रित	
(ग)	स्टील इत्यादि	मिश्रित	
विविध			
14	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन के उद्देश्य से	वर्गीकृत	
15	इनेमल ट्रेज	वर्गीकृत	
16	स्पीट लैम्प	वर्गीकृत	
17	प्रेसर कुकर	वर्गीकृत	
18	विभिन्न आकार के मेजरिंग इक्विपमेन्ट्स	वर्गीकृत	
19	पाइरोमीटर	वर्गीकृत	
20	थर्मामीटर	वर्गीकृत	
21	वेसल	वर्गीकृत	
(क)	फ्राइंग पेन	वर्गीकृत	
(ख)	स्टील वेसल	वर्गीकृत	
(ग)	स्पैटुला	वर्गीकृत	
(घ)	लैडल्स एण्ड स्पून्स	वर्गीकृत	
(ङ)	नाइफ	वर्गीकृत	
(च)	प्लेटस	वर्गीकृत	
(छ)	समदश यंत्र (टॉग्स)	वर्गीकृत	
(ज)	सीक्स (वर्गीकृत संख्या एवं माप के)	वर्गीकृत	

(घ) फार्माकोग्नोसी प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61-100 छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	फील्ड मैग्निफायर	01	01
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप	01	01
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	01	01
4.	माइक्रोस्कोप	15	25
5.	इलैक्ट्रोनिक्स बैलेन्स	01	02
विविध			
6.	स्लाइड बॉक्स कवर स्लिप्स सहित		
7.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर	वर्गीकृत	
8.	डिसेक्शन बॉक्स	वर्गीकृत	
9.	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत	
10.	रेयजेन्ट्स	वर्गीकृत	

(क)	क्लोरोफार्म	वर्गीकृत
(ख)	एल्कोहल	वर्गीकृत
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	वर्गीकृत
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड	वर्गीकृत
(ङ)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	वर्गीकृत
(च)	बैन्डिकट सोल्यूशन	वर्गीकृत
(छ)	सोडियम नाइट्रेट	वर्गीकृत
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट	वर्गीकृत
(झ)	साइट्रिक एसिड	वर्गीकृत
(ञ)	आयोडिन	वर्गीकृत
(ट)	इथाइल एल्कोहल	वर्गीकृत
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड	वर्गीकृत
(ड)	जायलोल/शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)	वर्गीकृत

(इ) माहियातुल अमराज प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	साठ की प्रवेश क्षमता तक	इक्सठ से सौ की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	15	25
2.	ऑयल इमलसन सहित माइक्रोस्कोप	15	25
3.	इमलसन ऑसल सहित लेंस 20 (छ) सहित मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	15	25
4.	एक्स रे व्यू वाक्स	01	01
5.	स्कैयर साहली ट्यूब	30	50
6.	एच.बी. पिपेट	30	50
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट	30	50
8.	ड्रॉपर	30	50
9.	रैड सेल पिपेट	30	50
10.	इम्प्रूव्ड न्योबार चैम्बर	30	50
11.	इन्क्यूबेटर	01	02
12.	विन्ट्रोब ट्यूब	30	50
13.	पैस्टयोर पिपेट	30	50
14.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	01	02
15.	वैस्टरग्रेन पिपेट	30	50
16.	वैस्टरग्रेन स्टेण्ड	30	50
17.	यूरिनोमीटर	30	50
18.	आटोक्लेव	01	01
19.	अल्ट्रावायलेट लैम्प	01	01
20.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	01	01
21.	बी.पी. एप्रेटस	30	50
22.	स्टेथस्कॉप	30	50
23.	थर्मामीटर	30	50
24.	टंग डिप्रेसर	30	50
25.	स्टॉप वाच	30	50

सामान्य			
26.	फिजिकल बैलेन्स	01	01
27.	हॉट एयर ओवन	01	01
28.	बनसन बर्नर	30	50
29.	रेफ्रिजरेटर	01	01
विविध			
30.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ बोतल नमूने एकत्र करने हेतु	वर्गीकृत	वर्गीकृत
31.	टार्च	वर्गीकृत	वर्गीकृत
32.	नी हेमर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
33.	मैजरिंग टेप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
34.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सेट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
35.	रिफ्लैक्टर (मिरर)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
36.	वेइंग मशीन	वर्गीकृत	वर्गीकृत
37.	ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत	वर्गीकृत
38.	नेजल स्पेकुलम	वर्गीकृत	वर्गीकृत
39.	लेरिजोस्कोप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
40.	कैथेटर्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
41.	प्रोब्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
42.	एचबीएस ए.जी. किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
43.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
44.	सीटी एण्ड बी.टी.किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
45.	रीनल प्रोफाइल, एल एफ टी किट, लाइपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
46.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/नीडिल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
47.	ग्लास रोड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
48.	सिरिंज नीडिल डेस्ट्रॉयर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
49.	कवर स्लिप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
50.	साफ स्लाइड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
51.	लिटमस पेपर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
52.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
53.	टेस्ट ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
54.	विभिन्न मापों की पृथक करने हेतु फनल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
55.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित कांच के जार	वर्गीकृत	वर्गीकृत
56.	कैपिलरी ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
57.	रबर शीट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
58.	मैग्नीफाइंग लेंस	वर्गीकृत	वर्गीकृत
59.	वाटर बॉथ	वर्गीकृत	वर्गीकृत
60.	मल्टी-स्टिक्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	अपेक्षित मात्रा
1.	शैडोलेस लैम्प	01
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)	01

3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क	01
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	01
5.	रेडिएन्ट वार्मर	01
6.	फोटो थैरेपी यूनिट	01
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)	01
8.	रोगी हेतु ट्रॉली	02
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली	01
10.	एन्फेन्टोमीटर	01
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	01
12.	फीटल डॉपलर	01
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स	02
14.	स्टरलाइजर	02
15.	मशीनोटोस रबर शीट	वर्गीकृत
16.	प्रसव एवं इपीसियोटोनी के लिए उपकरण (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)	वर्गीकृत
17.	बेबी ट्रे	02
18.	निबूलाइजर	01
19.	फीटोस्कोप	05
20.	ऑटो क्लेव	01
21.	ड्रम्स	वर्गीकृत
22.	इन्स्ट्रुमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23.	ऑपरेशन टेबल सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित	01
24.	पल्स ऑक्सीमीटर	01
25.	रिसक्सीसिटेशन किट	01
26.	बॉयलस एप्रेटस	01
27.	इलैक्ट्रोकोर्टरी	01
28.	एमटीपी सक्सन मशीन	01
29.	एनस्थीसिया किट	01
30.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर	10
31.	डायलेटर सैट (हेंगरस एण्ड हॉकिन्स)	05
32.	सिम्स स्पैकुलम	05
33.	सिस्कोस स्पैकुलम	05
34.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर	05
35.	यूटराइन साउन्ड	05
36.	वैलोस्लम	05
37.	एमटीपी सक्सन क्यूरेट	05
38.	रिट्रेक्टर्स एब्डोमिनल (डोइन इत्यादि)	05
39.	स्पंज हॉल्डिंग फोरसेप्स	05
40.	ग्रीन अर्मीटिज फारसेप्स	05
41.	यूटरस हॉल्डिंग फारसेप्स	05
42.	कोचर्स फॉरसेप्स	05
43.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो) प्रत्येक	05
44.	विभिन्न आकार की कैंची	05
45.	फारसेप्स आब्स्ट्रेटिक	05
46.	एन्डोट्रिकियल ट्यूब	05
47.	कार्ड काटने का उपकरण	05
48.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	05

49.	ब्लौडर साउन्ड	05
50.	बीपी एप्रैटस	02
विविध		
51.	आपातकालीन रोगी के लिए एच आई वी किट	वर्गीकृत
52.	प्लेन एवं होल टॉवल	वर्गीकृत
53.	टॉवल क्लिप्स	वर्गीकृत
54.	कटगटस एवं थ्रेड	वर्गीकृत
55.	नीडिल	वर्गीकृत
56.	नीडिल होल्डर	वर्गीकृत

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	आवश्यक मात्रा
I	जराहत	
अनिवार्य		
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सीलिंग फिटेड)	01
2.	नीडिल होल्डिंग फॉरसेप्स (बड़ी छोटी मध्यम आकार)	वर्गीकृत
3.	एसोर्टिड साइज के ड्रेसिंग ड्रम	वर्गीकृत
4.	ड्रम स्टैण्ड	वर्गीकृत
5.	आई.वी. स्टैण्ड	02
6.	चीटल्स फॉरसेप्स	04
7.	मोस्कीटो फॉरसेप्स	04
8.	सीधी कैंची (टेलर)	04
9.	विभिन्न साइज की कर्वड सीजर	05 प्रत्येक
10.	स्टिच रिमूवल सीजर	05 प्रत्येक
11.	डिसैक्शन फॉरसेप्स	04
12.	साइनस फॉरसेप्स	04
13.	प्रोब्स एसोर्टिड साइज	05 प्रत्येक
14.	पाइन्टेड सीजर्स	04
15.	एब्डामिनल रिटैक्टर्स	05
16.	टिशू फारसेप्स	05
17.	बैब कोक्स फारसेप्स	05
18.	कोचर्स फारसेप्स	05
19.	यूरिथ्रल डायलेटर	05 प्रत्येक
20.	मैटल कैथेटर	05 प्रत्येक
21.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स	04
22.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसेप्स	04
23.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स	04
24.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल	04
25.	एलीस फॉरसेप्स बिग	04
26.	आर्टरी फॉरसेप्स स्मॉल	04
27.	आर्टरी फॉरसेप्स बिग	04
28.	आर्टरी फॉरसेप्स मीडियम	04
29.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फलैक्सिबल	01
30.	बैरन पाइल्स गन	02
31.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)	01

32.	बोइल्स अपैरेटस	01
33.	मल्टीपैरामीटर मानीटर	01
34.	अम्बू बैग	02
35.	सक्शन मशीन इलेक्ट्रिकल/मैनुअल	01
36.	स्क्रीन ग्राफिंटिंग नाइफ हेन्डल सहित	वर्गीकृत
37.	विभिन्न माप के सर्जिकल ब्लेड्स	वर्गीकृत
38.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
39.	बोन कटर	02
40.	गिग्ली सॉ	02
41.	स्कूप	वर्गीकृत
42.	पैरीआस्टियम एलीवेटर	02
43.	मगल्स फॉरसैप्स	वर्गीकृत
44.	हाई प्रेशर आटोक्लेव	01
45.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर	01
46.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल	01
47.	बोइल्स अपैरेटस	01
48.	इन्स्ट्रुमेन्ट ट्राली	वर्गीकृत
49.	इन्डो ट्रेकियल ट्यूब	वर्गीकृत
50.	इल्यूमिनेशन सहित अथवा इल्यूमिनेशन रहित प्राक्टोस्कोप	02
51.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज	01
52.	ट्राली सहित स्ट्रेचर	02
53.	सक्शन मशीन	वर्गीकृत
सामान्य		
54.	इमरजेंन्सी पावर बेक अप सुविधा सहित	वर्गीकृत
55.	इमरजेंन्सी लाइट	04
56.	फायर एक्सटिंग्विशर	02
57.	बी.पी.एप्रेट्स	वर्गीकृत
58.	फ्यूमिगेटर	01
59.	रैफरीजिरेटर	01
60.	एक्स-रे व्यू बॉक्स(डबल)	02
61.	रिवाल्विंग स्टूल	वर्गीकृत
62.	वर्टीकल बी.पी. इन्स्ट्रुमेंट	01
63.	वर्गीकृत आकार के रबर केथेटर्स	वर्गीकृत
विविध		
64.	कारुगेटड डबल ड्रेन	वर्गीकृत
65.	विभिन्न आकार के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रैट/कर्वड)	वर्गीकृत
66.	सर्जिकल थ्रैड	वर्गीकृत
67.	विभिन्न आकार के बी पी.हेन्डल	वर्गीकृत
68.	निडिल हैल्डर	वर्गीकृत
॥	ऐन (नेत्र) नेत्रीय भाल्यकर्म के लिए आव"यक उपकरण/यन्त्र	
अनिवार्य		
69.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद हैड रेस्ट	01
70.	स्टैरिलायजिंग बॉक्स/ केस विद् मैटस	वर्गीकृत

71.	लेन्स इन्सेशन फॉरसेप्स	वर्गीकृत
72.	किरेटोम	वर्गीकृत
73.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
74.	कैट पॉ लैक्रिमल रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
75.	मूलर लैक्रिमल सैक रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
76.	दस्तुर आईरिस रियेक्टर	वर्गीकृत
77.	मीयरहाफर चेलोजियन क्यूरेट	वर्गीकृत
78.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक	वर्गीकृत
79.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर	वर्गीकृत
80.	फारेन बाडी स्पड	वर्गीकृत
81.	लेविस लैन्स लूप (वैक्टिस)	वर्गीकृत
82.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून	वर्गीकृत
83.	म्यूल एविसरेशन स्पून	वर्गीकृत
84.	आईरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डेड)	वर्गीकृत
85.	जेमसन मसल हुक	वर्गीकृत
86.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाईट	वर्गीकृत
87.	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर	वर्गीकृत
88.	कैली ग्लूकोमा पंच	वर्गीकृत
89.	इलिवेटर (डबल इण्डेड)	वर्गीकृत
90.	नेजल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)	वर्गीकृत
91.	वाइल्डर पंकटम डाइलेटर	वर्गीकृत
92.	बोमैन लैक्रिमल प्रोब	वर्गीकृत
93.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
94.	कोलिब्रो फॉरसेप्स 1* 2 टीथ	वर्गीकृत
95.	मैक फेर्सन कार्नल फॉर्सेप्स विद टाईंग प्लेटफार्म	वर्गीकृत
96.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड	वर्गीकृत
97.	मूर फ्रील्ड कंजक्टिवल फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
98.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
99.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
100.	अरूगा कैप्सुलर फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
101.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प	वर्गीकृत
102.	चलैज़ियन क्लैम्प	वर्गीकृत
103.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र	वर्गीकृत
104.	बराक्वयर नीडल होल्डर	वर्गीकृत
105.	एयर इन्जक्शन कैन्थूला	वर्गीकृत
106.	हीलान एस्पिरेटिंग कैन्थूला	वर्गीकृत
107.	ए.सी.वास कैन्थूला	वर्गीकृत
108.	लैक्रिमल कैन्थूला	वर्गीकृत
109.	हाइड्रोलाइसिस कैन्थूला	वर्गीकृत
110.	जे-लूप कैन्थूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)	वर्गीकृत
111.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्थूला विद सिलिकॉन ट्यूबिंग	वर्गीकृत
112.	इरिगेटिंग एस्पिरेटिंग हैण्डल	वर्गीकृत
113.	लैस डायलर	वर्गीकृत
114.	सुपीरीयर रेक्टस फारसेप्स	वर्गीकृत
115.	आई वास ग्लासेस (तर्पण कम हेतु)	वर्गीकृत
116.	स्विमिंग गागल्स (तर्पण कम हेतु)	वर्गीकृत

III	ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यंत्रों का विवरण	
अनिवार्य		
117.	आरल सिरिज	वर्गीकृत
118.	जाबसन्स आरल प्रोब	वर्गीकृत
119.	यूस्टेकियन कैथेटर	वर्गीकृत
120.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर	02
121.	मैस्टाइड गाग	वर्गीकृत
122.	मैलट	वर्गीकृत
123.	नेजल फारेन बॉडी हुक	04
124.	नेजल पेकिंग फॉरसेप्स	वर्गीकृत
125.	नेजल स्नेर	वर्गीकृत
126.	बेयोनेट शेड गाज	वर्गीकृत
127.	वाल्समैन फारसेप्स	वर्गीकृत
128.	लैरिन्जियल फारसेप्स	वर्गीकृत
129.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्सन	वर्गीकृत
130.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
131.	टांसिलर सक्सन	वर्गीकृत
132.	एडिनायड क्यूरेट विद केज	वर्गीकृत
133.	पेरीटांसिलर एबिसस डेनिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
134.	फुलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब	वर्गीकृत
135.	चीटल्स फारसेप्स	वर्गीकृत
विविध		
136.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान जैसे गल्प्स, सिरिज, बैन्डेजेस सूत्र आदि	वर्गीकृत

(ज) बहिरंग रूपण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	बहिरंग रूपण विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं	आवश्यक मात्रा
1.	मोआलाजात		
अनिवार्य			
		एक्स-रे व्यू बाक्स	01
		बी.पी. एप्रेटस	02
		स्टेथोस्कोप	04
		टार्च	02
		एग्जामिनेशन टेबल	01
		थर्मामीटर	04
		टंग डिप्रेसर	05
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	01
		मेजरिंग टेप	01
		नी हेमर	02
विविध			
		गल्प्स	वर्गीकृत
2.	जराहत		
अनिवार्य			
		एक्स-रे व्यू बाक्स	01
		स्टेथोस्कोप	04
		इंस्ट्रुमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन	02 सेट्स

		एग्जामिनेशन टेबल	01
		बी.पी. एप्रेटस	02
		थर्मामीटर	04
		टार्च	02
		चीटल फारसेप्स	वर्गीकृत
	सामान्य		
		माइनर ओ टी	वर्गीकृत
विविध			
		सर्जिकल ब्लेड्स	वर्गीकृत
3.	ऐन -उज्ज-अन्फ हलक वा अस्नान		
अनिवार्य			
		ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत
		आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप	02
		आरो स्कोप	02
		एग्जामिनेशन टेबल	01
		एक्स-रे ब्यूइंग बाक्स	01
		बी.पी. एप्रेटस	02
		स्टेथोस्कोप	04
		थर्मामीटर	04
		इ.एन.टी. किट	वर्गीकृत
		टार्च	02
		बुल्स लैम्प	01
4.	कवालत वा अमराजे निस्वां		
अनिवार्य			
		वेइंग मशीन	01
		सिम्स स्पैक्यूलम	02
		थर्मामीटर	04
		कस्कोस स्पैक्यूलम	02
		एग्जामिनेशन टेबल	01
		लैम्प स्टैण्ड	01
		टार्च	02
		एक्स-रे ब्यूइंग बाक्स	01
		बी.पी. एप्रेटस	02
		स्टेथोस्कोप	04
		मेजरिंग टेप	02
5.	अमराजे अतफाल		
अनिवार्य			
		स्केल	01
		वेइंग मशीन	01
		टार्च	02
		एक्स-रे ब्यू बाक्स	01
		थर्मामीटर	04
		पिडियेट्रिक कफ सहित बी.पी. एप्रेटस	02

		स्टेथोस्कोप	04
		एग्जामिनेशन टेबिल	01
6.	इलाज बित तदबीर	मोआलाजात के आधार पर	

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290 (124)]

टिप्पणी: अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No. 11-134/2016-Unani (MSR).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Unani Colleges and attached hospitals) Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirements of colleges for education in Unani system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) “college” means an Under-graduate Unani College or Institute;

(c) “attached hospital” means a teaching Unani hospital attached to the college;

(d) “Central Council” means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Requirements of Minimum Standard to grant of permission.- (1) (a) The Unani colleges established under section 13A and existing under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31st December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;

(b) the Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission;

(c) the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by Central Council from time to time;

(d) the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;

(e) after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;

(f) the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;

(g) the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) **Requirements of Minimum Standard to grant of permission for a period of five years-**(a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint; or if from online Bio-metric attendance it is found that teaching, non-teaching staff, hospital staff not present regularly, or hospital is not properly functional, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;

(b) any deficiencies arising within said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;

(c) colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to 2018-19 and 2015-16 to 2019-2020 shall maintain the requirements as specified under regulations 4 to 11 otherwise the permission for a period of five years shall be withdrawn.

(3) Requirements of Minimum Standard to grant of conditional permission of one year.- (a) The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of inspection by the Central Council between the 31st December to the 31st March for the succeeding academic session:

- (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
- (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
- (iii) availability of minimum seventy-five percent. of required equipment as specified in the Schedule-VII;
- (iv) availability of herbal garden as specified in the Schedule-III;
- (v) availability of hospital staff as specified in the Schedule-IV,
- (vi) availability of technical and other staff as specified in the Schedule-VI;
- (vii) availability of college council as specified in sub-regulation (1) of regulation 9;
- (viii) availability of college website as specified in sub-regulation (2) of regulation 9;
- (ix) availability of biometric attendance as specified in sub-regulation (3) of regulation 9; and
- (x) availability of minimum constructed area of college and hospital as specified in regulation 5;

(b) the colleges, which have been granted conditional permission or which have been denied permission for the academic session 2015-16 shall be required to fulfill the requirements as specified above in clause (a) to obtain the conditional permission of one year for particular academic session or for a period of five years as specified in these regulations 4 to 11.

4. Requirement of Land.-(1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.

- (2) For intake capacity from sixty-one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometers, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) For permission of the Central Government a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, shall be provided at the time of applying.
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period of not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

5. Requirement of minimum constructed area.- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.

- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters respectively.
- (3) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in Schedule-I and Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after the 19th February, 2013.
- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in Schedule-III.

6. Admission Capacity.-The annual intake capacity of the colleges shall be in the slabs of sixty and hundred and the colleges having intake capacity of less than sixty or sixty-one to hundred seats, shall comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as specified in Schedules-I to VII.

7. Requirements of teaching Hospital.- (1)The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).

(2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty percent. and 1:2 respectively, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300 days) (1:2 student-patient ratio)
Up to sixty students	60 beds	24	120
Sixty-one to hundred students	100 beds	40	200

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied X100

Number of beds X Number of days

(3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients:**(i)The College and hospital shall maintain the web based computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Unani hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.

(ii)For conditional permission, the College and hospital shall maintain the computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, the college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records to substantiate the claim of genuine functional Unani hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 and the computerised central registration system shall be web based from the 1st December, 2016. Colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall be required to maintain web based computerised central registration system from the 1st December, 2016.

(4) **Space requirement:** The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Ilaj Bid Tadbeer therapy section, Operation Theatre, Labour Room, Store Rooms, separate wards for male and female, Duty Rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital, and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per Schedule-I.

(5) **Out-Patient Department:** The hospital shall have minimum six following Out-Patient Departments, namely-

- Moalajat (Medicine)
- Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Surgery including Eye, Ear, Nose, Throat and Dental)
- Qabalat wa Amraz-e-Niswan (Obstetrics and Gynaecology)

- (d) Amraze Atfal (Paediatrics)
- (e) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Skin and Cosmetology)
- (f) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Community Medicine)

NOTE: In addition of above, there shall be a separate section of Ilaj Bit Tadbeer.

- (6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under-

In Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Moalajat including Ilaj bit Tadbeer and Amraz-e- Jild wa Tazeeniyat)	50% beds	30	50
Jarahat including Ain, Uzn, Anaf wa Halaq	25% beds	15	25
Qabalat wa Amraze Niswan wa Atfal	25% beds	15	25

- (7) **Tashkhees Amraz (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in Schedule I, Schedule-IV, Schedule-V and Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and haematological investigations and Unani diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

- (8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.

8. Requirements of College.- (1) (a) **Teaching Staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for admissions of upto sixty students and sixty-one to hundred students respectively with the addition of ten part time teachers [eight teachers of Modern Medicine, one teacher of Arabic (to teach Arabic language as well as Mantiq-o-Falsafa) and one teacher to teach Communication Skills] for each slab as specified in the Schedule-V, the teacher fulfilling the eligibility norms of the related teaching post or subject teacher shall be appointed on deputation or contractual basis.

- (b) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time teacher.
- (c) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be on the website of colleges.
- (d) The list of all the teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.

- (2) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as specified in Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.- (1) **College Council:** (a) Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of Departments as members and Principal or Dean as Chairperson;

- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and
- (c) the College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

- (2) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website, wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc;
- (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc.;
- (c) details of the non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
- (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduate;
- (e) list of students admitted, merit-wise, course-wise for the current and previous year;
- (f) any research publications during the last one year;

- (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital;
 - (m) the College website shall be linked with the CCIM website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and
 - (n) the Month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.
- (3) **Biometric Attendance:** (i) It is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (ii) For conditional permission biometric attendance shall be web based and CRC linked from the 1st December, 2016.
- (iii) The colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall maintain web based and CRC linked biometric attendance from the 1st December, 2016.

10. Phase-wise specific requirements of new colleges.- (1) An Unani college seeking permission for starting Kamiletib O Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

(a) Before admission of the first batch of students, the college shall have-

- (i) at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building as specified in regulations 4 and 5 with functional Unani hospital prior two years from the date of application, having number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all the teachers with the requisite qualifications as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or clinical teacher, each of Moalajat, Ilaj Bid Tadbeer, Jarahat, Ain, Uzn, Anaf wa Halaq, Amraze Niswan wa Ilmul Qabalat and Amraze Atfal appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or two year prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
- (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
- (v) well-equipped and furnished two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year teaching as specified in Schedules - I to VII;
- (vi) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for upto sixty seats and sixty-one to one hundred seats respectively with plantation of minimum one hundred species of medicinal plants;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and
- (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;

- (ii) all the teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Moalajat, Ilaj Bid Tadbeer, Jarahat, Ain, Uzn, Anaf wa Halaq, Amraze Niswan wa Iimul Qabalat and Amraze Atfal departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and
 - (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-
- (i) there shall be functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Moalajat, Ilaj Bid Tadbeer, Jarahat, Ain, Uzn, Anaf wa Halaq, Amraze Niswan wa Iimul Qabalat and Amraze Atfal departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staffs specified in Schedule-VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
 - (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (Saidla) and Quality Testing Laboratory attached to Department of Pharmacy with minimum area as specified in Schedule –II and equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
 - (ix) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (i) there shall be functional Unani hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth i.e. final professional years of teaching and training shall be appointed;
 - (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with as specified in these regulations 4 to 11;
 - (iv) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for upto sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
 - (v) a fully developed medicinal plants garden as specified in Schedule-III;
 - (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules I to VII;

- (vii) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and casualty management in the hospital; and
- (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) (a) The permission to establish a new medical college and admission to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub-regulation (1).
- (b) it shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (c) This process of renewal of permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.
- (3) The person or Medical College who applies under section 13A of the Act for establishment of new medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity, shall be required to maintain web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked biometric attendance system for teaching staff and web based biometric attendance system for non-teaching college staff, hospital staff and web linked computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-patient department and In-patient department of the hospital. These requirements for those applicants who applied in the year 2015 shall not be taken into consideration for issuance of the Letter of Intent but they shall be fulfilled these requirements before issuance of the Letter of Permission for the academic session 2016-17.

11. List of equipments, machineries, etc.- To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent of required equipment, machineries etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedules-I to VII.

12. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Unani Colleges.-(1) The process of grant or denial of permission to the Unani colleges for taking admissions in the Unani colleges shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admission in Unani colleges shall be the 30th September of each academic session.

SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF UNANI COLLEGE

S.No	Particulars	Built up area (in sq.mt.)	
		Up to sixty students intake	Sixty-one to hundred students intake
1	2	3	4
I.	Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II.	Hospital Administration Block:	100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officer's (for 2 Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for 2)		
6.	Reception and Registration		
III.	Out-Patient Departments (OPD)	300	500
1.	Moalajat OPD with wash basin		
2.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan OPD with wash basin and Examination Room		
3.	Qabalatwa Amraze Niswan OPD with toilet and Examination Room		
4.	Amraze Atfal OPD with wash room		
5.	Amraze Jild wa Tazeeniyat OPD with wash basin		
6.	Tahaffuzi wa Samaji Tib OPD with wash basin		

7.	Dressing and First Aid Room		
8.	Dispensary		
9.	Waiting Space for patients		
10.	Store		
11.	Separate Male and Female Toilets for patients and Staff		
IV.	In-Patient Department(IPD)	900	1650
1.	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer Male Ward with attached toilet and bath room		
2.	Moalajat including Ilaj bit Tadbeer Female Ward with attached toilet and bath room		
3.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaqwa Asnan Male Ward with attached toilet and bath room		
4.	Jarahat including Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan Female Ward with attached toilet and bath room		
5.	Qabalat wa Amraze Niswan wa Atfal Ward with attached toilet and bath room		
6.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet- bath		
7.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath		
8.	Store room for linen, etc.		
V.	Operation Theatres Block	150	250
1.	Operation Theatre for Major and Minor Procedures		
2.	Labour Room with attached toilet and bath room		
3.	Neonatal care room		
4.	Central Sterilization or autoclave unit		
5.	Scrub room		
6.	Two Recovery room		
7.	Doctors' duty room with attached toilet and bath room		
8.	Interns or house officer or resident doctors room with attached toilet and bath room.		
9.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI.	Ilaj bit Tadbeer Block:	275	500
1.	Hammam		
2.	Dalak		
3.	Riyazat		
4.	Fasad		
5.	Kai,		
6.	Alq, Hajamat etc		
7.	Ilaj bil Tadbeer therapist Physicians Room		
8.	Ilaj bil Tadbeer Store room		
9.	Physiotherapy room		
VII.	Clinical Laboratory: Well equipped and spacious area with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other latest diagnostic facilities such as ECG also shall be provided.	100	150
VIII	Radiology or Sonography section Radiology chamber with X-ray room, Dark room, film drying room, store room, USG room, patients waiting and dressing room, reception or registration orreport room	50	100
IX.	Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
X.	Store room	25	50
	TOTAL	2,000	3,500

Note.-

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of attached hospital shall be as per the area mentioned in regulation 5.

2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Unani College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students shall correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned in regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the 19th February, 2013.
4. For conditional permission, total constructed area of attached hospital of the college may vary within plus or minus twenty percent as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN UNANI COLLEGE

S.No	Particulars	Built up area (in square meter)	
		Up to sixty students intake	Sixty-one to hundred students intake
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total constructed area of college building	2,000	4,000
(1)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee Room, Clerk's room and Accounts section, Record room, Central Store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecturer Halls: There shall be 5 Lecturer halls of 80 sq. mt. for 60 students and 5 Lecture halls for above 61 to 100 students, of 160 sq.mt. area, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans/coolers and comfortable sitting arrangement preferable theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar/Conference/Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(4)	Library: A library shall have seating capacity for 50 students for 60 intake and 80 students for 100 intake, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier/video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans/coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have 2500 books of different titles of Unani, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The college with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200
(5)	Teaching Departments: There shall be 14 Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department.	Total 1200 sq.mt. and break up may be as follows:	Total 2400 sq.mt. and break up may be as follows:
	Department wise area requirement shall be as under:-	50	100
	(i) Deptt. of Kulliyat plus Departmental library cum tutorial room;		
	(ii) Deptt. of Tashreeh ul Badan and a well-ventilated Dissection Hall well-Ventilated with exhaust fans and preferable air-conditioned, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Tashreeh ul badan museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
(iii) Deptt. of Munafe-ul-Aza and Munafe-ul-Aza (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	75	150	

	(iv) Deptt. of Ilmul Advia and Herbarium-cum Advia museum, Pharmacognosy, Pharmacology and drug testing labs;	100	200
	(v) Deptt. of Saidla with teaching pharmacy;	75	150
	(vi) Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib plus museum;	75	150
	(vii) Deptt. of Mahiyatul Amraz plus Pathology Laboratory;	50	100
	(viii) Department of Moalajat;	75	150
	(ix) Department of Ilaj bit Tadbeer;	50	100
	(x) Department of Jarahat and museum cum tutorial room	75	150
	(xi) Department Amraze Ain, Uzn, Anf wa Halaq and museum cum tutorial room;	75	150
	(xii) Department of Niswan wa Qabala and museum cum tutorial room; and	75	150
	(xiii) Department of Amraze Atfal and museum cum tutorial room; and	50	100
	(xiv) Department of Amraze Jild wa Tazeeniyat and tutorial room <i>*Note- working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.</i>	50	100
(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Unani Medicines, a raw drugs store and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	100	200
(7)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and sitting arrangement shall be available.	50	100
(8)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about 100 persons shall be available in the college premise.	50	100
	Total	2,000	4,000
Note:			
1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of an Unani College shall be as per the area mentioned in regulation 5.			
2. For conditional permission, total constructed area of the college may vary within plus or minus twenty per cent. as per the area mentioned in regulation 5.			

SCHEDULE-III

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN UNANI COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Area (in square meter)	
		<i>Up to sixty students</i>	<i>Sixty-one to hundred students</i>
		(3)	(4)
(1)	(2)		
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty-five to fifty square meter area shall exist with the college.	2500	4000

Note.-

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty percent. within the total area of Unani College as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum one hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN UNANI COLLEGE HOSPITAL STAFF

S.No.	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Hospital Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Hospital Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. The qualification shall be BUMS and PG Degree in clinical subject or BUMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments
4.	Resident Medical Officers/ Resident Surgical/Medical Officer/Clinical Registrar (RMO or RSO or MO or CR)	Five (One of Moalajat, Two of Niswan wa Qabalat , One of Jarahat and One of Amraze Atfal) Qualification : The qualification shall be BUMS.
5.	Matron/Nursing Superintendent	One
6.	Staff nurses for In Patient Deptt.	One for every ten beds
7.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
8.	Pharmacists	Two
9.	Dresser	Two
10.	Store Keeper	One
11.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
12.	Dark-room Attendant	One
Modern Medical Staff		
13.	Medical Specialist	One part time/on contract
14.	Surgical Specialist	One part time/on contract
15.	Obstetrician and Gynecologist	One part time/on contract
16.	Pathologist	One part time/on contract
17.	Anaesthesiologist	One part time/on contract
18.	Ophthalmologist	One part time/on contract
19.	Pediatrician	One part time/on contract
20.	Radiologist	One part time/on contract
21.	Dentist	One part time/on contract
22.	Physiotherapist	One part time/on contract
23.	X-Ray Technician/ Radiographer	One
Staff for Ilaj bit tadbeer Therapy Section for Out-patient Department (OPD) and In-Patient Department (IPD)		
24.	Ilaj bit Tadbeer Specialists	Teachers of Ilaj bit Tadbeer department.
25.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Unani)	One
26.	Ilaj bit tadbeer Nurse	One (in addition to the nurses indicated at S.No.6).
27.	Ilaj bit tadbeer Assistant	One Male and One female
28.	Messieurs	One Male and One female
Staff of Operation Theatre		
29.	Jarahat Specialists	Teachers of Ilmu Jarahat department
30.	Operation Theatre Attendant	One
31.	Dresser	One
32.	Nurse	One (in addition to the nurses indicated at S.No.6)
Labour Room		
33.	Qabalat wa Amraze Niswan Specialists	Teachers of Qabalat wa Amraze Niswan department
34.	Midwife	One

Clinical Laboratory		
35.	Pathologist/Microbiologist	One
36.	Laboratory Technicians	Two
37.	Peon or Attendant	Two
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
38.	Pharmacy Incharge (Teachers of Ilmul Advia wa Saidla deptt.)	One
39.	Peon or Attendant	One
40.	Workers	Two (need base more number)
41.	Analytical Chemist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
42.	Pharmacognosist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
	Total:	
	i. For sixty bedded hospital	Fifty-seven excluding teachers of teaching departments as mentioned above
	ii. For hundred bedded hospital	Seventy-one excluding teachers of teaching departments as mentioned above
Note: -		
(1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.		
(2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.		
(3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.		
(4) Services of the non-technical staff such as Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.		
(5) For conditional permission, minimum eighty percent. of above hospital staff shall be required.		

SCHEDULE-V

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN UNANI COLLEGE

S. No	Teaching Department	Requirement of teaching staff					
		Upto 60 students			From 61 to 100 students		
(1)	(2)	(3)			(4)		
		Prof	Associate Prof.	Assistant Prof.	Prof	Associate Prof.	Assistant Prof.
1.	Kulliyat	1	or 1	1	1	1	1
2.	Tashreehul badan	1	or 1	1	1	1	1
3.	Munafeul Aza	1	or 1	1	1	1	1
4.	Ilmul Advia	1	or 1	1	1	1	1
5.	Ilmul Saidla	1	or 1	1	1	1	1
6.	Mahiyatul Amraz	1	or 1	1	1	1	1
7.	Tahaffuzi wa Samaji Tib	1	or 1	2	1	1	2
8.	Moalajat	1	or 1	2	1	1	2
9.	Niswan wa Qabalat	1	or 1	1	1	1	2
10.	Ilmul Atfal	1	or 1	1	1	1	1
11.	Jarahat	1	or 1	1	1	1	1
12.	Ain, uzn. Halaq wa asnan	1	or 1	1	1	1	1
13.	Amraze Jild wa Tazeeniyat	1	or 1	1	1	1	1
14.	Ilaj bit Tadbeer	1	or 1	1	1	1	1
		14		16	14	14	17
	Total		30			45	

Note:

- (i) Apart from above, one teacher of Arabic (to teach Arabic language as well as Mantiq-o-Falsafa), one teacher to teach Communication Skills and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.13 to 21) shall be engaged for teaching on part time basis. For Pre-tib additional teachers to teach science and English shall be engaged on contract or Part time basis.
- (ii) The requirement of part time teachers shall be minimum any five as mentioned above in point i. for conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- (iii) The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten percent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than eleven Professors or Readers distributed in minimum eleven Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having up to sixty seats intake capacity shall have minimum twenty-seven total faculties, out of which minimum eleven Professors or Readers covering not less than eleven Departments.
- (iv) The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten percent. of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty percent. of total teachers with availability of minimum one Higher faculty and one Lecturer in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than nineteen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have minimum forty total faculties, out of which minimum nineteen Professors or Readers covering all fourteen Departments.
- (v) Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor shall be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader shall be considered against the requirement of Lecturer. For example- in a college with intake capacity from sixty-one to hundred under graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Kulliyat, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.
- (vi) The Department of Tibbe Qanooni Wa Ilmul Samoom has been merged in Tahafuzi Wa Samaji Tib Department.

SCHEDULE-VI

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN UNANI COLLEGE

S.No.	Department	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Library	Librarian/Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2.	College Office	Clerical staff for administrative accounts services	Four
3.	Kulliyat	Attendant	One
4.	Tashreehul Badan	Laboratory Technician	One
		Museum Keeper	One
5.	Munafeul Aza	Laboratory Technician	One
		Museum Keeper	One
6.	Ilmul Advia	Laboratory Technician	One
		Museum Keeper	One
7.	Saidla	Dawasaz/Pharmacy Attendant	One
8.	Mahiyatul Amraz	Laboratory Technician	Two
9.	Niswan wa Qabalat	Attendant	Two
10.	Ilmul Atfal		
11.	Tahaffuzi wa Samaji Tib		
12.	Moalajat		
13.	Jarahat		

14.	Amraze Ain, uzn, Anf wa Halaq		
15.	Ilaj bit Tadbeer		
16.	Amraze jild wa Tazeeniyat		
17.	Herbal Garden	Gardener	One
		Multipurpose worker	Two
		Total	Twenty-one

Note:

1. The Sweeper, Attendant, Lifter, Laboratory Assistant, Data Entry Operator (DEO), Multipurpose Worker may be on contractual basis.
2. For conditional permission, minimum eighty percent. of above technical and other staff shall be required.

SCHEDULE-VII

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL:

S. No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	Assorted	
2.	Machines for bones and brain sectioning	Assorted	
3.	Dissection Sets	Fifteen Sets	Twenty-five sets
4.	Dissecting Table		
a)	Full size with steel top or marble top stainless	Four	Six
b)	Half size with steel top or marble top stainless	Eight	Ten
General			
5.	X-ray viewing box or panels	Three	Three
Miscellaneous			
6.	Bone cutter of the number $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ - fine pointed Chisel bone dissector	Assorted	
7.	Glass jars of different sizes	Assorted	
8.	Preservative Chemicals	Assorted	

(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Microscopes with oil immersion	Thirty	Fifty
2.	Westergen's pipette for ESR	Sixty	Hundred
3.	Haematocrit Tube	Sixty	Hundred
4.	Sahli's Haemoglobinometer	Sixty	Hundred
5.	Haemocytometer	Sixty	Hundred
6.	Electrocardiograph	One	One
7.	Stop watches	Sixty	Hundred
8.	Water Distillation still	One	One
9.	Balances	One	One
10.	Centrifuge with speed control	Three	Six
11.	Colorimeter (photoelectric)	Three	Six
12.	pH meter Electric	One	One
13.	pH comparator with disc	One	One
14.	Sphygmomanometer	Thirty	Fifty
15.	Stethoscopes	Sixty	Hundred
16.	Clinical Thermometer	Sixty	Hundred

17.	Knee Hammer	Sixty	Hundred
18.	Tuning forks	Sixty	Hundred
19.	Sterilizer	Five	Five
General			
20.	Refrigerator	One	One
21.	Newton's colour wheel In a batch	One	One
Miscellaneous			
22.	Cover slips, glassware, Microslides (assorted)	Assorted	

(C) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR SAIDL A LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Pestle and Mortar-		
a.	Small	Ten	Twenty
b.	Medium	Ten	Twenty
c.	Porcelain	Ten	Twenty
d.	Iron	Two	Four
2.	Pounding Apparatus	Ten	Twenty
3.	Putas (Different kind)	Five	Ten
4.	Crucibles	Thirty	Fifty
5.	Distillation Apparatus including traditional methods such as Qara Ambiq, Nal Bhabka etc.	Three	Six
General			
6.	Wet Grinder	One	One
7.	Mixi	One	One
8.	Juice Extractor	One	One
9.	Refrigerator	One	One
10.	Almirahs & Racks for storage	Assorted	
11.	Balance (Different Capacities)		
a.	Physical	One	
b.	Chemical	One	
12.	Heating Device-		
a.	Gas Stove	Assorted	
b.	Hot plate	Assorted	
c.	Chulla (Charcoal)	Assorted	
13.	Big Vessels & Containers-		
a.	Brass	Assorted	
b.	Copper	Assorted	
c.	Steel etc.	Assorted	
Miscellaneous			
14.	Jars (Porcelain) Fermentation Purpose	Assorted	
15.	Enamel Trays	Assorted	
16.	Spirit Lamp	Assorted	
17.	Pressure Cooker	Assorted	
18.	Measuring Equipments Different Size (Glass)	Assorted	
19.	Pyrometer	Assorted	
20.	Thermo meter	Assorted	
21.	Vessels-		
a.	Frying Pan	Assorted	
b.	Steel Vessel	Assorted	
c.	Spatula	Assorted	
d.	Ladles & Spoons	Assorted	
e.	Knife	Assorted	

f.	Plates	Assorted
g.	Tongs	Assorted
h.	Sieves (Assorted Nos. & Size)	Assorted

(D) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHARMACOGNOSY LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Field magnifier	One	One
2.	Compound microscope	One	One
3.	Dissecting Microscope	One	One
4.	Microscope	Fifteen	Twenty-five
5.	Electronic balance	One	Two
Miscellaneous			
6.	Slides box with cover slips,		Assorted
7.	Blotting/filter papers		Assorted
8.	Dissection Box		Assorted
9.	Enamel Trays		Assorted
10.	Reagents-		
a.	Chloroform		Assorted
b.	Alcohol.		Assorted
c.	HCL		Assorted
d.	Sulphuric acid		Assorted
e.	Sodium, potassium hydroxide		Assorted
f.	Benedict solution		Assorted
g.	Sodium nitrate		Assorted
h.	Potassium nitrate		Assorted
i.	Citric acid		Assorted
j.	Iodine		Assorted
k.	Ethyl Alcohol		Assorted
l.	Potassium Iodide		Assorted
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)		Assorted

(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MAHIYATUL AMRAZ LABORATORY:

S.No	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Binocular microscope	Fifteen	Twenty-five
2.	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five
3.	Monocular microscope with oil emersion lens20(e)	Fifteen	Twenty-five
4.	X-ray view box	One	One
5.	Sahli's Square tube	Thirty	Fifty
6.	Hb pipette	Thirty	Fifty
7.	WBC Pipette	Thirty	Fifty
8.	Dropper	Thirty	Fifty
9.	Red cell pipette	Thirty	Fifty
10.	Improved Neubauers chamber	Thirty	Fifty
11.	Incubator	One	Two
12.	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty

13.	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty
14.	Centrifuge Graduated machine	One	Two
15.	Westergren's pipette	Thirty	Fifty
16.	Westergren's stand	Thirty	Fifty
17.	Urinometer	Thirty	Fifty
18.	Autoclave	One	One
19.	Ultraviolet lamp	One	One
20.	Cell counter (haemoautoanalyser)	One	One
21.	BP Apparatus	Thirty	Fifty
22.	Stethoscope	Thirty	Fifty
23.	Thermometer	Thirty	Fifty
24.	Tongue depressor	Thirty	Fifty
25.	Stop watch	Thirty	Fifty
General			
26.	Physical balance	One	One
27.	Hot air oven	One	One
28.	Bunsen burner	Thirty	Fifty
29.	Refrigerators	One	One
Miscellaneous			
30.	Sterile vessels / bottle to collect samples	Assorted	Assorted
31.	Torch	Assorted	Assorted
32.	Knee hammer	Assorted	Assorted
33.	Measuring Tape	Assorted	Assorted
34.	ENT examination set	Assorted	Assorted
35.	Reflectors(Mirrors)	Assorted	Assorted
36.	Weighing machine	One	One
37.	Tuning Forks	Assorted	Assorted
38.	Nasal speculum	Assorted	Assorted
39.	Laryngoscope	Assorted	Assorted
40.	Catheters	Assorted	Assorted
41.	Probes	Assorted	Assorted
42.	HBs Ag kit	Assorted	Assorted
43.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)	Assorted	Assorted
44.	CT and BT kit	Assorted	Assorted
45.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit	Assorted	Assorted
46.	Sterile disposable lancet/needle	Assorted	Assorted
47.	Glass rod	Assorted	Assorted
48.	Syringe needle destroyer	Assorted	Assorted
49.	Cover slip	Assorted	Assorted
50.	Cleaned slides	Assorted	Assorted
51.	Litmus paper	Assorted	Assorted
52.	pH indicator paper strips	Assorted	Assorted
53.	Test tube	Assorted	Assorted
54.	Separating funnels of various sizes	Assorted	Assorted
55.	Glass Jars with lid of different sizes	Assorted	Assorted
56.	Capillary Tubes	Assorted	Assorted
57.	Rubber teat	Assorted	Assorted
58.	Magnifying lens	Assorted	Assorted
59.	Water bath	Assorted	Assorted
60.	Multi stix	Assorted	Assorted

(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM:

S. No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Shadow less Lamp	One
2.	Suction Machine (Neonatal)	One
3.	Oxygen Cylinder and Mask	One
4.	Foetal Toco Cardiograph	One
5.	Radiant Warmer	One
6.	Photo therapy Unit	One
7.	Weighing Machine (Paediatric)	One
8.	Patient trolley	Two
9.	Anaesthesia trolley	One
10.	Infantometer	One
11.	Vacuum extractor	One
12.	Foetal Doppler	One
13.	Low cavity forceps	Two
14.	Steriliser	Two
15.	Machintosh rubber sheet	Assorted
16.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17.	Baby tray	Two
18.	Nebuliser	One
19.	Foetoscope	Five
20.	Auto Clave	One
21.	Drums	Assorted
22.	Instrumental Trolley	Assorted
23.	OT tables and head Up and head Low facility	One
24.	Pulse Oximeter	One
25.	Resuscitation kit	One
26.	Boyle's apparatus	One
27.	Electrocautery	One
28.	MTP Suction Machine	One
29.	Anaesthesia Kit	One
30.	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32.	Sims's Speculum	Five
33.	Cysco's Speculum	Five
34.	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35.	Uterine sound	Five
36.	Volsellum	Five
37.	MTP Suction Currate	Five
38.	Retractors abdominal (Doyne's etc.)	Five
39.	Sponge holding forceps	Five
40.	Green armytage forceps	Five
41.	Uterus holding forceps	Five
42.	Kocher's forceps	Five
43.	Artery forceps (Long, short, Mosquito) Each	Five
44.	Scissors- different sizes	Five
45.	Forceps obstetrics	Five
46.	Endotrachial tubes	Five
47.	Cord Cutting appliances	Five
48.	I.U.C.D. removing hook	Five
49.	Bladder Sound	Five
50.	B.P. apparatus	Two

Miscellaneous		
51.	HIV kit for emergency patients	Assorted
52.	Plain and Hole towels	Assorted
53.	Towel Clips	Assorted
54.	Catguts and Thread	Assorted
55.	Needles	Assorted
56.	Needle holders	Assorted

(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE:

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
I	Jarahat	
Essential		
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)	One
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Assorted
3.	Dressing drums of Assorted size	Assorted
4.	Drum stand	Assorted
5.	IV Stand	Two
6.	Cheatles Forceps	Four
7.	Mosquito forceps	Four
8.	Scissors straight (Tailor)	Four
9.	Scissors curved of different sizes	Five each
10.	Stitch removal scissors	Five each
11.	Dissection forceps	Four
12.	Sinus Forceps	Four
13.	Probes - Assorted size	Five each
14.	Pointed scissors	Four
15.	Abdominal Retractors	Five
16.	Tissue Forceps	Five
17.	Bob Kock's Forceps	Five
18.	Kocher's Forceps	Five
19.	Urethral Dilators	Five each
20.	Metal Catheters	Five each
21.	Sponge holding forceps	Four
22.	Right Angle cholecystectomy Forceps	Four
23.	Stone holding forceps	Four
24.	Allies Forceps small	Four
25.	Allies Forceps Big	Four
26.	Artery Forceps small	Four
27.	Artery Forceps big	Four
28.	Artery Forceps Medium	Four
29.	Sigmoidoscope Rigid/flexible	One
30.	Barron Pile's Gun	Two
31.	Laryngoscope Pediatric/Adult	One
32.	Boyles Apparatus	One
33.	Multi-parameter Monitor	One
34.	Ambu Bag	Two
35.	Suction machine Electrical or Manual	One
36.	Skin grafting knife with handle	Assorted
37.	Surgical blades of different size	Assorted
38.	Self-Retaining Retractor	Assorted

39.	Bone cutter	Two
40.	Gigli Saw	Two
41.	Scoop	Assorted
42.	Periosteum elevator	Two
43.	Maggles Forceps	Assorted
44.	High Pressure Autoclave	One
45.	Nitrous Oxide Cylinder	One
46.	Hydrolic Operation Table	One
47.	Boyle's Apparatus	One
48.	Instrument Trolley	Assorted
49.	Endotracheal Tube	Assorted
50.	Proctoscope with or without illumination	Two
51.	Gabrial Syringe	One
52.	Strecher with trolley	Two
53.	Suction Machine	Assorted
General		
54.	Emergency power back up facility	Assorted
55.	Emergency light	Four
56.	Fire Extinguisher	Two
57.	BP Apparatus	Assorted
58.	Fumigator	One
59.	Refrigerator	One
60.	X-ray View Box (double)	Two
61.	Revolving Stool	Assorted
62.	Vertical BP Instrument	One
63.	Rubber catheters of Assorted size	Assorted
Miscellaneous		
64.	Corrugated rubber drain	Assorted
65.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size	Assorted
66.	Surgical Thread	Assorted
67.	BP Handle of different size	Assorted
68.	Needle holder	Assorted
II AIN (EYE): Ophthalmic Equipment or Instruments for Operative Surgery		
Essential		
69.	Ophthalmic Operation table with Head rest	One
70.	Sterilizing box/case with matts	Assorted
71.	Lens insertion Forceps	Assorted
72.	Keratome	Assorted
73.	Desmarres lid retractors	Assorted
74.	Cat-paw lacrimal retractor	Assorted
75.	Mueller lacrimal sac retractor	Assorted
76.	Dastoor iris retractor	Assorted
77.	Meyrhoefer Chalazion currete	Assorted
78.	Sinsky lens manipulating hook	Assorted
79.	IOL Manipulator	Assorted
80.	Foreign body spud	Assorted
81.	Lewis lens loop (vectis)	Assorted
82.	Cystotome and spoon	Assorted
83.	Mule Evisceration spoon	Assorted
84.	Iris repository (double-ended)	Assorted
85.	Jameson muscle hook	Assorted
86.	Wills cautery with copper ball-point	Assorted

87.	Langs lacrimal sac dissector	Assorted
88.	Kelly Glaucoma punch	Assorted
89.	Elevator (double ended)	Assorted
90.	Nasal speculum adult/child	Assorted
91.	Wilder punctum Dilator	Assorted
92.	Bowman lacrimal probes	Assorted
93.	Hartman mosquito forceps	Assorted
94.	Colibri forceps 1*2 teeth	Assorted
95.	Mc. person corneal forceps with tying platform	Assorted
96.	Dressing forceps, serrated	Assorted
97.	Moorfield conjunctival forceps	Assorted
98.	Fixation forceps	Assorted
99.	Beer cilea (epilation) forceps	Assorted
100.	Arruga capsular forceps	Assorted
101.	Snellen Entropion clamp	Assorted
102.	Chalazion clamps	Assorted
103.	Vannas straight scissors	Assorted
104.	Barraquer needle holder	Assorted
105.	Air injection cannula	Assorted
106.	Healon aspirating cannula	Assorted
107.	AC washout cannula	Assorted
108.	Lacrimal cannula	Assorted
109.	Hydrodialysis cannula	Assorted
110.	J-loop cannula (Right/Left With silicon tubing)	Assorted
111.	Simcok direct I/A cannula with silicon tubing	Assorted
112.	Irrigating aspirating handle	Assorted
113.	Lens dialer	Assorted
114.	Superior Rectus forceps	Assorted
115.	Eye wash glasses	Assorted
116.	Swimming Goggles	Assorted
III	ENT-Surgical or Operative Procedural Instruments	
	Essential	
117.	Aural Syringe	Assorted
118.	Jobson's Aural Probe	Assorted
119.	Eustachian Catheter	Assorted
120.	Mastoid Retractor	Two
121.	Mastoid Gouge	Assorted
122.	Mallet	Assorted
123.	Nasal Foreign Body hook	Four
124.	Nasal packing forceps	Assorted
125.	Nasal Snare	Assorted
126.	Bayonet Shaped gouge	Assorted
127.	walsham forceps	Assorted
128.	Laryngeal forceps	Assorted
129.	Tongue plate with throat suction	Assorted
130.	Tonsil holding forceps	Assorted
131.	Tonsillar suction	Assorted
132.	Adenoid curette with cage	Assorted
133.	Peritonsillar abcess draining forceps	Assorted
134.	Fuller's Tracheostomy Tube	Assorted
135.	Cheatel's Forceps	Assorted
	Miscellaneous	
136.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras, etc.	Assorted

(H). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT:

S. no.	Name of Out Patient Department	Article required as per norms of CCIM	Required Quantity
1	Moalajat		
	Essential	X-Ray View Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Torch	Two
		Examination Table	One
		Thermometer	Four
		Tongue depressor	Five
		Weight and height measuring stand	One
		Measuring tape	One
		Knee Hammer	Two
	Miscellaneous	Gloves	Assorted
2	Jarahat		
	Essential	X-Ray Viewing Box	One
		Stethoscope	Four
		Instruments for ano-rectal examination	Two sets
		Examination Table	One
		BP Apparatus	Two
		Thermometer	Four
		Torch	Two
		Cheatle forceps	Assorted
	General	Minor OT	Assorted
	Miscellaneous	Surgical Blades	Assorted
3	Ain-Uzn-Anf-Halaq wa Asnan		
	Essential	Tuning forks	Assorted
		Ophthalmoscope/ fundoscope	Two
		Auroscope	Two
		Examination Table	One
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Thermometer	Four
		ENT kit	Assorted
		Torch	Two
		Bull's lamp	One
4	Qabalatwa Amraze Niswan		
	Essential	Weighing machine	One
		Sims's speculum	Two
		Thermometer	Four
		Cusco's speculum	Two
		Examination Table	One
		Lamp stand	One
		Torch	Two
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Measuring tape	Two

5	Amraze Atfal Essential	Scale	One
		Weighing machine	One
		Torch	Two
		X-Ray View Box	One
		Thermometer	Four
		BP Apparatus with Pediatric cuff	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		6	Ilaj bit Tadbeer

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./290(124)]

Note : If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016", the English version will be treated as final.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 18-12/2016 सिद्ध (सिलेबस-पी.जी.)—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 को उन बातों के सिवाय जहाँ तक वे सिद्ध चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित है, अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से सिद्ध चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं:** (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;
(ख) "परिषद्" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;
(ग) "मान्यताप्राप्त संस्थान" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ड.क) के अधीन यथा परिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।
(घ) "उपाधि" से अधिनियम की अनुसूचियों के अधीन मान्यताप्राप्त सिद्ध में उपाधि पाठ्यक्रम अभिप्रेत है।
(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।
- उद्देश्य और प्रयोजन -**
(1) स्नातकोत्तर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा में विशिष्ट ज्ञान का अधिग्रहण, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में सिद्ध चिकित्सा से संबंधित कार्य जारी रखने हेतु सुयोग्य विद्वान, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक, सिद्ध चिकित्सा में निदानकर्ता, औषध निर्माण विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता तैयार करना तथा व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना है।
(2) सिद्ध चिकित्सा में शिक्षण के स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडीसिन (एम.डी.) सिद्ध तथा मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) सिद्ध में, छात्रों को आधुनिक चिकित्सा के मूलतत्वों तथा आधुनिक विज्ञान एवं प्रादुयोगिकी में नई पद्धति तथा प्रगति सहित उनकी संबंधित शाखा में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से शिक्षा दी जाएगी।
- विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं :-** स्नातकोत्तर उपाधियां निम्नलिखित विशिष्टताओं में, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है, अनुज्ञात की जाएगी:-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	नैदानिक अथवा गैर नैदानिक	विभाग जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पोथु मरूथुवम् (जर्नल मेडीसिन)	नैदानिक	मरूथुवम्
2	पुरा मरूथुवम् (एक्सटरनल थेरापी)	नैदानिक	सिरापु मरूथुवम्

3	कुंजनथई मरुथुवम्	नैदानिक	कुंजनथई मरुथुवम्
4	नन्जू मरुथुवम् (टोक्सीकोलॉजी)	नैदानिक	सत्तम सामथ् मरुथुवम् एवं नन्जू मरुथुवम्
5	वर्मा मरुथुवम् (वर्मा मेडीसिन)	नैदानिक	सिरापु मरुथुवम्
6	थोई मरुथुवम् (डरमाटोलॉजी)	नैदानिक	मरुथुवम्
7	सिद्ध योगा मरुथुवम्	नैदानिक	सिरापु मरुथुवम्
8	अरुवई मरुथुवम्	नैदानिक	अरुवई मरुथुवम्
9	सूल एवं मगालीर मरुथुवम् (ओबस्टेट्रिक्स एवं	नैदानिक	सूल एवं मगालीर मरुथुवम्
10	सिद्ध मरुथुवा अदीपदई अरिवियाल (फण्डामेन्टल प्रीसिपल ऑफ सिद्ध)	प्री-नैदानिक	थोटराकिरमा अराईचियुम सिद्ध मरुथुवा वरलारुम
11	गुणापदम फार्माकोनोजी, फार्माकोलॉजी एवं	पैरा-नैदानिक	गुणापदम
12	नोई नाडल (पैथोलोजी एवं डायग्नोस्टिक)	पैरा-नैदानिक	नोई नाडल

5. स्नातकोत्तर उपाधि की नामावली :- सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नामावली निम्नवत् होगी:-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संक्षिप्त रूप
1	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर पोथु मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) जर्नल मेडीसिन
2	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - गुणापदम्	एम.डी. (सिद्ध) मटेरिया मेडिका एवं फार्माकोलॉजी
3	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर-पुरा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) एक्टरनल थेरापी
4	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - कुंजनथई मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) पेडिएट्रिक्स
5	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - नोई नाडल	एम.डी.(सिद्ध) पैथोलॉजी एण्ड डायग्नोस्टिक मेथर्डस
6	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - नन्जू मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) टोक्सीकोलॉजी
7	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सिद्ध मरुथुवा अदीपडई अरिविवल	एम.डी. (सिद्ध) फण्डामेन्टल प्रीसिपल्स ऑफ सिद्ध मेडिसिन
8	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - वर्मा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) वर्मा मेडिसिन
9	सिद्ध अरुवई मरुथुवा पेरारिगनर - अरुवई	एम.एस. (सिद्ध) सिद्ध सर्जिकल प्रोसिजर्स
10	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सूल एवं मगालीर	एम.डी. (सिद्ध) ऑबस्टेट्रिक्स एवं गाइनेकोलॉजी
11	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - थोई मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) डेरमाटोलॉजी
12	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सिद्ध योगा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) सिद्ध योगिक साईन्स

टिप्पणी 1- सिरापु मरुथुवम् एवं नन्जू नूलम मरुथुवा एवं नन्जू नूलम मरुथुवा नीथी नूलुम विभागों की स्नातकोत्तर उपाधियों की नामावली को पुनः नामित पुरा मरुथुवम्, सिरापु मरुथुवम् एवं योगम तथा सत्तम सामथा मरुथुवामुम नन्जू मरुथुवामुम किया जाता है।

टिप्पणी 2-पुरानी नामावली के स्नातकोत्तर उपाधि धारक (सिरापु मरुथुवम् एवं नन्जू नूलम मरुथुवा नीथी नूलुम) को भी नियुक्त किया जा सकता है जो सम्बन्धित विभाग में निरन्तर रहेंगे जो शिक्षक गत विनियमों के आधार पर योग्य माने गए हैं उन्हें संशोधन के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 3-विद्यमान छः स्नातकोत्तर विशेषज्ञताओं के शिक्षक नामतः क्रम संख्या 1 से 6 तक पुरानी या नई नामावली सिद्ध की सम्बन्धित विशेषता वाली मान्य स्नातकोत्तर अर्हता होगी, जबकि अन्य नई स्नातकोत्तर विशिष्टताओं के शिक्षकों की सम्बन्धित विशेषताओं में सिद्ध की अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मान्य स्नातकोत्तर अर्हता होगी।

6. स्नातकोत्तर संस्था जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्नातकोत्तर संस्था जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा नामतः:-

- (1) स्नातक संस्था जो स्नातक पाठ्यक्रम के साढ़े चार वर्ष पूरे कर चुकी हो व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए आवेदन करने के योग्य होगी।
- (2) स्नातकोत्तर संस्थान भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं विनियम, 2016 की समस्त न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

(3) सम्बन्धित स्नातकोत्तर संस्थान के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

(4) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।

(5) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उप- विनियम 4 की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 से पूर्व पूरा करेंगे।

(6) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो-स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

(7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सम्बन्धित विशेष में न्यूनतम अतिरिक्त अध्यापक (स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त) एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की आवश्यकता होगी एवं जो विशिष्टता स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग के अस्तित्व में न हो, वहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की होगी।

(8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक सम्बन्धित विषय या विशिष्टता में आवश्यक रूप से होना चाहिए।

(9) उडल कूरुगल, उडल थथुवम, गुणापाडम-मरूथुडुयल, गुणापाडम-मरून्थकावियाल, नोई नाडल एवं नोई मुधाल नाडल एवं अरूवई मरूथुवम विभागों में स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता है।

(i) प्रयोगशाला तकनीनियन - 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक - 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता 1 (एक)

(10) संस्था के पास विशिष्टता अनुसार पूर्णतः सुसज्जित न्यूनतम सौ शैय्याओं वाला अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय में विदित हो, होना चाहिए।

(11) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, दस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप- विनियम (10) में विदित है स्वीकार्य होंगी। दस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के लिए उप-विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र शैय्या अनुपात 1:4 होगा।

(12) प्री नैदानिक एवं पैरा नैदानिक स्नातकोत्तर विषयों जैसाकि विनियम 4 के क्रम संख्या 10 से 12 में विदित हैं के लिए शैय्याओं की आवश्यकता उप-विनियम (10) के अनुसार होगी।

(13) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ इकसठ से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, वहाँ नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।

(14) गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शैय्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

(15) न्यूनतम आवश्यक बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) एवं 200 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ इकसठ से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) होनी चाहिए।

(16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए बढ़ाई गई प्रत्येक अतिरिक्त 20 शैय्याओं के लिए एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय डाक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

7. स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं :- स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामत् :-

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास पूर्णतः सुसज्जित अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा जिनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है में विदित होना चाहिए।

(2) स्नातकोत्तर संस्था के प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित विशिष्टता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

(3) स्नातकोत्तर संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग का होगा।

(4) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उप- विनियम (3) में यथा विदित आवश्यकता को 31 दिसंबर, 2016 से पूर्व पूरा करेंगे।

(5) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो-स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

(6) विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उस विषय के न्यूनतम तीन अध्यापक - एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं एक व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; अथवा एक प्राध्यापक अथवा एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं दो व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; की आवश्यकता होगी।

(7) अंशकालिक आधार पर शिक्षण के लिए संबंधित विषयक अंशकालीक शिक्षक जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा विनियम में विदित हो, होना चाहिए।

(8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होना चाहिए।

(9) उडल कूरुगल, उडल थाथुवम, गुणापडम-मरुथुइयल, गुणापडम-मरुन्थाकावियल, नोई नाडल एवं नोई मुथाल नाडल एवं अरुवई मरुथुवम विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी।

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन - 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक - 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता 1 (एक)

(10) उप - विनियम (9) में विदित विभागों के अलावा अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी:-

(i) कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर - 1 (एक)

(ii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता - 1 (एक)

(11) संस्था के पास रोगी विभाग में न्यूनतम 100 शैया हों एवं गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शय्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

(12) अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान न्यूनतम 120 रोगी प्रतिदिन होनी चाहिए।

(13) पच्चीस स्नातकोत्तर सीटें नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप - विनियम (11) में विदित है स्वीकार्य होंगी। पच्चीस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के लिए उप-विनियम (11) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छत्र : शैया अनुपात 1:4 होगा।

(14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 विनियम में विदित हो के अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप - विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।

(15) गैर नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में विदित हो के अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप - विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।

(16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए प्रत्येक 25 शैयाओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय डाक्टर की आवश्यकता होगी।

8. प्रवेश की पद्धति.-

(1) अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिद्ध मरुथुवा अरिग्नार (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि धारक और केन्द्रीय पंजिका भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य पंजिका में प्रविष्ट व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(2) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया का संचालन करेगी।

(3) अभ्यर्थियों का चयन स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के माध्यम से 80 अंको में प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर ही किया जाएगा तथा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) कुल 100 अंको का होगा जिसमें 80 प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के होंगे एवं 20 प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंको के होंगे।

(4) 100 अंको की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा जिसमें सिद्ध मरुथुवा अरिग्नार (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषय समाविष्ट किए जाएंगे।

(5) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल अंको के पचास प्रतिशत अंक होंगे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित सरकारी सेवा अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक होंगे और अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता पैतालिस प्रतिशत अंक होंगे।

(6) प्रायोजित अभ्यर्थियों को उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

(7) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रियों (नागरिकों) को उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(9) कोई अभ्यर्थी जिसे स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की किसी विशिष्टता में प्रवेश मिल चुका हो उसे प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु किसी अन्य विषय में परिवर्तित होने या प्रवेश मांगने की अनुमति सीट की रिक्तता व गाइड की उपलब्धता होने पर दी जाएगी।

9. पाठ्यक्रम की अवधि तथा उपस्थिति.-

- (1) प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा।
- (2) परीक्षा देने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, क्रियात्मक और क्लिनिकल ट्यूटोरियल या कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत आवश्यक होगी।
- (3) छात्र को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान उसे निर्देशित अस्पताल में उपस्थिति और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा।
- (4) क्लिनिकल विषयों के छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान उनके संबंधित विभागों में आवासी (रेजिडेन्ट) चिकित्सक के रूप में कर्तव्यों को करना होगा तथा नॉन क्लिनिकल विषयों के छात्रों को उनके सम्बन्धित विभागों जैसे- फार्मसी, वनौषधि उद्यान, प्रयोगशाला के कर्तव्यों को करना होगा।
- (5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचार, गोष्ठियों, अध्ययन दौरों और ऐसे अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
- (6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तिथि से 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैनअुल उपस्थिति आवश्यक होगी।

10.प्रशिक्षण की अवधि.- (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्र को सिद्ध के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

- (2) संबंधित विषय का शास्त्रीय ज्ञान तुलनात्मक गहन प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा।
- (3) व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर गहन जोर देना होगा।
- (4) छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान की तकनीक और तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतन्त्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- (6) छात्र को शिक्षण प्रौद्योगिकी व अनुसंधान विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं पढ़ाई के दौरान स्नातक छात्रों अथवा इनर्टन के शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना होगा।
- (7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र काम करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (8) अधिगम अनुभव में व्याख्यान, शैक्षिक तथा नैदानिक पक्ष पर समूह विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, प्रयोगात्मक प्रदर्शनों, शोध-प्रबंध, विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्ति, चिकित्सा अध्ययन दौरा सम्मिलित होंगे।
- (9) सिद्ध चिकित्सा में सामयिक विकास का अधतन करने, चिकित्सा विज्ञान, औषध-क्रिया के नोवेल मेकेनिज्म, नोवेल थैरेपी जैसे पुर मरूथुवम, एकांकी सिद्ध औषध के नोवेल प्रयोग इत्यादि में प्रवृत्ति को उपर उठाने हेतु अध्ययन संगोष्ठी।
- (10) नैदानिक प्रस्तुतिकरण तथा विषय पर विचार विमर्श होगा जोकि छात्र द्वारा संकाय के निरीक्षण में किया जाएगा तथा छात्र को इसके लिए एक लॉग पुस्तिका का अनुरक्षण आवश्यक रूप से करना होगा।

11 .शोध प्रबंध.-

- (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार पोस्ट ग्रेजुएट समिति हर शैक्षणिक वर्ष ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। जिससे वैश्विक मानको की जरूरत के आधार पर प्रमाणित सिद्ध को प्रचलित करने और उसे प्रकाशित करने में सहायक हो। विश्वविद्यालय समिति भी शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी।
- (2) स्नातकोत्तर का प्रत्येक छात्र विभाग के योग्य संकाय के पर्यवेक्षण में शोध निबन्ध कार्य करेगा और विभाग के समस्त संकाय के सदस्य तीन माह में एक बार शोध-प्रबन्ध का पुनरीक्षण करेंगे।
- (3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम. आर.) के दिशा निर्देशों पर गठित आचार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) यदि छात्र उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि सार प्रस्तुत करने के समय के अनुसार 6 महीने या उससे अधिक के लिए बढ़ाई जाएगी।
- (5) प्रस्तावित योजना का सार प्रस्तावित विषय से संबंधित काम की विशेषज्ञता, कार्य योजना, विभाग का नाम, और गाईड या पर्यवेक्षक और सह गाईड (यदि कोई हो) के नाम व पद का संकेत होगा और विश्वविद्यालय सार जमा करने के तीन महीने के भीतर सार का अनुमोदन करेगा।
- (6) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन के एक बोर्ड का गठन करेगा।
- (7) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर शोध प्रबंध के सार के अनुमोदन को प्रदर्शित करेगा।

- (8) शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और सिद्ध प्रणाली के विकास में सहायक हो और शोध प्रबंध का विषय विशिष्ट विषय से संबंधित होगा।
- (9) एक बार जब शोध प्रबंध के शीर्षक स्नातकोत्तर को विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ने मंजूरी दे दी, उसके बाद छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना काम के प्रस्तावित विषय के शीर्षक को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (10) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः महीने पहले शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं 3 साल से पहले शोध प्रबंध जमा करने के बाद भी पाठ्यक्रम के तीन साल पूरा करने के लिए छात्र संस्था में नियमित रूप से अध्ययन जारी करेगा।
- (11) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध प्रबंध में छात्र गाइड या पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किये अनुसंधान के तरीको जो उसके समस्या पर छटनी की एवं पूरा किया के डाटा को सम्मिलित करेगा।
- (12) शोध प्रबंध में महत्वपूर्ण साहित्यिक समीक्षा, कार्यप्रणाली, अनुसंधान का परिणाम एवं अनुसंधान के आधार पर चर्चा, सारांश, निष्कर्ष एवं संर्दभो का समावेश होगा जिससे शोध प्रबंध प्रकाशन के लिए उपयुक्त हो।
- (13) शोध प्रबंध कम से कम चालीस हजार शब्दों से मिलकर बनेगा।
- (14) शोध प्रबंध के अंत में कम से कम पन्द्रह सौ शब्दों का सारांश एवं एक हजार शब्दों का निष्कर्ष होना चाहिए।
- (15) गाइड या पर्यवेक्षक प्रोफेसर या रीडर या व्याख्याता या एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का होगा।
- (16) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला व्याख्याता या सह-आचार्य की हैसियत का व्यक्ति शोध प्रबन्ध हेतु मार्ग दर्शक या पर्यवेक्षक होगा।
- (17) शोध प्रबंध की पांच सजिल्द प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से चार माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।
- (18) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य और एक आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (19) शोध प्रबंध उप विनियम (18) के अधीन नियुक्त परीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अस्वीकार किए जाने की दशा में शोध प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाह्य परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (20) यदि शोध प्रबंध दो बाह्य परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापिस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः आगे छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (21) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के बाद ही छात्र को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- (22) अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए सम्बंधित विशेषता से गाइड या पर्यवेक्षक चुना जा सकता है।
- (23) यदि पैरा-नैदानिक एवं पूर्व नैदानिक विषय छात्र शोध प्रबन्धन का प्रसंग लेता है जिसमें नैदानिक खोज सम्मिलित हो तब वह सम्बंधित विशिष्टता के नैदानिक शिक्षक सह मार्ग दर्शक के अधीन शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु कार्य करेगा।

12. परीक्षा एवं मूल्यांकन :- (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तरीके से दो परीक्षाएं होगी नामत-

- (क) प्रवेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा, एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी।
- (ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद तीन शैक्षणिक वर्ष पूरे होने पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) परीक्षा आमतौर पर जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी।
- (घ) परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।
- (ङ) उत्तीर्ण घोषित करने के लिए छात्र को अलग - अलग से पचास प्रतिशत अंक सिद्धांत एवं व्यावहारिक विषयों में प्राप्त करने होंगे।
- (च) अगर एक छात्र प्रारंभिक परीक्षा में विफल रहता है, उसे अंतिम परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी;
- (छ) अगर छात्र अंतिम परीक्षा में प्रैक्टिकल या थ्योरी विषय में विफल रहता है, वह एक ताजा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना बाद में परीक्षा में प्रकट हो सकता है ;
- (ज) विफल रहे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा हर छह महीने के अंतराल पर आयोजित की जाएगी तथा
- (झ) छात्र को शोध प्रबंध के स्वीकृत होने व अंतिम परीक्षा में पास होने के बाद स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
- (2) परीक्षा का उद्देश्य छात्र का विशेष विषय में नैदानिक कौशल, क्षमता और व्यावहारिक पहलू में कार्यसाधक ज्ञान और एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का परीक्षण करना होगा।
- (3) नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य छात्र का सिद्ध का ज्ञान एवं विषय विशेष में वैज्ञानिक साहित्य को परखना होगा।
- (4) प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा भाग में विशेषता के किसी भी पहलू पर व्यापक चर्चा शामिल की जाएगी।

13. परीक्षा के विषय :-

- (1) प्रवेश के बाद एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों, में आयोजित की जाएगी नामतः प्रश्नपत्र -(1) अनुसंधान क्रियाविधि ; एवं जैव या चिकित्सा सांख्यिकी; प्रश्नपत्र -(2) संबंधित विषय की बुनियादी बातों का एंफ्लाइड पहलु;
- (2) छात्र को संबंधित विभाग में प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसे अपनी चुनी गयी विशेषता में पिछले दो वर्षों के दौरान किये निम्नलिखित कार्य का मासिक रिकार्ड रखना होगा:-
- (क) विशेषता से संबंधित साहित्य का अध्ययन;
- (ख) नैदानिक विषय के छात्र के लिए अस्पताल में नियमित रूप से नैदानिक प्रशिक्षण;
- (ग) प्री क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल चिकित्सीय विषय के छात्र के लिए विभाग में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;
- (घ) विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठियों और विचार विमर्श में भाग लेना;
- (ङ) शोध प्रबंध में विषय पर किये गए कार्य की प्रगति।
- (3) प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा प्रथम स्नातकोत्तर वर्ष में किए गए कार्य का मूल्यांकन जैसा कि उपर्युक्त उप- नियम (2) में उल्लेखित है प्राथमिक परीक्षा के पूर्व किया जायेगा।
- (4) अन्तिम परीक्षा में शोध प्रबन्ध लिखित प्रश्नपत्र, और नैदानिक अथवा प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षण सम्मिलित होंगे।
- (5) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक पेपर यथा एक प्रयोगात्मक अथवा क्लीनिकल तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धित विशिष्टता या छात्र द्वारा चयनित उप-विशिष्टताओं अथवा समूह में विशेष अध्ययन होगा।
- (6) छात्र को उसके शोध प्रबन्ध पर आधारित उसके शोध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र एक जर्नल में प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत कराना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में एक शोध-पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा।

14. परीक्षा की पद्धति और परीक्षक (एस) की नियुक्ति:-

- (1) प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा लिखित, व्यावहारिक, नैदानिक, और मौखिक रूप में आयोजित की जाएगी।
- (2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से एक बाह्य परीक्षक किसी अन्य संस्था से हो और अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से दो परीक्षक बाह्य भी अन्य संस्था से हो संचालित की जाएगी।
- (3) संबंधित विषय या विशिष्टता में पांच साल का शिक्षण अनुभव या अनुसंधान अनुभव होने पर ही शिक्षक को निरीक्षक नियुक्त करने का पात्र माना जाएगा।

15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं :- वजीफा और आकस्मिकता, (कन्टिन्जेंसी) केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय, द्वारा नियंत्रित (जैसा भी मामला हो) संस्थानों में उनके द्वारा तय दरों पर दी जाएगी।

16. शिक्षक -छात्र अनुपात - (1) शिक्षक -छात्र अनुपात स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या प्रत्येक वर्ष प्रवेशित स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या प्रोफेसर (1:3), रीडर (1:2) या एसोसिएट प्रोफेसर जारी रखा जाएगा।

(2) लैक्चरर या सहायक/प्रोफेसर जिन्हें पाँच वर्ष का अध्ययन अनुभव होगा शिक्षक छात्र अनुपात (1:1) होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्रों की अधिकतम संख्या :- किसी भी विशेषता में प्रतिवर्ष छात्रों की अधिकतम संख्या बारह से अधिक नहीं होगी

18. निर्देश का माध्यम :- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या तमिल या किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी।

19. शिक्षण संकाय हेतु अर्हताएं एवं अनुभव- स्नातकोत्तर शिक्षकों हेतु शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं निम्नवत् होगी-

(क) अनिवार्य अर्हता :-

(i) वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित विशिष्टता में अधिनियम के अनुसूचियों में सम्मिलित सिद्ध चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि एवं तालिक कालम (2) में आने वाले नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सिद्ध चिकित्सा की सम्बन्धित विशिष्टता की तालिक के कालम (3) में अंकित अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित स्नातकोत्तर उपाधि जब तक सम्बन्धित विशिष्टता के शिक्षकों की उपलब्धता होती है विचारणीय होगी।

तालिका

क.सं	नया स्नातकोत्तर में विशिष्टता	सम्बन्धित विशिष्टता
(1)	(2)	(3)
1.	सिद्ध मरूथुवा अदिप्पडई अरिवियाल (सिद्ध चिकित्सा के मौलिक सिद्धान्त)	कोई भी स्नातकोत्तर विशिष्टता

2.	वर्मा मरुथुवम् (वर्मा मेडीसिन)	सिरापू मरुथुवम्, विशेष चिकित्सा
3.	अरुवई मरुथुवम् (सर्जरी)	कोई क्लीनिक स्नातकोत्तर विशिष्टता
4.	सूल एवं मगालीर मरुथुवम् (ओब्स्टेट्रिक्स एवं ग्यनाकोलॉजी)	कुन्जंथई मरुथुवम् (पेडिट्रिक्स)
5.	थोई मरुथुवम्	मरुथुवम् (जनरल मेडिसिन)
6.	सिद्ध योगा मरुथुवम् (सिद्ध योगिक साईन्स)	सिरापू मरुथुवम् (विशेष चिकित्सा)

(ii) आधुनिक विषयों तथा अन्य समवर्गी स्वास्थ्य विषयों हेतु शिक्षण संकाय के मामलों में सम्बन्धित विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है।

(ख) वांछनीय :-

(i) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.), तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव

(ii) संबंधित विषयों पर मेडिकल जर्नल अथवा पुस्तकों में मूल प्रकाशित पत्र

(iii) अंग्रेजी अथवा तमिल अथवा हिन्दी का अच्छा ज्ञान।

(ग) अनुभव :- —

(i) संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव होगा।

(ii) प्राध्यापक के पद के लिए: संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा 5 वर्षों का संबंधित विषय में प्रवाचक का अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 10 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।

(iii) प्रवाचक एवं एसोसिएट प्राध्यापक के पद के लिए: संबंधित विषय में कुल 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 5 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।

(iv) सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के पद के लिए: प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 2: नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) सम्बन्धित विशिष्टता पाठ्यक्रम धारक का शोध कार्य अनुभव सम्बन्धित विशिष्टता में एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।

20. अनुमति की प्रक्रिया पूरा होने की तारीख एवं सिद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की कट-ऑफ- डेट -

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश का अनुदान या अनुमति देने से इन्कार करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कट-ऑफ-डेट प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर होगी।

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./290 (124)]

टिप्पणी:

1. मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में 23 जनवरी, 1979, को प्रकाशित किए गये थे।

2. अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No.18-12/2016 Siddha (Syllabus PG).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j),(k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Education) Regulations, 1979, in so far as they relate to the post-graduate education in the Siddha system of medicine, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the post-graduate education in the Siddha system of medicine, namely:-

- (1) **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
- “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
 - “Council” means the Central Council of Indian Medicine;
 - “recognised institution” means an approved institution as defined under clause (a) and clause (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
 - “Degree” means a degree course in Siddha recognised under Schedules of the said Act;
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- (3) **Aims and objects.-**
- The aim of post-graduate education is acquisition of specialised knowledge in Siddha medicine, producing competent scholars, experts, scientists, teachers, clinicians, physicians, surgeons, obstetricians and gynaecologists in Siddha medicine, pharmaceutical experts and research workers to carry on the work relating to Siddha medicine in Universities, research laboratories and other institutions of higher learning and to create global awareness.
 - At the post-graduate level of teaching in Siddha medicine namely, Doctor of Medicine (M.D.) Siddha or Master of Surgery (M.S.) Siddha, students are taught about Siddha system of medicine in detail in their respective branches along with elements of modern medicine and also recent methods and advances in modern science and technology related with medical field.
- (4) **Specialities in which post-graduate degree shall be conducted.-** The post-graduate (PG) degree shall be allowed in the following specialities as under:-

S.No.	Name of speciality	Clinical or Para-clinical or Pre-clinical	The Department in which post-graduate course can be conducted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pothu Maruthuvam (General Medicine)	Clinical	Maruthuvam
2.	Pura Maruthuvam, (External therapy)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
3.	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Clinical	Kuzhanthai Maruthuvam
4.	Nanju Maruthuvam (Toxicology)	Clinical	Sattam Saamtha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum
5.	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
6.	Thol Maruthuvam (Dermatology)	Clinical	Maruthuvam
7.	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar's Yogic Science)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
8.	Aruvai Maruthuvam (Surgery)	Clinical	Aruvai, Maruthuvam
9.	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Clinical	Sool and Magalir Maruthuvam
10.	Siddha Maruthuva Adippadai ariviyal (Fundamental Principles of Siddha Medicine)	Pre-clinical	Thotrakirama Aaraachiyum Siddha Maruthuva Varalaarum
11.	Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology and Pharmaceutics)	Para-clinical	Gunapadam
12.	Noi Naadal (Pathology and diagnostic methods)	Para-clinical	Noi Naadal

- (5) **Nomenclature of post-graduate degree.-** The nomenclature of post-graduate degree in respective specialities shall be as under:-

S. No.	Nomenclature of speciality or degree	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
1.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Pothu Maruthuvam	M.D. (Siddha) General Medicine
2.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Gunapadam	M.D. (Siddha) Materia Medica and Pharmacology
3.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Pura Maruthuvam	M.D. (Siddha) External therapy
4.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Kuzhanthai Maruthuvam	M.D. (Siddha) Paediatrics

S. No.	Nomenclature of speciality or degree	Abbreviation
5.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Noi Naadal	M.D. (Siddha) Pathology and Diagnostic Methods
6.	Siddha Maruthuva Peraringnar -Nanju Maruthuvam	M.D. (Siddha) Toxicology
7.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal	M.D.- (Siddha) Fundamental Principles of Siddha Medicine
8.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Varma Maruthuvam	M.D. (Siddha) Varma Medicine
9.	Siddha Aruvai Maruthuva Peraringnar - Aruvai Maruthuvam	M.S. (Siddha) Siddha Surgical Procedures
10.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Sool and Magalir Maruthuvam	M.D. (Siddha) Obstetrics and Gynaecology
11.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Thol Maruthuvam	M.D. (Siddha) Dermatology
12.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Siddhar Yoga Maruthuvam	M.D. (Siddha) Siddhar's Yogic Science

Note 1: The Departments and Nomenclature of post-graduate degrees of Sirappu Maruthuvam and Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum have been renamed as Pura Maruthuvam, Sirappu maruthuvam and Yogam and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum respectively.

Note 2 : The post-graduate degree holder with the old nomenclature (i.e. Sirappu Maruthuvam or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum) may also be appointed or continued in concerned department. The teachers who had been considered eligible in the past on the basis of previous regulations shall not be considered ineligible on the basis of amendment.

Note 3 : The teachers of the existing six post-graduate specialities, namely from Serial No.1 to 6 shall possess a recognised post-graduate qualification in siddha in the concerned speciality (with old or new nomenclature), whereas the teachers of the other new post-graduate specialities shall possess a recognised post-graduate qualification in siddha in any related speciality included in the Schedule to the Act.

- 6) **Minimum requirement for a post-graduate institution where under-graduate course is in existence.-** The post-graduate institute where under-graduate course is in existence shall fulfill the following requirements, namely:-
- (1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate course.
 - (2) The post-graduate institute shall satisfy all the minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
 - (3) The post-graduate institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
 - (4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting postgraduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
 - (5) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in subregulation (4) before the 31st December, 2016.
 - (6) The additional ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist shall be provided and the Qualification for the said ancillary staff shall be post-graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.
 - (7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the speciality which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.
 - (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.

- (9) In each of the department of Udal Koorugal, Udal Thathuvam, Gunapadam- Maruthuiyal, Gunapadam - Marunthakaviyal, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal and Aruvai Maruthuvam, the following non-teaching staff shall be required in addition to the undergraduate staff requirement:
- | | | |
|---|---|---------|
| 1) Laboratory technician | - | 1 (one) |
| 2) Laboratory assistant | - | 1 (one) |
| 3) Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one) |
- (10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with speciality-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (12) The post-graduate in pre-clinical or para-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 10 to 12 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient department of the hospital during last one calendar year (i.e. 365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (15) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and minimum two hundred patients per day for the colleges having postgraduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.
- (16) In clinical departments, for additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.
- 7) **Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence.-** The postgraduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfil the following requirements, namely:-
- (1) The post-graduate institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016, in which post-graduate course is being conducted.
- (2) The post-graduate institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (3) The post-graduate institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (4) The existing post-graduate institutions shall fulfil the requirement as specified in subregulation (3) before the 31st December, 2016.
- (5) The additional ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist shall be provided and the Qualification for the said ancillary staff shall be post-graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.
- (6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties; one Professor, one Reader or Associate Professor and one Lecturer or Assistant Professor; or one Professor or Reader or Associate Professor and two Lecturers or Assistant Professors in each concerned subject or speciality.
- (7) The Part time teachers in concerned speciality as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 may be engaged for teaching on part time basis.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.
- (9) In each of the department of Udal Koorugal, Udal Thathuvam, Gunapadam - Maruthuiyal, Gunapadam - Marunthakaviyal, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal and Aruvai Maruthuvam, the following non-teaching staff shall be required:-
- | | | |
|--|---|----------|
| (i) Laboratory technician | - | 1 (one) |
| (ii) Laboratory assistant | - | 1 (one) |
| (iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one). |

- (10) In each of the department other than these departments specified in sub-regulation (9), the following non-teaching staff shall be required:
- | | | | |
|------|--|---|----------|
| (i) | Office Assistant or Data entry operator | - | 1 (one) |
| (ii) | Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one). |
- (11) Minimum one hundred beds in the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.
- (13) Twenty-five post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in the sub-regulation (11) and for more than twenty-five postgraduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (11).
- (14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for undergraduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (15) The institute conducting post-graduate course in pre-clinical or para-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-patient departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

8) Mode of admission.-

- (1) A person possessing the degree of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) from a recognised University or Board or medical institution specified in the Schedules of the Act and enrolled in Central or State Register of Indian Systems of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.
- (2) The State Government or University concerned shall conduct the admission process.
- (3) The selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent, weightage to the Post-graduate entrance test and twenty per cent, weightage to the marks obtained in under-graduate course.
- (4) The Post-graduate entrance test of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) course.
- (5) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent, of the total marks, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent, and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.
- (6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulation (5).
- (7) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulation (5).
- (8) The reservation policy of the Central Government or, the concerned State Government shall be applicable for admission of candidates.
- (9) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

9. Duration of course and attendance.

- (1) The student shall have to undergo a study for a period of three years after the admission.
- (2) The student shall have to attend minimum eighty per cent, of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.

- (3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to him during the course of study.
- (4) The student of clinical subject shall have to do resident duties in their respective departments and student of pre-clinical and para-clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy or Herbal Garden or Laboratory during the course of study.
- (5) The student shall attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as may be arranged by the teaching departments.
- (6) The maximum duration for completion of the course shall be not exceed beyond the period of six years from the date of admission to the course.
- (7) Web based centralised biometric attendance system shall be required for attendance of post-graduate students and manual attendance at department level in which student is pursuing the post-graduate course.

10. Method of training.-

- (1) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Siddha.
- (2) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective speciality.
- (3) The emphasis shall be given on intensive applied and hands on training.
- (4) The students shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of information technology.
- (5) In clinical subjects, students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.
- (6) The student shall undertake training in teaching technology and research methods and shall participate in the teaching and training programs of under-graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.
- (7) In the clinical training the student shall have to acquire the knowledge of independent work as a specialist.
- (8) Learning experience shall include lectures, group discussions, symposia, practical demonstrations, thesis, medical study tour, etc.
- (9) Seminars shall be held to update current developments in Siddha medicine, emerging trends in therapeutics and treatment methodology from time to time, novel mechanisms of drug action, novel therapies like Pura Maruthuvam, novel use of single Siddha drug, and the like.
- (10) Clinical presentation and case discussion may be held under the supervision of a faculty, which shall be undergone by the student and the student must maintain a log book of the same.

11. Dissertation.-

- (1) The Central Scientific Advisory Post Graduate Committee appointed by Central Council of Indian Medicine shall suggest the areas of Research and topics to be focused every academic year to make campaigning of evidence based Siddha to the need of global standards and achieve publications and the same shall be followed by University Committee while approving the Dissertation title.
- (2) Each post-graduate student shall carry out a dissertation work under the supervision of an eligible faculty of the department and the thesis shall be reviewed by all faculty members of the department once in three months
- (3) The title of the dissertation along with the synopsis, with approval of the Ethics Committee constituted by the institute as per the regulations of concerned recognised University, shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to post-graduate course.
- (4) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (3), his terms for final post-graduate course shall be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.
- (5) The synopsis of the proposed scheme of work shall indicate the expertise and action plan of work of the student relating to the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide (if any) and the University shall approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.
- (6) A Board of Research Studies shall be constituted by the University for approving the title.
- (7) The University shall display the approved synopsis of dissertation on their website.
- (8) The subject of every dissertation shall be research, practical oriented, innovative and helpful in the development of Siddha system and the subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the speciality.

- (9) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.
- (10) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.
- (11) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.
- (12) The dissertation shall consist of critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary conclusion, and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.
- (13) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.
- (14) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.
- (15) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Associate Professor.
- (16) The Lecturer or Assistant Professor having five years University approved teaching experience in the subject concerned shall be eligible to become guide or supervisor for dissertation purpose.
- (17) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.
- (18) The dissertation shall be assessed by two external examiners and two internal examiners appointed by the University.
- (19) The dissertation shall be accepted only after approval of examiners appointed under sub-regulation (18) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.
- (20) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.
- (21) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.
- (22) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned speciality.
- (23) If a para-clinical or pre-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the speciality concerned for preparing the thesis.

12. Examination and assessment.-

- (1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner, namely:-
 - (a) the preliminary examination shall be conducted at the end of first academic year after admission;
 - (b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;
 - (c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;
 - (d) for being declared successful in the preliminary examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;
 - (e) the student shall be required to obtain fifty per cent, marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass.;
 - (f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass the same before appearing in the final examination;
 - (g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;
 - (h) the subsequent examination for failed candidates shall be conducted at every six months interval; and
 - (i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.
- (2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the speciality and his or her fitness to work independently as a specialist.
- (3) The clinical examination shall be to assess the competence of the student in Siddha and scientific literature of the speciality.

- (4) The *viva-voce* part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or speciality.

13. Subjects of examination.-

- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:- Paper I- Research Methodology and Bio or Medical Statistics; Paper II- Applied aspects regarding concerned subjects.
- (2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the speciality opted by him as under-
- study of literature related to speciality;
 - regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;
 - practical training of research work carried out in the department, for student of pre- clinical and para-clinical subject;
 - participation in various seminars, symposia and discussions;
 - progress of the work done on the topic of dissertation.
- (3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) above shall be done before the preliminary examination.
- (4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.
- (5) There shall be four theory papers in each speciality and one practical or clinical and viva- voce examination in the concerned speciality or group of sub-specialities selected by the student for special study.
- (6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

14. Mode of examinations and appointment of examiner(s).-

- The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical or clinical and oral examination.
- The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and the final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.
- A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or speciality shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

15. Facilities for post-graduate students.- The stipend and contingency may be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

16. Teacher student ratio.- (1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained at 1:3 in case of Professor and 1:2 in case of Reader or Associate Professor.

(2) The teacher student ratio shall be 1:1 in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum of five years teaching experience.

17. The maximum number of students in post-graduate course.- The maximum number of students per year per speciality shall not exceed twelve.

18. Medium of instruction.- The medium of instruction shall be English or Tamil or Hindi or any recognised regional language.

19. Qualifications and Experience for the teaching faculty.- The qualifications and experience for the teaching staff shall be as follows, namely: -

(a) Essential qualification-

(i) Post-graduate degree in Siddha medicine included in the Schedules to the Act, of the concerned speciality in the existing post-graduate courses and for upcoming new postgraduate courses as mentioned in column (2) of the Table, the post-graduate degree in Siddha medicine included in the Schedules to the Act, of the related speciality as mentioned in column (3) of the table, shall be considered, until the availability of eligible teachers from the concerned speciality:-

TABLE

Sl. No.	New post-graduate speciality	Related speciality
(1)	(2)	(3)
1.	Siddha Maruthuva Adippadai ariviyal (Fundamental Principles of Siddha Medicine)	Any post-graduate speciality
2.	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	Sirappu Maruthuvam, Special Medicine
3.	Aruvai Maruthuvam (Surgery)	Any clinical post-graduate speciality
4.	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Kuzhanthai Maruthuvam (Peadiatrics)
5.	Thol Maruthuvam (Dermatology)	Maruthuvam (General Medicine)
6.	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar's Yogic Science)	Sirappu Maruthuvam, (Special Medicine)

(ii) In case of teaching faculty for modern subjects and other allied health subjects, postgraduate degree in the related speciality is essential.

(b) Desirable-

- (i) Doctor of Philosophy (Ph.D.) in the concerned subject or speciality recognised by the University, research experience in recognised research institutes;
- (ii) original published paper in medical journals or books on the concerned subjects;
- (iii) good knowledge in English or Tamil or Hindi.

(c) Experience-

(i) Qualification and experience for the post of Head of the Institution: The

qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor.

(ii) For the post of Professor: Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in a recognised journal.

(iii) For the post of Reader or Associate Professor: Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in a recognised journal.

(iv) For the post of Assistant Professor or Lecturer at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

Note.- The experience acquired during a regular full time Doctor of Philosophy (Ph.D.) course in related speciality, shall be considered equivalent to one year of teaching experience in related speciality .

20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Siddha Colleges.-

(1) The process of grant or denial of permission to the Siddha colleges for taking admissions in post-graduate course shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admissions in post-graduate course shall be the 30th September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./290(124)]

Note.- 1.The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 23rd January, 1979.

2. If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016", the English version will be treated as final.